FOR REFERNCE ONLY.

श माला, खंड 20, अंक 5

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2001

2 अग्रहायण, 1923 (शक)

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D...52...
Date 23/9/2002

(खंड 20 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार,23 नवम्बर, 2001/ 2 अग्रहायण,1923 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
31	11	'महोदक्ष' शब्द का लोप कीजिए ।	
154	2	श्री वी.श्रीनिवास	श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद
204	नीचे से 4	श्री ए.के.ए.विजयन	श्री ए.के.एस.विजयन
231	नीचे से 6	श्री जी.एम.बसवराज	श्री जी.एस.बसवराज
259	8	श्री वाई.एस.विवेकान्द रेड्डी	श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी
317	अंत में	डा.वल्लभभाई कथरिया	डा.वल्लभभाई कथीरिया
323	2	श्री एन.एन.कृष्णलाल	श्री एन.एन.कृष्णदास
336	30	श्री जे.एस.राव	श्री जे.एस.बराड़
336	31	श्री रामलाल रूपला गावीत	श्री रामदास रूपला गावीत

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 20, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 5, शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2001/2 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81, 82, 85 और 86	2–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 83, 84 और 87 से 100	31–52
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150	52–414
सभा पटल पर रखे गए पत्र .	414–437
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	438
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	438
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	438
सभा का कार्य .	439–442
कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	443
बंगलादेश में हिन्दुओं पर कथित अत्याचार के बारे में	443–460
तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में	461–467
कार्य मंत्रणा समिति	
अट्ठाईसवां प्रतिवेदन	481
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक .	481–498
विचार करने के लिए प्रस्ताव	481
डा. सत्यनारायण जटिया	481

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	482
डा. (श्रीमती) अनिता आर्य	484
सरदार बूटा सिंह	485
श्री रूपचन्द मुर्मू	492
श्री रामजीलाल सुमन	495
खंड 2, 3 और 1	498
पारित करने के लिए प्रस्ताव	498
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	498
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुरः स्थापित*	499–500
(एक) प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक	
श्री रामदास आठवले	499
(दो) गन्दी बस्तियां और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अपसारण) विधेयक	
श्री रामदास आठवले	499
(तीन) एक समान शिक्षा विधेयक	
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	500
(चार) रोजगार का उपबंध विधेयक	
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	500
(पांच) फसल बीमा योजना विधेयक	
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	501
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(नए अनुच्छेद 21क का अन्तःस्थापन)	
श्री जी.एस. बसवराज	501
(सात) बालिका (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा) विधेयक	
श्री जी.एस. बसवराज	502
(आठ) स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक	
डी. वी. सरोजा	502
(नौ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा 375 का संशोधन)	
डा. वी. सरोजा	503

विषय		कॉलम
(दस)	चलचित्र (संशोधन) विधेयक	
	(धारा 5ख का संशोधन)	
	डा. वी. सरोजा	503
(ग्यारह)	संविधान (संशोधन) विधेयक	
	(नए अनुच्छेद 22क और 22ख का अन्त:स्थापन)	
	डा. वी. सरोजा	504
(बारह)	अभिरक्षा में अपराध (निवारण, संरक्षण और प्रतिकर) विधेयक	
	श्री जी.एम. बनातवाला	504
(तेरह)	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक—*अस्वीकृत*	505–542
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	505
	प्रो. रासा सिंह रावत	505
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	509
	श्री नवल किशोर राय	513
	श्री शीशराम सिंह रवि	514
	श्री मधुसूदन मिस्त्री	518
	डा. (श्रीमती) अनिता आर्य	521
	डा. संजय पासवान	522
	श्रीमती आभा महतो	524
	श्रीमती वसुन्धरा राजे	525
	श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	532
(चौदह)	संविधान (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन*	
	(सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)	542–550
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	542
	श्री वैको	542–550

लोक सभा

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2001/2 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 81

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के कुछ अंशों को निकालने के लिए परिपत्र जारी किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल के बाद यह मामला उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): वे इतिहास को बदल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सर, आज जीरो आवर में हमारा मामला टेक-अप करिये।

अध्यक्ष महोदय: आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, जीरो आवर में आपका मामला लेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आतंकवादी हमले के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार पर प्रभाव

+
***81. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितम्बर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो आतंकवादी हमले के बाद से भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले निर्यात में विशेषत: और अन्य देशों को होने वाले निर्यात में सामान्यत: कितनी कमी आई है और उक्त हमले के बाद से वास्तव में कितने मूल्य का निर्यात किया गया है;

(ग) कौन-कौन से उद्योगों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और भारतीय व्यापार संतुलन पर इसका समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या अमरीका-अफगानिस्तान युद्ध की अनिश्चितताओं के कारण वर्ष 2001-2002 के लिए निर्धारित-लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कमी आएगी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका-अफगानिस्तान युद्ध की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर देश के व्यापार संतुलन को बनाए रखने, निर्यात को बढ़ावा देने और प्रभावित निर्यातकों और उद्योगों को सहायता के लिए कोई नई रणनीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जी हां। यूएसए सहित अन्य बहुत से गन्तव्यों को होने वाले भारतीय निर्यातों पर सितम्बर की घटना का प्रभाव पड़ा है।

सितम्बर, 2001 के दौरान पण्य वस्तुओं का भारतीय निर्यात 3516.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य का रहा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 8.61% की कमी आई है। व्यापार घाटा सितम्बर, 2001 के—399.66 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में सितम्बर, 2001 में—699.10 मिलियन अमरीकी डालर का रहा है।

हालांकि, यह प्रभाव अधिकतर क्षेत्रों में महसूस किया गया है फिर भी रत्न एवं आभूषण और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में खासकर अमरीकी बाजार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) और (च) विश्व बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाए किए गए हैं। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं - लदान-पूर्व और लदान-पश्चात् दोनों ऋणों के लिए निर्यात ऋण दर में कटौती, 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की निर्यात संविदा वाले विनिर्माता निर्यातकों को अक्तूबर, 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, लैटिन अमरीकी देशों को किए गए निर्यातों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए 180 दिन की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना और कई उत्पाद समूहों पर शुल्क वापसी की दरों को उर्ध्वगामी संशोधन करना। निर्यात निष्पादन की लगातार निगरानी की जा रही है और व्यापार घाटे को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब अपूर्ण, असंतोषजनक है...*(व्यवधान)* अशोभनीय नहीं है, लेकिन गोलमोल जरूर है। वह बिहार में ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए समय कम दे पा रहे हैं। अमरीका के पास पूंजी और आधुनिक टैक्नोलोजी है, जबकि भारत के पास मानव संसाधन हैं। 11 सितम्बर को जो घटना घटी, उसके पहले भी हमें जितना व्यापार अमरीका के साथ करना चाहिए था, हम उसमें विफल रहे हैं। इस तरफ हमारा प्रयास असंतोषजनक या प्रशंसनीय कभी भी नहीं रहा है। पता नहीं इस सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण क्यों किया, जबकि मुझे लगता है कि नागपुर में एटम बम बना था और उसे निकालकर दिखा दिया गया। हमारे पास जो हथियार था, उसे हमें दिखाना नहीं चाहिए था। उसके कारण हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा, उससे आज हम उबरे हैं और यदि 11 सितम्बर की घटना के बाद हमारी तरफ से अच्छा प्रयास होता तो हम अमरीका के ऊपर छा जाते। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि हमारी तरफ से इस ओर प्रयास क्यों नहीं हुआ।

दूसरी ओर अखबारों में छपा है कि अमरीका के बाजार में 50 परसेन्ट चीनी सामान भरा पड़ा है, जबकि भारतीय सामान एक परसेन्ट है। हम अमरीका में बहुत सा ऐसा सामान भेज सकते हैं, किन्तु हमारी सरकार इस ओर प्रयास नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है। क्या इसके लिए सरकार कोई प्रयास करेगी, हम जानना चाहते हैं। उत्तर में स्पष्ट नहीं आ रहा है। हमारे पास इतनी टैक्नोलोजी और इतने साधन हैं, हम वहां क्या-क्या भेजना चाहते हैं। इस समय हमें अमरीका से बहुत कुछ मिल सकता था। लेकिन हम अमरीका के आगे इतना झुक गये हैं कि आओ तुम हमारे पिता जी हो, हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान और चाइना इतना लाभ उठा रहे हैं और हम वह लाभ उठाने में बिल्कुल असफल हैं। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं क्या आप इस असफलता को स्वीकार करेंगे या नहीं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है, मूलत: उनका प्रश्न 11 सितम्बर की आतंकवादी घटना के बाद भारत के निर्यात में जो कमी आई है उससे सम्बद्ध है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रश्न पढ़ने के पहले माननीय सदस्य विषयान्तर हो गये हैं और कहीं और चले गये हैं, जिसमें उन्होंने वार्ता दूसरी तरफ पहुंचा दी है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: हमने यह कहा कि पहले से ही आप टूटे हुए हैं और परमाणु परीक्षण के बाद और टूट रहे हैं और उसके बाद भी सरकार प्रयास नहीं कर रही है, हम यह जानना चाहते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मैं इसी विषय की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत का व्यापार विश्व के स्तर पर सिर्फ 0.67 फीसदी है और हमारा टार्गेट है कि वर्ष 2005 तक इसे 1 फीसदी ले जाएं। जहां तक प्रश्न उठाया है चीन से तुलना का, तो चीन से हमारी तुलना तत्काल करना उचित नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो क्षमता है, जो हम अगले दस वर्षों में प्रदर्शित करने जा रहे हैं और जो सरकार की नीयत और नीति है, निश्चित रूप से आने वाली अवधि में भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश रहेगा और निर्यात में सबसे आगे रहेगा ऐसी मेरी धारणा है। अभी जो इनका मूल प्रश्न था वह निर्यात से संबंधित था और आतंकवादी हमले के पश्चात् जो निर्यात में कटौती हुई है, उस पर था। माननीय सदस्य यदि उस विषय पर प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब देने की स्थिति में हूं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पता नहीं आंवला खाते हैं या नहीं, इनको खाना चाहिए। हमारे प्रतापगढ़ में आंवला बहुत होता है। मैं मंत्री जी को भी भेजूंगा और माननीय अध्यक्ष जी की सेवा में भी रखूंगा और एक दिन पूरे सदन को मैं खिलाऊंगा यह वचन देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, एक भी आँवला अमेरिका नहीं जाता। इसी वर्ष पूरे सदन को मैं आंवला वितरित करूंगा और प्रार्थना करूंगा आपके माध्यम से कि आंवले का ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो तो उससे आंवले के किसानों को भी फायदा होगा और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में आँवले की इतना ज्यादा खपत होगी कि कृषकों को भी उससे लाभ होगा और इसका उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए यह पूछना चाहता हूं। ये नए मंत्री हैं, नौजवान हैं, अक्सर फाइव स्टार होटल में इनके फोटो वगैरह छपे हुए आते हैं। ये हमारे मित्र भी हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा 11 दिसम्बर के बाद अमेरिका में ज्यादा आंवला निर्यात आप करें तो बहुत ही लाभ होगा और अमेरिका में उसका चलन होगा क्योंकि वहां की फौज निश्चित रूप से आंवला खरीदेगी और यह एक बहुत ही अच्छी दवाई है। फलों में आंवला सर्वश्रेष्ठ है और दवाई के रूप में कोई दूसरा फल नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रस्ताव बहुत अच्छा है लेकिन मेरा यह आग्रह रहेगा कि कुछ और आंवले का सेवन करें ताकि प्रश्न पूछने में आने वाले दिनों में सुविधा हो सके।

[अनुवाद]

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: अध्यक्ष महोदय, हाल ही में भारत में व्यापार नीति की घोषणा की गई है जिसमें अगले वर्ष भी अच्छा विकास होने का अनुमान है। तथापि, हाल ही में अमरीका पर हुए आतंकवादी हमले और विश्व में चल रही मंदी से अमरीका और अन्य विकासशील देशों को दिए जाने वाले निर्यात के संबंध में कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। इससे हमें जो नुकसान और क्षति होगी, उसके बारे में हम भी उतने ही चिंतित हैं। इस संबंध में मेरा विशिष्ट प्रश्न यही है। कृषि उत्पादों के निर्यात पर कहां तक प्रभाव पड़ा है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में कोई नये उपाय किये गए हैं ताकि हमारा देश किसानों के हितों की भी रक्षा करते हुये एक नये परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ सके।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा अनुपूरक प्रश्न है।

श्री जी.एम. बनातवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी कमीज की बाहें चढ़ाकर उत्तर नहीं दे सकते। यह संसदीय औचित्य के खिलाफ है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मैं ऐसा पिछले दो वर्षों से कर रहा था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्य ने इसे आज देखा है।...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, वह अभी-अभी तो मंत्री बने हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इससे यही पता चलता है कि वह उत्तर देने के लिए ही तैयार हो रहे हैं, किसी और बात के लिए नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, माननीय सदस्य ने कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में प्रश्न पूछा है। जहां तक निर्यात का संबंध है, मैं देश में आज व्याप्त स्थिति और समग्र निर्यात के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। नि:संदेह भारत में इस समय निर्यात में कमी आयी है। इस वर्ष के दौरान, सितंबर के महीने में हमने 8 प्रतिशत कम निर्यात किया है और इस समय समग्र निर्यात में 2 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले वर्षों में हमने काफी अधिक निर्यात किया था। वर्ष 2000-2001 में हमारे निर्यात की विकास दर 21 प्रतिशत थी, जोकि काफी अधिक थी लेकिन निश्चित रूप से इस बार विशेष रूप से अमरीका में हुए आतंकवादी हमले के बाद समूचे विश्व में व्याप्त स्थिति के कारण निर्यात कम हो गया है।

मैं माननीय सदस्य का ध्यान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में अप्रैल और सितंबर के बीच कतिपय क्षेत्रों में किए गए सकारात्मक विकास की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कुछ कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। अप्रैल-सितंबर, 2001-2002 के त्वरित आकलन के अनुसार काफी उत्पाद में 2.6 प्रतिशत फल और सब्जियों में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसी प्रकार चमड़े के उत्पादों में 0.5 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक सामान में 42.7 प्रतिशत और पेट्रोलियम उत्पादों में 69.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

महोदय, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां विकास दर घटी हैं। नि:संदेह सभी वस्त्रों के आर.एम. और जी. में—14 प्रतिशत का घाटा हुआ है, हाथों से निर्मित धागे, कपड़े और सिलेसिलाए वस्त्रों में -6.3 प्रतिशत का, सूती धागे और सिलेसिलाये कपड़े में -12.5% का, इंजीनियरिंग सामान में -4.50% का, बेसिक रसायनों में -15% का, रत्नों और गहनों में -12.3% का तथा समुद्री उत्पादों में -12.9% का घाटा हुआ है। चावल में विकास दर -22.5% और चाय में

-5.6 प्रतिशत थी। इस प्रकार ये ऐसे क्षेत्र हैं यहां त्वरित आकलन के अनुसार, हमें घाटा हुआ है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार कदम उठा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए इन सभी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की जा सके, अनेक कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं। निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्यावधि नीति है जिसमें हमारे पास यूरोपीय संघ, अमरीका और अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों से आयातित वस्तुओं की जांच करने, देश-विदेश को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं, प्रोत्साहन देने संबंधी नई योजनाएं बनाने, पुरानी योजनाओं, जहां कहीं वे चल रही हैं, उनके स्थान पर नई प्रोत्साहन योजनाएं बनाने, व्यापार संबंधी लागत को कम करने, निर्यात में वृद्धि करने संबंधी नई योजनाएं इत्यादि-इत्यादि ऐसी अनेक योजनाएं शामिल हैं।

जहां तक निर्यात में वृद्धि करने का संबंध है, हाल ही में किए गए उपायों से लदान पूर्व और लदान पश्चात् माल की निर्यात ऋण दर में कटौती की गई है। इसके साथ ही, हमने 100 करोड़ रुपये से अधिक का ठेका लेने वाले निर्यातकों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज बनाया है जिसके अंतर्गत भेषज, कृषि-रसायन, परिवहन उपस्कर आदि जैसी वस्तुएं आती हैं। इसके अलावा आयात-निर्यात बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श बनाये बिना क्रेता की ऋण सीमा 200 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है जोकि पहले केवल 50 करोड़ रुपये थी। इसलिए भारत सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा रही है कि निर्यात को बढ़ाया जाये जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है वह उनके अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है उनका उत्तर नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर सदन में आधे घंटे की चर्चा अलाऊ की जाए ताकि सभी बातें स्पष्ट हो सकें।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर बैठे सभी सदस्यों की ओर से युवा मंत्री महोदय को शुभकामनाएं देता हूं और हम आशा करते हैं कि भविष्य में अपनी कमीज की बाहें ऊपर चढ़ाकर प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे।

महोदय, यह एक विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भारत और अमरीका के बीच विदेशी व्यापार तक समिति है और इस प्रश्न का उत्तर भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर देना होगा ताकि 11 सितंबर के बाद उत्पन्न हुई विशेष स्थिति का सामना किया जा सके। अब यदि भारत सरकार समय के आगे नहीं चलेगी, यदि भारत सरकार स्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगायेगी और उस विशेष स्थिति का सामना करने के लिए नीतियां नहीं बनायेगी तो देश के लिए इस स्थिति का सामना करना और यह सुनिश्चित करना कि लक्ष्य प्राप्त हो जायें, बहुत कठिन हो जाएगा। दुर्भाग्यवश प्रश्न के उत्तर के भाग (ङ) और (च) में जो कुछ बताया गया है ये वे सामान्य सिद्धांत प्रतीत होते हैं जिनके भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किए बिना ही निर्यात और विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिये जाने की आशा की जाती है। इसीलिए यदि सरकार हमें यह बताये कि इस स्थिति का सामना करने के लिए उसने क्या कदम उठाये हैं, तो हमें प्रसन्नता होगी। यदि भारत सरकार ने इस विशेष स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिया है तो हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इस स्थिति का सामना करने के लिए एक विशेष नीति तैयार करे। मंत्री महोदय ने भी कहा है कि 11 सितंबर के बाद से हमारे निर्यात में कमी आई है इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठायेगी कि भारत और अमरीका के बीच विदेशी व्यापार में किसी तरह की कोई कमी न आये और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ताकि भारत सरकार द्वारा अर्जित की जा रही विदेशी मुद्रा में कोई कमी न आये और विदेशों का भारत के प्रति यह सम्मान बना रहे। हम विशेष रूप से यह जानना चाहते हैं। यदि ऐसी कोई नीति नहीं है तो हमारा अनुरोध है कि इस प्रकार की नीति बनाई जानी चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, हम माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना करते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है। अभी तक, इन सब बातों का पूर्ण ब्यौरा एकत्र करना संभव नहीं हो पाया है कि 11 सितंबर के हमले के बाद पिछले 45 दिनों में क्या-क्या अथवा कितना-कितना घाटा हुआ। नीतियां तो हैं। निर्यात हेतु मध्यावधि नीति की घोषणा करने का प्रस्ताव है। तथापि, बदली हुई स्थिति के कारण और जहां तथ्यों की जांच करनी है और इस व्यापार से कुल कितना कारोबार होता है, यह सब पता लगाना है। यह उचीत होगा कि हम पूरा आकलन करें और नीतियां पुन: तैयार करें, जैसाकि उन्होंने सुझाव भी दिया है।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है और भारत से निर्यात में वृद्धि करने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठायेगी।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मेरे विचार से निर्यात में यह कमी 11 सितंबर के बाद ही नहीं आई है। मूलत: उन्होंने अपने उत्तर में जो आंकड़े दिए हैं, वे सितंबर माह और अप्रैल से सितंबर

माह तक के बीच तुलना दर्शाता है। अगस्त और अगस्त या जुलाई और जुलाई के बीच क्या तुलना की जाये? क्या सामान्य मंदी और आर्थिक मंदी के प्रभाव के कारण ही यह निर्यात प्रभावित हुआ है?

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं। 11 सितंबर के बाद, क्या सरकार ने अमरीका को भारत के कुछ उद्योगों पर लगाये गये प्रतिबंधों को हटाने के लिए आश्वस्त करने का प्रयास किया है? क्या सरकार वस्त्र उद्योग को रियायत देने का प्रयास कर रही है?

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल वाजिब प्रश्न पूछा है। यह मंदी 11 सितंबर के पहले से थी अपितु बहुत पहले से ही थी। जैसाकि उनको मालूम होगा कि अमरीका की अर्थव्यवस्था और समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई थी। अमरीकी सरकार ने 11 सितंबर से पहले एक वर्ष में छः बार दरों में कटौती की घोषणा की थी ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके, विश्व की अर्थव्यवस्था को बहाल रखा जा सके और खपत तथा उत्पादन में वृद्धि की जा सके। तथापि, जहां तक 11 सितंबर के हमले से पहले का संबंध है, उन्होंने तुलनात्मक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा है। हम माननीय सदस्यों को इसका पूरा ब्यौरा देंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, सूती कपड़े का निर्यात भारत से ज्यादा पाकिस्तान से अमरीका में होता है। जब से अफगानिस्तान से युद्ध शुरू हुआ है, पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ती जा रही है और उसका असर पाकिस्तानी सूती कपड़े के निर्यात पर भी हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति में क्या भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है और यदि है तो इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कपड़ा क्षेत्र का संबंध है, मेरे विचार से इसका सबसे अच्छा उत्तर वस्त्र मंत्री दे सकते थे। तथापि, मैं यह कहने का प्रयास करूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष तक कुल कपड़ा निर्यात लगभग 10.8 बिलियन अमरीकी डालर था। इस वर्ष निश्चित रूप से निर्यात में गिरावट आई है। पिछले पांच माह अर्थात् अप्रैल-अगस्त तक केवल 3.9 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात हुआ था। जहां तक कपड़े के निर्यात का संबंध है सरकार को मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी है। हम निश्चित रूप से मामले की जांच करेंगे।

श्रीमती श्यामा सिंह: महोदय, 11 सितंबर को हुए हमले के बाद अमरीका में जाने वाले व्यावसायिक लोगों तथा साफ्टवेयर निर्यात जो हम अमरीका को करते हैं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस विशेष हमले के बाद व्यावसायिक लोगों का अमरीका जाना तथा साफ्टवेयर निर्यात को कितनी क्षति पहुंची तथा कितना प्रभावित हुआ?

श्री राजीव प्रताप रूडी: जहां तक व्यावसायिक लोगों का अमरीका जाने का संबंध है, अधिकांश देशों की तुलना में हमारी स्थिति पहले से ही अच्छी है। 11 सितम्बर की घटना के कारण सुरक्षा तथा आतंकवाद की दृष्टि से काफी प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन हमें निश्चित रूप से इस स्थिति की जानकारी है।

दूसरा प्रश्न साफ्टवेयर के बारे में था। महोदय, आपको पता होगा कि हम अमरीका को साफ्टवेयर का सबसे अधिक निर्यात करते हैं और अब हमें आशा है कि अमरीका में व्याप्त असुरक्षित स्थिति के कारण काफी लोग वापस आ जाएंगे। इसलिए, जहां तक साफ्टवेयर सेवाओं का संबंध है, इससे निश्चित रूप से अधिक आशा जगेगी तथा देश में वापस लौटे लोगों की सेवाएं प्राप्त होंगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए। मंत्री जी नये हैं, अगर चर्चा होगी तो इनको उसका लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन: महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है। हम इस पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री परस्ते का नाम पुकारा है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलें

+

***82. श्री दलपत सिंह परस्ते:**
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.सी. की कई इकाइयां अर्थक्षम नहीं रही हैं और रुग्ण घोषित हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी इकाइयों को बंद किए जाने या पुनरुद्धार पैकेज में शामिल किए जाने और कितनी इकाइयों का निजीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या एन.टी.सी. की आठ सहायक कम्पनियों को मंत्रियों के अधिकार प्राप्त दल के पुनरुद्धार पैकेज में शामिल किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) की अन्तिम रिपोर्ट में क्या कहा गया है;

(च) क्या एन टी सी ने अपनी रुग्ण इकाइयों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ज) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) रुग्ण औद्योगिकी कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 8 सहायक निगमों को रुग्ण घोषित किया गया है और वे बी.आई.एफ.आर. के पास विचाराधीन हैं।

(ख) से (ङ) प्रत्येक 8 सहायक निगमों के लिए पुनर्वासन योजनाओं को बी.आई.एफ.आर. द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है। जब बी.आई.एफ.आर. पुनर्वासन योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही एककों को बंद करने या निजीकरण करने के प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा।

(च) से (ज) रुग्ण एककों के कर्मचारियों को लोक उपक्रम विभाग के मार्ग-निर्देश के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ दिया गया है जिसे गणना के उद्देश्य से मूल वेतन और महंगाई भत्ता के अतिरिक्त मकान किराया भत्ता पर विचार करते हुए और अधिक आकर्षक बनाया गया है।

[हिन्दी]

श्री दलपत सिंह परस्ते: विचाराधीन प्रक्रिया की निश्चित समयावधि क्या है तथा लम्बी समयावधि के लिए क्या सरकार मजदूरों के हित में कोई नियम बनाने जा रही है?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, एन.टी.सी. का जो पूरा पैकेज है, वह अभी बी.आई.एफ.आर. के सामने पड़ा है। सरकार ने बी.आई.एफ.आर. से रिक्वैस्ट भी की है कि बहुत जल्द उसका फैसला किया जाये। हमें उम्मीद है कि दिसम्बर एण्ड तक बी.आई.एफ.आर. अपना फैसला इस पैकेज के बारे में दे देगा। इसके बाद जब उसका फैसला आ जायेगा तो दो साल के अन्दर वह पूरा पैकेज हम इम्पीलमेंट कर सकेंगे। जहां तक मजदूरों का सवाल है, उसमें मजदूरों के राइट को हमने पूरी तरह प्रोटैक्ट करने की कोशिश की है। अभी के वी.आर.एस. पैटर्न को मोडीफाई करके उसका भी फायदा उसे मिलेगा, इसका प्रावधान भी हमने रखा है।

श्री दलपत सिंह परस्ते: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आई.आर.एफ. के कानूनों के पालन के लिए कोई सुनिश्चित प्रावधान है क्या?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, जो कानून बने हैं, उनका अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका प्रावधान तो होता ही है और सरकार उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, क्या माननीय मंत्री एन.टी.सी. के रुग्ण एककों में श्रमिकों की रक्षा हेतु किए गए सुरक्षोपायों तथा इसके कारण बेरोजगार हो गए श्रमिकों को उचित मुआवजा देने के संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा देंगे? मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास कितने मामले लंबित हैं।

श्री काशीराम राणा: महोदय, एन.टी.सी. की आठ सहायक कंपनियों का मामला रुग्णता के कारण औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड में लंबित है। जहां तक एन.टी.सी. के कामगारों के मुआवजे का संबंध है सरकार ने हमारे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा है तथा उन्हें न केवल वेतन अपितु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी दी है।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, केरल में छह एन.टी.सी. मिलें हैं। ये सभी मिलें बंगलौर से नियंत्रित हो रही हैं। कर्नाटक और

तमिलनाडु में एन.टी.सी. की मिले नहीं हैं। मैंने माननीय मंत्री को लिखा है कि केरल में ये छह मिलें उचित रूप से कार्य कर रही हैं और ये घाटे में नहीं चल रही हैं मुझे बताया गया है बंगलौर कार्यालय जो एक बहुत बड़ा कार्यालय है, का पूरा खर्चा इन मिलों से पूरा किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे एन.टी.सी. का कार्यालय केरल में स्थानांतरित कर दें जहां माझी सहित सात मिलें हैं।

बंगलौर में कार्यालय क्यों होना चाहिए? इस समय एन.टी.सी. के कठिन दौर में क्या सरकार एन.टी.सी. के पुनर्गठन उसके कार्यकरण की सम्यक् निगरानी करने तथा बंगलौर कार्यालय को केरल जहां छह लाभप्रद अथवा कम से कम बिना लाभ और घाटे में चल रही मिलें हैं में स्थानांतरित करने हेतु तैयार हैं?

श्री काशीराम राणा: महोदय, आरंभ से यह प्रणाली प्रचलन में है।

श्री ए.सी. जोस: मैं यही कह रहा हूं। आप अब इसे बदल सकते हैं। ये आरंभ से यहां चल रही हैं लेकिन कर्नाटक तथा तमिलनाडु में एन.टी.सी. की कोई मिल नहीं है। केरल में छह मिलों के कार्यचालन की निगरानी बंगलौर से की जा रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री काशीराम राणा: जहां तक केरल में मिलों के पुनर्गठन का संबंध है, जैसाकि मुझे बताया गया है कि एन.टी.सी. के लिए पूरा पैकेज तथा केरल में स्थित सहायक कम्पनियों सहित सभी आठ कम्पनियां बी.आई.एफ.आर. के पास लंबित हैं...*(व्यवधान)* इस पैकेज के बारे में बी.आई.एफ.आर. को निर्णय लेना है और तभी सरकार इस पर कार्यवाही कर सकती है...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: मेरा प्रश्न अलग है। इन मिलों का मामला बी.आई.एफ.आर. के पास नहीं गया है...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: इसकी कोई गुंजाइश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। आप स्वयं माननीय मंत्री जी को परेशान कर रहे हैं।

क्या आप बंगलौर से कार्यालय स्थानांतरित करने हेतु कदम उठा रहे हैं।

श्री काशीराम राणा: ऐसी स्थिति में सरकार के लिए पुनर्गठन का निर्णय लेना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस रिवाइवल पैकेज पर कितना खर्चा होने का अनुमान है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या भूमिका होगी? इसके साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस रिवाइवल पैकेज के लिए फंड कहां से आएगा, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है एवम् इस पैकेज को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एन.टी.सी. का यह पूरा पैकेज बी.आई.एफ.आर. के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा है। इसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट 2993 करोड़ रुपए है। इसमें आधुनिकीकरण के लिए 1291 करोड़ रुपए, वी.आर.एस. के लिए 1030 करोड़ रुपए, स्टेचुटरी ड्यूज के लिए 200 करोड़ रुपए और क्रेडिटर्स को देने के लिए 239 करोड़ रुपए रखे हैं। कुल मिलाकर 2993 करोड़ रुपए का यह पैकेज है। जब यह पैकेज स्वीकृत होगा, हम फौरन इसको अमल में लाएंगे। इसमें सरकार ने भी काफी सैक्रीफाइज किया है। जैसे सरकार का जो इंटरैस्ट ड्यू है, वह 1866 करोड़ रुपए है, उसको वेव किया जाएगा। इसके अलावा जो 2774 करोड़ रुपए का लोन है, उसको इक्विटी में कंवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा 625 करोड़ रुपए का वेज सपोर्ट दो साल के लिए सरकार देगी। 181 करोड़ रुपए सिर्फ गुजरात की एन.टी.सी. मिलों में वी.आर.एस. के लिए रखे गए हैं। बंद किए जाने के लिए प्रस्तावित मिलों में सांविधिक बकाया राशि के भुगतान के लिए बजटीय सहायता 90 करोड़ रुपये है। कुल मिलाकर 5647 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने सैक्रीफाइज किया है। पैकेज स्वीकृत होने पर इसको अमल में लाने के लिए 500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के ऊपर लोन दिलाएंगे और 250 करोड़ रुपए बांड देने के लिए मंजूर किए हैं। जहां पर नॉनवायबल मिल्स होंगी या एक्सेस लैंड होगी, उसको बेच कर हमें क्रमश: 3153 करोड़ रुपए और 355 करोड़ रुपए मिलेंगे, इस तरह 3508 करोड़ रुपये मिलेंगे, उससे हम आधुनिकीकरण और वी.आर.एस. आदि को पूरा कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पाण्डियन: माननीय अध्यक्ष महोदय, कताई मिले लगभग दस वर्ष पूर्व फल-फूल रही थी। अब अधिकांश कताई मिलें बंद हो गई हैं और कुछ रुग्ण कताई मिलें बी.आई.एफ.आर. के पास अपने मामले दायर कर रही हैं।

महोदय, यह सुविदित है कि कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। हम तमिलनाडु में कपड़ा निर्मित कर रहे थे और सभी कताई मिलें लाभ में चल रही थी।

अब विश्व व्यापार संगठन के कारण इन कताई मिलों को बंद कर दिया गया है। क्या सरकार विश्व व्यापार संगठन समझौते में खण्ड को संशोधित करेगी और पूरे भारत में विशेषरूप से तमिलनाडु में कताई मिलें खोलना सुगम करेगी? लाखों कर्मचारी इन कताई मिलों में काम कर रहे हैं और उनकी जीविका की भी रक्षा की जाएगी। क्या माननीय मंत्री विश्व व्यापार संगठन समझौते में खण्डों को संशोधित करने तथा स्थानीय कताई मिलों को प्रोत्साहित करने तथा बंद हो गई मौजूदा कताई मिलों को लाभप्रद बनाने हेतु कदम उठाएंगे? मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन कताई मिलों को पुनः चालू करेगी।

श्री काशीराम राणाः महोदय, ऐसा अपरिहार्य अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हुआ है। माननीय मंत्री ने सही कहा है कि कुछ कताई मिलें अवश्य बंद की गई थी। लेकिन इन बंद मिलों को पुनः चालू करने हेतु सरकार क्या ठोस उपाय कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पाण्डियनः कृपया सभा को बताइए कि आप क्या कदम उठा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणाः मैं पहले ही बता चुका हूं कि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विदेशों में अधिक मांग नहीं है और हमारे सूती धागे की मांग भी कम हो रही है। इसलिए, इसे देखते हुए हमारी कुछ मिलों को कठिनाइयां आ रही हैं। यह अस्थायी दौर है न कि स्थायी। हमें आशा है कि हम यथाशीघ्र इस कठिन स्थिति से उबर जाएंगे।

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न संख्या 84, श्री जी.जे. जावीया यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 85।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावलेः महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंहः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एन.टी.सी. की इन रुग्ण इकाइयों के...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, यह ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह आप लोग रोज हाउस में क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह, बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह, बहुत हो गया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए। आप रोज ऐसे ही सारे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पहले आप बैठ जाइए। यह आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कुंवर अखिलेश सिंह, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका कोई नियम नहीं है। यह आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप हाउस में क्या कर रहे हैं? आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश सिंह, मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: हमने आपसे इजाजत मांगी थी पहले नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: रोज आप क्या कर रहे हैं। आप हाउस को क्या समझते हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। बहुत हो गया। यदि आप इस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं तो आपके विरुद्ध कार्यवाही करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। आप क्या कर रहे हैं? आप सभा के जिम्मेदार सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पहले आपको प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा और तभी आप समय तथा अन्य बातों के लिए कह सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय पौधों का पेटेंट

***85. योगी आदित्यनाथ:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत-सी भारतीय जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों का पेटेंट प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों पर भारतीय दावे के बचाव में क्या कार्यवाही की है जिन पर अन्य देश अपना पेटेंट करा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रकृति में विद्यमान जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों के लिए पेटेंटीकरण योग्य मानदण्ड अर्थात् नूतनता, आविष्कार और औद्योगिक उपयोगिता के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। तथापि, कुछ जड़ी-बूटियों/औषधीय पौधों के गुणों पर आधारित मिश्रणों पर पेटेंट मंजूर किये जाने संबंधी सूचना मिली हैं।

(ख) और (ग) ऐसी सूचना का अनुरक्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि पेटेंटों की मंजूरी संबंधित देशों के भिन्न-भिन्न पेटेंट कानूनों के अनुसार उनके प्रभुसत्ता विशेषाधिकारों के तहत दी जाती हैं, जो कि प्रादेशिक प्रभावयुक्त होते हैं अर्थात् वे मंजूरी देने वाले देश में ही प्रभावी होते हैं।

जैसे ही कुछ मदें, जिनके लिए पेटेंट लिये जाने की सूचना मिलती है, जो कि पेटेंट योग्य नहीं समझी जाती हैं और जो भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, तभी इस आशय का पता लगाया जाता है कि क्या संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत ऐसे पेटेंटों की मंजूरी को चुनौती दी जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में घाव भरने के लिए हल्दी के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र अमेरीका में मंजूर किये गये एक पेटेंट को चुनौती दी गयी थी और उक्त पेटेंट रद्द करा दिया गया था। किसी भी पेटेंट का विरोध सामान्यत: उस व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा किया जाता है, जिसके (जिनके) हित उससे प्रभावित होते हैं/खतरे में पड़ जाते हैं।

जैव-संसाधनों को संरक्षण देने के लिए पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 में भारत में पेटेंटे हेतु आवेदन करते समय आविष्कार में प्रयुक्त जैव-सामग्री की भौगोलिक उत्पति एवं स्रोत का खुलासा अनिवार्य रूप से दिये जाने का प्रावधान निहित है। उक्त विधेयक में ऐसे उपबंध भी शामिल हैं जिनके तहत खुलासा न देने अथवा उक्त खुलासा गलत पाये जाने की स्थिति में उसका विरोध करने और यदि पेटेंट को मंजूरी मिल चुकी हो तो उसे रद्द करने की भी व्यवस्था है। इस संबंध में उपबंध, उक्त विधेयक के खंड 8, 17 और 28 में दिये गये हैं।

पारम्परिक ज्ञान का पेटेंट होने से बचाने के लिए पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 में ऐसे उपबंध शामिल किए गए हैं कि मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा प्राप्त किए गए आविष्कार की संभावना लगाए जाने को पेटेंट का विरोध किए जाने तथा उसे रद्द करने का आधार माना जायेगा। इस संबंध में उपबंध, उक्त विधेयक के खंड 17 और 28 में दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में परंपरागत ज्ञान का अंकीय डाटाबेस भी विकसित किये जाने की शुरूआत की है, जिससे कि ऐसे ज्ञान के आधार पर उत्पादों के पेटेंटीकरण को रोका जा सकेगा।

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नीम, हल्दी, बासमती चावल के अतिरिक्त कितनी भारतीय परम्परागत जड़ी-बूटियां हैं, जिन्हें विकसित कम्पनियों ने पेटेंट कराया है?

डा. रमण: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह जानकारी देना चाहूंगा कि लोगों के पास पहले से उपलब्ध ज्ञान पर विश्व में कहीं भी पेटेंट नहीं हो सकता, प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध के आधार पर जड़ी-बूटियों और वनस्पतियों के पेटेंट की व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि पेटेंट योग्यता का जो मापदंड है, वह न्यूनता, आविष्कार और औद्योगिक उपयोगिता के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, वह नीम, हल्दी और बासमती चावल व जड़ी-बूटियों के प्लान्ट को पेटेंट नहीं किया जा सकता है। प्लान्ट के औषधिक गुणों का पेटेंट होता है। जहां-जहां भी इसका प्रयास किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हल्दी के संबंध में जो वून्ड-हीलिंग प्रापर्टी है, उसमें हमने प्रयास किया है कि हल्दी के भाव को बढ़ाने को चुनौती दी गई है और चुनौती को रद्द भी कराया गया है।

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं जानना चाहता हूं, कि इसके अतिरिक्त और कितनी ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जिनको विकसित देशों के बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पेटेंट कराया है, क्या भारत सरकार के पास इस संबंध में जानकारी है?

डा. रमण: माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया में विभिन्न देशों के अपने पेटेंट कानून हैं, जिनके तहत वे पेटेंट कराते हैं और उनकी शर्तें होती हैं। उनकी अपनी सीमायें होती है, जिन सीमाओं के अन्दर पेटेंट किया जा सकता है। पूरे विश्व में पूरी औषधियों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हल्दी के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध है या अन्य चीजों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध है, उन जानकारियों को हमने चुनौती दी है और सफलतापूर्वक उन मामलों को हमने जीता है। इसके लिए आने वाले समय में मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, जो जानकारी उपलब्ध है, उसके बारे में पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे संसाधनों को संरक्षण देने के लिए पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 है, जिसमें प्रावधान है, आविष्कार की संभावना लगाए जाने को पेटेंट का विरोध किए जाने तथा उसे रद्द करने का आधार माना जाएगा और स्रोत का खुलासा मैंडेटरी किया गया है। इस मामले को सफलतापूर्वक रखा गया है।

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार के यह बात संज्ञान में है कि अमरीका और अन्य विकसित देशों ने पेटेंट के नाम पर भारत में जो प्रजातियां उपलब्ध हैं, इनके छ: लाख से अधिक पौधों का जर्म प्लाज्म अपने यहां तैयार किया है। उन्हीं के माध्यम से इन्होंने नीम, करेला और तुलसी आदि जो प्रजातियां एवं जड़ी-बूटियां हैं उनको इन्होंने जर्म प्लाज्म के माध्यम से पेटेंट कराया। क्या जर्म प्लाज्म का जीन बैंक अमेरिका जैसे विकसित देशों ने अपने यहां तैयार किया है? भारतीय पौध संरक्षक जो विधेयक है, प्लांट वेरायटी एक्ट जो बनाया है वह उसे रोकने में कहां तक सहायक है?

डा. रमण: माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उस चिन्ता के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, उसकी मैं जानकारी देना चाहूंगा। हमने अपने वनस्पतियों और जड़ी-बूटियों को सुरक्षित करने के लिए एक परम्परागत ज्ञान की डीजिटल ग्रन्थालय तैयार की है। इसमें विशेषज्ञों की एक टीम है। जिसमें करीब 40 विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं। इसमें आयुर्वेद से संबंधित और अन्य चीजों के पेटेंट के विशेषज्ञ हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप माइक का ठीक से उपयोग करें।

डा. रमण: महोदय, विशेषज्ञों की जो टीम है, उस टीम के तहत हम यह तय कर रहे हैं कि हमारे जो 14 आयुर्वेद के पुराने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों पर आधारित 30 हजार से ज्यादा जो फार्मूलेशन्स हैं, उनमें से हमने दस को आइडेंटीफाई किया है। उन्हें आइडेंटीफाई करने के बाद उनमें हमने करीब एक करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से ट्रेडिशनल नालेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है। दुनिया के सामने यह जानकारी रख दी जाएगी कि हिन्दुस्तान में हजारों साल

से इन औषधियों का उपयोग करते आए हैं और इसे दुनिया के किसी भी देश में पेटेंट नहीं किया जा सकता। इसमें 35 हजार से ज्यादा फार्मूलेशन्स हैं और दस हजार से ज्यादा हमने सलैक्ट किए हैं। हमने इस प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। यह काम अतिशीघ्र होगा, उसके बाद दुनिया में कोई भी मुल्क हमारी ट्रेडिशनल नालेज और हमारे जो आयुर्वेद के भंडार भरे हैं उन्हें चुनौती नहीं दे सकेगा, यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री किरीट सोमैया: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो दोहा में विश्व व्यापार संगठन की मिनिस्टिरियल कांफ्रेंस हुई, क्या उसमें भारत सरकार ने भारतीय परंपरागत ज्ञान, औषधीय पौधे के संबंध में मामला उठाया था। वहां बाकी अन्य देशों का क्या रेसपोंस रहा, मैं यह भी जानना चाहूंगा। आपने उत्तर में कहा है कि बिल का जो प्रोविजन है, प्रावधान केवल भारत तक ही सीमित है। भारत से बाहर भारतीय परंपरागत ज्ञान पेटेंट करके उसका व्यवसायिक अर्जन शुरू हो गया, उसे रोकने के लिए सरकार क्या करेगी?

डा. रमण: इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही करके दुनिया के सभी देशों को समझाने की और आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पेटेंट के लिए आवेदन करते समय आविष्कार में इस्तेमाल जैविक पदार्थ के भौगोलिक मूल के संसाधनों के बारे में बताना अनिवार्य है। पेटेंटे में जो उपयोग किया जा रहा है, उसके लिए खास तौर से मेंडेट्री डिसक्लोजर होगा। इसके लिए सबकी बौद्धिक सहमति ली जा रही है। डब्ल्यू टी ओ में इस संबंध में पेपर प्रस्तुत किए गए हैं। इस विषय में विश्व संपदा संगठन (डब्ल्यू आई पी ओ) है, जिसमें अंतर-सरकारी समिति बनाई है। इसमें खासतौर से दो विषय में महत्व दिया जा रहा है - ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए और वर्ल्ड रिसोर्स के संबंध में जानकारी है। जहां तक दोहा में हमारा पक्ष प्रस्तुत करने की बात है, उसमें हमने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा है। हमने ट्रिप्स करार के संबंध में भौगोलिक उपदर्शन को संरक्षण प्रदान करने का मुद्दा उठाया और मांग रखी है कि जैसे शराब और स्प्रीट को विशेष संरक्षण प्राप्त है वैसे ही हिन्दुस्तान में अलफांसो आम, दार्जिलिंग की चाय और अन्य जड़ी-बूटियों को भी जियोग्राफिकल इंडीकेशन के माध्यम से संरक्षण मिलना चाहिए। इस बात की भी सहमति हुई है कि ट्रिप्स परिषद् में जैव-विविधता परंपरागत ज्ञान और पारम्परिक ज्ञान को लोक संरक्षण का मुद्दा बनाया जाए तथा इसे महत्व दिया जाए। यह विषय चौथा मंत्रिमंडल स्तरीय सम्मेलन दोहा में जो हुआ था, मारन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था। इसके लिए जो कमेटी है, जिसके सामने यह मुद्दा जाने वाला है - ट्रिप्स परिषद् वह इस विषय पर विचार करेगा। हिन्दुस्तान में हमारी, जो वीरता और ज्ञान है उसे सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रमेश चेन्नितला अब अपना अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। अब इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, इस पर प्रतिक्रिया क्या थी? मेरे विचार से इसे दोहा घोषणा में शामिल कर लिया गया है। कृपया माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अधूरा है...*(व्यवधान)*

डा. रमण: महोदय, दोहा में मंत्री-स्तरीय घोषणा में परंपरागत ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षण से संबंधित मामलों की जांच-पड़ताल की आवश्यकता स्वीकार की गई।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा सही नहीं है। दोहा समझौते में इन बातों को शामिल नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि महोदय अपनी बात में सुधार करें। हम दोहा समझौते की अच्छाइयों पर सभा में अलग से चर्चा करेंगे। परंतु मैं नहीं चाहता कि माननीय मंत्री सभा को अनजाने में गुमराह करें कि इन बातों को दोहा समझौते में शामिल किया गया है। यह सच नहीं है।

श्री किरीट सोमैया: जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा है वह यह है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री ए.सी. जोस: आप उत्तर देने वाले कौन होते हैं? मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमैया, माननीय मंत्री यहां हैं। आप क्यों अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं?

[हिन्दी]

डा. रमण: माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है इस पर सहमति हुई है। उसके बारे में यह है कि कमेटी फॉर कौंसिल फार ट्रिप्स में जो हमारी ट्रैडिशनल नालिज और पारम्परिक ज्ञान है उसके मुद्दे को हल करने पर डिस्कशन हुआ है और डिस्कशन आगे जारी रहेगा। इस विषय को गंभीरता से लिया गया है और खासतौर से माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर आधारित बात मैं कह रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट में यह विषय आया था और उसी के आधार पर मैं यह जानकारी दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, हम सभी बातों को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करना चाहते हैं। माननीय मंत्री ने सभा को गुमराह किया है। यह दोहा समझौते का भाग कभी नहीं था।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, अर्थव्यवस्था की दशा बहुत अच्छी नहीं है। सरकार ने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। घाटे को रोकने के नाम पर सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मांग में कमी आई है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को अपील की है कि वह एल टी सी सुविधाओं को पुन: शुरू करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री चेन्नितला हम प्रश्न संख्या 85 पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैं प्रश्न संख्या 83 के बारे में बोल रहा था। मुझे खेद है...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, श्री यशवन्त सिन्हा के भाग्य से सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): यदि आप नियम को भंग करना चाहते हैं तो मैं भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

श्री ए.सी. जोस: महोदय, यह बहुत गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय: श्री चेन्नितला, आप कृपया प्रश्न संख्या 85 पर अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली एल टी सी सुविधा को पुन: शुरू करने का निवेदन किया है क्योंकि इसका पर्यटन मंत्रालय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री चेन्नितला, आप पुन: प्रश्न संख्या 83 पर अनुपूरक पूछ रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न संख्या 83 पर अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं और हम प्रश्न संख्या 85 पर चर्चा कर रहे हैं। इसका कोई अनुपूरक नहीं है। अब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ऐसी सूचना का अनुरक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि पेटेंटों की मंजूरी संबंधित चीजों के भिन्न-भिन्न पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रभुसत्ता विशेषाधिकारों के तहत दी जाती है। दुनिया जानती है कि भारत में प्राकृतिक चीजें बहुतायत में उपलब्ध हैं और उनमें जड़ी-बूटियों वाले गुण-पदार्थ मौजूद हैं। हम और हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से उनका उपयोग करते आये हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनियां और वहां के लोग हमारी ऐसी चीजों को पेटेंट करा लेते हैं। हमारी सरकार कहती है कि इसकी हमें सूचना नहीं रहती है और सरकार को तब पता चलता है जब उनके बारे में अखबारों में निकलता है। इनकी क्या जवाबदेही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से तीन महिला सदस्य श्री रमेश चेन्नितला को गलतफहमी में डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अभी हल्दी का पेटेंट हो गया और इन्होंने पैटिशन दी, लेकिन वह खारिज हो गई। आंवला, हल्दी, बहेड़ा, ब्रह्मी बूटी और सुगन्धा का पेटेंट कराया जा रहा है। क्या सरकार ने इसकी सूचना ग्रहण करने का प्रयास किया है? हमारी औषधियों और जड़ी-बूटियों का दूसरे देश पेटेंट न करा लें, इसके संरक्षण के लिए क्या सरकार किसी विशेष सैल का इंतजाम करने की आवश्यक व्यवस्था करेगी?

डा. रमण: अध्यक्ष महोदय, सरकार जड़ी-बूटियों और औषधियों के संरक्षण के लिए पूरे प्रयास करेगी। माननीय सदस्य की चिंता के अनुरूप कदम उठा कर कार्रवाई भी की जा रही है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या अपने यहां के कानून वहां लागू होंगे? वहां के लिए उपाय करिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। आप इस तरह हस्तक्षेप मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रमण: अध्यक्ष महोदय, ट्रैडिशनल नालेज, मौखिक ज्ञान और सामान्य ज्ञान को संरक्षण देने के लिए सरकार ने पेटेंट सैकिंड अमैंडमैंट बिल में सारे प्रावधान किए हैं। माननीय सदस्य की चिंता उससे दूर होगी।

वृद्ध व्यक्तियों को सहायता

***86. श्री तूफानी सरोज:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों को दी जा रही वित्तीय सहायता में कटौती करनी शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान वृद्ध व्यक्तियों को उक्त सहायता के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या प्रतिवर्ष वृद्ध व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2001-2002 में इनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई; और

(च) सरकार वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन ओ ए पी एस) के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध तथा निराश्रित व्यक्तियों को 75 रु. प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संवितरित की जा रही वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय क्रमश: योजना-गत एवं गैर-योजनागत स्कीमों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों तथा/या पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा स्थापित वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा देखभाल यूनिटों तथा गैर-सांस्थानिक सेवा केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण के रूप में गैर-आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त दो योजनाओं (योजना तथा गैर-योजना) पर व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार है:-

(रु. लाख में)

योजना	1998-99	1999-2000	2000-2001
वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों का रख-रखाव तथा वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	930.13	9327.36	1316.81*

* गैर-योजना बजट में कुल मिलाकर व्यापक कटौती होने के कारण बजट में कुछ कमी की गई थी, इसलिए यह कटौती जानबूझकर नहीं की गई थी।

(घ) और (ङ) जनगणना दस वर्ष में की जाती है। वर्ष 2001 में की गई भारत की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष या उससे ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों की वर्तमान संख्या के आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, वर्ष 1991 में की गई दस-वर्षीय जनगणना के अनुसार तथा वर्ष 1996 में योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या आकलन संबंधी तकनीकी समूह द्वारा यथा अनुमानित 60 वर्ष तथा इससे उपर के वृद्ध व्यक्तियों की कुल जनसंख्या नीचे दी गई है जो इस प्रवृत्ति का संकते देती है:-

वर्ष 1991 की भारत की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष तथा इससे ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों की संख्या	वर्ष 1996 में योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या आकलन संबंधी तकनीकी समूह द्वारा यथा अनुमानित 60 वर्ष तथा इससे ऊपर के वृद्ध व्यक्तियों की संख्या
5,66,81,640 अर्थात् 5.67 करोड़	70,571,000 अर्थात् 7.6 करोड़

(च) इसके अतिरिक्त, वृद्ध व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय भी किए जा रहे हैं:-

(1) सरकार ने हाल ही में "अन्नपूर्णा योजना" के नाम से एक योजना का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत ऐसे निराश्रित वृद्धों को प्रतिमाह 10 कि. ग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशन प्राप्त नहीं करते हैं।

(2) इस मंत्रालय के अनुरोध पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश में सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को वृद्ध व्यक्यिों के न्यायालय संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

(3) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए अस्पतालों में सभी स्तरों पर अलग से पंक्तियों का प्रावधान करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किये हैं।

(4) इस मंत्रालय की पहल तथा वित्तीय सहायता से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एजवेल फाउन्डेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से दिल्ली, अहमदाबाद तथा भुज में तीन टेलीफोन हेल्पलाइन कार्य कर रही हैं।

(5) दूरसंचार विभाग ने पहले ही प्राथमिकता के आधार पर 65 वर्ष तथा इससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार के निर्णय की घोषणा कर दी है।

(6) वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद् के कार्यशील सचिवालय के रूप में आधार स्थापित किया गया है। आधार के मुख्य कार्यकलापों में वृद्ध व्यक्तियों से अभ्यावेदन, शिकायतें प्राप्त करना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

श्री तूफानी सरोज: मैंने मूल प्रश्न में जो बात पूछी थी, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब गोल मेज सम्मेलन जैसा है। 1999-2000 में वृद्धों की सहायता के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गई थी लेकिन 2000-2001 में उसे घटा कर 9 करोड़ रुपए कर दिया। 1999-2000 की अपेक्षा 2000-2001 में क्या वृद्धों की संख्या में कमी आई है या कोई अन्य कारण है?

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत साफ है। वृद्धों की सहायता के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। एकीकृत योजना के लिए राशि का आवंटन किया गया। माननीय सदस्य ने 2000-2001 के बारे में पूछा है। उस दौरान 12 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इससे पहले 1999-2000 में 10 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रावधान किया था। 1998-99 में 7 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया था। एनजीओज और पंचायती संस्थाओं के माध्यम से स्थिति में परिवर्तन आया। इस दृष्टि से यह कहना ठीक नहीं होगा कि वृद्धों के बारे में सरकार की चिंता कम हो रही है।

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदय, जो सहायता और धनराशि एनजीओ के माध्यम से दी जाती है, क्या मंत्री जी उनसे संतुष्ट हैं? क्या एनजीओज के माध्यम से वृद्धों को पूर्ण रूप से सहायता मिल जाती है? यदि नहीं मिलती है तो एनजीओज के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है?

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, जो एनजीओज ठीक से काम नहीं करते हैं, उसकी जांच करने का काम किया जाता है। पिछले वर्ष जो एनजीओज ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे थे उनमें से 70 से ज्यादा एनजीओज को ब्लैकलिस्टिड करने का काम किया। हमारी कोशिश होती है कि जिस उद्देश्य के लिए धन या अनुदान सहायता के रूप में दिया जाता है, उशका पूरा-पूरा उपयोग हो। शिकायत आने पर उसकी जांच करने का भी प्रावधान है।

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों में आया है कि 1999 में 15 करोड़ रुपए दिए गए थे लेकिन उसमें से मात्र 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए। सरकार इसमें क्यों उदासीनता बरत रही है?...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, सरकार वृद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार प्रति व्यक्ति, प्रति मास 75 रुपये देती है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति को देखते हुए क्या सरकार इस राशि को बढ़ाकर कम से कम दोगुना यानी 150 रुपये मासिक करना चाहती है अथवा नहीं।

डा. सत्यनारायण जटिया: सर, वास्तव में यह जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसमें सरकार ने 75 रुपये प्रति मास नियत किये हैं। परन्तु राज्य सरकारें इसमें अपनी ओर से पैसा मिलाकर सहायता करने का काम करती है और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में तीन सौ रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति मासिक भी देते हैं। इसलिए केन्द्र की सब प्रदेशों को जाने वाली सहायता 75 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक है और राज्य सरकारें इसमें अपनी ओर से मिलाने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री नवल किशोर राय: हमने बढ़ाने की बात की है, 75 रुपये कुछ भी नहीं हैं। पूरे देश के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर इसे बढ़ाकर कम से कम तीन सौ रुपये किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या सरकार 75 रुपये प्रति माह से राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है?

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब संसाधनों पर निर्भर करता है और जैसे ही हमें संसाधन उपलब्ध होंगे, हम इसे करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं माननीय मंत्री से अपना अनुपूरक पूछने से पहले एक अपील करना चाहता हूं।

इस संसद में वृद्ध और निराश्रित लोगों के मामले और दुखों पर चर्चा बहुत कम होती है। हम संसद में सभी विषयों पर चर्चा करते है परंतु हमें करोड़ों वृद्धों और निराश्रितों की दयनीय दशा पर चर्चा करने का समय नहीं मिलता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को और व्यक्तिगत तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि देश भर के सभी वृद्धों और निराश्रितों की दशा पर चर्चा के लिए कुछ समय विशेष रूप से एक दिन का समय आवंटित करें।

माननीय मंत्री जी को मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है। क्या सरकार देश की दसवीं योजना शुरू करने से पहले इस बात पर निर्णायात्मक रूप से विचार करेगी कि प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में एक वृद्धाश्रम हो जिसमें राज्यों और केन्द्र की सम्मिलित संसाधनों से वहां कम से कम न्यूनतम चिकित्सा की सुविधाएं अवश्य हों और दसवीं योजना के दौरान नगरपालिकाओं और ब्लॉक पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पेंशन और वित्तीय समर्थन का संचालन किया जाए? क्या सरकार पेंशन वितरण प्रणाली से सभी स्वयंसेवी संस्थों को हटा देगी क्योंकि ये समस्याएं इसका वितरण न करके इसमें धोखाधड़ी कर रही हैं?

इसलिए क्या नीतिगत रूप में सरकार दसवीं योजना के आरंभ होने से पूर्व वृद्धों और निराश्रितों की सहायता के लिए आगे आएगी?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है। परन्तु हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस पर दसवीं योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार करेंगे। यह मामला दलगत राजनीति से परे है। यह राष्ट्रीय मामला है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: मैंने कहा कि आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं और कोशिश करेंगे कि इस बारे में दसवें प्लान में क्या किया जाए। मैं आपको बता रहा था कि सरकार इस बारे में कार्रवाई भी कर रही है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह पूछ रहा हूं महोदय कि क्या सरकार इस पर दसवीं योजना में विचार करेगी...*(व्यवधान)* मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह हमारे देश में सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: मैंने जैसा बताया कि दसवां प्लान बन रहा है, उसमें हम इस बारे में ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में मणिपुर कुष्ठ पुनर्वास केन्द्र में वृद्धाश्रम और परिचर्या केन्द्र (डे केयर सेन्टर) की स्थापना का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल राज्य से प्राप्त हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है तीन वर्ष पूर्व इस संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। मैं भारत सरकार से इस संबंध में की गई कार्यवाही के बाबत जानना चाहता हूं।

क्या सरकार ऐसे केन्द्र के स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: सर, यह प्रश्न परटीकुलर है और मैं माननीय सदस्य को इसकी जानकारी देने का काम करूंगा।

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) ने जिन्हें पेंशन वितरण

करना था उन्होंने पेंशन का वितरण नहीं किया। इसलिए सरकार ने ऐसे संगठनों को काली सूची में डाल दिया है। यह अलग बात है। यहां मैं उन वृद्धजनों के बारे में जानना चाहता हूं जिन्हें इस योजना से वंचित रखा गया है। क्या उन्हें ये सारी धनराशि मिल रही है?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जिन लोगों ने इस प्रकार की कोताही की है और जिन लोगों ने उनको सहायता देनी चाहिए, वह नहीं दी है। उसके कारण उनको इस काम से निकाल दिया गया है। जहां तक उनको सहायता देने के बारे में प्रश्न है, सरकार उसके बारे में जरूर ध्यान देगी।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वृद्ध पेंशन की योजना के लिए 65 साल की आयु रखी गई है। अभी सरकार में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 60 साल की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए 60 साल की आयु करने वाले हैं या नहीं?

डा. सत्यनारायण जटिया: वैसे यह नीतिगत प्रश्न है और सरकार वक्त आने पर जरूर इस पर विचार करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी

***83. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्थव्यवस्था में मंदी पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष में बहुत ही अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने व्यापार और उद्योग सलाहकार परिषद् के विचार जानने के पश्चात् अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत आकलन क्या है;

(ङ) अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस संबंध में अनेक कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के उपलब्ध नवीनतम त्रैमासिक अनुमानों के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 4.4 प्रतिशत की अनुमानित समग्र वृद्धि 2000-01 की इसी तिमाही के 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम थी लेकिन 2000-01 की पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च) की 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक थी।

(ग) से (छ) अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की बारीकी से मानीटरिंग और निरंतर पुनरीक्षा की जाती है तथा उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए जब भी आवश्यक हो उचित उपाय किए जाते हैं। सरकार के व्यापक नीतिगत लक्ष्यों और समग्र वृहत-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार करते समय व्यापार एवं उद्योग सलाहकार परिषद् सहित विभिन्न संगठनों के विचार एवं सुझाव जानकारी प्रदान करते हैं। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में समग्र सकल घरेलू उत्पाद में मामूली वृद्धि और अनिश्चित बाह्य परिवेश के बावजूद न्यून मुद्रास्फीति, उच्च विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार खाद्यान्नों के भारी स्टाक द्वारा प्रतिबिम्बित अर्थव्यवस्था के मूल तत्व अब भी मजबूत हैं। विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण में व्यापक नीति घोषित की गई है। वर्ष 2001-2002 के बजट में प्रमुख आधार ढांचा क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में वृद्धि करने की भी व्यवस्था की गई है और पूंजी निवेश में वृद्धि करने पर और जोर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वृहत् आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की संवीक्षा के आधार पर, ऋण में वृद्धि की पूर्ति करने और मूल्य की स्थिरता के अनुरूप निवेशों की मांग को बढ़ाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त नकदी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कतिपय मौद्रिक उपाय किए हैं। ये उपाय हैं: बैंक दर को और घटाकर 7 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत करना, बैंकिंग प्रणाली के लिए नकद प्रारक्षित अनुपात का यौक्तिकरण और निर्यात ऋण पर प्रभार्य अधिकतम ब्याज दर में 26 सितम्बर, 2001 से छह

माह की अवधि के लिए 1.0 प्रतिशतांक की कमी करना। बजट नीति की पृष्ठभूमि में मांग में वृद्धि करने के इन विशिष्ट उपायों का विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

[अनुवाद]

पर्यावरण-अनुकूल उपाय अपनाने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन

***84. श्री जी.जे. जावीया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुन: उपयोग और पर्यावरण अनुकूल संरक्षण उपाय अपनाने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) पुन: उपयोग और पर्यावरण अनुकूल संरक्षण उपायों को अपनाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:-

(1) ऐसे उद्योग जिन्होंने, संतोषजनक रूप में प्रदूषण उपाय अपनाये हैं, उसके संबंध में जल उपकरण अधिनियम के अंर्गत छूट के रूप में प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गयी है।

(2) ऐसे उद्योग, जो कि उपभोग की निर्धारित सीमा से कम मात्रा में जल का उपभोग करते हैं, उनके संबंध में कम दरों पर उपकर अदा किया जाना अपेक्षित है।

(3) लघु और मझौले उद्योग समूहों में सामूहिक निस्त्राव उपचार संयंत्रों (सी.ई.टी.पी.) की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(4) नॉन-ओजोन नि:शेषकारी पदार्थ प्रौद्योगिकी के उपयोग वाली पूंजीगत वस्तुओं के मामले में 100% सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की छूट दी जाती है।

(5) सी.एन.जी./एल.पी.जी./प्रोपेन किट/पार्टस, जो कि मोटर स्प्रिट अथवा डीजल से चलने वाले वाहनों को सी.एन.जी./प्रोपेन/एल.पी.जी. में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित हैं, का आयात करने के लिए 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क प्रभारित की जाती है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।

(6) खोई, गेहूं के भूसे, चावल की भूसी और रद्दी कागज जैसे गैर-परंपरागत कच्चे माल का 75% अथवा इससे अधिक मात्रा में उपयोग करने वाले कागज व गत्ता विनिर्माताओं को प्रतिवर्ष 3500 एम.टी. तक की प्रथम निकासी करने पर उत्पाद-शुल्क की अदायगी में छूट दी जाती है।

टायर-विनिर्माताओं द्वारा रबड़ की खरीद

***87. श्री सुरेश कुरुप:**
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टायर विनिर्माता कंपनियां रबड़ उत्पादकों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर रबड़ की खरीद नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रबड़ उत्पादकों को इसके फलस्वरूप अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केरल सरकार ने भी इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) को रबड़-उत्पादकों से निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर रबड़ की खरीद करने को कहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) जी, नहीं। प्रारंभ में 12.9.2001 को अधिसूचित प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत के पश्चात् यह सूचना दी गई थी कि टायर विनिर्माता कंपनियों को आरएसएस-4 और 5 के व्यापार के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमत के बारे में कुछ

भ्रांतियां हैं और इन दोनों ग्रेडों के सौदों में कुछ व्यवधान पड़ा है। तथापि, टायर विनिर्माता कंपनियों, व्यापारियों और डीलरों के साथ बातचीत करने के पश्चात् भ्रांतियां दूर कर दी गई हैं और बाजार व्यवस्थित हो गया है तथा प्राकृतिक रबड़ का अब सामान्य व्यापार हो रहा है।

(ङ) से (च) जी, हां। केरल सरकार द्वारा भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत अधिसूचित किए जाने के बावजूद टायर के विनिर्माता बाजार से बच रहे हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि रबड़ उत्पादक अपने रबड़ की बिक्री अधिसूचित कीमत पर करने में समर्थ हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

चाय के निर्यात में गिरावट

***88. श्री कमल नाथ:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो चाय के निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्ष के आंकड़ों की तुलना में चाय के निर्यात में कुल कितनी गिरावट आई है;

(घ) इसके फलस्वरूप धन की कुल कितनी हानि हुई है; और

(ङ) चाय के निर्यात में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां। चाय के निर्यात में मात्रा और मूल्य के रूप में पहले आठ महीनों अर्थात् जनवरी-अगस्त, 2001 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट आई है। चाय के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(मात्रा मिलि. किग्रा. में)

(मूल्य करोड़ रु. और मिलियन यूएस डालर में)

अवधि	2001			2000			2000 की तुलना में 2001 में बढ़ोत्तरी (+) अथवा गिरावट (-)
	मात्रा	मूल्य (रु.)	मूल्य (यूएस डा.)	मात्रा	मूल्य (रु.)	मूल्य (यूएस डा.)	
जनवरी-अगस्त	116.70	1056.00	225.46	128.12	1171.24	265.04	(-)11.42

(ख) चाय के निर्यात में गिरावट के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में शामिल हैं - रूसी परिसंघ जैसे अनेक देशों द्वारा चाय पर आयात शुल्क में वृद्धि, ईरान में चाय के आयात पर प्रतिबंध, अन्य निर्यातक देशों जैसे श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया, चीन और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्धा और यू.के., पोलैंड, कनाडा, यूएई, इराक, मिश्र, लीबिया, तुर्की, श्रीलंका, जापान और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में व्यापार में रुकावट।

(ग) और (घ) चाय के निर्यात में (मात्रा के रूप में) 1999 में गिरावट आई थी लेकिन 2000 में यह बढ़ा था। तथापि, मूल्य के रूप में चाय के निर्यात में लगातार गिरावट आई है। पिछले तीन वर्षों के लिए हानि सहित निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	मात्रा (मिलि. किग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मूल्य (यूएस डालर में)	%हानि रु.	%हानि यूएस डालर
1998	201.34	2309.44	559.74	–	–
1999	191.72	1965.87	456.59	-14.87	-18.42
2000	206.82	1898.61	422.46	-3.42	-7.47

(ङ) सरकार/चाय बोर्ड द्वारा विदेशी बाजारों में भारतीय चाय के संवर्धन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं—प्रमुख चाय आयातक देशों में चाय बोर्ड लोगों और विशिष्ट चाय लोगो का पंजीकरण, भारतीय चाय की गुणवत्ता में सुधार लाना, अलग-अलग बाजारों को किए जाने वाले निर्यातों की कठिनाइयों को दूर करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी; भारतीय ब्रांडों के विपणन में भारतीय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता उपलब्ध कराना; विशिष्ट स्टोर्स और प्रमुख बाजारों में फील्ड नमूने; विशिष्ट भारतीय चाय के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और चाय बोर्ड विपणन चिह्न को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना और चाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना इत्यादि। चाय बोर्ड ने अगले पांच वर्षों के लिए चाय के निर्यात के बारे में एक मध्यम अवधि की कार्यनीति तैयार करने हेतु एक परामर्शदाता भी नियुक्त किया है।

[हिन्दी]

धागे के आयात पर प्रतिबंध

***89. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान कौन-कौन सी किस्म के और कितने मूल्य के धागे का आयात किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार धागे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) घरेलू वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए यार्न के प्रकार एवं मूल्य नीचे दिये गये हैं:-

(लाख रुपए में)

मदें	1998-99	1999-2000	2000-2001
रेशम यार्न	3701.85	3860.53	7123.60
पशुओं के बाल के यार्न सहित ऊनी यार्न	1028.86	786.74	1121.46
सूती यार्न	2059.95	1387.07	3110.51
सूती सिलाई धागे	39.08	38.18	187.30
फ्लैक्स यार्न	896.60	1337.67	736.23
पटसन यार्न और अन्य वनस्पति वस्त्र यार्न	88.03	157.74	238.94
मानव-निर्मित फिलामेंट यार्न	35473.37	64239.58	69092.39
100% गैर-सूती यार्न	2944.92	2853.29	3370.28
100% गैर-सूती सिलाई धागे	183.50	145.50	153.21

स्रोत: डी जी सी आई एडं एस

लागू आयात-निर्यात नीति के अध्यधीन बाजार शक्तियां समय-समय पर आयात को शासित करती हैं। किसी भी स्थिति में, यार्न की कुल आयात (मात्रा में) कुल घरेलू उत्पादन के 3% से कम है।

(ख) जी, हां।

(ग) स्वभावत:, प्रतिबंध लगाना डब्ल्यूटीओ के अनुरूप नहीं है।

(घ) सरकार आयात पर नजर रख रही है तथा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि आयात से घरेलू उद्योग को कोई गंभीर नुकसान अथवा चोट न पहुंच पाए। यदि कोई अनुचित व्यापार गतिविधि ध्यान में आती है तो आवश्यकता पड़ने पर डब्ल्यू टी ओ करार के अंतर्गत प्रतिपाटन, समान कर तथा सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था पर अफगान युद्ध का प्रभाव

***90. श्री अम्बरीश:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अफगान युद्ध के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने युद्ध के लम्बा चलने की स्थिति में अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए कोई दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) अफगानिस्तान में युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दीर्घावधिक प्रभाव युद्ध की अवधि और प्रचण्डता तथा विश्वव्यापी मांग और व्यापार पर पड़ने वाले उसके असर पर निर्भर करेगा। इस युद्ध का कुछ प्रभाव भारतीय निर्यात, स्टाक बाजार, पर्यटन, विदेशी निवेशकों तथा विदेशी मुद्रा बाजार संबंधी अत्यधिक जोखिम निवारण पर पड़ा है। तथापि, अक्तूबर, 2001 में घोषित, वर्ष 2001-2002 के लिए अपनी मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2001-2002 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 5-6 प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान किया है।

(ग) से (ङ) नीतियां तैयार करते समय बाह्य प्रभावों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। नवीनतम केन्द्रीय बजट में उद्योग, आधारभूत ढांचे तथा पूंजी बाजारों को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक दर (7% से 6.5%) और नकद प्रारक्षित अनुपात में कमी की है। इन सभी उपायों से विकास और आर्थिक कार्यकलापों में सुधार होने की आशा है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर-संग्रहण

***91. श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का वास्तविक संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो कर संग्रहण में वास्तविक कमी कितनी रही और इस कमी का कर-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर-संग्रहण की मौजूदा नीति प्रभावशाली नहीं है और इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो प्रभावी कर व्यवस्था लाने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) कर वसूली के लिए लक्ष्य सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छ: मास के दौरान कर वसूली गत वर्ष की समनुरूपी अवधि में की गई 82539 करोड़ रुपए की वसूली की तुलना में अनन्तिम रूप से 77422 करोड़ रुपए तक हो गई है।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है:- (रुपए करोड़ों में)

	अप्रैल-सितम्बर 2000 के दौरान वसूली	अप्रैल-सितम्बर 2001 के दौरान वसूली	वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रतिसत परिवर्तन
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	30951.51	31365.79	1.34
सीमा शुल्क	23331.75	19581.43	-16.07
अन्य अप्रत्यक्ष कर	1715.15	1924.57	12.21
निगमित कर	13450.33	11487.96	-14.59
आयकर	12938.91	12885.00	-0.42
अन्य प्रत्यक्ष कर	151.53	177.25	16.97
कुल	82539.18	77422.00	-6.20

अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में निम्नत्तर वृद्धि और लघु उद्योगों की रियायत सीमा में वृद्धि से उत्पाद शुल्क वसूलियां प्रभावित हुई हैं। आयात की धीमी वृद्धि, और आयात पर 10% अधिभार की समाप्ति ने सीमा शुल्क राजस्व को प्रभावित किया है। वापिसी की बढ़ी हुई राशि के कारण प्रत्यक्ष कर वसूली अपेक्षाकृत कम रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार घाटा

***92. श्री नरेश पुगलिया:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान भारत के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात में आई गिरावट के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान भारत के व्यापार घाटे में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोत्तरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अगले कुछ महीनों में अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए कोई नई रणनीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार पण्य वस्तुओं के निर्यात के मूल्य में अप्रैल-अगस्त, 2001-2002 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में -2.3% की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जिसका कारण वैश्विक आर्थिक मंदी था।

(ग) से (च) अप्रैल-अगस्त, 2001-2002 के दौरान व्यापार घाटा जो 4.60 बिलियन अमरीकी डालर था, वह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 3.68 बिलियन अमरीकी डालर से 25.1% अधिक है। निर्यातों को बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं। निर्यातों को बढ़ाने के लिए हाल ही में किए गए कुछेक उपायों में ये शामिल हैं: लदान-पूर्व और लदान-पश्चात् दोनों ऋणों के लिए निर्यात ऋण दर में कटौती 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की निर्यात संविदा वाले विनिर्माता निर्यातकों को अक्तूबर, 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, लैटिन अमरीकी देशों को किए गए

निर्यातों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए 180 दिन की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना और कई उत्पाद समूहों पर शुल्क वापसी की दरों का उर्ध्वगामी संशोधन करना। निर्यात निष्पादन की लगातार निगरानी की जा रही है और व्यापार घाटे को कम करने के लिए उपाय किए किए जा रहे हैं।

राज्यों को विदेशी निधियां

***93. श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का राज्यों को विदेशी निधियों के अंतरण संबंधी शर्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह ऋण राज्यों के लिए और अधिक महंगा होगा और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में पुनर्विचार करने और राज्यों को अतिरिक्त बोझ से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दीर्घावधि अनाज योजना

***94. श्री रतन लाल कटारिया:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दीर्घावधि अनाज नीति तैयार करने के लिए प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं;

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मौजूदा योजना को समाप्त कर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार खाद्यान्नों की खरीद, संभलाई और परिवहन पर लगभग कितना औसत वार्षिक व्यय करती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस बारे में किसी ठोस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की वसूली, रख-रखाव और ढुलाई पर लगभग 27,000 करोड़ रुपये व्यय किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान से होने वाले आयात पर लेवी में कमी

***95. श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान से होने वाले आयात पर लेवी में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप भारत-पाक व्यापार में कितना सुधार होने की संभावना है; और

(घ) क्या पाकिस्तान ने भी अपने देश में भारत से होने वाले आयात पर इसी तरह की कोई रियायतें दी हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। अंतर्मंत्रालयी परामर्श प्रक्रिया के जरिए इस प्रयोजनार्थ जिन 50 टैरिफ लाइनों की पहचान की गई थी उनकी सूची विवरण में संलग्न है। अपेक्षित सीमाशुल्क अधिसूचना अभी जारी की जानी है। आशा है कि प्रस्तावित रियायतों के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी और उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

50 टैरिफ लाइनों की सूची

क्र.सं.	एच एस कोड	जिन्स का विवरण
1	2	3
1.	071230	मशरूम तथा कवक, सूखे
2.	080211	ताजे बादाम अथवा छिलके में सूखे
3.	080212	छिलके वाले बादाम-ताजे अथवा सूखे
4.	080250	पिस्ता ताजे अथवा सूखे
5.	080420	अंजीर ताजे अथवा सूखे
6.	080520	मंदरिन (सन्तरे तथा सतसुमासहित) क्लेमेनिटिनीज, विलकिंग और इसी प्रकार के निम्बू वंश संकर-ताजे/सूखे
7.	081100	फ्रोजन फल और मेवे
8.	081200	संरक्षित फल
9.	081310	सूखे आड़ू
10.	081340	अन्य सूखे फल
11.	251010	अनग्राउन्ड प्राकृतिक कैल्सियम फासफेट्स, प्राकृतिक एलुमिनियम कैल्सियम फास्फेट्स और फासफेटिक चाक
12.	283650	कैल्सियम कार्बोनेट
13.	300110	ग्रन्थि और अन्य अंग सूखे पाउडर युक्त अथवा पाउडर रहित
14.	300120	ग्रन्थि अथवा अन्य अंगों का अरक अथवा उनका स्राव
15.	300640	डेंटल सीमेन्ट और अन्य डेंटल फिलिंग, बोन रिकन्सट्रक्सन सीमेंट
16.	300660	हार्मोन्स अथवा स्पर्मिसिडिज पर आधारित गर्भनिरोधक रासायनिक सम्पाक
17.	330410	ओठों को बनाने का सम्पाक
18.	330420	आंखों को बनाने का सम्पाक
19.	330430	नख प्रसाधन अथवा पाद चिकित्सा सम्पाक
20.	330491	कोम्प्रेसड पाउडर अथवा कोम्प्रेस्ड रहित पाउडर
21.	3330499	अन्य ब्यूटी/मेकअप/त्वचा बचाव सम्पाक
22.	330510	शेम्पू
23.	330520	स्थायी रूप से संकेत करने अथवा सीधे रहने का सम्पाक
24.	330530	बाल-रोगन
25.	330590	अन्य
26.	330620	दांतों के बीच के हिस्से को साफ करने के लिए प्रयोग में आने वाला यार्न (डेंटल फ्लोस)
27.	330690	अन्य
28.	330710	शेव बनाने से पहले शेव बनाते समय अथवा शेव बनाने के पश्चात् प्रयोग में आने वाले सम्पाक
29.	350300	जिलेटिन
30.	410210	भेड़ या मेमना की कच्ची खाल ऊन सहित
31.	410410	बोवाइन स्किन यूनिट का पूरा चमड़ा जिसका सतही क्षेत्र 28 वर्ग फीट (2.6 वर्गमीटर) से अधिक न हो।
32.	410619	अन्य बकरी/बकरी के बच्चे का स्किन चमड़ा शोधित/पुनर्शोधित तैयार न किया हुआ।
33.	440399	खुरदरी अन्य लकड़ी
34.	490110	एकल सीट में मुद्रित पुस्तकें आदि डब्ल्यू/एन फोल्डिड
35.	490199	सं. 4901 शीर्ष वाली अन्य मुद्रित पुस्तकें इत्यादि।
36.	490210	सप्ताह में कम से कम चार बार छपने वाला अखबार, जर्नल इत्यादि।

1	2	3
37.	690410	इमारती ईंटें
38.	741022	तांबा मिश्रण की पर्णी, बैक्ड
39.	901849	दंत चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग होने वाले अन्य उपकरण एवं यंत्र।
40.	901890	चिकित्सा विज्ञान के अन्य उपकरण एवं यंत्र।
41.	902119	हड्डी/हड्डी टूटने से संबद्ध अन्य यंत्र।
42.	902129	अन्य (दंत उपस्कर)
43.	903300	अध्याय 90 की, मशीनों, यंत्रों, उपकरणों/ उपस्करों के पुर्जे एवं सहायक सामग्री जो कहीं उल्लिखित नहीं है।
44.	940210	डेन्टिस्ट कुर्सियाँ।
45.	940330	कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के फर्नीचर
46.	940340	रसोई में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के फर्नीचर
47.	940350	सोने के कमरे में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी के फर्नीचर
48.	940360	लकड़ी के अन्य फर्नीचर
49.	940380	अन्य सामग्री का फर्नीचर जिसमें केन, बेंत, बांस अथवा इसी प्रकार की सामग्री शामिल है।
50.	940390	पुर्जे।

राज्य वित्त निगमों के लिए 'बेलआउट प्लान'

***96. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद रुग्ण राज्य वित्त निगमों के लिए 3,600 करोड़ रुपए की संकट से उबारने संबंधी योजना (बेलआउट प्लान) को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तैयार किए गए पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी.पी. गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने दिनांक 30 जनवरी, 2001 की अपनी रिपोर्ट में राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन, वित्तीय एवं संगठनात्मक पुनर्गठन हेतु सिफारिशें की हैं। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ 3600 करोड़ रुपए की रकम वाली पुनर्पूंजीकरण की सिफारिश की है जिसे केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवं राज्य सरकारों द्वारा आपस में बांटी जा सकती है जिसे राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन संबंधी सुधारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विभिन्न सिफारिशों को लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया अभी पूरी का जानी है।

बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***97. श्री रामजीवन सिंह:**
श्री बहादुर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा क्षेत्र में काम करने के लिए कौन-कौन सी विदेशी कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) सरकार, ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए इन कंपनियों के कार्यकरण की निगरानी किस प्रकार करती है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के बीमा क्षेत्र पर इसका क्या समग्र प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनियों की सूची विवरण में दी गई है।

(ख) बीमा कम्पनियों के कार्यकरण की मानीटरिंग आईआरडीए द्वारा आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अंतर्गत की जाती है।

(ग) इस संदर्भ में सरकार के समक्ष इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आईआरडीए द्वारा पंजीकरण प्रदान की गई बीमा कंपनियां

1. मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
2. आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.
3. टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.
4. एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.
5. बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंश कं. लि.
6. ओम कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.
7. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.
8. रिलायंस जनरल इंश्योरेंश कं. लि.
9. रॉयल सुन्दरम अलायंस इंश्योरेंश कं. लि.
10. इफ्फको-टोकियो जनरल इंश्योरेंश कं. लि.
11. टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंश कं. लि.
12. बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंश कं. लि.
13. आईएनजी वैश्या लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.
14. मेटलाइफ इण्डिया इंश्योरेंश कं. प्रा. लि.
15. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंश कं. लि.
16. बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंश कं. लि.।

बैंकों में स्वचालित गणक मशीनें (एटीएम)

***98. श्री अधीर चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में लगाई गई स्वचालित गणक मशीनें (एटीएम) ग्राहकों को उचित सेवा प्रदान नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एटीएम ग्राहकों द्वारा मांगी गई राशि भी नहीं दे रहे हैं;

(ग) क्या सरकार/बैंकों को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में एटीएम का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए आगे और क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) द्वारा बैंकिंग सेवा के संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सरकारी उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

***99. श्री वीरेन्द्र कुमार:**
डा. जसवन्त सिंह यादव:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में शुरू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अब सरकार का विचार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में कुछ परिवर्तन लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में संशोधन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 45625 कर्मचारियों ने तथा अक्तूबर, 1988 में प्रारंभिक रूप से योजना शुरू करने से लेकर अब तक 369277 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है।

(ग) से (च) सरकार ने दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(32)/97 लोउवि (मजूरी कक्ष) जीएल-56 के माध्यम से मौजूदा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में

कुछ संशोधन घोषित किए हैं। सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के वेतनमानों को 1.1.1987 अथवा 1.1.1992 से संशोधित नहीं किया गया था, उनके कर्मचारियों को मानवतावादी दृष्टि से उपयुक्त अनुग्रह राशि देने तथा साथ ही गुजरात प्रणाली के विकल्प के माध्यम से कनिष्ठ कर्मचारियों को उपयुक्त अनुग्रह पैकेज देने के लिए ये संशोधन आवश्यक थे। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(क) 1.1.1987 तथा 1.1.1992 के स्तर के वेतनमान वाले कर्मचारियों के मामले में वर्तमान योजना के अनुसार उनके मौजूदा वेतनमान के आधार पर परिगणित अनुग्रह भुगतान की राशि में क्रमश: 100% तथा 50% की वृद्धि की जाएगी।

(ख) मामूली लाभ अर्जित करने वाले/घाटा उठाने वाले एककों के साथ-साथ रुग्ण तथा अव्यवहार्य एककों के कर्मचारियों के लिए गुजरात अथवा भरी उद्योग विभाग के पैटर्न में से किसी एक का विकल्प देने की सुविधा उपलब्ध होगी।

बेरोजगार विकलांग युवाओं को प्रशिक्षण

***100. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बेरोजगार विकलांग युवकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बेरोजगार विकलांग युवकों को देश में छोटे उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(घ) आज की तारीख तक इस योजना से कितने बेरोजगार विकलांग युवक लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायाण जटिया): (क) से (घ) जून, 2000 तक संकलित सूचना के अनुसार, रोजगार कार्यालय के अद्यतन रजिस्टर में दर्ज विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या 4.66 लाख है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) का उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और बैंक ऋण के योग के माध्यम से आय सृजनकारी परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना है। यह योजना अत्यन्त संवेदनशील ग्रामीण निर्धनों के लिए है और स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों में 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति होने आवश्यक हैं। योजना के अंतर्गत 1999-2000 और 2000-2001 में नि:शक्त व्यक्तियों को संवितरित ऋण और सब्सिडी की राशि 30.22 करोड़ रु. है जिससे 15,435 व्यक्ति लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन एच एफ डी सी) नि:शक्त व्यक्तियों को स्व-रोजगार उद्यमों के लिए आसान ऋण देता है। निगम ने अब तक 5509 लाभग्राहियों में 24.95 करोड़ रु. का संवितरण किया है। नि:शक्त व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और दिशानिर्देश देने और उन्हें रोजगार देने या उनकी क्षमता के अनुसार स्व-रोजगार एवं छोटी ईकाइयां शुरू करने में सहायता देने हेतु, देश में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वी आर सी) कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा जून, 2001 तक 1,31,900 नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत, 8040 लाभग्राहियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु वर्ष 2000-2001 के दौरान 141 गैर-सरकारी संगठनों को 11.26 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

चीनी के लिए बफर स्टॉक का सृजन

921. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ ने केन्द्र सरकार से उद्योग के पास भारी स्टॉक को ध्यान में रखते हुए चीनी के लिए बफर स्टॉक सृजित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा घाटे की वसूली

922. श्री सुनील खां:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण और ढुलाई के दौरान प्राकृतिक रूप से होने वाले घाटे को कर्मचारियों से वसूलने के लिए मनमाने तरीके अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ ने अपने कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से दंडित करने के लिए व्यापक आंदोलन करने की धमकी दी है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांग पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर महानिदेशक और निपटान आयोग

923. श्री अनिल बसु:
श्री निखिलानन्द सर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर (छूट) महानिदेशक और निपटान आयोग की जिस उद्देश्य हेतु स्थापना की गई थी वह उसे प्राप्त करने और वांछित परिणाम हासिल करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दोनों संस्थाओं को पुन: सक्रिय करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में वृद्धाश्रमों हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

924. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धाश्रम चलाने हेतु किसी गैर-सरकारी संगठन को सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक संगठन को कितनी सहायता दी गयी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस तरह स्वीकृत की गयी धनराशि का इन संगठनों द्वारा पूर्णरूप से उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, हां चालू वर्ष 2001-2002 (30.10.2001) में तमिलनाडु में वृद्धावस्था गृह चलाने के लिए 20 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गयी है। प्रत्येक संगठन को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) आगे की सहायता पूर्व निर्मुक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति पर निर्भर करती है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के लिए वृद्धावस्था गृह चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरे

तमिलनाडु

(रुपए लाख में)

	पते	वृद्धावस्था गृह	2001-02
1	2	3	
(1)	जिला चेन्नई		
1.	इंडियन इन्स्टीट्यूट फार ससटेनेबल डेव. 30, 5वां मेन रोड, विजय नगर, वेलाचेरी, चेन्नई, तमिलनाडु-60042	1	1.3
2.	कलाईसेल्वी करुनालय समाज कल्याण सेसाइटी 124, पुरसवाल्कम हाई .रोड केल्लीज, तमिलनाडु, चेन्नई-6000010 तमिलनाडु फोन नं. 6427091/6257779	1	2.76
(2)	कंचीपुरम जिला		
1.	डोराइस्वामी जेनरस समाज शिक्षा सोसाइटी, विलवारयनल्लूर, चिंगामपट्ट, एम.जी.आर. जिला, तमिलनाडु	1	2.88

1	2		3
(3)	नागपट्टिन्न जिला		
1.	अवई ग्राम कल्याण सोसाइटी, किलवेलूर नागपट्टिनम जिला, तमिलनाडु	1	1.38
2.	भारती महिला विकास केन्द्र 28, कन्नेगी विलास भवन, तिरूवरूर रोड, थिरूथूरईपून्डी, थिरूवरूर, तमिलनाडु	1	2.68
3.	नेहरू सामाजिक शिक्षा केन्द्र अयक्करनपुलम, वेदारन्यम नागपट्टिन्नम, तमिलनाडु	1.	1.38
4.	ग्रामीण विकास सो. कामराज स्ट्रीट, निलापड्डी, अथिपुलियुर, नागाई कायदे मिलेठ, तमिलनाडु,	1	1.8
(4)	पुडुकोट्टई जिला		
1.	ग्राम सूर्यराज 666, 6ठा क्रास सनुमूगा नगर, यूकोन्डम थिरूमलई, त्रिची तमिलनाडु	1	3.98
2.	वेथाथिरी महर्षि समाज कल्याण न्यास म.न. 77, पुडूकोट्टई तमिलनाडु	1	2.21
3.	ओएजोने 32-ए, अग्रहरम, अरनथंगी-614616 पुडूकोट्टई जिला तमिलनाडु	1	2.68
4.	डेवलपमेंट एजूकेशन फार रूरल मास 2885/2 वेस्ट मेन स्ट्रीट पुडूकोट्टई जिला, तमिलनाडु	1	1.54
(5)	शिवगंगई जिला		
1.	सिंगमपट्टी ग्राम मुनेत्र सनगम 10-सी, अहिलान्दपुरम कट्टाबुमन स्ट्रीट, शिवगंगा तमिलनाडु	1.	153

1	2		3
(6)	तंजावूर जिला		
1.	श्री विक्टोरिया शैक्षिक सोसाइटी पुडुकोट्टई रोड, एन्थुकांपट्टी पो. तंजावूर, तलिमनाडु	1	1.38
(7)	थिरूवरूर जिला		
1.	भारतमाता परिवार कल्याण सोसाइटी 5 ए, कीझावेथी थिरूतुरैपून्डी, तिरूवरूर जिला, तमिलनाडु	1.	3.16
2.	राष्ट्रीय माता तथा बाल कल्याण संगठन 27, साउथ मेन स्ट्रीट, थिरूथुरैपून्डी तिरूवरूर, तमिलनाडु-614713	1	2.75
(8)	थेनी जिला		
1.	युवक विकास केन्द्र शस्थान निलायम, पीटी.आर. कालोनी, उथमपलायम, थेनी जिला तमिलनाडु-625533	1	2.76
(9)	त्रिची जिला		
1.	जया बालवाड़ी शैक्षिक सोसाइटी अरवाकरिची पट्टी ग्राम, असूर पोस्ट त्रिची-620015 तमिलनाडु	2	3.02
2.	कृष्ण होम थिरूवेल्लरै-621009 तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	1	1.38
3.	पेरियार कुडीत पाडालूर-621109, पेरमवलूर जिला तमिलनाडु	1	0.9
4.	विविवेल्टी ग्रामीण विकास सोसाइटी 325, इन्दिरानगर मनप्पोअरई, त्रिची, तमिलनाडु	1	1.75
	गैर सरकारी संगठनों की कुल संख्या-20	21	43.22

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

925. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री राम टहल चौधरी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में बैंक-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इस समय कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान बैंक-वार और राज्य-वार इन बैंकों में कुल जमा कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में इन बैंकों द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में ऋण के रूप में किसानों को वितरित की गई धनराशि का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान किसानों द्वारा कितना ऋण वापस किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जून, 2000 और 2001 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों बैंक-वार और राज्य-वार कुल बकाया जमाराशियां क्रमश: संलग्न विवरण-II और III में दी गई हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार सकल बैंक ऋण संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) मार्च 1999 और 2000 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए सकल बैंक ऋण की तुलना में कृषि ऋण की राज्य-वार प्रतिशतता संलग्न विवरण-V में दी गई है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के लिए कृषि सहित प्राथमिकता क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) की रकम और कुल एनपीए की तुलना में उसका प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

	प्राथमिकता क्षेत्र में एनपीए (करोड़ रुपए)	कुल का प्रतिशत
मार्च 1999	22,606	43.7
मार्च 2000	23,715	44.5
मार्च 2001	24,156	45.4

विवरण-I

30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार और बैंक-वार शाखाएं

राज्य का नाम	भारतीय स्टेट बैंक	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	स्टेट बैंक आफ मैसूर	स्टेट बैंक आफ पटियाला	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	818	4	524	1	16	4	3
अरूणाचल प्रदेश	42	0	0	0	0	0	0
असम	200	1	0	0	0	0	0
बिहार	554	6	0	0	0	1	0
छत्तीसगढ़	225	0	0	23	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	194	25	10	8	10	38	7
गोवा	50	0	0	0	3	1	0
गुजरात	448	8	6	9	3	4	352
हरियाणा	166	9	5	3	0	128	1
हिमाचल प्रदेश	144	0	0	0	0	74	0
जम्मू व कश्मीर	119	0	0	0	0	3	0
झारखण्ड	373	4	0	0	0	0	0
कर्नाटक	294	3	111	1	499	4	2
केरल	224	1	6	0	10	0	2
मध्य प्रदेश	464	6	3	319	2	5	2
महाराष्ट्र	800	20	166	20	17	11	18
मणिपुर	16	0	0	0	0	0	0
मेघालय	85	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	24	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	43	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	468	2	5	0	1	0	0
पंजाब	241	7	2	0	0	348	0
राजस्थान	166	657	2	7	1	12	3
सिक्किम	26	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	574	5	16	3	30	4	5
त्रिपुरा	33	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	1111	21	5	8	1	46	3
उत्तरांचल	265	1	0	0	0	8	0
पश्चिम बंगाल	737	14	6	4	4	2	3
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	18	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	22	1	1	0	0	21	0
दादर व नागर हवेली	1	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
दमन व दीव	3	0	0	0	0	0	4
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	12	0	1	0	1	0	0
अखिल भारत	8960	795	869	406	598	714	406

राज्य का नाम	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	इलाहाबाद बैंक	आन्ध्रा बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक
1	9	10	11	12	13	14	15
आन्ध्र प्रदेश	6	20	783	71	74	26	169
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	60	1	13	8	0	16
बिहार	0	143	1	80	140	1	75
छत्तीसगढ	0	24	2	21	10	15	9
दिल्ली	5	41	15	68	50	15	79
गोवा	0	1	2	27	28	9	22
गुजरात	3	23	6	668	217	33	39
हरियाणा	1	29	2	27	21	8	52
हिमाचल प्रदेश	0	3	0	5	8	0	11
जम्मू व कश्मीर	0	3	0	3	4	0	6
झारखण्ड	0	82	2	27	250	1	38
कर्नाटक	12	14	19	37	59	41	521
केरल	554	5	8	43	70	5	235
मध्य प्रदेश	2	143	5	66	238	107	40
महाराष्ट्र	10	77	27	283	586	891	193
मणिपुर	0	2	0	3	0	0	0

1	9	10	11	12	13	14	15
मेघालय	0	1	0	2	2	0	2
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	4	0	4	0	0	0
उड़ीसा	1	55	77	36	113	2	39
पंजाब	0	38	4	47	66	7	99
राजस्थान	1	31	3	315	42	7	22
सिक्किम	0	0	0	1	1	0	1
तमिलनाडु	64	23	31	100	112	18	454
त्रिपुरा	0	1	0	2	1	0	1
उत्तर प्रदेश	3	589	10	508	208	9	179
उत्तरांचल	0	12	0	50	5	1	22
पश्चिम बंगाल	4	456	14	100	195	12	71
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	1	0	0	0	0	1
चण्डीगढ़	0	3	2	4	6	1	12
दादर व नागर हवेली	0	0	0	1	0	0	1
दमन व दीव	0	0	0	1	1	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	1	1	1	1	1	1	3
अखिल भारत	667	1885	1015	2614	2516	1210	2412

राज्य का नाम	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	कारपोरेशन बैंक	देना बैंक बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स	पंजाब नेशनल बैंक
1	16	17	18	19	20	21	22
आन्ध्र प्रदेश	100	68	17	196	115	19	51
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0	0
असम	101	0	2	19	14	2	44

1	16	17	18	19	20	21	22
बिहार	318	2	7	22	9	4	0397
छत्तीसगढ़	75	2	70	4	1	8	47
दिल्ली	66	38	24	25	29	67	146
गोवा	22	31	16	6	12	1	5
गुजरात	217	33	511	37	54	28	81
हरियाणा	76	12	10	18	15	110	326
हिमाचल प्रदेश	26	1	0	2	4	11	212
जम्मू व कश्मीर	11	1	2	0	2	7	64
झारखण्ड	55	2	5	5	11	6	51
कर्नाटक	54	205	24	60	61	5	41
केरल	73	52	11	81	114	6	19
मध्य प्रदेश	356	7	32	9	8	36	166
महाराष्ट्र	471	64	251	71	68	51	137
मणिपुर	3	0	0	0	1	0	2
मेघालय	4	0	0	2	1	0	6
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	2	0	0	1	0	0	0
उड़ीसा	51	5	3	46	74	7	51
पंजाब	89	9	10	30	41	204	496
राजस्थान	95	6	15	8	12	83	290
सिक्किम	10	0	0	0	0	0	1
तमिलनाडु	157	71	20	668	648	17	83
त्रिपुरा	3	0	0	1	1	0	0
उत्तर प्रदेश	394	18	42	29	66	192	771
उत्तरांचल	21	1	1	2	14	32	126

1	16	17	18	19	20	21	22
पश्चिम बंगाल	238	13	27	54	66	45	214
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	1	1	0	1
चण्डीगढ़	8	2	1	5	2	8	22
दादर व नागर हवेली	0	0	6	0	0	0	0
दमन व दीव	1	0	1	0	0	1	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	1	2	0	20	7	1	1
अखिल भारत	3099	645	1108	1422	1451	951	3841

राज्य का नाम	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	सिण्डीकेट बैंक	यूनियन बैंक	युनाइटेड बैंक	यूको बैंक	विजया बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का जोड़
1	23	24	25	26	27	28	29
आन्ध्र प्रदेश	4	301	126	12	36	75	3639
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	2	2	2	49
असम	4	5	44	180	99	7	820
बिहार	5	17	47	65	161	5	2060
छत्तीसगढ़	5	3	21	2	22	1	591
दिल्ली	58	88	53	24	37	24	1244
गोवा	1	17	13	2	5	5	279
गुजरात	7	47	172	12	73	29	3120
हरियाणा	42	48	43	4	26	10	1192
हिमाचल प्रदेश	11	1	10	1	118	1	643
जम्मू व कश्मीर	12	2	4	1	12	2	258
झारखण्ड	5	10	39	44	37	4	1051

1	23	24	25	26	27	28	29
कर्नाटक	5	487	91	7	24	399	3080
केरल	3	117	124	2	19	68	1852
मध्य प्रदेश	25	20	151	4	95	5	2316
महाराष्ट्र	22	139	312	28	108	63	4904
मणिपुर	2	0	0	16	2	2	49
मेघालय	0	1	3	12	4	2	127
मिजोरम	0	0	0	0	1	1	26
नागालैंड	1	0	0	2	1	3	61
उड़ीसा	2	29	47	95	155	7	1371
पंजाब	345	13	67	4	86	8	2251
राजस्थान	20	12	50	6	133	11	2010
सिक्किम	0	0	4	0	2	1	47
तमिलनाडु	7	108	131	11	62	45	3467
त्रिपुरा	1	0	2	41	5	1	93
उत्तर प्रदेश	101	215	430	40	105	33	5137
उत्तरांचल	23	3	28	1	14	2	632
पश्चिम बंगाल	15	51	86	692	287	18	3428
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	5	0	1	1	1	31
चण्डीगढ़	18	1	6	1	3	2	152
दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	9
दमन व दीव	0	0	1	0	1	0	14
लक्षद्वीप	0	9	0	0	0		9
पांडिचेरी	0	2	1	1	6	1	66
अखिल भारत	774	1751	2106	1313	1742	838	46078

विवरण-II

जून, 2000 और 2001 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकें की बैंक-वार कुल बकाया जमाराशियां

(राशि करोड़)

बैंक	जमाराशियां 2000	जमाराशियां 2001
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	16,798	19,243
आन्ध्रा बैंक	14,355	16,968
बैंक आफ बड़ौदा	42,658	46,908
बैंक आफ इंडिया	37,913	41,595
बैंक आफ महाराष्ट्र	13,129	17,787
केनरा बैंक	45,718	59,279
सेन्ट्रल बैंक	33,711	39,042
कारपोरेशन बैंक	14,295	16,986
देना बैंक	12,959	14,396
इंडियन बैंक	18,078	20,961
इंडियन ओवरसीज बैंक	23,255	26,610
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	22,455	24,183
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	9,996	11,271
पंजाब नेशनल बैंक	47,419	56,016
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9,092	10,384
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	12,026	14,540
भारतीय स्टेट बैंक	145,943	171,577
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4,819	6,806
स्टेट बैंक आफ मैसूर	6,578	7,631
स्टेट बैंक आफ पटियाला	9,561	11,657
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	5,608	6,859
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	9,938	11,311
सिण्डीकेट बैंक	19,135	22,388
यूको बैंक	15,910	19,110
यूनियन बैंक आफ इंडिया	30,287	35,383
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	15,840	17,020
विजया बैंक	11,196	12,290
कुल	648,672	758,202

विवरण-III

जून, 2000 और 2001 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य-वार कुल बकाया जमाराशियां

(राशि करोड़)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जमाराशियां 2000	जमाराशियां 2001
1	2	3	4
1.	अण्डमान व निकोबार	329	355
2.	आन्ध्र प्रदेश	36,780	42,999
3.	अरुणाचल प्रदेश	480	562
4.	असम	7,474	8,627
5.	बिहार	32,464	22,720
6.	चण्डीगढ़	5,160	6,251
7.	छत्तीसगढ़	*	6,760
8.	दादर व नागर हवेली	162	192
9.	दमन व दीव	364	414
10.	दिल्ली	70,423	81,136
11.	गोवा	5,788	6,557

1	2	3	4
12.	गुजरात	43,392	51,350
13.	हरियाणा	15,701	18,135
14.	हिमाचल प्रदेश	6,036	6,918
15.	जम्मू व कश्मीर	3,372	3,747
16.	झारखण्ड	*	14,421
17.	कर्नाटक	33,653	39,775
18.	केरल	26,482	30,207
19.	लक्षद्वीप	46	56
20.	मध्य प्रदेश	27,330	25,745
21.	महाराष्ट्र	100,674	120,111
22.	मणिपुर	364	410
23.	मेघालय	1,313	1,530
24.	मिजोरम	283	336
25.	नागालैंड	623	724
26.	उड़ीसा	10,831	12,608
27.	पांडिचेरी	1,190	1,392
28.	पंजाब	37,071	42,749
29.	राजस्थान	19,463	32,656
30.	सिक्किम	579	678
31.	तमिलनाडु	40,113	46,706
32.	त्रिपुरा	960	1,202
33.	उत्तर प्रदेश	71,786	74,814
34.	उत्तरांचल	*	9,053
35.	पश्चिम बंगाल	47,984	56,304
	अखिल भारत	648,672	758,202

टिप्पणी : '*' का अर्थ है 'लागू नहीं'। इन तीनों राज्यों का गठन नवम्बर 2000 में हुआ था।

विवरण-IV

जून, 1999, 2000 और 2001 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार सकल बकाया बैंक ऋण

(राशि करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऋण 1999	ऋण 2000	ऋण 2001
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान व निकोबार	44	57	68
2.	आन्ध्र प्रदेश	21,531	24,743	27,633
3.	अरुणाचल प्रदेश	50	63	74
4.	असम	1,991	2,477	2,829
5.	बिहार	6,660	7,582	4,794
6.	चण्डीगढ़	4,741	2,869	9,503
7.	छत्तीसगढ़	*	*	2,681

1	2	3	4	5
8.	दादर व नागर हवेली	28	29	33
9.	दमन व दीव	50	49	44
10.	दिल्ली	44,891	58,864	71,082
11.	गोवा	1,095	1,344	1,483
12.	गुजरात	16,798	20,637	22,356
13.	हरियाणा	5,239	6,192	6,938
14.	हिमाचल प्रदेश	1,082	1,356	1,545
15.	जम्मू व कश्मीर	573	706	766
16.	झारखण्ड	*	*	3,955
17.	कर्नाटक	18,122	20,873	23,603
18.	केरल	8,570	10,768	12,581
19.	लक्षद्वीप	4	5	5
20.	मध्य प्रदेश	11,459	13,476	12,268
21.	महाराष्ट्र	69,041	89,314	101,553
22.	मणिपुर	164	160	147
23.	मेघालय	139	180	246
24.	मिजोरम	50	61	80
25.	नागालैंड	108	111	114
26.	उड़ीसा	3,662	4,289	5,144
27.	पांडिचेरी	334	401	416
28.	पंजाब	11,897	14,441	17,088
29.	राजस्थान	7,506	9,029	10,734
30.	सिक्किम	57	78	99
31.	तमिलनाडु	28,626	33,518	36,897
32.	त्रिपुरा	207	217	231
33.	उत्तर प्रदेश	16,591	20,394	21,421
34.	उत्तरांचल	*	*	2,218
35.	पश्चिम बंगाल	17,960	21,377	23,036
	अखिल भारत	299,270	365,662	423,669

टिप्पणी '*' का अर्थ है 'लागू नहीं', क्योंकि इन तीनों राज्यों का गठन नवम्बर 2000 में हुआ था।

विवरण-V

मार्च 1999 एवं 2000 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल बैंक ऋण की तुलना में कृषि ऋण का राज्यवार प्रतिशत (प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1999	मार्च 2000
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21.68	20.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.00	23.81
3.	असम	14.62	10.74
4.	बिहार	18.39	16.87
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
6.	दिल्ली	1.34	2.79
7.	गोवा	6.03	4.76
8.	गुजरात	12.92	11.45
9.	हरियाणा	25.00	25.55
10.	हिमाचल प्रदेश	14.51	12.24
11.	जम्मू एवं कश्मीर	8.03	7.37
12.	झारखण्ड	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	21.85	18.46
14.	केरल	16.10	14.54
15.	मध्य प्रदेश	22.39	21.03
16.	महाराष्ट्र	6.07	8.27
17.	मणिपुर	11.59	18.13
18.	मेघालय	12.23	10.56
19.	मिजोरम	10.00	9.84
20.	नागालैंड	20.37	21.62
21.	उड़ीसा	19.93	18.26
22.	पंजाब	22.98	21.84
23.	राजस्थान	22.57	22.59
24.	सिक्किम	14.04	8.97
25.	तमिलनाडु	14.59	13.10
26.	त्रिपुरा	25.12	23.50
27.	उत्तर प्रदेश	20.72	19.68
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	10.07	10.29
30.	अण्डमान व निकोबार	0.09	5.26
31.	चण्डीगढ़	4.66	13.59
32.	दादरा व नगर हवेली	3.57	3.45
33.	दमन व दीव	2.00	2.04
34.	लक्षद्वीप	25.00	20.00
35.	पांडिचेरी	14.97	12.72
	अखिल भारत	12.57	12.39

पश्चिम बंगाल में उद्योग

926. श्री बीर सिंह महतो: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 से आज तक पश्चिम बंगाल में कितने उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने औद्योगिक एकक बंद किए गए और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में और उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के क्रियान्वयन किये जाने तथा औद्योगिक लाइसेंस जारी किये जाने के फलस्वरूप गैर-लघु क्षेत्र में 239 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं।

(ख) 1991 से 2000 की अवधि के दौरान 41 औद्योगिक इकाइयों के बंद होने की सूचना मिली है। इकाइयों के बंद होने

के पीछे मुख्य कारण धन की तंगी, बिजली की कमी, साधारण तौर पर मांग में कमी और श्रमिकों में अनुशासनहीनता होना है।

(ग) उदार औद्योगिक नीति के तहत, उद्योगों की स्थापना करना, उद्यमियों के वाणिज्यिक निर्णयों पर निर्भर होती है, और साथ ही यह राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों पर भी निर्भर होती है जो आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने और अन्य प्रोत्साहनों के रूप में होते हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में विकास केन्द्र योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र योजना जैसी विभिन्न योजनायें बनाकर और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से उनकी सहायता करती है।

पी.डी.एस. के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण

927. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितना मीट्रिक टन गेहूं, चावल, चीनी और अन्य खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है;

(ख) देश में कितने मीट्रिक टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारत द्वारा विदेशों को कितने खाद्यान्न का निर्यात किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर और अंत्योदय परिवारों को वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 13,90,004 टन चावल और 9,87,187 टन गेहूं प्रति माह आबंटित कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 216130 टन लेवी चीनी प्रति माह और 99950 टन लेवी चीनी वार्षिक त्यौहार कोटे के रूप में आबंटित की जाती है।

(ख) 2000-2001 के दौरान भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन अग्रिम अनुमानों के अनुसार 195.07 मिलियन टन हुआ था।

(ग) भारत सरकार ने 31.10.2001 तक वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल से 34.50 लाख टन गेहूं और 2.51 लाख टन चावल का निर्यात किया है। अप्रैल से अगस्त, 2001 तक दालों, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों सहित भारत से 16,26,967 टन खाद्यान्नों का निर्यात किया गया था।

[अनुवाद]

सीमा से व्यापार

928. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और चीन के साथ सीमा से व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और देश-वार पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पार से कुल कितना व्यापार किया गया;

(ग) इस सीमा व्यापार को नियमित करने के लिए क्या मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराया गया;

(घ) क्या इस व्यापार को नियमित और हैंडल करने के लिए यह अत्यधिक अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक और इस मूलभूत ढांचे की वृद्धि की योजना, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) डी जी सी आई एंड एस के पास उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के आर-पार किए गए सीमा व्यापार की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) सीमा-व्यापार के सुचारू संचालन के लिए बुनियादी सुविधाओं की जरूरत संबंधी मुद्दे वाणिज्य विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के परामर्श से तय किए जाते हैं। वाणिज्य विभाग की दो योजनाएं हैं, अर्थात् आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना तथा निर्यात विकास निधि जिसके तहत बुनियादी ढांचे की दिक्कतों को दूर करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को धन दिया जाता है।

विवरण

पूर्वोत्तर भू-सीमाशुल्क के जरिए विभिन्न देशों को हुए भारत के निर्यात

(मूल्य रु. में)

विवरण	मार्च 2001	अप्रैल 2000-मार्च 2001
1	2	3
बंगलादेश	16,93,46,065	147,72,91,421
भूटान	6,35,932	1,87,03,639

1	2	3
चीन	–	1,28,86,296
जर्मनी	–	31,212
म्यांमार	–	3,63,51,952
नेपाल	–	1,96,50,469
सिंगापुर	–	74,294
कुल योग	16,99,81,997	156,51,89,283

पूर्वोत्तर सीमा शुल्क केन्द्र के जरिए भारत का निर्यात

(मूल्य रुपए में)

विवरण	मार्च 2001	अप्रैल 2000-मार्च 2001
महेन्द्रगंज	1,47,84,929	11,60,31,761
दालू	25,49,190	26,74,821
बघमारा	–	5,35,800
सिओबाजार	6,71,309	1,61,25,767
भोलागंज	49,37,709	5,29,30,900
दावकि	4,04,29,898	55,24,70,100
बोरबोराह	2,82,68,637	27,04,46,724
करीमगंज		
स्टीमर घाट	2,97,028	2,89,70,046
सुतारखंडी	3,11,06,088	20,96,64,909
अगरतला	5,75,284	62,71,859
श्रीमंतपुर	–	8,30,360
चासदा पुर	4,57,25,993	25,15,90,251
दारांगा	6,35,932	2,02,94,033
मोरेह	–	3,63,51,952
कुल योग	16,99,81,997	156,51,89,283

बेनामी सौदा (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन

929. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इसे और शक्तियां देने के लिए बेनामी सौदा (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिनियम के पारित होने के पश्चात् नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो नियमों को अधिसूचित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिनियम को शीघ्र लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार विधि मंत्रालय के परामर्श से बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 को कार्यान्वयन योग्य बनाने के लिए उसमें परिवर्तन हेतु विचार कर रही है। इस संबंध में विधि में संशोधनों के स्वरूप पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के रूप में इन नियमों को अधिसूचित नहीं किया जा सका क्योंकि इसके प्रारंभ होने से ही इसके कार्यान्वयन में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। विधि मंत्रालय ने इसके अधिनियम में गंभीर कानूनी खामियों का उल्लेख किया है जिससे इन नियमों को बनाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। वित्त मंत्रालय एवं विधि मंत्रालय के बीच परामर्श किया जा रहा है ताकि इस अधिनियम को शीघ्र ही लागू किया जा सके।

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना हेतु सुविधाएं

930. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के विभिन्न भागों में नए उद्योगों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) क्या ये सुविधाएं उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में नये उद्योगों की स्थापना सहित

उद्योगों का विकास संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। उनके प्रयासों को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार अपने द्वारा परिचालित विभिन्न स्कीमों के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। ये स्कीमें हैं केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना-पूर्वोत्तर क्षेत्र, केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना-पूर्वोत्तर क्षेत्र, केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना-पूर्वोत्तर क्षेत्र, देश के दूरस्थ, पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राजसहायता योजना, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विकास केन्द्र योजना, औद्योगिकी रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास हेतु एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना और औद्योगिक पार्कों/औद्योगिक आदर्श कस्बों की स्थापना के लिए आय कर लाभ योजना।

[अनुवाद]

नोएडा टकसाल का उसकी क्षमता से कम उपयोग किया जाना

931. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नोएडा में सरकारी टकसाल जो 1988 में चालू की गयी थी, ब्लैकिंग लाइन स्थापित करने में असफल रही है जिससे इसका उपयोग क्षमता से कम किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्मित सिक्कों के आयात से विदेशी मुद्रा की हानि नहीं होगी, साथ ही लिक्वेडेटिड चार्जेज की भी अदायगी करनी होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) नोएडा स्थित भारत सरकार टकसाल की स्थापना 1988 में की गई थी जिसका उद्देश्य पहले चरण में केवल सिक्कों के मुद्रण की सुविधा प्रदान करना था। भारत सरकार टकसाल, नोएडा, की स्थापना के पश्चात् मंत्रिमंडल ने मुम्बई, कोलकाता तथा हैदराबाद स्थित भारत सरकार की अन्य तीन टकसालों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना को अनुमोदित किया जिसके अंतर्गत यह परिकल्पना की गई थी कि भारत सरकार के ये तीनों टकसालें नोएडा स्थित भारत सरकार टकसाल की कोरे सिक्कों की आवश्यकता को भी पूरा करेंगी। इसलिए, भारत सरकार, टकसाल, नोएडा, में ब्लैकिंग लाइन प्रदान नहीं की गई थी। इसके साथ ही, भारत सरकार टकसाल, नोएडा में चूंकि ब्लैकिंग सुविधा नहीं है, इसलिए इसका कम उपयोग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सिक्कों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई है जिसके कारण कोरे सिक्कों की मांग तथा भारत सरकार टकसालों और अन्य स्वदेशी निर्माताओं की आपूर्ति क्षमता में काफी अंतर आ गया है। इसके कारण मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने करने के लिए सरकार को कोरे सिक्कों का आयात करना पड़ा। तथापि, इसे विदेशी मुद्रा की हानि नहीं माना जा सकता क्योंकि कोरे सिक्कों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि सरकार अपने प्रशासकीय कार्यों को पूरा कर सके। इसके साथ ही ''परिनिर्धारित प्रभारों'' वाले खण्ड को संविदाओं में शामिल किया जाता है ताकि विदेशी आपूर्तिकर्त्ता विशिष्ट समय अवधि का पालन करने के लिए बाध्य हों।

[हिन्दी]

फल उत्पादकों पर फलों के आयात का प्रभाव

932. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू फल उत्पादकों विशेषकर हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों पर सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत सेब और अन्य फलों के आयात की अनुमति देने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रतिकूल प्रभाव का कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत फलों के आयात के प्रतिकूल प्रभाव से घरेलू फल उत्पादकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सेब और अन्य फलों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से फल उत्पादकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) घरेलू फल उत्पादकों पर आयातों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर की सरकार सहित कुछ फल उत्पादकों से ये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुरूप और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति देश की वचनबद्धता के अनुसार भी 1991 से ताजे फलों सहित सभी मदों पर से आयात प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है।

तथापि, सरकार टैरिफ और अन्य तंत्रों के समुचित उपयोग के द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णत: कृत संकल्प है कि

आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई भारी हानि या क्षति न हो। इस प्रयोजन से, सेब पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके अलावा, फलों सहित सभी प्राथमिक मूल कृषि उत्पादों को कृषि उत्पादों को कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले ''ऐनेटरी इम्पोर्ट परमिट'' के अधीन भी लाया गया है।

(घ) सरकार सेब व अन्य फलों सहित बागवानी उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक सहायता स्कीमें चला रही है और विविध कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं–

(1) निर्यात एककों में उन्नत पैकेजिंग और में अद्यतन आई.एस.ओ. 9000/एच.ए.सी.सी.पी. उपकरणों की स्थापना सहित गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(2) चुनिंदा ताजी सब्जियों एवं फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद प्रदान करना;

(3) क्रेता-विक्रेता बैठकों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(4) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना;

(5) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, परिवहन आदि के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने सहित व्यापार व उद्योग को तकनीकी सलाहकार सेवाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करना;

(6) फलों और सब्जियों की प्रतीक्षा अवधि को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने की दिशा में अनुसंधानगत प्रयास करना जैसे कि समुद्री परिवहन के लिए कम्प्रेस्ड/मोडिफाइड एटमोसफियर कन्टेनर, वाष्प ताप उपचार सुविधाओं की स्थापना आदि। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर सेब को निर्यात हेतु संभावित किस्मों में से एक किस्म के रूप में अभिज्ञात किया गया है। हिमाचल प्रदेश विपणन निगम (एच.पी.एम.सी.) ने रीफर कन्टेनर के द्वारा यू के को किन्नौर सेबों की परीक्षण खेप शुरू की थी;

(7) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई.आई.पी.) के जरिए विनिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक पैकेजिंग सामग्री के प्रयोग के लिए सहायता का प्रावधान—इस योजना के तहत आई.आई.पी./कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा विनिर्दिष्ट और अपनायी गई पैकेजिंग सामग्री के उपयोग के लिए निर्यातकों को सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा विनिर्माताओं का पंजीकरण

933. श्री रामजी मांझी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की शाखाओं को सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित सरकारी विभागों और संगठनों को माल की आपूर्ति के लिए मात्र विनिर्माताओं को ही पंजीकृत करने की सलाह दी गई थी;

(ख) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की शाखाएं अभी भी विनिर्माताओं के अलावा कई वस्तुओं गैर-ब्रांड और कम मूल्य की वस्तुओं की आड़ में बाहर से नहीं खरीद रही है;

(ग) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की शाखाओं ने माल की आपूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा अभी तक भी नहीं की है और माल को अभी भी सरकारी विभागों को डीलरों/विनिर्माताओं द्वारा माल की सीधी आपूर्ति की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की शाखाएं सरकारी कार्यालयों को सीधी आपूर्ति करने की अनुमति न देने, ब्रांड और लागत को न देखते हुए विनिर्माताओं/उनके प्राधिकृत वितरकों से सभी वस्तुओं को खरीद या इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने और ब्रांड वाले विनिर्माताओं के प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से माल की आपूर्ति की व्यवथा की समीक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्यकरण को सुचारू करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एक स्वायत्तशासी सहकारी समिति है और अपने कारोबार तथा प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेने के लिए इसका अपना निदेशक मंडल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने ब्रांडयुक्त विनिर्मित सामानों के संबंध में अपनी खरीद स्रोत नीति (सोर्सिंग पॉलिसी) को

1.7.2001 से आशोधित कर दिया है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता सरकारी संघ की शाखाओं को ब्रांडयुक्त मदों के विनिर्माताओं को पंजीकृत करने तथा जहां विनिर्माता ऐसा करने से इंकार करते हैं, वहां उनके नामिती वितरकों/डीलरों को पंजीकृत करने की सलाह दी गई है। बिना ब्रांड वाली और कम मूल्य की मदों के मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की शाखाएं मूल्यों की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के बाद सामान्य सप्लायरों को पंजीकृत कर सकते हैं। छोटी जगहों पर जहां कोई विनिर्माता अथवा उसका नामिती वितरक न हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की शाखाएं अपनी जरूरत की मदों को स्थानीय सप्लायरों से खरीदती हैं।

(घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के अनुसार मांगकर्त्ता सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा कम मात्रा में मांगी गई मदों के लिए सीधे विनिर्माता/उसके नामिती वितरकों से बिना ब्रांड वाली या कम मूल्य की वस्तुएं खरीदना संभव नहीं है। ऐसे मामलों में भी मूल्यों की प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने ब्रांडयुक्त/विनिर्मित मदों की आपूर्ति के मुख्य स्रोत के रूप में विनिर्माताओं और/अथवा विनिर्माताओं द्वारा नामित आपूर्तिकर्त्ताओं को पंजीकृत करके अपनी आतंरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है। इसकी शाखाओं में निगरानी कक्ष गुणवत्ता, दरों की प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में संतुष्टि का स्तर जानने के लिए सरकारी विभागों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हैं। प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हो, की तत्काल जांच की जाती है और आवश्यक शोधक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण

934. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक उच्च शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विशेषकर महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों को बैंक-वार कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ग) अन्य राज्यों विशेषकर गुजरात के आदिवासी/ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से बैंकों ने ऋण उपलब्ध नहीं कराये हैं;

(घ) अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के उन विद्यार्थियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें ऋण देने से इन्कार कर दिया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन विद्यार्थियों को ऐसे ऋण के वितरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को क्या निदेश जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ङ) सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को इंजीनियरी, चिकित्सा सहित सभी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा संबंधी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 28 अप्रैल, 2001 के अपने परिपत्र द्वारा एक व्यापक शैक्षिक ऋण योजना जारी की है जिसका कार्यान्वयन सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किया गया है और परिचालन में है। बैंक इस योजना के अधीन शिक्षा ऋण दे रहे हैं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंध सूचना प्रणाली से प्रश्न के भाग (ख) से (घ) में यथा वांछित, सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में मार्च, 1998, 1999 एवं 2000 की समाप्ति तक बकाया शिक्षा संबंधी ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मार्च 1998, 1999 एवं 2000 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बहियों में बकाया शैक्षणिक ऋण

(राशि लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	मार्च 1998 के अन्त की स्थिति		मार्च 1999 के अन्त की स्थिति		मार्च 2000 के अन्त की स्थिति	
	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि	खातों की सं.	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	524	228	504	296	634	564
हिमाचल प्रदेश	155	46	151	76	161	104

1	2	3	4	5	6	7
जम्मू एवं कश्मीर	43	17	31	20	44	29
पंजाब	436	224	561	439	794	731
राजस्थान	413	141	1036	247	586	775
चण्डीगढ़	139	123	128	173	180	220
दिल्ली	1718	1420	1730	1221	1265	2688
असम	142	61	135	69	148	89
मणिपुर	–	–	5	2	–	–
मेघालय	13	3	15	6	14	4
नागालैंड	2	1	4	5	2	2
त्रिपुरा	14	3	13	2	8	2
अरुणाचल प्रदेश	–	–	7	56	–	–
मिजोरम	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	2	1	1	1	2	1
बिहार	666	307	729	469	806	571
उड़ीसा	8811	582	1260	691	1137	612
पं. बंगाल	965	488	1067	737	1104	760
अंडमान व निकोबार	10	2	13	3	11	3
मध्य प्रदेश	616	339	890	502	1142	891
उत्तर प्रदेश	1214	665	1744	1171	2646	3614
गुजरात	1570	720	1846	1011	2099	1424
महाराष्ट्र	11438	4301	71281	10311	11124	7183
दमन एवं दीव	–	–	–	–	2	1
गोवा	181	117	172	133	238	208
दादर एवं नागर हवेली	–	–	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	11820	6638	13250	8083	13586	10504
कर्नाटक	18987	8070	17746	9821	16936	10480
केरल	5654	2200	7145	2758	7348	3798

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	16017	6102	15067	6604	17559	8932
पाण्डिचेरी	244	89	374	70	282	101
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
समस्त भारत	81794	32888	136905	44977	79858	54291

जूट का सामान बनाने के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता

935. श्री राजो सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य सरकारों ने जूट का सामान बनाने के लिए बेरोजगार महिलाओं को प्रशिक्षण देने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कारगो शिपमेंट

936. श्री महबूब जहेदी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगो शिपमेंट को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक ठोस सुरक्षा जांच तथा अत्यधिक विमानों की उड़ान रद्द करने के कारण नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या अत्यधिक अनिश्चितता से माल-भाड़े की दुलाई में और कमी आई है और अन्यों के साथ जैम और ज्वैलरी, वस्त्र, सिलेसिलाए वस्त्र और कार्पेट जैसे उच्च कीमत वाले उत्पादों के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप अप्रैल और अगस्त, 2001 के बीच निर्यात बहुत कम हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) अप्रैल-अगस्त, 2001 के दौरान भारत से निर्यात 8013107.23 लाख रुपए और वर्ष 2000 की इसी अवधि के दौरान 7816888.10 लाख रुपए का हुआ था जिसमें 2.5% की वृद्धि हुई थी।

(घ) केन्द्र सरकार देश के निर्यातों को वायु परिवहन समेत गुणवत्ता और पर्याप्त बुनियादी सुविधा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सतत् आधार पर योजनाएं और नीतियां बनाती है। निर्यातों में वृद्धि करने के लिए ए.ए.आई. ने आयात और निर्यात के लिए दिनांक 24.9.2001 से कार्य समय में वृद्धि की है, जिसे सभी कार्य दिवसों में 0800 बजे से बढ़ाकर 2200 बजे और रविवार तथा अवकाश के दिनों में 1000 बजे से 1700 बजे तक कर दिया गया है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों की स्थापना हेतु लम्बित प्रस्ताव

937. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी मिलों की स्थापना हेतु महाराष्ट्र से कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और इनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी कितनी मिले हैं जो स्थापन के प्राथमिक चरण में हैं अर्थात् जहां उत्पादन शुरू होना है; और

(ग) इन लम्बित प्रस्तावों को कब तक अनुमति दे दी जाएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) चीनी उद्योग को 11.09.1998 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। अब

उद्यमी अपनी परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए स्वतंत्रत हैं। तथापि, गन्ने की प्राप्ति के लिए चीनी फैक्ट्रियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए विद्यमान चीनी मिल तथा नई चीनी मिल के बीच 15 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी रखना अपेक्षित है। अत: लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू कश्मीर में गोदाम

938. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू कश्मीर तथा बिहार में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम छत वाले और खुले हुए हैं और स्थान-वार ब्यौरा तथा इनकी क्षमता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा बिहार में खुले हुए गोदामों में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के खाद्यान्न रखे गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) फिलहाल जम्मू और कश्मीर तथा बिहार में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

(1.10.2001 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	ढ़की हुई	कैप	कुल क्षमता (लाख टनों में)
जम्मू और कश्मीर	20	-	1.18
बिहार	40	3	5.30

जम्मू व कश्मीर और बिहार के लिए स्थान-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) जम्मू और कश्मीर: जम्मू व कश्मीर में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले गोदामों में कोई खाद्यान्न नहीं रखे गए हैं।

बिहार: पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में (खुले कैप) गोदामों में रखे गए खाद्यान्नों की मात्रा और कीमत निम्नानुसार है:-

वर्ष (31/3 की स्थिति के अनुसार)	मात्रा टन में	प्रति टन की दर से (अधिग्रहण लागत)	मूल्य (लाख रुपये में)
1998-99	-	-	-
1999-2000	1760	7009.40	123.37
2000-2001	25480	7036.10	1792.80
2001-2002 (1.10.2001 को स्थिति के अनुसार)	17410	7378.60	1284.61

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्नों के स्टाक का परिरक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है ताकि क्षति को रोका जा सके। खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जाते हैं:-

(1) खाद्यान्नों का भंडारण मूषक और नमी प्रूफ गोदामों में किया जाता है।

(2) जन्तुबाधा नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं।

(3) खाद्यान्नों के आवधिक निरीक्षण और उचित रख-रखाव के लिए अर्हक तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

(4) मार्गस्थ क्षतियों को रोकने के लिए जहां तक संभव होता है, ढके हुए वैगनों में खाद्यान्नों का संचलन किया जाता है, जब खुले वैगनों में संचलन किया जाता है, तब इन्हें तारपोलीन आदि से ढका जाता है।

(5) इनको रोगनिरोधी और रोगहर उपचार भी दिए जाते हैं।

(6) कैप भंडारण में लकड़ी की क्रेटों पर स्टाक का भंडारण किया जाता है और इन्हें कम घनत्व के काले पालीथीन कवरों से ढका जाता है जो जल प्रूफ होते हैं। इन्हें नायलोन की रस्सियों से बांधा जाता है ताकि तेज हवाएं चलने के दौरान कवर उड़ने से होने वाली क्षति को रोका जा सके।

विवरण-I

30.9.2001 की स्थिति के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढ़की हुई भण्डारण क्षमता

जम्मू और कश्मीर राज्य (आंकड़े हजार टन में)

भा.खा.नि. जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	ढकी हुई भण्डारण क्षमता		
			अपनी	किराये की	कुल
1	2	3	4	5	6
जम्मू	जम्मू	छाता	13.84	–	13.84
		जम्मू	21.60	–	21.60
–वही–	खतुआ	खतुआ	5.00	–	5.00
–वही–	डोडा	खिलानी (डोडा)	2.50	–	2.50
–वही–	नागरोता	नागरोता	–	5.00 रा.स.	5.00
–वही–	राजौरी	राजौरी	2.50	–	2.50
–वही–	पूंछ	पूंछ	2.50	–	2.50
श्रीनगर	अनन्तनाग	अनन्तनाग (मिर्जापुर)	10.00	1.60 प्राइवेट	11.60
–वही–	श्रीनगर	श्रीनगर *(8.50 पीवीटी+1.80 रा.स.)	11.00	10.30*	21.30
		समपोरा	–	2.90 प्राइवेट	7.00
–वही–	बारामूला	बारामूला	5.00	2.00 प्राइवेट	2.90
		लेथापुरा* (10.00 रा.स. +4.40 प्राइवेट	–	14.40*	14.40
–वही–	लेह	लेह	2.50	–	2.50
–वही–	कारगिल	कारगिल	2.50	3.00 प्राइवेट	5.50
	जम्मू एवं कश्मीर राज्य की कुल क्षमता		78.94	39.20	118.14

रा.स. : राज्य सरकार

विवरण-II

30.9.2001 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई (अपने एवं किराये के) भण्डारण क्षमता

बिहार राज्य (आंकड़े हजार टन में)

भा.खा.नि. जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	ढकी हुई भण्डारण क्षमता		
			अपनी	किराये की	कुल
1	2	3	4	5	6
भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर	–	12.29 प्राइवेट	12.29
-वही-	जमुई	जमुई	–	2.80 प्राइवेट	2.80
		हंगर (3.20 (रा.स.+ 3.00 सीडब्ल्यूसी)*	–	6.20*	6.20
-वही-	लखीसराय	लखीसराय	–	2.00 सीडब्ल्यूसी	2.00
छपरा	छपरा (सारन)	छपरा	–	5.00 प्राइवेट	5.00
-वही-	वैशाली	हाजीपुर	–	5.00 प्राइवेट	5.00
दरभंगा	दरभंगा	दरभंगा	5.74	3.00 एलसीडब्ल्यूसी	8.74
-वही-	मधुबनी	जयनगर	9.67	–	9.67
गया	गया	गया (एफएसडी)	64.72	–	64.72
		गया (बिसं/सीलो)	32.00	–	32.00
-वही-	नाबधा	वरशालीगंज	–	2.00 रा.स.	2.00
-वही-	रोहतास	सासाराम	–	8.00 केएसडब्ल्यूसी	8.00
मुजफ्फरपुर	चनपतिया	चनपतिया	6.28	–	6.28
-वही-	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	7.60	–	7.60
		नातैनपुर अनन्त	36.67	–	36.67
-वही-	चम्पारण	चकिया	–	2.50 प्राइवेट	2.50
-वही-	सीतामढ़ी	पौनौरा	–	5.00 प्राइवेट	5.00
पटना	बक्सर	बक्सर	25.00	–	25.00
-वही-	भोजपुर	आरा	–	5.00 केएसडब्ल्यूसी	5.00
-वही-	पटना	दीघाघाट	29.00	–	29.00
		मोकामा	57.63	5.00 सीडब्ल्यूसी	62.63
		फुलवारी शरीफ	56.97	–	56.97
-वही-	नालंदा	बिहार शरीफ	–	6.00 एसडब्ल्यूसी	6.00

1	2	3	4	5	6
पुरनिया	पूर्णिया	बेलोरी (पूर्णिया)	8.98	–	8.98
–वही–	कटिहार	कटिहार	10.84	6.70 सीडब्ल्यूसी	17.54
–वही–	किशनगंज	किशनगंज	–	14.23*	14.23
		(11.00 सीडब्ल्यूसी +3.23 एसजी)*			
समस्तीपुर	बेगुसराय	बेगुसराय	–	5.00 प्राइवेट	5.00
		बेगुसराय रोड	–	2.50 प्राइवेट	2.50
		तिलरथ	–	5.00 प्राइवेट	5.00
–वही–	समस्तीपुर	समस्तीपुर (15.50 सीडब्ल्यूसी +2.40 रा.स.)*	–	17.90*	17.90
सहरसा	सहरसा	सहरसा	14.64	–	14.64
–वही–	सुपौल	राघोपुर	–	5.00 प्राइवेट	5.00
–वही–	माधोपुर	माधोपुर	–	5.00 प्राइवेट	5.00
		फारबीसगंज	–	5.00 प्राइवेट	5.00
बिहार राज्य की कुल (ढकी हुई) क्षमता:			365.74	136.12	501.86

रा.स. : राज्य सरकार

30.9.2001 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कैप (खुली) (अपने एवं किराये के) भण्डारण क्षमता को दिखाने वाला विवरण

बिहार राज्य (आंकड़े हजार टन में)

भा.खा.नि. जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	कैप भण्डारण क्षमता		
			अपनी	किराये की	जोड़
1	2	3	4	5	6
गया	गया	गया	7.36	–	7.36
पटना	पटना	फुलवारी शरीफ	6.63	–	6.63
		मोकामा	14.10	–	14.10
जोड़					28.09
बिहार में भण्डारण क्षमता का सकल जोड़					529.95

[अनुवाद]

गुजरात को निधियां

939. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आयकरदाताओं से वसूल की गई 2 प्रतिशत धनराशि जो 1300 करोड़ रुपए तक थी, गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात सरकार को पूरी धनराशि कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) गुजरात भूकंप के कारण निगम कर और आयकर पर लगाया गया 2 प्रतिशत अधिभार भूंकप राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) और गैर-योजनागत अनुदान के लिए जारी निर्गमों के जरिए गुजरात सरकार को उपलब्ध है। राज्य को एन.सी.सी.एफ. के तहत 1467.37 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात सरकार को भूकम्प राहत के लिए गैर-योजना सहायता की प्रस्तावित तीन किस्तों में से पहली किस्त के रूप में 250 करोड़ रुपए की राशि भी मुहैया कराई जा चुकी है।

आंध्र प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों को निधियां

940. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वृद्धों के लिए योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय निधि से सहायता प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) वर्तमान वित्त वर्ष 2001-2002 (31.10.2001 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को निर्मुक्त अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्तमान वर्ष 2001-2002 (31.10.2001) के लिए वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था गृह, दिवा देखभाल केन्द्र, मोबाइल मेडीकेयर यूनिट और गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों के संचालन के लिए आंध्र प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा की गयी वित्तीय सहायता का गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा

संक्षिप्त: वृद्धावस्था गृह
दिवा देखभाल केन्द्र
मोबाईल मेडीकेयर यूनिट
गैर-संस्थागत सेवायें

(रु. लाख में)

		वृद्धावस्था गृह	दिवा देखभाल केन्द्र	मोबाइल मेडीकेयर यूनिट	गैर-संस्थागत सेवा केन्द्र	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
(1) अनन्तपुर जिला						
1.	रूपा एजुकेशन सोसायटी	1	0	0	0	1.27
2.	नव भारत सोशल इक्नामिक डेवलपमेंट सोसायटी	1	0	0	0	3.96

1	2	3	4	5	6	7
3.	श्री राकेश एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी	0	1	0	0	2.29
4.	श्री वेंकटेश्वर कान्वेंट एजुकेशन सर्विस सोसायटी	1	0	0	0	1.34
5.	सोसायटी फॉर वेलफेयर एंड एवेकनिंग इन रूरल एन्वायरमेंटल	0	2	0	0	1.96
6.	चैतन्य एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	1	0	0	0	2.07
7.	डिप्रैस्ड पीपुल्स डेवलपमेंट सोसायटी	1	0	0	0	1.22
8.	डा. अम्बेडकर दलित वर्ग	1	0	0	0	1.38
9.	जगजीवन बालहीन वर्ग अभि. संगम	0	0	1	0	0.98
10.	श्रीनिवास एजु. एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	1	0	0	0	1.24
11.	श्री पद्मावती महिला मंडली	1	0	0	0	1.38
12.	खादीसिल्क ग्रामोद्योग समिति	1	0	0	0	1.18
(2) चित्तौर जिला						
1.	ज्योति यूथ एसोसिएशन	0	1	0	0	0.99
2.	मदर इंडिया कम्यूनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन	2	1	1	0	5.29
3.	पेडा प्रजला सेवा समिति	2	0	0	0	7.96
4.	पीपुल्स एक्शन फॉर सोशल सर्विस	2	0	1	0	3.94
5.	पीपुल्स आर्ग. फॉर वैल्फेयर एंड एजु. रैटिफिकेशन	0	1	0	0	0.99
6.	राष्ट्रीय सेवा समिति	2	9	0	0	11.16
7.	सेवा भारती	0	2	0	0	1.79
8.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	1	1	1	0	2.5
9.	तेलुगु भारती महिला मंडली	1	0	0	0	1.38
(3) पूर्वी गोदावरी जिला						
1.	एसोसिएशन फार दि केयर आफ एज्ड	1	0	0	0	2.02
2.	हैल्प दि वूमेन	1	1	0	0	0.97
3.	पुशकर्मथा कान्वेंट एजुकेशनल कमेटी	0	1	0	0	0.98
4.	संजय गांधी मेमोरियल आर्फेनेज एंड बोर्डिंग होम	1	0	0	0	1.38
5.	शारदा एजुकेशन सोसायटी	1	0	0	0	1.38
6.	सुनीता महिला मंडली	0	0	1	0	1.25

1	2	3	4	5	6	7
(4) गुंटूर जिला						
1.	इंदिरा मेमोरियल वीकर सेक्शन डवलप. सोसायटी	1	0	0	0	1.3
2.	कोठापेटा महिला मंडली	1	0	0	0	1.38
3.	नारासारापेट ताल्लुक एस.टी./यूथ क्लब	1	0	0	0	1.38
4.	एसईआरडी अनु. जाति/अनु. जनजाति एंड क्रिश्चियन वेलफेयर सोसायटी	1	0	0	0	1.23
5.	सोनिया गांधी हरिजन गिरिजन बालहीन वर्गमूल महिला मंडली	0	1	0	0	2.36
6.	स्त्री शारदा महिला विज्ञान समिति	0	1	0	0	0.9
7.	उदयश्री महिला समाजम	1	0	0	0	1.3
8.	वेतलामा वीकर सेक्शन्स एसोसिएशन	0	1	0	0	1.95
9.	कंद्रिका महिला मंडली	1	0	0	0	1.38
(5) हिन्दुपुर जिला						
1.	श्री वेंकटेश्वर कान्वेंट एजु. सोसायटी	1	0	0	0	1.34
(6) हैदराबाद जिला						
1.	अन्नपूर्णा मानव संक्षामा समिति	0	1	0	0	0.92
2.	अनुराग ह्यूमन सर्विसेस	1	0	0	0	1.38
3.	महिला दक्षता समिति	0	1	1	0	1.84
4.	ओल्ड एज वेलफेयर सेन्टर	1	0	1	0	2.67
5.	रूबेन इंटीग्रेटिड डवलपमेंट सोसायटी	1	0	0	0	2.34
6.	साई सेवा संघ	1	0	0	0	2.22
7.	सोशल इंटीग्रेशन फॉर रूरल इम्प्रूवमेंट	1	0	0	0	1.25
(7) करीमनगर जिला						
1.	सन्तोष एजुकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	2.17
(8) खम्मन जिला						
1.	जयश्री महिला संगम	0	1	0	0	0.98
(9) कृष्णा जिला						
1.	ए.पी. गिरिजन सेवक संघ	1	1	0	0	2.36

1	2	3	4	5	6	7
2.	अनम वयोवृद्ध सेवा सदनम	1	0	0	0	1.27
3.	इंटीग्रेटिड डवलपमेंट एजेन्सी	1	0	1	0	2.83
4.	मदर टेरेसा महिला मंडली	1	0	0	0	0.98
5.	वसव्यय महिला मंडली	0	1	0	0	0.9
6.	बापूजी इंटीग्रेटिड रूरल डवलपमेंट सोसायटी	1	0	0	0	1.38
(10) कुरनूल जिला						
1.	नव भारत एजुकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	1.38
(11) महबूबनगर जिला						
1.	बेतल एजुकेशनल सोसायटी	1	0	0	0	1.24
2.	सोशल एक्शन फॉर सोशल डवलपमेंट	1	1	1	0	3.66
(12) नालगोंडा जिला						
1.	सोसायटी आफ एम्मानुएल एवनगालिज्म फार रूरल डवलपमेंट	1	0	0	0	1.34
2.	महालक्ष्मी महिला मंडली	1	0	0	0	2.62
(13) नेल्लोर जिला						
1.	आर्य दयानंद महिला मंडली	1	0	0	0	1.38
2.	आस्थाना-ए-चिस्तिया महिला मंडली	1	0	0	0	1.38
3.	भारती महिला वाल्यंटरी सर्विस आर्गनाइजेशन	1	0	0	0	1.38
4.	हैल्प दि नीड	0	1	0	0	0.98
5.	इंदिराम्मा महिला मंडली	0	0	1	0	0.53
6.	नेहरू भारती एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन	1	0	0	0	1.27
7.	पालीमर एजुकेशनल सोसायटी	1	1	0	0	2.36
8.	श्री विघ्नेश्वर महिला मंडली	0	1	1	0	1.73
9.	हरिजन क्रिश्चियन सोशल वेलफेयर सोसायटी	1	0	0	0	1.38
10.	लक्ष्मी महिला मंडली	0	1	0	0	0.93
(14) प्रकाशम जिला						
1.	3 मैन एकाडमी	1	1	0	0	1.38
2.	आदर्श महिला मण्डली	1	0	0	0	1.38

1	2	3	4	5	6	7
3.	इन्दिरा प्रियदर्शनी महिला मण्डली	0	1	0	0	1.98
4.	लक्ष्मी महिला मण्डली	1	0	0	0	1.38
5.	महिला मण्डली	1	0	0	0	1.38
6.	प्रकाशम जिला बलहीन वर्गल कालोनी वराला सेवा संगम	1	1	0	0	2.36
7.	प्रियदर्शिनी महिला मण्डली	0	1	0	0	0.92
8.	सबरी गिरीजन महिला मण्डली	0	1	0	0	0.92
9.	समता महिला वैदिक	1	1	0	0	2.36
10.	वासवी शैक्षिक समिति	1	0	0	0	1.38
11.	वुटूकरी वेंकट सव्वम्मा कल्याण समिति	0	1	0	0	0.98
(15) आर.आर. जिला						
1.	वेंकटेश्वरन सामाजिक सेवा संघ	0	1	0	0	0.98
(16) सिकन्दराबाद जिला						
1.	रूर्बन एकीकृत विकास समिति	1	0	0	0	2.34
(17) विशाखापट्नम जिला						
1.	प्रियदर्शनी सेवा संगठन	1	0	0	0	2.58
2.	श्री वेंकटेश्वर युवाजन संगम	1	0	0	0	2.68
(18) वारंगल जिला						
1.	कस्तूरीबाई महिला मण्डली	1	0	0	0	4.14
(19) पश्चिम गोदावरी जिला						
1.	सेंट मेरी अनाथ, विधवा और कोढ़ी पुनर्वास केन्द्र	1	0	0	0	1.38

पी.डी.एस. के अंतर्गत मिट्टी के तेल की आपूर्ति

941. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी के तेल की आपूर्ति सीमित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे राजसहायता में कितनी बचत होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित मिट्टी का तेल खाना

पकाने और प्रकाश करने के प्रयोजनार्थ है। यह जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है कि वे इसका वितरण न्यायोचित तरीके से जरूरतमंद लोगों को करें।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल के चैन समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना

942. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में चैन समुदाय को शामिल किए जाने के बारे में पश्चिम बंगाल से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति की सूची में इस जाति को अब तक शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे अनुसूचित जाति की सूची में कब तक शामिल किए जाने की सम्भावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

शेयरों की दुबारा खरीद हेतु मानदंड

943. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में उछाल लाने हेतु सरकार ने मानदंडों में ढील देते हुए कंपनियों को अपने शेयरों की दुबारा खरीद की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दो वर्ष की वर्तमान सीमा के बदले प्रत्येक छ: महीने में दस प्रतिशत शेयरों की दुबारा खरीद की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय से स्टाक मार्केट और अलग-अलग कंपनियों की वित्तीय स्थिति में किस हद तक सुधार की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77क, जो कि कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद से संबंधित है में आशोधन के लिए 23 अक्तूबर, 2001 को एक अध्यादेश लागू किया गया था। इसके ब्यौरे कंपनी कार्य विभाग के वेबसाइट (www. nic.in/dca) पर उपलब्ध हैं।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप किसी कंपनी की कुल चुकता पूंजी तथा मुक्त आरक्षित भंडार के 10% तक शेयरों की वापसी-खरीद की अनुमति निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा दी जा सकती है, बशर्ते कि वापसी-खरीद की पूर्ववर्ती पेशकश, अगर कोई की गई है, की तिथि से तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि के अंदर वापसी-खरीद की कोई पेशकश नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की वापसी-खरीद पूरी किए जाने की स्थिति में यह 24 महीने की विद्यमान निर्धारित अवधि की तुलना में वापसी-खरीद की समाप्ति की तिथि से छ: महीने की अवधि के अंदर, समान प्रकार के शेयरों का नया निर्गम नहीं करेगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटा बनाने वालों को रियायती दर पर गेहूं की आपूर्ति

944. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटा बनाने वालों को रियायती दर पर गेहूं की आपूर्ति का जाती है और यदि हां, तो किस दर पर;

(ख) क्या रियायती दर पर खरीदे गये गेहूं से बनने वाले आटे का विपणन अधिक लाभ अर्जन के साथ किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को केवल उचित लाभ ही लेते हुए आटे की आपूर्ति करने हेतु आटा बनाने वालों के लिए कोई शर्त निर्धारित की है और इस शर्त का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दैनिक उपयोग की उस महत्वपूर्ण उपभोक्ता सामग्री को लोगों तक उचित दर पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम गेहूं की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं रिलीज करता है जो न्यूनतम 10 टन की मात्रा की शर्त के अध्यधीन रोलर फ्लोर मिलों सहित सभी उपभोक्ताओं, व्यापारियों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, चक्कियों, सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, नागरिक आपूर्ति निगमों के लिए खुली है।

खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन गेहूं का निपटान भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गेहूं के अधिशेष स्टाक का निपटान करने और खुला बाजार मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए किया जाता है। खुला बाजार बिक्री मूल्य भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक जोन में बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति और गेहूं की जोनल आर्थिक लागत को हिसाब में लेकर निर्धारित किए जाते हैं। खरीदारों पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि वे इस योजना के अधीन प्राप्त होने वाले गेहूं के परिणामी आटे को किस दर पर बेचें।

जुलाई, 2001 से देश के विभिन्न जोनों के लिए इस योजना के अधीन गेहूं की खुली बिक्री की दरें निम्नानुसार हैं:-

जोन	दर प्रति क्विंटल
उत्तरी	650- रुपये
दक्षिणी	720/- रुपये
पश्चिमी	695/- रुपये
पूर्वी/उत्तर पूर्वी	705/- रुपये

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (कुछ जिले) में 2001-2002 खरीफ विपणन मौसम में वसूल किए गए गेहूं के स्टाक के लिए 40 रुपए प्रति क्विंटल की रियायत दी गई है। खरीदार भारतीय खाद्य निगम से किसी भी मात्रा में गेहूं खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे खुले बाजार में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे बाजार में आटे के मूल्य उचित स्तर पर रहते हैं।

भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आटा वितरित करने की योजना को हाल ही में मंजूर किया है। इस योजना के अधीन राशन की दुकानें राज्य में कार्ड धारकों को 7.90 रुपये प्रति किलोग्राम के निर्धारित मूल्य पर आटा बेचेंगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के लिए धनराशि

945. श्री महेश्वर सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि मांगी गई है और पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य को वास्तविक रूप में कितनी धनराशि आवंटित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): राज्य योजना के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करते हुए योजना आयोग द्वारा आबंटित की जाती है। हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना 1999-2000 और 2000-2001 के लिए आबंटित केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

		1999-2000	2000-01
		1	2
(1)	सामान्य केन्द्रीय सहायता	538.18	538.18
(2)	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	107.97	47.00
(3)	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	48.14	46.77
(4)	मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	109.14	–
(5)	स्लम विकास स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	1.10	1.10
(6)	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष योजना सहायता	4.00	4.00
(7)	जनजातीय उप योजना के लिए विशेष योजना सहायता	5.15	–
(8)	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता	35.00	44.00

	1	2
(9) प्रधान मंत्री ग्राम्योदय योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	–	70.61
(10) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	–	60.00
(11) सड़कों एवं पुलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	–	6.23
(12) विशेष योजना सहायता	69.00	150.00

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी

946. श्री भीम दाहाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दिनों सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान तस्करी की गतिविधियों से जुड़े कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) ऐसी कोई रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं जिनसे यह पता चलता हो कि हाल में सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में तस्करी की गतिविधियों में कोई वृद्धि हुई है। चालू वर्ष (अक्तूबर, 2001 तक) के दौरान सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में उपर्युक्त क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारिता रखने वाले सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत किये गये अभिग्रहणों और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	दर्ज किये मामलों की संख्या	अभिग्रहीत माल का मूल्य (लाख रुपये में)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
2001-2002 (अक्तूबर, 2001 तक)	3985	929.11	42

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालय सिक्किम तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क और चौकस हैं।

[हिन्दी]

गोदामों और खुले में पड़े खाद्यान्न

947. श्री अनन्त गंगाराम गीते: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चालू वर्ष के खरीद मौसम के पूर्व कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के खाद्यान्नों का भंडारण गोदामों के अन्दर और खुले में किया गया था;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खाद्यान्नों की कुल खरीद का ब्यौरा क्या है और वे कितने मूल्य के थे;

(ग) राज्य में अब तक कुल कितना खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ है और वह कितने मूल्य का है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) वर्तमान वर्ष के वसूली मौसम से पूर्व महाराष्ट्र में गोदामों में भण्डारित अनाज और खुले में रखे अनाज की मात्रा और कीमत निम्नानुसार है:-

	मात्रा टन में	मूल्य रुपये/लाख में
गोदाम में	1493625	144722.82
कैप में	206668	18600.12
जोड़	1700293	163322.94

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अनाज की वसूली और इसके मूल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े टन में)

वर्ष	चावल	मूल्य/ क्विंटल	मोटे अनाज	मूल्य/ क्विंटल	धान	मूल्य/ क्विंटल
1998-99	5015	729.20	-	-	-	-
1999-2000	53687	805.10	86	415.00	123	490.00
2000-2001	13202	833.70	190000	445.00	31885	510.00

(ग) अप्रैल, 2001 से भण्डारण में 1484 टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त स्टाक की कीमत 133.85 लाख रुपये है।

(घ) जी, नहीं। सूचना प्राप्त हुई है कि क्षति प्राकृतिक रूप से हुई है, न कि मानव त्रुटि के कारण।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें

948. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के मौजूदा अपव्यय और उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के अपव्यय को कम करने हेतु सिफारिशें देने के लिए व्यय सुधार आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसकी संरचना क्या है;

(ग) इस आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) किन सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया जाना बाकी है और आज की तिथि तक इसे न क्रियान्वित किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद

949. श्री अमर रायप्रधान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य विभागों में नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर्ष-वार, पद-वार और श्रेणी-वार कितने पद आरक्षित किए गए हैं;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की तिथि के अनुसार नि:शक्त/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पद-वार और श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे पदों पर वर्ष-वार, पद-वार और श्रेणी-वार कितने नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शुल्क पात्रता पास बुक योजना के अंतर्गत रियायत

950. डा. रमेश चन्द तोमर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात-आयात नीति के अनुसार, जब कतिपय थोक दवाओं का शुल्क पात्रता पासबुक योजना के अंतर्गत निर्यात किया जाता है तो उन पर मूल्य सीमा निर्धारित की जाती है और जब ऐसी थोक दवाओं पर आधारित फार्मूलेशन निर्यात किये जाते हैं तब यह मूल्य सीमा लागू नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे फार्मूलेशन पर मूल्य सीमा लागू करने पर जोर देते हैं जिससे निर्यातक ऐसे फार्मूलेशन पर शुल्क पात्रता पासबुक योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करने के क्या कारण हैं जिसका निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) इस मुद्दे को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) जी, हां। शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम के तहत निर्यात की गयी कतिपय प्रपुंज औषधियों पर अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित की जाती है तथा औषधि निर्मितियों पर शुल्क हकदारी पासबुक क्रेडिट दरों को प्रपुंज औषधियों के लिए लागू दरों के कुछेक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। राजस्व विभाग का यह अभिमत था कि औषधि निर्मितियों पर शुल्क हकदारी पासबुक दर में शुल्क हकदारी पास बुक अनुसूची में पोत-पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी गयी दर तथा अधिकतम मूल्य सीमा, जहां कहीं भी लागू हो, दोनों शामिल होगी।

इस मुद्दे को क्रमश: महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा 13.11.2001 को सार्वजनिक अधिसूचना सं. 50 (आर ई-01)/1997-2002 तथा राजस्व विभाग द्वारा 20.11.2001 को परिपत्र सं. 67/2001-सीमाशुल्क जारी करके हल कर लिया गया है।

कर्नाटक के गोदामों में चीनी का भंडार

951. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के खाद्य गोदामों में 1800 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य की चीनी की भारी मात्रा पड़ी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भंडार के शीघ्र वितरण हेतु कर्नाटक सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कर्नाटक राज्य में स्थित चीनी फैक्ट्रियों सहित देश की चीनी फैक्ट्रियों के पास चीनी का अत्यधिक स्टॉक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी बैंकों द्वारा साझा स्वचालित गणक मशीन

952. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत स्थित फ्रांस की बी.एन.पी. परिवास बैंक की शाखा साझेदारी के आधार पर देश के निजी क्षेत्र के यू.टी.आई. बैंक की गणक मशीनों ए.टी.एम. का उपयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार से इस संबंध में स्वीकृति प्राप्त की गई है; और

(ग) उन अन्य विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं जो साझेदारी के आधार पर भारतीय बैंकों की गणक मशीनों का उपयोग कर रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वर्तमान नीति के अनुसार ए.टी.एम. के परिचालन से पूर्व बैंकों को उनसे लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तथा अन्य बैंकों के साथ ए.टी.एम. की सहभागिता हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अत: अन्य बैंकों के साथ ए.टी.एम. की सहभागिता से संबंधित सूचना आर.बी.आई. द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

सार्वभौम बैंकिंग हेतु आई.डी.बी.आई. का प्रस्ताव

953. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सार्वभौम बैंकिंग हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) आई.डी.बी.आई. ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि यूनिवर्सल बैंक में इसके रूपांतरण के ब्यौरों का मूल्यांकन किया जा रहा है और एक बार विश्लेषण पूरा हो जाने पर वे भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करेंगे।

[हिन्दी]

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का अनुपात

954. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों विशेषकर बैंक आफ महाराष्ट्र में 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना' के क्रियान्वयन के पश्चात् वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में असमानता आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या आरक्षण नीति से संबंधित रोस्टर में उल्लिखित अनुपात के अनुसार हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्गों के कर्मचारियों की संख्या में आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ है।

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से पूर्व और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बाद की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या नीचे दी गई है:-

31.12.2000 की स्थिति के अनुसार स्टाफ की वीआरएस से पूर्व की स्थिति

संवर्ग	कुल	अनु. जा.	%	अनु. ज.जा.	%	अन्य पिछड़े वर्ग	%
अधिकारी	3913	573	14.6	223	5.7	22	.56
लिपिक	8450	1087	12.8	407	4.8	44	.52
अधी. कर्मचारी	3531	1095	31.0	307	8.6	64	1.9

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार स्टाफ की वीआरएस के बाद की स्थिति

संवर्ग	कुल	अनु. जा.	%	अनु. ज.जा.	%	अन्य पिछड़े वर्ग	%
अधिकारी	3375	557	16.5	216	6.4	18	0.5
लिपिक	7769	1073	13.8	438	5.6	47	0.6
अधी. कर्मचारी	3207	1089	33.9	292	9.1	100	3.1

(ग) सरकार स्थिति की समीक्षा/निगरानी बैंकों द्वारा भेजी गई विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर आवधिक रूप से करती है तथा जहां कमियां पाई जाती हैं, संबंधित बैंक को उपचारात्मक कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

नशीली दवाओं के तस्कर

955. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री पदम सेन चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भाग तेजी से नशीली दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की शरणस्थली बनते जा रहे हैं जैसा कि 26 अक्तूबर, 2001 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक कदम उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता और अन्य देशों के साथ अच्छी वायु सेवा से जुड़े होने के कारण दिल्ली और मुम्बई तथा चेन्नई जैसे अन्य प्रमुख महानगरीय शहर नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए सुगम्य अक्षेत्र बन गये हैं जो कि एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है।

(ख) से (ङ) नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें, समस्त नशीली दवाओं से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पार बैठकों को तिमाही आधार पर आयोजित करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

[अनुवाद]

आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना

956. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के मुख्य भू-भाग के आदिवासियों जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में रह रहे हैं, को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है और उन्हें उनको प्राप्त होने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदिवासियों के नाम क्या हैं और अनुसूचित जनजाति की सूची में उन्हें शामिल करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिम जातियों के नाम क्या हैं और क्या वर्ष 2001 की पिछली जनगणना में उनकी गणना की गयी है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक आदिम जाति की संख्या कितनी है और जीवन और संस्कृति की मुख्य धारा में अभी तक नहीं शामिल की गई आदिम जातियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इन आदिम जातियों को मुख्यधारा में लाने हेतु सरकार द्वारा और गैर-सरकारी संगठनों के स्तर पर क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) संविधान में अनुच्छेद 342 के प्रावधान के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची को अधिसूचित कर दिया गया है। तथापि इस सूची में उरांव, मुन्डा, खरिया, धानका आदि जैसे समुदाय शामिल नहीं हैं, जिन्हें मुख्य भूभाग के अन्य राज्यों में अनूसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने किसी ऐसे प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

अंडमानी, जरावा, ओंगे, सेन्टीनेलीजें, शोम, पेन समुदायों की उनके विशेष विकास के लिए आदिम जनजाति के रूप में पहचान

की गई है। वर्ष 2001 की जनगणना के दौरान इन समुदायों की गणना की गई है। तथापि, भारत के महापंजीयक ने अभी तक वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किये हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की अनुसूचित जनजातियों को अन्य क्षेत्र के स्तर तक लाने के लिए आदिवासी उपयोजना की कार्य नीति के अंतर्गत कृषि, बागवानी, पशु पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटीर तथा लघु उद्योगों के क्षेत्रों में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं

957. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु, देश में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कोई व्यापक योजना क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में इस योजना की शुरुआत के समय से अब तक कितने परिवारों को लाभ मिला है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु ऐसी योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

द्वितीय चरण के सुधार

958. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा द्वितीय चरण के कौन से प्रमुख सुधारों की सिफारिश की गई है;

(ख) इन सिफारिशें पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का अगले एक वर्ष में कौन-कौन से सुधार करने का विचार है और उसके लिए किस तरह की रणनीति बनाई गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) योजना आयोग द्वारा द्वितीय चरण के सुधारों के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आर्थिक सुधार एक सतत् जारी रहने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था की विकास वृद्धि को तीव्र करना और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाना है। इस संबंध में सरकार की विचारधारा वर्ष 2001-02 के बजट भाषण में स्पष्ट की गई है।

[हिन्दी]

कार्पोरेट घरानों को आयकर में छूट

959. श्री रामशकल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन कार्पोरेट घरानों को आयकर में छूट देने सहित अन्य विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है जो राजनीतिक दलों को चैक द्वारा पार्टी फंड के लिए धनराशि प्रदान करते हैं ताकि राजनीतिक दलों द्वारा फंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) स्व. श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता वाली राज्य चुनाव वित्त पोषण समिति ने दिनांक 14.1.1999 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राज्य चुनाव वित्त पोषण के संबंध में कुछेक सिफारिशें की थीं। कम्पनियों और निगम निकायों द्वारा दिए जाने वाले दान पर क्या कोई प्रतिबंध होना चाहिए अथवा नहीं, के प्रश्न को उक्त समिति द्वारा सरकार और संसद के सामूहिक विवेक पर छोड़ दिया गया था। इन सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने आयकर छूट देने और चेक द्वारा दान देने के संबंध में राजनीतिक दलों और अन्य संबंधितों की राय मांगी थी और अन्य मामलों को मंत्रियों के समूह को विचारार्थ सौंप दिया गया था। अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। विभिन्न निगमित घरानों को आयकर छूट देने से संबंधित मामले पर भी मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आरक्षित रिक्तियों का पिछला बकाया

960. सरदार बूटा सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में मानना होता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर मंत्रालय के समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में बकाया/अग्रेनीत रिक्त पदों का ब्यौरा क्या था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए कितनी रिक्तियों का सृजन किया गया तथा कितने पद रिक्त हुए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 20.7.2000 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/5/97-एस्ट (रिज.), खण्ड-2 के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को भरने के संबंध में 50% की अधिकतम सीमा केवल उन आरक्षित रिक्तियों पर लागू होंगी, जो चालू वर्ष के दौरान बनती हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए पूर्ववर्ती वर्षों की पिछली बकाया/अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाएगा और उस पर कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी। इसके अलावा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिनांक 20.7.2000 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

961. श्री रामानायडू दग्गुबाटि:
श्री राधा मोहन सिंह:
श्री के. येरननायडू:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसान विकास-पत्रों एवं अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के बंधक रखने में हुए आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के लिए चालू वर्ष के दौरान सी.बी.आई. द्वारा मुम्बई में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कुछ मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि शामिल है एवं मामले में शामिल अधिकारियों के बैंक-वार नाम क्या हैं; और

(ग) इस मामले में उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात में गिरावट

962. श्री नवल किशोर राय:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक वस्त्र निर्मित सामग्री का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वस्त्र उद्योग द्वारा कितनी प्रमात्रा में निर्यात किया गया है और वह कितने मूल्य का था;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात में आई गिरावट के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कारणों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) और (ख) अप्रैल-अगस्त, 2001 की अवधि के दौरान, 4358.8 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के वस्त्र निर्यात हुए जबकि वर्ष 2000 की इसी अवधि के दौरान 5263.5 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात हुए थे। इस प्रकार इनमें 17.3% की गिरावट आई।

(ग) और (घ) वस्त्र निर्यात में हाल ही में गिरावट की प्रवृत्ति आने का मुख्य कारण संयुक्त राज्य अमरीका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारी सहभागियों की अर्थव्यवस्था में मंदी आना तथा चीन, बंगलादेश आदि जैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ना है।

विद्यमान परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं जिनमें हैं:

(1) परिधान और वस्त्र निर्यातकों को निरंतरता के आधार पर कोटा प्रदान करने की दृष्टि से कोटा नीतियों की पहले आओ पहले पाओ/सिले-सिलाये परिधान हकदारी प्रणालियों के अंतर्गत अधिकांश श्रेणियों के लिए व्यापक अतिरिक्त मात्राएं खोली गई है।

(2) पारगमन की लागत और निर्यातकों के समय को कम करने के लिए कुछ श्रेणियों के लिए इएमडी/बीजी की राशि को कम किया गया है और कोटे को प्रयुक्त करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत ऐसी सभी श्रेणियों के लिए लाईसेंस की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। जिनके पास शेष वर्ष के लिए अधिशेष मात्राएं विद्यमान हैं।

(3) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी की दरों को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में वस्त्र पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र पैकेज के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध हैं:

1. वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क के ढांचे को सामान्यत: सुव्यवस्थित बनाया गया है ताकि विकास और अधिकतम मूल्य संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके।

2. 159 विशिष्ट वस्त्र और परिधान मशीनों पर सीमा शुल्क 15% से घटा कर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शटल रहित करघों सहित मशीनों की 12 मुख्य मदों पर भी प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50 हजार शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वस्त्र उद्योग को ब्याज में से 5% की प्रतिपूर्ति की सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टीयूएफएस के अंतर्गत मशीनों के लिए मूल्यूह्रास भत्ते की दर को बढ़ा कर 50% कर दिया गया है।

4. परिधानों के निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना करने के प्रयोजन से वर्ष 2001-2002 के बजट में 10 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की भी व्यवस्था की गई है।

कालीनों के निर्यात में कमी

963. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999 और 2000 के दौरान देश से कालीनों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कालीनों के निर्यात में आई इस तीव्र गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) कालीनों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कालीनों का निर्यात बढ़ाने हेतु उठाये गये कदमों में, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, विदेशों में प्रचार, डिजाइन विकास पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागेदारी बिक्री-सह-अध्ययन दलों को विदेश भेजने हेतु प्रायोजित करना और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा नई दिल्ली में भारतीय कालीन एक्सपो का वार्षिक आयोजन, शामिल है।

नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं

964. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री महेश्वर सिंह:
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ग) इन परियोजनाओं के चयन के क्या मानदण्ड हैं;

(घ) क्या ऋण राशि में वृद्धि के बावजूद नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत ऋण देने के मामलों में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत और अधिक धन उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत निधियों का राज्य-वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि नाबार्ड द्वारा जारी ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) से ऋण की मंजूरी लेने के लिए परियोजनाओं को प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। पात्र कार्यकलापों की सूचना राज्य सरकार को दी जाती है जिसके संबंध में परियोजनाओं की पहचान की जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है और नाबार्ड को इन पर विचार करने और ऋण की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) नाबार्ड राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है और परियोजना के निष्पादन में गति लाने तथा उन्हें दी गई मंजूरी का उपयोग करने के लिए उन पर दबाव डाल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है जिससे परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा और परियोजना निष्पादन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अध्यक्ष, नाबार्ड ने राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परियोजना निष्पादन में गति लाने के संबंध में विचार-विमर्श भी किया है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा आरआईडीएफ का उपयोग बढ़ाने के लिए नाबार्ड सरकारी कर्मचारियों को आरआईडीएफ और इसके उपयोग के बारे में अवगत कराने के लिए कार्यशालाएं तथा सेमीनार चला रहा है।

रसायनों का निर्यात

965. श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री एन.टी. षणमुगम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में रसायनों और औषधियों का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार रसायनों और औषधियों का निर्यात बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 11 सितम्बर, 2001 के हमलों के पश्चात् विश्व अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के कारण रसायनों के निर्यात में स्थिरता आ गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायनों तथा आकार्बनिक/कार्बनिक/कृषि रसायनों के निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मात्रा '000 किग्रा.	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा '000 किग्रा.	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा '000 किग्रा.	मूल्य (करोड़ रु. में)
औषध, भेषज एवं परिष्कृत रसायन	95492	5353	75870	6153	82097	7048
अकार्बनिक/ कार्बनिक/कृषि रसायन	425126	2222	249868	2290	469306	3249

(स्रोत: कैमेक्सिल)

(ग) और (घ) सरकार निर्यातकों को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के जरिए बाजार विकास सहायता उपलब्ध करा रही है।

(ङ) से (छ) जी, हां। 11 सितम्बर, 2001 के हमले के पश्चात् विश्व के समग्र बाजार परिदृश्य में मंदी के कारण यह संभव है कि रसायनों का निर्यात कुछ समय के लिए मंद हो जाए।

आर्थिक मंदी का वस्त्र उद्योग पर प्रभाव

966. श्री चिंतामन वनगा:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आर्थिक मंदी का वस्त्र उद्योग पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस स्थिति का सामना करने हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों (अप्रैल-सितंबर, 2001) के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में फैब्रिक के कुल उत्पादन में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई हालांकि इसी अवधि के दौरान सूती यार्न और सूती फैब्रिक के उत्पादन में मामूली गिरावट आई। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

पिछले छः महीनों के दौरान वस्त्र मदों का उत्पादन

(ग)

क्र.सं.	मद	इकाई	अप्रैल-सितंबर		प्रतिशत अंतर
			2001-02 (अ)	2000-01	
1	2	3	4	5	6
1.	कुल स्पन यार्न	मिलियन किग्रा.	1587	1587	शून्य
	(1) सूती यार्न	मिलियन किग्रा.	1124	1149	(-) 2.2
	(2) अन्य स्पन यार्न (ब्लेंडिड व 100% गैर-सूती यार्न)	मिलियन किग्रा.	463	438	5.7

1	2	3	4	5	6
2.	मानव निर्मित फिलेमेंट यार्न	मिलियन किग्रा.	474	456	3.9
3.	कुल फैब्रिक	मिलियन वर्ग मीटर	20847	20316	2.6
	(1) सूती फैब्रिक	मिलियन वर्ग मीटर	9838	9979	(-) 1.4
	(2) अन्य फैब्रिक-ब्लेंडिड 100% गैर-सूती, खादी ऊन व रेशम	मिलियन वर्ग मीटर	11009	10337	6.5

(ग) और (घ) सरकार ने वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) को प्रभावी बनाया गया है।

(2) प्रतिस्पर्द्धी निचले स्तर तक के वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए संकेन्द्रित कदम उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(3) सुसंगत तरीके से वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित व निरंतर विकास और उन्नति के साथ-साथ वस्त्र निर्यात को थ्रस्ट के लिए नीतिगत दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की गयी है।

(4) विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में ''वस्त्र पैकेज'' की घोषणा की गयी है। इनमें शामिल हैं:-

(क) 5% के रियायती सीमा शुल्क पर अनेक परिधान मशीनों के आयात की अनुमति दी गयी है।

(ख) पश्चगामी एकीकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क 5% कर दिया गया है।

(ग) विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचल मार्ग से 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी गई है।

(घ) परिधानों के निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना करने के प्रयोजन से वर्ष 2001-02 के बजट में 10 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि की भी व्यवस्था की गयी है।

(ङ) बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50% की दर से बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है।

धान का उत्पादन और खरीद

967. **कुंवर अखिलेश सिंह:**
श्री भर्तृहरि महताब:
डा. डी.वी.जी. शंकर राव:
श्री अनन्त नायक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी धान का उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत राज्य-वार धान की खरीद का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य-वार खरीदी गई धान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार में मूल्य में भारी अन्तर को ध्यान में रखते हुए और किसानों को शोषण से बचाने हेतु सरकार खरीद एजेंसियों को सारे धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निदेश देगी;

(ङ) यदि हां, तो ये निदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है;

(ज) धान की फसल के बाजार में आने से पूर्व सभी राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के नए गोदाम निर्मित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(झ) उनके निर्माण पर कितना व्यय होगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) धान के अनुमान समेकित नहीं किए जाते हैं। तथापि, चावल का उत्पादन सामान्यता धान के उत्पादन का दो तिहाई माना जाता है। 2001-02 के लिए 76.42 मिलियन टन चावल का उत्पादन होने का अनुमान है। चावल उत्पादन के अग्रिम अनुमान अखिल भारतीय आधार पर लगाए जाते हैं। अत: चावल के राज्यवार उत्पादन का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक फसल वर्ष समाप्त न हो जाए।

(ख) चूंकि वसूली प्रचालन स्वैच्छिक स्वरूप के होते हैं और किसानों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपने उत्पाद को राज्य सरकार को, भारतीय खाद्य निगम अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, बेच सकते हैं। इसलिए धान की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) 20.11.2001 की स्थिति के अनुसार राज्यवार धान की वसूली के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वसूले गए धान की मात्रा
1.	आंध्र प्रदेश	911
2.	हरियाणा	15,68,054
3.	हिमाचल प्रदेश	38
4.	मध्य प्रदेश	2971
5.	महाराष्ट्र	10,128
6.	पंजाब	94,19606
7.	राजस्थान	15,658
8.	उत्तर प्रदेश	57,990
	जोड़	110,75,356

(घ) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां उस संपूर्ण धान के स्टाक की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी करती है जो उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप होता है और जिसकी पेशकश उत्पादकों द्वारा की जाती है। तथापि, उत्पादकों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपना उत्पाद खुले बाजार में, जैसा भी उन्हें लाभकारी हो, बेच सकते हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठते।

(छ) उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (ढकी और कैप) तथा स्टाक निम्नानुसार है:-

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	ढकी हुई	कैप	जोड़
उड़ीसा			
क्षमता	5.78	0.38	6.16
उपलब्ध स्टाक	5.48	0.11	5.59
उपयोग	95%	29%	91%
आंध्र प्रदेश			
क्षमता	31.09	4.66	35.75
उपलब्ध स्टाक	29.53	3.36	32.89
उपयोग	95%	72%	92%
पश्चिम बंगाल			
क्षमता	10.55	–	10.55
उपलब्ध स्टाक	7.84	–	7.84
उपयोग	74%	–	74%
असम			
क्षमता	2.99	–	2.99
उपलब्ध स्टाक	1.56	–	1.56
उपयोग	52%	–	52%

इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को जब कभी आवश्यक समझा जाए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लेने की पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ज) और (झ) सरकार ने निर्णय लिया है कि चालू कार्यक्रमों को पूरा करने के अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण के लिए नये आबंटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की नई भण्डारण नीति के अधीन नई परियोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए 10वीं योजना हेतु अनंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें 6.78 लाख टन की भौतिक लक्ष्य और 206 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय है।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा इस्पात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना

968. श्री अरुण कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने अगले पांच वर्षों के लिए भारत से कुछ इस्पात उत्पादों के निर्यात पर कड़े पाटन-रोधी शुल्क लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को बचाने हेतु अमरीका सरकार के साथ कोई बातचीत की है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण निकाय के समक्ष अमरीकी सरकार के इन प्रावधानों को चुनौती दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार भारतीय निर्यातकों के हितों का समर्थन करती आ रही है। अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा भारत से हुए कट-टू-लेंथ कार्बन स्टील प्लेट के आयातों पर 72.49% पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर भारतीय सरकार ने अमरीका द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के खिलाफ डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय से संपर्क किया था। इस विवाद में मुद्दों की जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है और भारत सरकार द्वारा पहला अनुरोध 19 नवम्बर, 2001 को पैनल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

969. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अक्तूबर, 1999 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य आयोगों के अध्यक्ष और राज्यों के उपभोक्ता मामलों के सचिवों की बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(ख) क्या सभी राज्यों में उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सचिवों के साथ अक्तूबर, 1999 में आयोजित बैठक में निम्नलिखित मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए:-

(1) राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा तथा उनकी कार्य-प्रणाली की बारीकी से निगरानी करेगा।

(2) राज्य आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे कि जिला मंच अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करें।

(3) राज्य सरकारें राज्य आयोग एवं जिला मंचों में खाली पड़े पदों को भरेंगी।

(4) उपभोक्ता मंच यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जहां तक सम्भव हो सामान्यतौर पर मामलों को स्थगित न किया जाए।

(5) केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता मंचों के आधार पर ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक-बारगी अनुदान स्कीम के तहत मुहैया कराई गई निधियों को राज्य सरकारें रिलीज करेंगी एवं उनका उपयोग करेंगी।

(6) केन्द्र सरकार नवसृजित जिला मंचों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त अनुदान मुहैया करा सकती है।

(7) राज्य आयोगों के अध्यक्षों को विभागाध्यक्ष तथा जिला मंचों के अध्यक्षों को कार्यालय-प्रमुख घोषित किया जा सकता है।

(8) राज्य आयोगों एवं जिला मंचों के अध्यक्ष एवं सदस्य पूर्णकालिक आधार पर कार्य कर सकते हैं तथा उनके वेतन एवं भत्तों में वृद्धि की जा सकती है।

(9) राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोग शिकायतें प्राप्त होने की तारीख से उनके अन्तिम निपटान तक उन पर कार्रवाई करने के लिए एक जैसी प्रक्रिया अपनाएंगे।

(10) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों एवं जिला मंचों में अपेक्षित कर्मचारियों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य श्री एस.पी. बागला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों को दी गई छूट को वापस लेना

970. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निवेश के मामले में अनिवासी भारतीयों को दी गई छूट वापस लेने और भविष्य में उन्हें आम भारतीय के समान रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा उद्योग में रोजगार के अवसरों में कमी

971. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से कपड़ा उद्योग कृषि के बाद दूसरा पारम्परिक उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो नब्बे के दशक के आरंभ से उक्त उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं;

(ग) नब्बे के दशक के अन्त में कितने व्यक्ति उक्त उद्योग में कार्यरत थे; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त उद्योग में रोजगार के अवसरों में कमी आने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वस्त्र उद्योग से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जीविका कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या से संबंधित सही सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) के वर्ष 1992-93 और 1998-99 के उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आने वाली एककों के लिए वर्ष 1992-93 में वस्त्र उद्योग में 15.31 लाख व्यक्ति कार्यरत थे, जो वर्ष 1998-99 के दौरान बढ़कर 16.51 लाख हो गए।

मध्य प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

972. श्री नंदकुमार सिंह चौहान: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान मध्य प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को कार्य-वार और आर्थिक सहायता-वार प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास लंबित हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) वर्ष 2000-2001 के दौरान सहायता प्रदान किये गये मध्य प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों का कार्यवार तथा आर्थिक सहायता-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। प्रस्तावों के निपटान में लिया गया समय पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति, नामित प्राधिकारियों की सिफारिशों तथा क्षेत्र जहां इसे स्थापित करने का प्रस्ताव है, में परियोजना के लिए निर्धारित जरूरत पर निर्भर करता है।

विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	संगठन का नाम व पता	परियोजना का नाम	2000-2001 में निर्मुक्त राशि (रु. लाख)
1	2	3	4	5
		नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहन		
1.	भिलाई	लाइंस चैरिटेबल ट्रस्ट 62, मोती लाल नेहरू नगर, भिलाई, मध्य प्रदेश	एच.एच. के लिए विशेष स्कूल	0.19
2.	भोपाल	मेडीकेयर एण्ड रिसर्च फाउंडेशन, 172, जोन-2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल	एल.सी.पी. के लिए पुनर्वास केन्द्र	2.38
3.	भोपाल	दिग्दर्शिका इन्स्टी. ऑफ रिहैब. रिसर्च, रेड क्रॉस भवन कैंपस, शिवाजी नगर, भोपाल	एम.आर. के लिए विशेष स्कूल	3.46
4.	ग्वालियर	रामाकृष्णा आश्रम रामकृष्णपुरी, ग्वालियर	एम.एच. के लिए विशेष स्कूल	1.95
5.	इन्दौर	एम.पी. दृष्टिहीन कल्याण संघ, 33, बी/डी, इन्दौर	निम्न दृष्टि केन्द्र	0.76
6.	इन्दौर	-वही-	नियोजन सेवा	0.60
7.	इन्दौर	महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ, आत्मालोचन परिसर, ए.बी. रोड, इन्दौर	निम्न दृष्टि केन्द्र	6.04
8.	इन्दौर	-वही-	टंकण प्रशिक्षण केन्द्र	1.78
9.	इन्दौर	-वही-	शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र	4.62
10.	इन्दौर	वैल. एसो. फॉर दी डिसेबल्ड, 8, रामबाग, इन्दौर	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	0.61
11.	इन्दौर	-वही-	आफिस मैनेजमेंट	0.44
12.	इन्दौर	-वही-	नियोजन और रोजगार सेवा	1.15
13.	इन्दौर	-वही-	व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र	4.05
14.	जबलपुर	विकलांग एवं दृष्टिबाधितार्थ कल्याण संघ, एच.आई.जी. 8, तिलवाड़ा घाट, जबलपुर	दृष्टिहीन लड़कियों जे.डी.ए. कालोनी के लिए विशेष स्कूल	5.02

1	2	3	4	5
15.	मांडला	सीमा सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र, रानी दुर्गावती वार्ड, मांडला**	आदर्श मंदबुद्धि स्कूल	0.46
16.	उज्जैन	प्रेम सागर स्पेशल स्कूल, खिलचीपुर, आगरा रोड, उज्जैन	एम.आर. के लिए विशेष स्कूल	5.80
		सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता		
17.	बरवनाई	आसाग्राम ट्रस्ट, बरवानी, बरवनई	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता की योजना	12.50
18.	कटनी	इंडियन रेड क्रॉस सोसा., कटनी	–वही–	2.00
19.	रीवा	स्व. श्री जगन्नाथ शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, वनसागर कालोनी, रीवा	–वही–	2.00
20.	मंदसौर	इंडियन रेड क्रॉस सोसा., ब्रांच नीचम सिविल हास्पीटल कैंपस, मंदसौर	–वही	16.80
21.	इंदौर	वैल. एसो. फार दि ब्लाइंड, राम बाग, इन्दौर	–वही–	3.00
22.	इंदौर	एम.पी. वैल. एसो. फॉर दि ब्लाइंड 33, डी/डी, किला, मैदान, इंदौर	–वही–	3.00
23.	मंदसौर	इंडियन रेडक्रॉस सोसा., रेड क्रॉस चौराहा मऊ, नीमच रोड, मंदसौर	–वही–	6.50
24.	शहडोल	इंडियन रोड क्रॉस सोसा. शाखा शहडोल जिला कलक्टर कार्यालय, शहडोल	–वही–	15.00
25.	बिलासपुर	डी.आर.सी.एस.वी.पी. हास्पीटल कैंप, बिलासपुर	–वही–	8.00
26.	इंदौर	कृत्रिम अंग केन्द्र, स्कीम नं. 56, सै.–2, ए बी रोड, इन्दौर	–वही–	7.50
		मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण		
27.	भोपाल	अखिल भारत रचनात्मक समाज महावीर नगर, भोपाल	परामर्श केन्द्र	1.71

1	2	3	4	5
28.	भोपाल	गांधी वन ट्रस्ट, नवजीवनी श्यामला हिल्स, भोपाल	नशा मुक्ति केन्द्र	9.56
29.	भोपाल	राष्ट्रीय विदनियान मंच, भोपाल	नशा मुक्ति केन्द्र	6.91
30.	भोपाल	शांति निकेतन महिला कल्याण समिति शिवानी कामप्लेक्स, भोपाल	नशा मुक्ति केन्द्र	3.14
31.	भोपाल	शिव कल्याण एवं शिक्षण समिति एल.आई.जी.-26, हर्षवर्धन नगर, भोपाल	नशा मुक्ति केन्द्र	6.91
32.	ग्वालियर	गुरु तेगबहादुर शिक्षा समिति, ग्वालियर	परामर्श केन्द्र	2.66
33.	ग्वालियर	असेम ज्योति सांस्कृति शिक्षा परिषद्, ग्वालियर	नशा मुक्ति केन्द्र	2.37
34.	इन्दौर	इंडियन रेड क्रॉस., सोसा. प्रेम कुमारी हास्पीटल, बीयाबनी, इन्दौर	नशा मुक्ति केन्द्र	2.82
35.	नीमच	इंडियन रेड क्रॉस सोसा., नीमच	नशा मुक्ति केन्द्र	6.32
36.	उज्जैन	एसो. फार सोशल हैल्थ इन इंडिया, नगर निगम उप कार्यालय, फ्रीगंज, उज्जैन	नशा मुक्ति केन्द्र	6.52
		बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम		
37.	भोपाल	आरम्भ, एजु. एण्ड कम्यूनिटी डेव. सोसा., कारपोरेट आफिस, 53-सी, इंदिरापुरी (बी.एच.ई.एल.), रजि. आफिस, 184, भारत नगर, भोपाल	चाइल्ड लाइन परियोजना	3.00
38.	भोपाल	द भोपाल स्कूल आफ सोशल साइंसेस हबीबगंज, भोपाल	-वही-	1.13
		वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम		
39.	खारगोन	आसाग्राम ट्रस्ट, बरवानी वेस्ट निरनार, खारगोन	ओ.ए.एच.	2.15
40.	रायपुर	छत्तीसगढ़ बाल एवं वृद्ध कल्याण परिषद्, माना कैंप, रायपुर	वृद्धावस्था गृह	3.98
41.	इंदौर	कल्याण मित्र समिति, 91, हीरा नगर, इंदौर	-वही-	1.14

1	2	3	4	5
42.	सतना	प्रमोद वन आनंद धाम चित्रकूट, जानकी कुंड, सतना	वृद्धावस्था गृह	2.25
43.	उज्जैन	उज्जैनी सीनियर सिटीजन फारम, उज्जैन	वृद्धावस्था गृह	1.60
		अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान		
44.	बालाघाट	अवन्ति शिक्षा समिति, न्यू रामनगर आधार लाल तहसील, जबलपुर	शिल्प केन्द्र	1.68
45.	भींड	अशोक शिक्षा प्रसार समिति, भींड	टंकण केन्द्र	1.12
46.	भींड	शारदा महिला मंडल, बारोखारी, भींड	-वही-	1.12
47.	भोपाल	श्री श्री मां आनन्दमयी उपवन शिक्षा समिति, बैराग नगर, भोपाल	गैर-आवासीय स्कूल	3.67
48.	जबलपुर	ऐतिहासिक महिला शिक्षा समिति, ग्राम मेधी, उदना, जबलपुर	गैर-आवासीय स्कूल व शिल्प केन्द्र	3.80
49.	जबलपुर	-वही-	-वही-	4.38
50.	जबलपुर	अवन्ति शिक्षा समिति, न्यू रामन नगर, आधार लाल, तह., जबलपुर	शिल्प केन्द्र	1.68
51.	जबलपुर	गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति मिश्रा मार्किट, रांची, बस्ती	टंकण व आशुलिपि	5.07
52.	जबलपुर	नवचेतना शिक्षा समिति, 275, शक्ति नगर, गुप्तेश्वर, जबलपुर	-वही-	3.16
53.	जबलपुर	-वही-	शिल्प केन्द्र	4.10
54.	जबलपुर	न्यू विकास शिक्षा समिति, 102, रांझी बाजार, तिराहा, बालापुर	शिल्प केन्द्र	1.68
55.	जबलपुर	रंक उन्मूलन संस्थान, ग्राम पंचायत मानेगांव, चापानगर	कम्प्यूटर व शिल्प केंद्र	2.73
56.	जबलपुर	-वही-	शिल्प केन्द्र	2.40
57.	जबलपुर	सैद्धांतिक शिक्षा समिति, एच. नं. 111 माने गांव, चंपा नगर	कम्प्यूटर और टंकण और आशुलिपि केन्द्र	2.17

1	2	3	4	5
58.	जबलपुर	शशि महिला जागृति समिति, एच. नं. 19, नवनीत इन्कवे, मेन रोड, जबलपुर	टंकण व आशुलिपि व शिल्प केन्द्र	2.95
59.	जबलपुर	-वही-	-वही-	2.95
60.	जबलपुर	शिव शक्ति महिला आदिम जाति, जनजाति कल्याण समिति, संकर्षा, नटगरकेन्द्र रामपुर, छप्पर	शिल्प और आशुलिपि	3.04
61.	जबलपुर	-वही-	-वही-	3.04
62.	जबलपुर	वेद महिला मंडली, एच नं. 920, गुरुद्वारा मैदान, रांझा बस्ती	टंकण व आशुलिपि और कम्प्यूटर केन्द्र	1.94
63.	मांडला	अंकुर संस्कार एवं शिक्षा समिति, शाहपुरा निवास रोड	टंकण व आशुलिपि	1.28
64.	मांडला	-वही-	-वही-	1.01
65.	नरसिंहपुर	ज्ञानवर्धन एवं समाज उत्थान शिक्षा समिति, बार्गी कलोनी, गोटेगांव, नरसिंगपुर	शिल्प केन्द्र	5.19
66.	शिवानी	न्यू विकास शिक्षा समिति 102, रांझी बाजार, तिराहा बालापुर, जबलपुर	शिल्प केन्द्र	1.68
		अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को सहायता की योजना		
67.	भींड	ग्रामीण विकास महिला मंडल, हाउसिंग	शिल्प केन्द्र	6.65
68.	राजगढ़	गोपाल महिला मंडल, मुहल्ला पूरा	टंकण व आशुलिपि	1.14
69.	मुरैना	श्री शांति निकेतन, शिक्षा प्रसार समिति पंचन सिंह रोड, गनेशपुरा	कम्प्यूटर केन्द्र	3.71
70.	भींड	यादव महिला मंडल, दाबोह यादव गली, तह. ल्हार,	टंकण व आशुलिपि	1.14
71.	मुरैना	श्री गोपाल शिक्षण एवं समाज सेवा समिति पंचन सिंह रोड, गनेशपुरा	शिल्प केन्द्र	6.65
72.	जबलपुर	उज्जवल महिला मंडल, 1098/2, शास्त्री नगर, नागपुर रोड	टंकण व आशुलिपि	1.14

1	2	3	4	5
73.	भींड	विवेकानंद समाज कल्याण संस्थान हाउसिंग बोर्ड कालोनी, ल्हार रोड	कम्प्यूटर केन्द्र	3.71
		आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग		
74.	भींड	अशोक महिला मंडल, भींड	कमजोर वर्ग के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	3.19
75.	ग्वालियर	ग्राम भारती संस्थान, ग्वालियर	-वही-	6.82
76.	इंदौर	कोठारी इन्स्टी., इन्दौर	-वही-	11.57
77.	देवास	लवली समाज सेवा एवं शिक्षा प्रसार समिति, देवास	-वही-	1.67

चीनी का उत्पादन और खपत

973. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीनी का अतिशय उत्पादन है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चीनी का राज्य-वार उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी चीनी मिलें हैं और इनके द्वारा कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया जा रहा है;

(घ) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक कितने मीट्रिक टन चीनी का विदेशों को निर्यात किया गया;

(ङ) क्या अन्य देशों से चीनी का आयात भी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन मौसमों तथा वर्तमान मौसम, 2001-2002 के दौरान चीनी का राज्य-वार उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है। हांलाकि राज्य-वार लेवी चीनी का कोटा नियत है तथा इसका उपभोग केवल राज्य-विशेष में ही किया जाना होता है, लेकिन एक राज्य में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के संबंध में निर्मुक्त खुली बिक्री की चीनी के कोटे का उपभोग दूसरे राज्य में भी किया जा सकता है क्योंकि खुली बिक्री की चीनी के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अत: खुली बिक्री की चीनी की राज्य-वार खपत बताना संभव नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए गत तीन चीनी मौसमों तथा वर्तमान मौसम के लिए लेवी चीनी के मासिक कोटे को दर्शाने वाला विवरण-II (क और ख) संलग्न है।

(ग) 1.10.2001 को स्थिति के अनुसार, देश में 508 संस्थापित चीनी मिलें थी जिनमें से 283 मिलें सहकारी क्षेत्र में, 67 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में तथा शेष मिलें निजी क्षेत्र में थी। सहकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों ने 2000-2001 मौसम के दौरान 116.03 लाख टन (अनंतिम) चीनी का उत्पादन किया।

(घ) व्यापार जगत के अनुसार गत् मौसम 2000-2001 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान लगभग 12.50 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। वर्तमान पेराई मौसम के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) डी.जी.सी.आई. एंड एस., कोलकाता के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 30612 टन चीनी का आयात किया गया है।

(च) चीनी के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये आयात विभिन्न निजी पार्टियों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन किये गये हैं।

विवरण-I

चीनी का राज्यवार उत्पादन

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 1998-99	चीनी मौसम 1999-2000	चीनी मौसम 2000-2001 (अ)	चीनी मौसम 2001-2002 (अ) (07.10.2001 को स्थिति के अनुसार)
पंजाब	3.11	4.20	4.82	–
हरियाणा	4.03	4.77	5.83	–
राजस्थान	0.23	0.14	0.06	–
उत्तर प्रदेश	37.30	45.56	46.72	–
मध्य प्रदेश	0.82	1.03	0.97	–
गुजरात	10.25	11.41	10.65	–
महाराष्ट्र	52.67	65.03	67.19	–
बिहार	2.57	3.68	2.65	–
असम	0.04	0.04	0.03	–
उड़ीसा	0.73	0.53	0.33	–
पश्चिम बंगाल	0.05	0.03	–	–
नागालैंड	–	–	–	–
आंध्र प्रदेश	11.13	11.82	10.30	–
कर्नाटक	13.65	15.71	16.13	0.15
तमिलनाडु	17.15	17.20	17.91	0.09
पांडिचेरी	0.44	0.49	0.39	–
केरल	0.06	0.14	0.07	–
गोवा	0.20	0.15	0.16	–
अखिल भारत	154.52	181.93	184.21	0.24

(अ) - अनंतिम

विवरण-II(क)

1998, 1999, 2000 तथा 2001 के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा तथा वार्षिक त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.1.98 से 31.2.99 तक की अवधि के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा	जनवरी और फरवरी, 2000 की अवधि के लिए लेवी चीनी का संशोधित मासिक कोटा	मार्च से जून, 2000 तक की अवधि के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा	जुलाई, 2000 से 31.1.2001 तक की अवधि के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा	त्यौहार कोटा
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	28267	28267	31712	30430	7614
2.	अंडमान और निकोबार	282	282	377	377	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	366	602	809	809	94
4.	असम	9524	15687	18114	17136	2896
5.	बिहार	36707	36707	41707	40454	10078
6.	चंडीगढ़	391	391	525	158	112
7.	दादर और नागर हवेली	60	60	78	78	14
8.	दिल्ली	11973	11973	17054	12899	2316
9.	गोवा	508	508	671	541	150
10.	दमन और दीव	43	43	59	59	12
11.	गुजरात	17557	17557	20212	18035	4878
12.	हरियाणा	6996	6996	8307	7530	1924
13.	हिमाचल प्रदेश	2197	3619	4582	4330	608
14.	जम्मू और कश्मीर	3567	5404	6796	6796	868
15.	कर्नाटक	19117	19117	21860	20473	5350
16.	केरल	12368	12368	13592	12858	3600
17.	लक्षद्वीप	81	81	112	112	22
18.	मध्य प्रदेश	28127	28127	33294	32017	7536
19.	महाराष्ट्र	33550	33550	38301	33741	9014
20.	मणिपुर	782	1288	1709	1709	208
21.	मेघालय	752	1239	1651	1651	200

1	2	3	4	5	6	7
22.	मिजोरम	293	483	645	645	78
23.	नागालैंड	542	847	1140	1140	128
24.	उड़ीसा	13456	13456	15102	14741	3730
25.	पांडिचेरी	472	472	627	627	88
26.	पंजाब	8619	8619	9896	8621	2392
27.	राजस्थान	18704	18704	22372	21036	5092
28.	सिक्किम	174	287	379	379	50
29.	तमिलनाडु	23741	23741	26033	23822	6790
30.	त्रिपुरा	1173	1932	2566	2566	302
31.	उत्तर प्रदेश	59122	59122	70722	69026	15936
32.	पश्चिम बंगाल	28934	28934	33138	30326	7796
	जोड़	368445	380463	444142	415213	99950

विवरण-II (ख)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा (1.2.2001 से)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक लेवी कोटा (मीटरी टन)	वार्षिक त्यौहार कोटा* (मीटरी टन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9690	7614
2.	बिहार	20516	7527
3.	झारखंड	6948	2551
4.	चंडीगढ़	62	112
5.	दादर और नागर हवेली	48	14
6.	दिल्ली	2610	2316
7.	गोवा	120	150
8.	गुजरात	5841	4878
9.	हरियाणा	2485	1924
10.	कर्नाटक	8636	5350
11.	केरल	4103	3600
12.	मध्य प्रदेश	12441	5523
13.	छत्तीसगढ़	4512	2013
14.	महाराष्ट्र	16792	9014
15.	उड़ीसा	8707	3730
16.	पंजाब	1385	2392
17.	राजस्थान	7342	5092
18.	तमिलनाडु	10820	6790
19.	उत्तर प्रदेश	33013	15154
20.	पश्चिम बंगाल	14087	7796
21.	दमन और दीव	11	12
22.	पांडिचेरी	243	88
23.	असम	18337	2896

1	2	3	4
24.	अरुणाचल प्रदेश	834	94
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	389	74
26.	हिमाचल प्रदेश	4698	608
27.	जम्मू और कश्मीर	6962	868
28.	लक्षद्वीप	115	22
29.	मणिपुर	1763	208
30.	मेघालय	1704	200
31.	मिजोरम	666	78
32.	नागालैंड	1179	128
33.	सिक्किम	391	50
34.	त्रिपुरा	2647	302
35.	उत्तरांचल	6033	782
	जोड़	216130	99950

* टिप्पणी: सरकार ने एक नीतिगत निर्णय के रूप में पचांग वर्ष 2001 के लिए त्यौहा कोटा दुगुना कर दिया है ताकि विभिन्न त्यौहारों के लिए चीनी की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

अतिरिक्त विशेष शुल्क

974. श्री तरित बरण तोपदार:
श्री निखिलानन्द सर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान अतिरिक्त विशेष शुल्क (एस.ए.डी.) को शुल्क निर्धारण पास बुक में दर्ज न करने और क्रेडिट रेट लगाने में इसे शामिल करने की बजाए अतिरिक्त विशेष शुल्क में छूट देने के कारण 666 करोड़ रुपये के वसूल न होने वाला राजस्व घाटा उठाना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जी.आई.सी. के कर्मचारियों को आई.आर.डी.ए. में समाहित करना

975. श्री भेरूलाल मीणा:
श्री शमशेर सिंह दूलो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य बीमा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में यह प्रावधान है कि स्वायत्तशासी निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसमें कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते समय प्रतिनियुक्ति पर हैं, में स्थायी रूप से समाहित हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जी.आई.सी. और इसकी अनुषंगी कम्पनियों के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) में स्थायी रूप से खपाने हेतु दो वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है;

(घ) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और आई.आर.डी.ए. में जी.आई.सी. और इसकी अनुषंगी कम्पनियों के कर्मचारियों को खपाने में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध आई.आर.डी.ए. और सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कंपनियों पर से प्रतिबंध उठाना

976. श्री राम प्रसाद सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने हाल में भारतीय कंपनियों पर परमाणु अस्त्र कार्यक्रम के संबंध में निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध उठा लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो अमरीका के इस निर्णय से लाभान्वित होने वाली भारतीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी भी बहुत सी भारतीय कंपनियां/संस्थाएं प्रतिबंधित सूची में हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन कंपनियों/संस्थाओं को इस सूची में से हटवाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) दिनांक 01.10.2001 को फैडरल रजिस्टर की अधिसूचना में प्रकाशित एक अंतिम नियम के द्वारा अमरीका ने भारतीय कंपनियों पर लगाए गए अनेक एकपक्षीय प्रतिबंधों को हटा लिया है। प्रतिष्ठान सूची में शेष बचे प्रतिष्ठान हैं:-

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (4 प्रतिष्ठान) परमाणु ऊर्जा विभाग (3 प्रतिष्ठान और नाभिकीय रिएक्टर कार्यकलाप से जुड़े सभी प्रतिष्ठान जिसमें विद्युत संयंत्र भी शामिल है) और भारतीय आंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (8 प्रतिष्ठान)।

(ङ) सरकार ने यूएस को यह बताने के लिए प्रत्येक अवसर का उपयोग किया है कि भारत के खिलाफ लगाए गए एकपक्षीय प्रतिबंध अनुचित एवं हानिकारक हैं और इन्हें पूर्ण रूप से हटाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

977. प्रो. दुखा भगत: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व जाली चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के आधार पर अनुकम्पा के आधार पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) सेवा अवधि में मृत्यु होने के बावजूद भी कितने आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1992 से 1999 के दौरान अनुकम्पा के आधार पर 235 नियुक्तियां की गई हैं। नियुक्तियों के संबंध में मिथ्या निरूपण का कोई विशेष उदाहरण ध्यान में नहीं आया है।

(ग) कोई विशिष्ट उदाहरण ध्यान में नहीं आया है।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प परिसर की स्थापना

978. डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री राजनारायण पासी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में हस्तशिल्प परिसरों/शो-रूमों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर इन परिसरों/शो-रूमों की स्थापना की गई, उनका वर्ष-वार, स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार ऐसे अन्य स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां ऐसे और परिसरों/शो-रूमों की स्थापना किए जाने का विचार है;

(घ) हस्तशिल्प बोर्ड से ऋण या सहायता प्राप्त ऐसे शो-रूम/परिसरों की संख्या कितनी है जो अब बंद हो चुके हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) और (ख) जी हां। हस्तशिल्प शो-रूमों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, स्थान-वार और राज्य-वार स्थापित एम्पोरियमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	असम	बोरझार	रेहबरी	गुवाहाटी
2.	दिल्ली	(1) नई दिल्ली (जाकिर नगर)	–	–
		(2) –वही–		
3.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	–	–
4.	जम्मू एवं कश्मीर	–	(1) जम्मू	–
			(2) श्रीनगर	
			(3) श्रीनगर	
5.	केरल	–	त्रिवेन्द्रम	–
6.	मणिपुर	इम्फाल	–	–
7.	मिजोरम	–	लुंगई	–
8.	नागालैण्ड	दीमापुर	–	–
9.	तमिलनाडु	–	चैन्नई	चैन्नई
10.	पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	–	–
11.	गुजरात	–	–	अहमदाबाद
12.	पश्चिमी बंगाल	कोलकाता	–	–

(ग) स्थान का निर्धारण पहले से नहीं किया जाता क्योंकि नये एम्पोरियमों की स्थापना विभिन्न राज्य हस्तशिल्प निगमों/गैर-सरकारी संगठनों आदि से प्राप्त व्यवहारिक प्रस्ताव और निधियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

(घ) शून्य।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नति नीति संबंधी दिशानिर्देश

979. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पदोन्नति संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों में छूट की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंक प्रमुख पदों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के पश्चात मध्यम और वरिष्ठ स्तर के योग्य और सक्षम व्यक्तियों की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, यूको बैंक और यूनियन बैंक आफ इंडिया जैसे सरकारी क्षेत्र के कुछेक बैंकों ने अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी पात्रता मानदंडों में छूट देने हेतु सरकार की अनुमति मांगी है।

(ग) और (घ) बैंकों की कार्य पद्धति को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किए बिना श्रम शक्ति को सही आकार देने के उद्देश्य से

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) तैयार की गई थी। तथापि, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनोपरांत परिदृश्य में अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ कर्मचारियों के बीच और साथ ही अधिकारी संवर्ग के भीतर कतिपय असंतुलन पैदा हो गया है। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए अधिशेष पाकेटों से कमी वाले पाकेटों में पुन: स्थापन पैदा और सक्षम तथा अर्हता प्राप्त अधिकारियों की आवश्यकता पर आधारित पदोन्नति द्वारा अपेक्षित कर्मचारी प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों ने विभिन्न केन्द्रों पर अपनी संवर्ग-वार कर्मचारी अपेक्षा का पुनर्मूल्यांकन शुरू किया है। अन्य उपायों में परिचालनात्मक इकाइयों में कर्मचारियों के पुनर्नियोजन के उद्देश्य से प्रशासनिक टियर/नियंत्रक कार्यालयों का पुनर्गठन शाखाओं/कार्यालयों आदि के कम्प्यूटरीकरण को गति प्रदान करना शामिल है।

संस्थाओं में विकलांगों के लिए सीटों का आरक्षण

980. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सुभाष चन्द्र बोस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली जैसे कुछ शैक्षिक संस्थान इक्वल अपार्च्युनिटीज, प्रोटैक्शन आफ राईट्स एण्ड फुल पार्टीसिपेशन एक्ट, 1995 के अंतर्गत दाखिले के इच्छुक विकलांग छात्रों के लिए स्थान आरक्षित नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बात का जानकारी है कि अध्याय-6 की धारा 39 (रोजगार शीर्षक) में उल्लिखित शब्द 'सीटों' की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी निकायों में रोजगार हेतु पद के रूप में व्याख्या की गई है न कि शैक्षिक संस्थानों में सीटों के रूप में;

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय निशक्तता अधिनियम, 1996 में संशोधन के माध्यम से शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 39 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली सभी सरकारी शिक्षण संस्थाएं तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कम से कम तीन प्रतिशत सीटों का आरक्षण करेंगी। उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी उपयुक्त सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से इस प्रावधान का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

आटोमोबाइल निर्यात

981. **श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान देश से आटोमोबाइल के निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों के दौरान आटोमोबाइल निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पूरे विश्व में आर्थिक मंदी व्याप्त है। दिनांक 26 सितम्बर, 2001 से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात क्रेडिट दर में एक प्रतिशत की कमी कर दी गई है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

982. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री के. येरननायडू:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) कुल कर्मचारियों के कितने प्रतिशत द्वारा इस योजना को अपनाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकारी प्रतिष्ठानों को छोटा करने से प्रशासन में अकुशलता नहीं आएगी, क्या इस पहलु पर भी गौर किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में नोटिस, जो कि 3 महीने से कम का न हो, देने पर कोई भी सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। ये नियम अधिशेष (सरप्लस) घोषित किए गए कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प के लिए भी उपलब्ध हैं बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 15 वर्ष सेवा की हो। हालांकि सामान्यतया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है, तथापि जैसाकि वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2001 के अपने बजट भाषण में घोषणा की गई थी अधिशेष पूल में कर्मचारियों के लिए आकर्षक वी.आर.एस. पैकेज लाए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ङ) और (च) संस्थापनाओं पर परिहार्य व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकारी मशीनरी को कम किया जाना/उसे सही आकार दिया जाना है, लेकिन ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि यह काम कार्यकुशलता की कीमत पर न हो।

राज्यों द्वारा गारंटियां देना

983. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की गारंटी देने पर अंकुश लगाने की चेतावनी के बावजूद विभिन्न राज्य सरकारों ने गारंटी देना जारी रखा जिससे मार्च, 1992 से सितंबर 1999 के बीच बिलियनों रुपयों में गारंटियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा गारंटियां देने से रोकने और उनसे धन की वसूली करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि की गारंटियां दी गई हैं/बकाया हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राज्य सरकार की गारंटियों पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गारंटियों के लेने और देने के मामले में और अधिक चयनात्मकता के साथ-साथ राजकोषीय संपोषण को सुनिश्चित करने के लिए गारंटियों पर उच्चतम सीमा का निर्धारण राज्यों के लिए वांछनीय होगा। उपलब्ध सूचना के अनुसार गारंटियों पर सांविधिक सीमा लगाने वाले राज्यों में गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल है। राजस्थान और असम ने प्रशासनिक सीमा लगाई है। तमिलनाडु ने बकाया गारंटी की राशि पर गारंटी कमीशन प्रभारित किए जाने का निर्णय लिया है।

(ख) वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों के वित्त सचिवों को सूचित किया है कि विशेष प्रयोजन माध्यमों (एस.पी.वीज) जोकि राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा है तथा जिनके लिए स्पष्टत: राज्य ही जवाबदेह है, के माध्यम से ऋण उगाही के लिए संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत केन्द्र की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होनी चाहिए। राज्य बजट के लोक लेखा में प्रविष्ट तथा और आगे राज्य की समेकित निधि में शामिल एस.पी.वीज. ऋण उगाही की सामन्यतया अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) 17 प्रमुख राज्यों के लिए बकाया गारंटियों की राज्यवार राशि को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सारणी: राज्य सरकारों की गारंटियों में रुझान (बकाया)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1992 (मार्च को समाप्त)	1999 (सितम्बर को समाप्त)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश*	3633	10469
2.	असम	1008	1430
3.	बिहार	1359	525

1	2	3	4
4.	गुजरात	4514	7299
5.	हरियाणा*	1264	4119
6.	हिमाचल प्रदेश*	370	1299
7.	जम्मू एवं कश्मीर*	459	599
8.	कर्नाटक*	3057	6517
9.	केरल	1744	2866
10.	मध्य प्रदेश*	677	3485
11.	महाराष्ट्र	7351	12851
12.	उड़ीसा*	1090	2292
13.	पंजाब*	1303	7292
14.	राजस्थान*	2727	6454
15.	तमिलनाडु*	2895	4637
16.	उत्तर प्रदेश	4257	4643
17.	पश्चिम बंगाल*	2450	2680

*1999 के अतिरिक्त मूल और ब्याज अंश सहित बकाया गारंटियां

स्रोत: राज्य सरकार गारंटियों पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध)

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए कल्याण केन्द्र

984. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में विकलांगों के लिए कितने कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा विकलांगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनकी प्रगति की ताजा स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विकलांगों के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) प्रथम चरण में बिहार के 5 जिलों का नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नवादा तथा गया जिला नि:शक्त पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं और बांका, भागलपुर तथा छपरा में कार्य शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास निगम उच्चतर स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है तथा तकनीकी और उद्यमीय कौशल के उन्नयन, उनके लिए कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति तथा तैयार मालों के विपणन और लघु व्यवसाय, व्यापार, कुटीर उद्योग, कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप आदि को शुरू करने के लिए उनकी सहायता करता है। इस निगम ने अभी तक 5509 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 24.95 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया है।

(घ) से (च) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने के अंतिम चरण में है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की गुणवत्ता

985. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उपलब्ध चावल की गुणवत्ता के बारे में तमिलनाडु सरकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ की कृषि उत्पादों के रूप में घोषणा

986. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रबड़ और कॉयर को कृषि उत्पादों के रूप में घोषित करने हेतु विश्व व्यापार संगठन के समक्ष अपने बातचीत संबंधी प्रस्ताव दायर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों ने हमारे प्रयासों के लिए अपना समर्थन किया है; और

(घ) प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत ने डब्ल्यू टी ओ में जनवरी, 2001 में प्रस्तुत रबड़ और कॉयर जैसी कृषिजन्य मदों को शामिल करने के लिए कृषि संबंधी करार की उत्पाद कवरेज को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा है।

(ग) और (घ) डब्ल्यू टी ओ के कृषि संबंधी करार के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यथा-अधिदेशित कृषि में विश्व व्यापार जो वर्ष 2000 में शुरू हुआ था में आगे और उदारीकरण के लिए वार्ताएं जारी हैं। ये वार्ताएं जेनेवा में कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति के विशेष सत्रों में हो रही है जिनमें विभिन्न सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु नीति

987. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक देशों में भारत में निवेश के अवसरों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान किन-किन देशों में ऐसी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं; और

(ग) उक्तावधि के दौरान आकर्षित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) भारत में निवेश अवसरों के बारे में सूचना का प्रसार करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकृष्ट करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष चुनिंदा देशों में फिक्की तथा सी.आई.आई. जैसी उद्योग एसोसिएशनों के सहयोग में निवेश संवर्धन बैठकों/सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2000 के दौरान ऐसे कार्यक्रम आस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, न्यूजीलैंड तथा इग्लैंड में आयोजित किए गए। वर्ष 2000 के दौरान इन देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह निम्नानुसार था:-

देश	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अन्तर्वाह की राशि (करोड़ रुपये में)
आस्ट्रेलिया	33.22
जापान	681.55
फ्रांस	301.68
न्यूजीलैंड	0.06
इंग्लैंड	257.02

वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा हेरा-फेरी

988. श्री रत्तिलाल कालीदास वर्मा: क्या **वित्त मंत्री** वृक्षारोपण कंपनियों द्वारा हेरा-फेरी के बारे में 9.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1883 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स अनुभव प्लांटेशन लिमिटेड की संपत्तियों का पता लगाया गया है और उन्हें बेच दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी दावा आयुक्त की नियुक्ति की गई है;

(ङ) क्या मैसर्स ग्रीन गोल्ड एग्रोडेवेलपमेंट लिमिटेड और इसकी अन्य शाखाएं बंद होनी थीं;

(च) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या इन कंपनियों को सेबी से सूचना मिलने की तारीख से दो माह के भीतर निवेशकों को सूचना भेजनी थीं; और

(ज) यदि हां, तो सेबी द्वारा सूचना भेजने में विलंब के क्या कारण हैं और वे किस तारीख को सूचना देंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने

सूचित किया है कि मैसर्स अनुभव प्लांटेशन लिमिटेड को उच्च न्यायालय के दिनांक 23.6.2000 के आदेशों द्वारा बंद कर दिया गया है। सरकारी परिसमापक, उच्च न्यायालय, चेन्नई को कंपनी का परिसमापक नियुक्त किया गया है। न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक ने सूचित किया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों पर कंपनी की संपत्तियों को अभिज्ञात किया जा रहा है तथा बेचा जा रहा है तथा बिक्री कीमतों को सरकारी परिसमापक, उच्च न्यायालय, चेन्नई के खाते में जमा करा दिया जाता है।

(घ) जी, नहीं। न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक ने सूचित किया है कि कंपनी की सभी विक्रेय संपत्तियों के बिक जाने के पश्चात् उच्च न्यायालय एक दावा आयुक्त की नियुक्ति करेगा।

(ङ) और (च) मैसर्स ग्रीन गोल्ड एग्रो-डेवलपमेंट लिमिटेड ने सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 के उपबंधों के तहत पंजीकरण प्रदान किए जाने के लिए सेबी को आवेदन किया था। चूंकि इसने पंजीकरण की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, इसके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया तथा इस आशय की एक सूचना इसे 2 फरवरी, 2001 को भेजी गई थी। तदनुसार, विनियमों के अनुरूप इससे अपनी योजनाएं समाप्त करना तथा अपने निवेशकों को वापसी-अदायगी करना अपेक्षित था।

चूंकि इसने निवेशकों को वापसी-अदायगी के संबंध में निर्धारित रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत नहीं की, सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11ख के तहत आदेश पारित किए जिनमें इसे आदेश की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर, पेशकश की शर्तों के अनुसार निवेशकों को देय प्रतिफल सहित धन की वापसी-अदायगी करने के निर्देश दिए गए थे। चूंकि यह उक्त आदेश का अनुपालन करने में असफल रही, निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

निकाय तथा इसके प्रवर्तकों, निदेशकों इत्यादि को पांच वर्षों की अवधि के लिए पूंजी बाजार में प्रचालन करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है; सिविल/आपराधिक कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए निकाय का नाम राज्य सरकार को भेजा गया है; परिसमापन कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए कंपनी कार्य विभाग को आवश्यक सूचना भेजी गई है तथा निकाय को सेबी अधिनियम के तहत अभियोजन हेतु भी संदर्भित किया गया है।

(छ) जी, हां।

(ज) सेबी ने सूचित किया है कि उनकी ओर से कोई विलंब नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां

989. **श्री अजय सिंह चौटाला:**
श्री रामपाल सिंह:
श्री साहिब सिंह:
श्री आर.एल. जालप्पा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक और वित्तीय संस्थानों की अनुप्रयोज्य आस्तियां कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियां कितनी रहीं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बढ़ती अनुप्रयोज्य आस्तियों पर अंकुश लगाने/कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके बकाये की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को और अधिकार देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनकी वसूली कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अनुप्रयोज्य आस्तियों से संबंधित अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बैंक की देयराशियों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा वसूली नीति की तैयारी और क्रियान्वयन, सिविल न्यायालयों में मुकदमें दायर करने, ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करने, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान तथा बैंक में विभिन्न स्तरों पर अनुप्रयोज्य आस्तियों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई जैसे कई कदम उठाने के लिए कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के माध्यम से 5 करोड़ रुपए तक की अनुप्रयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए विवेकाधिकार रहित और अभेदमूलक मार्गनिर्देश तैयार किया है और बैंकों से 5 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया ऋण के लिए अपनी स्वयं की नीति तैयार करने के लिए कहा है। दिनांक 30.9.2001 तक सभी आवश्यक मामलों में पुनर्वास, एकबारगी निपटान, मुकदमा दायर करने के लिए बैंकों द्वारा प्रभावी कार्रवाई मुख्य कार्यपालकों द्वारा सुनिश्चित की जानी होती है। बैंकों से अपनी अनुप्रयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान के लिए लोक अदालत के मंच का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है और 5 लाख रुपए तक के अनुपयोज्य आस्ति खातों में बकाया शेष वाले विवादों को निपटाने के लिए इस मंच से अधिकाधिक उपयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2001 में मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। एक विधान लाने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है जो चूक के मामलों में मोचन निषेध तथा प्रतिभूति के प्रवर्तन को सुकर बनाएगा ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपनी देयराशियों की वसूली कर सकें। उधारकर्त्ताओं के बारे में बैंकों को सूचना के प्रसार के लिए ऋण सूचना ब्यूरो की स्थापना की जा रही है।

विवरण

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का नाम	मार्च 1999	मार्च 2000	मार्च 2001
1	2	3	4	5
1.	भारतीय स्टेट बैंक	14065	15246	15875
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	675	773	715
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	902	936	884
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	327	318	325
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	589	550	581
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	718	670	695
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	458	469	469
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	886	811	758
9.	इलाहाबाद बैंक	1520	1694	1821
10.	आन्ध्रा बैंक	450	457	470
11.	बैंक आफ बड़ौदा	3686	3897	4186
12.	बैंक आफ इंडिया	3034	3464	3434
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	716	717	877
14.	केनरा बैंक	2100	2015	2243
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2436	2843	3253
16.	कार्पोरेशन बैंक	368	433	485
17.	देना बैंक	858	1400	1928
18.	इंडियन बैंक	3709	3355	2359
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1441	1623	1631
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	498	528	586
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	731	777	1026
22.	पंजाब नैशनल बैंक	2832	3127	3460
23.	सिंडिकेट बैंक	1074	992	1075

1	2	3	4	5
24.	यूको बैंक	1716	1651	1284
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1536	1881	2056
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1549	1520	1411
27.	विजया बैंक	533	549	595
वित्तीय संस्थाएं				
1.	आई डी बी आई	6490	7675	8370
2.	आई सी आई सी आई	3623	3959	2982
3.	आई एफ सी आई	4231	4103	3897
4.	आई आई बी आई	480	658	625
5.	एक्जिम बैंक	–	374	407
6.	सिडबी	193	197	174

बिहार में उद्योगों की स्थापना

990. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की उपलब्धता के बावजूद उद्योगपति बिहार में उद्योगों की स्थापना करने से सहमे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या सरकार ने बिहार सरकार के साथ इन समस्याओं पर चर्चा की है और राज्य सरकार से उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए कहा है;

(ङ) यदि हां, तो बिहार सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा बिहार में पर्याप्त औद्योगिक विकास के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (च) राज्यों में औद्योगिक विकास और साथ ही समुचित निवेश वातावरण बनाने की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की है। बिहार सरकार ने जेवियर लेबर रिलेशन्स इन्स्टिट्यूट (एक्स एल आर आई), जमशेदपुर को बिहार में निवेश की अपेक्षाकृत धीमी गति के कारणों का पता लगाने से संबंधित कार्य सौंपा है। इस संबंध में दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव निम्न प्रकार हैं:-

(1) अच्छे प्रशासन के लिए पणधारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(2) अप्रवासी बिहारियों (एन आर बी) को बिहार में निवेश करने के लिए आकर्षित करना।

(3) प्रत्येक जिले (अर्थात् नया पटना, नया बेगूसराय, नया रांची और नया धनबाद) में कम से कम दो उत्कृष्ट केन्द्रों की तीव्र गति से स्थापना करना।

(4) बैंचमार्क और अच्छी नीतियां अपनाना।

(5) ऐसी कुछ उत्कृष्ट कंपनियों/संगठनों की स्थापना करना जो भारतीय उद्यमियों सहित विश्व के लिए ''शो-केस'' बन सके।

यह बिहार सरकार का दायित्व है कि अध्ययन में दी गई सिफारिशों, यदि व्यवहार्य पाई जायें, का क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

बीड़ियों का निर्यात

991. श्री अबुल हसनत खां: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशों को देश-वार कितनी मात्रा और मूल्य की बीड़ियों का निर्यात किया गया; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में बीड़ी के निर्यात की मात्रा, मूल्य और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
1998-99	998	7.58
1999-2000	1174	8.69
2000-01	962	7.43
2001-02 (अप्रैल-सितम्बर)	426	3.13

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय और तम्बाकू बोर्ड देश-वार निर्यात के ब्यौरे इस प्रकार है:-

भारत से बीड़ी का क्षेत्रवार निर्यात

(मात्रा टनों में, मूल्य लाख रुपए में)

	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
एशिया						
अफगानिस्तान	44	95.56	56	129.39	66	162.77
जापान	ए	3.95	ए	0.94	1	23.56
मलेशिया	12	41.97	10	4275	15	72.27
नेपाल	1	0.74	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
फिलिपीन्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	ए	0.12
श्रीलंका	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सिंगापुर	31	132.10	68	252.75	27	114.75
दक्षिण कोरिया	ए	1.22	1	2.42	शून्य	शून्य
कुल	88	275.54	135	428.25	109	373.47
अमेरिका						
अर्जेंटीना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	ए	0.41

1	2	3	4	5	6	7
ब्राजील	शून्य	शून्य	ए	1.21	शून्य	शून्य
कनाडा	ए	2.52	ए	5.25	4	13.02
मैक्सिको	2	5.81	शून्य	शून्य	10	28.51
यूएसए	47	166.88	31	100.22	8	47.36
वेस्टइंडीज	3	12.3	ए	2.84	ए	0.89
कुल	52	187.51	31	109.52	22	90.19
मध्य-पूर्व						
बहरीन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	18	61.98
जार्डन	16	54.17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुवैत	10	31.83	13	41.16	16	56.13
ओमान	18	59.59	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
यू.ए.ई.	709	2155.05	932	2889.94	634	2178.87
सऊदी अरब	50	155.55	2	2.19	शून्य	शून्य
यमन	30	90.19	54	216.27	153	507.52
कुल	833	2546.38	1001	3154.56	821	2804.50
पश्चिमी यूरोप						
फ्रांस	ए	0.18	ए	2.75	ए	2.08
जर्मनी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नीदरलैंड	ए	0.78	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुर्तगाल	शून्य	शून्य	ए	0.08	ए	0.21
स्विटजरलैंड	5	10.33	5	17.62	9	21.90
यू.के.	शून्य	शून्य	ए	0.06	शून्य	शून्य
कुल	5	11.29	5	20.51	9	24.19
आस्ट्रेलिया						
आस्ट्रेलिया	1	6.51	1	1.92	1	1.70
कुल	1	6.51	1	1.92	1	1.70

1	2	3	4	5	6	7
अफ्रीका						
जिबूती	19	42.34	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दक्षिण अफ्रीका	ए	0.07	1	3.13	ए	1.83
कुल	ए	0.07	1	3.13	ए	1.83
कुल योग	998	3069.64	1174	3717.89	962	3295.88

वर्ष 2001-2002 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान देशवार बीडी का निर्यात

(मात्रा टनों में, मूल्य लाख रुपये में)

देश	अप्रैल-सितम्बर, 2000		अप्रैल-सितम्बर, 2001	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
आस्ट्रेलिया	1	1.70	शून्य	शून्य
अर्जेन्टीना	शून्य	शून्य	ए	0.81
अफगानिस्तान	33	79.17	33	84.16
कनाडा	ए	0.64	शून्य	शून्य
फ्रांस	ए	2.08	1	2.17
जेनेवा	शून्य	शून्य	2	3.23
जापान	ए	8.72	ए	1.93
कुवैत	10	34.37	5	17.79
मलेशिया	7	27.10	6	23.12
मैक्सिको	9	21.25	शून्य	शून्य
न्यूजीलैंड	शून्य	शून्य	1	3.40
रियूनियन	ए	0.89	शून्य	शून्य
स्विटजरलैंड	5	9.97	4	13.12
सऊदी अरब	शून्य	शून्य	17	6.31
दक्षिण अफ्रीका	ए	0.54	ए	0.29
दक्षिण अमेरिका	शून्य	शून्य	2	5.11

1	2	3	4	5
सिंगापुर	9	40.42	20	76.42
यूएसए	4	27.64	4	11.97
यूएई	235	797.99	277	1030.27
वेस्टइंडीज	शून्य	शून्य	1	5.34
यमन	60	200.74	53	183.31
कुल	373	1253.22	426	1468.75

निर्यात प्रतिबद्धता

992. डा. वी. सरोजा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बंद हो चुकी सभी फार्मों की निर्यात प्रतिबद्धता की अवधि मार्च, 2001 तक बढ़ाकर एक ब्लैंक एमनेस्टी योजना अधिसूचित की थी यद्यपि विधि मंत्रालय ने अधीनस्थ कानून के अंकेक्षण के परे ऐसी कार्रवाई की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बंद हो चुकी ऐसी फार्मों से वसूली की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) वास्तविक चूक के लिए निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि दिनांक 1.4.1992 को तथा बाद में जारी अग्रिम लाइसेंसों और इ.पी.सी.जी. लाइसेंसों के बारे में बैंक गारंटी के निष्पादन के आधार पर दिनांक 6 अप्रैल, 1999 की सार्वजनिक सूचना सं. 5 (आरई-99)/1997-2002 द्वारा प्रदान की गई थी। हालांकि अग्रिम लाइसेंस के लिए यह वृद्धि लागू हो गई है, लेकिन ई.पी.सी.जी. लाइसेंसों के लिए यह लागू नहीं की जा सकी क्योंकि विधि मंत्रालय ने बतलाया था कि निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के तहत जारी किए गए उन लाइसैंसों के बारे में भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दी जा सकती है जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए वित्त विधेयक, 2001 में संशोधन किया गया था और ई.पी.सी.जी. स्कीम में भी यह वृद्धि लागू की गई थी। जिन मामलों में लाइसेंसधारकों ने उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के तहत यह सुविधा प्राप्त नहीं की है, उन मामलों में न्यायिक कार्रवाई शुरू की गई है। इसी प्रकार जिन मामलों में निर्धारित अवधि तक निर्यात दायित्व पूरा नहीं हुआ है, वहां बैंक गारंटियां लागू करके राजस्व को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

शहरी सहकारी बैंक

993. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वित्त मंत्री** 23.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4059 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने धर्मार्थ निधि के वितरण के बारे में दिनांक 3.8.1992 को परिपत्र संख्या यू.बी.टी./योजना-1/यू.बी.-6/92-93 और दिनांक 19.01.1996 को परिपत्र संख्या यू.बी.डी./योजना/आर.सी.एस./13.09.72.00/95-96 जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दोनों परिपत्रों के जारी होने के पूर्व शहरी सहकारी बैंक गत वर्ष के अपने घोषित मुनाफे की बीस प्रतिशत धनराशि किसी धर्मार्थ निधि अथवा किसी अन्य निधि को दान दे सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोनों परिपत्र वापस लेने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय संसाधन गंवाए न जाएं, शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने, विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, 3 अगस्त, 1992 के अपने

प्रथम परिपत्र के तहत शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दान पर पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित की। इन बैंकों को राष्ट्रीय निधियों और राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/प्रायोजित अन्य निधियों में दान देने की भी अनुमति इस शर्त के साथ दी गई थी कि वर्ष के दौरान कुल दान पिछले वर्ष के प्रकाशित लाभ के 2 प्रतिशत से अधिक न हो। इन बैंकों और उनके परिसंघों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को देखते हुए वर्ष 1996 में इस नीति की समीक्षा की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए 19 जनवरी, 1996 में दूसरा परिपत्र जारी किया गया था जिसमें अनुपयोज्य आस्तियों और निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान आरक्षित निधि में निवल लाभ के कम से कम एक चौथाई हिस्से का अंतरण और संबंधित सहकारी समिति अधिनियम/इसके उप नियम द्वारा यथापेक्षित अन्य आरक्षित निधियों और प्रावधानों जैसे विभिन्न छूटों का वर्णन किया गया था। इस परिपत्र को जारी करने के पीछे उद्देश्य अच्छी हालत वाले शहरी सहकारी बैंकों को अपने लाभप्रदता पर जोर डाले बिना चैरिटेबल उद्देश्यों में दान देने को अनुमति प्रदान करना था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन परिपत्रों को जारी किए जाने से पूर्व शहरी सहकारी बैंक, इस संबंध में, अपने-अपने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम में दिए गए मार्गनिर्देशों से ही नियंत्रित होते थे और दान की राशि को संबंधित पूर्वोक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रतिबंधित करना पड़ता था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत को जर्मन सहायता

994. श्री पद्मसेन चौधरी:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी ने जर्मन चांसलर की हाल की यात्रा के दौरान भारत को 670 करोड़ रुपए की सहायता का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें सहायता का निवेश किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) इस सहायता का उपयोग निम्नलिखित परियोजनाओं में किया जाना है:-

1. 140 मेगावाट इंटेग्रेटिड सोलर कम्बाईन्ड साईकल पावर प्रोजेक्ट, मथानिया, राजस्थान,—ड्यूश मार्क 250 मिलियन (ऋण)। यह परियोजना गैर-जीवाश्म ईंधन पावर स्रोतों के प्रयोग का संवर्धन करेगी तथा राजस्थान में विद्युत आपूर्ति की समग्र कमी को घटाएगी।

2. पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम—20 मिलियन ड्यूश मार्क (अनुदान)। इस राशि का उपयोग पोलियो का टीका द्रव्य, कोल्ड चेन उपस्कर के आयात और 0-5 वर्ष के संवेदनशील आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो टीका द्रव्य देने हेतु अन्य आकस्मिकताओं के लिए किया जाएगा।

3. उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-VII—40 मिलियन ड्यूश मार्क (ऋण)। यह सहायता व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक मुरिएट आफ पोटाश (एमओपी) के लगभग 2 लाख मी. टन का आयात करने के लिए है।

4. ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना, राजस्थान, (पूरक) - 10 मिलियन ड्यूश मार्क (अनुदान)। यह राशि राजस्थान में चल रहे एकीकृत ग्रामीण जलापूर्ति, स्वच्छता और सामुदायिक प्रतिभागिता कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त सहायता है, जिसका उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य स्थिति और सामान्य रहन-सहन में सुधार लाना है।

[अनुवाद]

एचएमटी हेतु पुनर्वास उपाय

995. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घाटा उठाने वाले एचएमटी लि. हेतु पुनर्वास उपाय लागू किये थे;

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास उपाय शुरू करने के बाद पहले वर्ष में एचएमटी और इसकी अनुषंगी कंपनियों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा; और

(ग) एचएमटी की प्रत्येक यूनिट के पुनर्वास पर कितनी धनराशि खर्च की गई।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां। सरकार ने एटएमटी लि.

के लिए एक टर्नअराउण्ड योजना अमुमोदित कर दी थी जिसमें वित्तीय और संगठनात्मक पुनर्संरचना, जनशक्ति का युक्तिकरण तथा इक्विटी के नये निवेश की परिकल्पना की गई थी। एचएमटी लि. द्वारा टर्नअराउन्ड योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही कंपनी को वित्तीय सहायता मुहैया करा दी है।

(ख) वर्ष 2000-2001 में एचएमटी तथा इसकी सहायिकाओं का निष्पादन निम्नानुसार था:

(रुपये करोड़ में)

कंपनी	टर्नओवर	शुद्ध लाभ/हानि
एचएमटी लि. (ट्रैक्टर प्रभाग सहित धारक कंपनी)	305.23	24.41
एचएमटी मशीन टूल्स लि.	190.70	-96.17
एचएमटी वाचिज लि.	126.23	-59.18
एचएमटी चिनार वाचिज लि.	1.94	-7.95
एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.*	46.01	0.41
एचएमटी वेयरिंग लि.*	47.50	2.21

* इन अनुषंगी कंपनियों में पुनर्वास के उपाय आरंभ नहीं हुए हैं क्योंकि ये पहले से ही लाभ अर्जित कर रही हैं।

(ग) सरकार ने डिबेंचरों के भुगतान/वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बकायों का भुगतान करने के लिए 250 करोड़ रुपये की नई इक्विटी और 7.20 करोड़ रुपये की योजना इक्विटी तथा बकाया सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए (जिसमें 15.10 करोड़ रुपये की सहमति हो गई है)। पूंजीगत व्यय और 39.70 करोड़ रुपये के बकाया ऋण को इक्विटी में बदलने और उस पर बने 12.74 करोड़ रुपये के संचित ब्याज को त्यागने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी सहित 469 करोड़ रुपये के बांड वीआरएस के लिए, की गारंटी मुहैया कराई गई है। इसके अलावा इसकी वाच बिजनेस ग्रुप के लिए 40.43 करोड़ रुपये के बांड कार्यशील पूंजी को बढ़ाने और श्रीनगर वाच फैक्ट्री के कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए 17.35 करोड़ रुपये (अनुदान सहायता के रूप में) की बजटीय सहायता की गारंटी एचएमटी को दी गई है। एचएमटी लि. (धारक कंपनी) ने इसके बदले उनकी संबंधित सहायिकाओं/इकाईयों को उपरोक्त निधियां/सहायता आबंटित की है।

[हिन्दी]

छोटे कृषकों को ऋण

996. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कृषकों को चौंसठ हजार करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है जैसाकि दिनांक 22 सितम्बर, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस ऋण का अनुपात क्या होगा जो छोटे, मंझोले और बड़े कृषकों को प्रदान किया जाएगा और ऋण के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीमांत और मंझोले कृषकों को सरकार का क्या अन्य सुविधाएं देने का विचार है और उक्त सुविधाओं के कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वित्त मंत्री ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में यह जिक्र किया है कि संस्थागत चैनलों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को कुल ऋण के प्रवाह के वर्ष 2001-2002 के दौरान बढ़कर 64000 करोड़ रुपए हो जाने की उम्मीद है। लघु, मझौले और बड़े फर्मों को ऋण प्रदान करने हेतु कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। इस संबंध में अलग से कोई मार्गनिर्देश भी जारी नहीं किया गया है और बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के विद्यमान मार्गनिदेशों के अंतर्गत ऋण के प्रवाह का यह स्तर प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) मार्जिन राशि अपेक्षाओं, प्रतिभूति मानदण्डों आदि के संबंध में कतिपय छूट देकर भारतीय रिजर्व बैंक लघु और सीमांतिक किसानों को ऋण के प्रवाह में मजबूती लाने के लिए विभिन्न उपाय करता रहा है। इनमें 10,000 रुपए तक किसानों को दिए जाने वाले फसल ऋणों/सावधि ऋणों के लिए मार्जिन राशि पर बैंकों द्वारा जोर न दिया जाना, 10,000 रुपए तक के फसल ऋण के लिए सम्पार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारन्टी पर बैंकों द्वारा जोर न दिया जाना, 10,000 रुपए से अधिक के ऋणों पर मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित मामलों में बैंकों को विवेकाधिकार; नियत

ऋण/किस्तों की वापसी-अदायगी के समय ही ब्याज के भुगतान पर जोर देना, सावधि ऋणों के संबंध में अदेय चालू देयराशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाना, अल्पावधि अग्रिम के मामले में ऋण पर कुल ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारत सरकार के पुराने मुद्रणालय

997. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के अधिकतर मुद्रणालयों में पुरानी प्रौद्योगिकी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनकी औसतन उपयोगिता क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार बदलती प्रौद्योगिकी के साथ उन्हें आधुनिक बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार मुद्रणालयों में आधुनिक और पुरानी प्रौद्योगिकी का मिश्रम है। करेंसी नोट प्रेस, (सी.एन.पी.) नासिक का हाल ही में आधुनिकीकरण किया गया है। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आई.एस.पी.), नासिक का काफी हद तक आधुनिकीकरण कर दिया गया है और यह प्रक्रिया अभी जारी है। प्रतिभूति मुद्रणालय (एस.पी.पी.), हैदराबाद, में भी पुरानी प्रौद्योगिकी नहीं हैं। तथापि, बैंक नोट प्रेस, देवास, में उपयोग में लाई जा रही पांच लाइनों में से उत्पादन की केवल दो आधुनिक लाइनें हैं, जिन्हें 1997-98 के दौरान प्रतिस्थापित किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक नोट प्रेस में तीन पुरानी लाइनों का औसत क्षमता उपयोग लगभग 50 प्रतिशत रहा है।

(ग) से (ङ) सरकारी मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण एक निरंतर और जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बैंक नोट प्रेस, देवास में उत्पादन की एक पुरानी लाइन के स्थान पर उच्च तकनीकी की आधुनिक लाईन लगाने के लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, देश में सुरक्षा मदों/बैंक नोटों की मांग के आधार पर, अन्य तीन मुद्रणालयों का भी और आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा चरणबद्ध तरीके से पुरानी मशीनों के स्थान पर नवीनतम आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं।

विदेशी बैंकों का मुनाफा

998. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में काम करने वाले विदेशी बैंकों को भारी मुनाफा मिल रहा है जबकि भारत के कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक दिवालिया होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत में कितने विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, उनका वार्षिक कारोबार और मुनाफा कितना है; और

(घ) भारतीय बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत में शाखाएं चला रहे 42 विदेशी बैंकों में से 11 बैंकों ने निवल घाटा उठाया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों ने परिचालन लाभ अर्जित किया था और 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार इनमें से सिर्फ दो बैंकों ने निवल हानि उठाई है। सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों में से सिर्फ 2 बैंकों ने 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त नहीं किया। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक दिवालिएपन के कगार पर नहीं हैं।

(ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 42 विदेशी बैंक भारत में अपनी शाखाएं परिचालित कर रहे हैं और वर्ष 2000-2001 के लिए उनकी जमाराशि/अग्रिम और लाभ/हानि निम्नानुसार है:-

जमाराशियां	-	35763.42 करोड़ रुपए
अग्रिम	-	42996.52 करोड़ रुपए
लाभ/हानि	-	1096.54 करोड़ रुपए

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने कार्यकरण में सुधार लाने तथा अपनी लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं जिनमें उनके शाखा नेटवर्क का युक्तियुक्तकरण, अंचल कार्यालयों की समाप्ति, अनुपयोज्य आस्तियों में कमी, अपनी जमाराशि लागत में कमी करना, उत्पादकता में वृद्धि करना आदि शामिल हैं।

कर विवाद समाधान योजना

999. श्री विकास चौधरी:
श्री सुबोध राय:
डा. अशोक पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर विवाद समाधान योजना कर प्रशासन के सरलीकरण और राजकोषीय महत्व के राजस्व में सुधार लाने के अपने उद्देश्य में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 1 सितंबर, 1999 की स्थिति के अनुसार 22 कमिश्नरियों के तहत् 3205 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के 21134 मामले लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो कर विवाद समाधान योजना के तहत कितने मामले निपटाये गए और कितनी धनराशि वसूल की गई;

(घ) इस योजना की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) जी, नहीं। कर विवाद समाधान योजना को कर प्रशासन की कठिनाईयों को दूर करने और राजस्व उगाही के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी हद तक सफलता मिली जो कि इस बात से स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अंतर्गत 738.74 करोड़ रुपये की कर राशि की वसूली की गई और 33,918 विवादों का निपटारा किया गया तथा इसी प्रकार, अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अंतर्गत विभिन्न न्यायनिर्णय/अपीलीय प्राधिकारियों अथवा न्यायालयों के समक्ष अनिर्णित पड़े 11,159 विवादों का निपटान किया गया और 643.80 करोड़ रुपये की राशि के करों की वसूली की गई। कुल मिलाकर, प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों और अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों दोनों के अंतर्गत 45,000 विवादों का निपटारा किया गया था। इस योजना की वर्ष 1998 के बजट में घोषणा की गई थी और यह केवल 1.9.1998 से 31.1.1999 तक ही सीमित अवधि में लागू रही थी।

भुवनेश्वर में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण और पुनर्वास संस्थान की शाखा

1000. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बड़ी संख्या में शारीरिक रूप से विकलांग और दुर्घटना के शिकार रोगियों की सुविधा के लिए ओलतपुर में विद्यमान एक संस्थान के अतिरिक्त भुवनेश्वर अथवा इसके निकट राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण और पुनर्वास संस्थान की शाखा स्थापित करने की मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रोगियों के लाभ के लिए ओलतपुर में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रशिक्षण और पुनर्वास संस्थान केन्द्र को आधुनिक उपकरण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सरकार का भुवनेश्वर या अन्य कहीं एन.आई.आर.टी.ए.आर. की कोई शाखा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एन.आई.आर.टी.आर. की अवसंरचनात्मक सुविधाओं में चलन संबंधी विकलांगता के उपचार के लिए आवश्यक आधुनिक फिजियाथैरेपी उपकरण, दो सुसज्जित आपरेशन थिएटर और 100 बिस्तरों वाली अन्तरंग रोगी सुविधा शामिल है। संस्थान में विकिरण-चिकित्सीय और रोगात्मक जांच-पड़ताल के लिए सहायक सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

सुपर बाजार में कुप्रबंधन

1001. श्री प्रबोध पण्डा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय पंजीयक द्वारा बहुराष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 69 के तहत दिल्ली में कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा निदेशक मंडल और प्रशासन दोनों में सुपर बाजार की वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन के बारे में जांच कराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो की गई जांच निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उत्तरदायी कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां। सुपर

बाजार के कार्यों की जांच बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 69 तथा 73 के तहत सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा की गई थी।

(ख) सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक ने जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था। उसके पश्चात् सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम की धारा 73(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुपर बाजार के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस.एस. धुरी को घाटे के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा आदेश दिया कि कानून के अनुसार उनसे जनवरी, 1999 से 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज सहित 24,45,780.00 रु. की राशि वसूल की जाए। श्री धुरी के अतिरिक्त, तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री सुरेन्दर गांधी एवं निदेशक मंडल के तत्कालीन सदस्य श्री आर.पी. माहेश्वरी को भी पूर्व अध्यक्ष श्री एस.एस. धुरी के साथ घाटा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उनके पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से जनवरी, 1999 से 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज सहित 24,45,780.00 रु. के घाटे को पूरा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। केन्द्रीय पंजीयक ने सुपर बाजार को उपर्युक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार वसूली की कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया है।

[हिन्दी]

कृषि-उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध

1002. श्री मानसिंह पटेल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार यह नीति देश के लिए लाभदायक है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसा प्रतिबंध हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, नहीं। देश से कृषिजन्य उत्पादों के निर्यात पर कोई आम प्रतिबंध नहीं है। कुछेक ऐसी मदों जो या तो लाइसेंसिंग अपेक्षाओं अथवा मात्रात्मक उच्चतम सीमाओं के अधीन हैं अथवा जिनके निर्यात की अनुमति कतिपय निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए दी जाती है, को छोड़कर, अधिकांश कृषिजन्य उत्पादों का निर्यात मुक्त है। धान (भूसी युक्त), 5 किग्रा. से अधिक की पैंकिंग में दालें, कतिपय किस्मों के बीज, चावल ब्रान (कच्चा और उबला हुआ), चारा, तेलरहित मूंगफली की खली इत्यादि जैसे किसी उत्पादों के निर्यात की अनुमति लाइसेंस के अंतर्गत दी जाती है। प्याज, रामतिल, गम कराया इत्यादि के निर्यात की अनुमति कतिपय निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए दी जाती है। गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, रागी, जवार इत्यादि अनाज और आटा मात्रात्मक सीमा के अधीन है। कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु सरकार की नीति में मुख्य रूप से देश की खाद्य सुरक्षा, कृषि आय को अधिकतम बनाने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के विचारों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है और कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से जब कभी आवश्यक समझा जाता है, तो नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं। चालू वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार ने चीनी और गेहूं के उत्पादों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया है।

[अनुवाद]

बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड

1003. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के स्थान पर अपने-अपने भर्ती बोर्ड स्थापित करने के संबंध में अब तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2001-2002 में की गई घोषणा के अनुसरण में 15 बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों में से 13 को पहले ही समाप्त किया जा चुका है। बैंकों से कहा गया है कि वे भविष्य की अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने-अपने बोर्डों के अनुमोदन से अपनी स्वयं की भर्ती नीति तैयार करें। तथापि, ऐसी नीति तैयार करते समय बैंकों से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि भर्ती नीति पारदर्शी हो, चयन उचित, न्यायपूर्ण, वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रहरहित हो तथा चयन समितियों में अ.जा./अ.ज.जा. और

अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए आदि। बैंकों से यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार पात्रता मानदंडों, शुल्कों और अधिकतम अंकों में रियायतों के साथ अ.जा./अ.ज.जा. अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांगों के लिए पदों के आरक्षण का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

आयकर विभाग का पुनर्गठन

1004. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुणात्मक परिवर्तन लाने की दृष्टि से आयकर विभाग का पुनर्गठन करने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग का विचार कर का दायरा बढ़ाने हेतु गली-कूचों की निर्देशिका तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी निर्देशिकाएं कब तक तैयार हो जाएंगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। अभी हाल ही में आयकर विभाग का पुनर्गठन, विभाग की उत्पादकता को बढ़ाने के विचार से प्रौद्योगिकी को लागू करके, कार्यात्मक विशिष्टीकरण के द्वारा व्यावसायिक प्रक्रिया का पुनर्रूपांकन करके तथा मानवशक्ति का सही आकार प्रस्तुत करते हुए किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। आयकर विभाग गली-कूचों की निर्देशिकाएं तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। प्रस्तावित गली-कूचों की निर्देशिका किसी विशेष स्थान के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/आवासों का एक रिकार्ड होगी और सूचना को किसी जांच के लिए संदर्भ बिन्दु होगी। ये गली-कूचों की निर्देशिकाएं कर के दायरे को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगी।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का निवेश

1005. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में अपना निवेश बढ़ाने के लिए योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह निवेश किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा और इस निवेश का किन-किन क्षेत्रों में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ परियोजनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की भारत में सक्रिय रूप से निवेश करने की योजना है। निवेश की मात्रा उचित निवेश अवसरों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मुख्यत: वित्तीय बाजार विकास, प्राइवेट अवसंरचना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग और सेवाओ को सहायता प्रदान करने हेतु निवेश करेगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निवेश हेतु परियोजनाओं का पता लगाता है तथा सरकार परियोजनाओं की पहचान करने में हिस्सा नहीं लेती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पावरलूम का बंद किया जाना

1006. श्री जे.एस. बराड़: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई पावरलूम बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में विशेषकर तमिलनाडु में पावरलूम के बंद हो जाने के कारण कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए और वस्त्रों के उत्पादन में कितनी क्षति हुई तथा विदेशी मुद्रा के अर्जन में कितनी कमी आयी है; और

(घ) देश में विशेषकर तमिलनाडु में पावरलूम के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) से (ग) विद्युतकरघा एककों के बंद होने के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पंजीकृत विद्युतकरघों की संख्या में

वृद्धि हुई है और उसके परिणामस्वरूप अनुमानित रोजगार भी बढ़ा है। वर्ष 1997-98 से 31.10.2001 तक पंजीकृत विद्युतकरघों की संख्या 15.23 लाख से बढ़कर 16.66 लाख हो गई है और अनुमानित रोजगार 38.08 लाख व्यक्ति से बढ़ कर 41.65 लाख व्यक्ति हो गया है। तमिलनाडु से संबंधित आंकड़े भी इसी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। इस अवधि के दौरान तमिलनाडु में पंजीकृत करघों की संख्या 2.81 लाख से बढ़कर 3.19 लाख हो गई और अनुमानित रोजगार 7.03 लाख व्यक्ति से बढ़ कर 7.08 लाख व्यक्ति हो गया है।

(घ) सरकार ने विद्युतकरघा के विकास को सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ हैं:

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत विद्युतकरघा सहित वस्त्र और पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण लेने की लागत को कम कर दिया गया है।

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन से विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों 2.5 लाख अर्ध स्वचालित और स्वचालित करघों को शामिल करने का कार्यक्रम।

(3) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पीएससी) के करघों का उन्नयन करके उनका आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम ताकि आधुनिकीकृत उपस्कर को चलाने के लिए विद्युतकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके और उनका कौशल बढ़ाया जा सके।

(4) विद्युतकरघा उत्पादन में डिजाइन में आदानों से मूल्य संवर्द्धन करने के लिए विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र की योजना।

(5) विद्युतकरघा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विद्युतकरघा निर्यात हकदारी (पीईई) कोटा प्रदान किया गया है। वर्ष 2000-04 के लिए नई कोटा नीति में पी.ई.ई. कोटे को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को बोनस का भुगतान

1007. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गेहूं के प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर बोनस का भुगतान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय से कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) इस निर्णय की घोषणा के बाद कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(ङ) उक्त घोषणा के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम कितनी मात्रा में अतिरिक्त खाद्यान्नों की खरीद कर पाया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपुर्यक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

अखबारी कागज का आयात

1008. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज का वर्षवार कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार विशेषकर प्रिंट मीडिया द्वारा अखबारी कागज की खपत कितनी रही; और

(ग) देश में अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आयातित अखबारी कागज की मात्रा निम्नानुसार है:

–

(मात्रा टन में)

1998-99	1999-2000	2000-2001(अ)
456483	439441	442444

(अ) अनंतिम, स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकत्ता

(ख) वर्ष 1995 से वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा अखबारी कागज का आयात मुक्त रूप से किया जा रहा है, अद्यतन खपत संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) अखबारी कागज के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) स्थान निर्धारण नीति के अधीन अखबारी कागज उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(2) अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(3) अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु लुग्दी पर कोई सीमाशुल्क नहीं है।

(4) अखबारी कागज की स्वदेशी उपलब्धता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऐसी कागज मिलों, जो बीआईएश मानकों के अनुरूप अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं, को अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाली मिलों के रूप में घोषित करते हुए उन्हें अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची-I में रखा गया है।

[अनुवाद]

नारियल गिरि और पाम आयल पर आयात शुल्क

1009. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल गिरि और पाम आयल का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गत दो वर्षों के दौरान और अगस्त, 2001 तक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मदों पर आयात शुल्क को संशोधित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) कोपरा की खजूर तेल के आयातों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

मद	1999-2000		2000-2001		2001-2002 (जून तक)	
	मात्रा टन में)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रु.)
कोपरा एग्जिम कोड: 08011902	18	0.004	40	0.22	-	-
अपरिष्कृत खजूर तेल और इसकी खली (एग्जिम कोड) 15111000	97460	160	994233	1242	3356697	338
परिष्कृत खजूर तेल और इसकी खली एग्जिम कोड: 151190000	2770969	5132	2060690	2829	438508	497

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 के बजट में कोपरा पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इसी प्रकार खजूर के तेल पर आयात शुल्क पिछले 2 वर्षों में 16.5% से बढ़ाकर 85% तक कर दिया गया है तथापि, अपरिष्कृत खजूर के तेल पर आयात शुल्क हाल ही में 75% से पुन: समायोजित कर 65% पर दिया गया है। ये समायोजन इन मदों के उपभोक्ताओं और इसके उत्पादकों के हितों को ध्यान में रख कर किए गए हैं।

पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियां

1010. श्री ए.के.ए. विजयन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के तहत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50%

की अधिकतम सीमा से बचाने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनित रिक्त पदों को एक अलग और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार (1) अनुसूचित जातियों, (2) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में बकाया अग्रेनीत भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए बने नए रिक्त पदों/दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पांच रुपये मूल्य वर्ग के नोट की आपूर्ति

1011. श्री राधामोहन सिंह:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पांच रुपये वर्ग के लिए नोट की आपूर्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) देश की प्रत्येक करेंसी चेस्ट शाखाओं के माध्यम से पांच रुपये मूल्य वर्ग के नए नोटों का परिचालन कब तक हो पाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पांच रुपए के मूल्यवर्ग के नए नोटों की आपूर्ति में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। 5 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट का अशोक स्तम्भ के डिजाइन में दुबारा मुद्रण मई, 2001 के दौरान ही शुरू किया गया था और सितम्बर, 2001 के अन्त तक ऐसे 184 मिलियन अदद् नोटों की पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है इसके साथ ही 5 रुपए के नोटों का नए डिजाइन (महात्मा गांधी श्रृंखला) में मुद्रण भी अक्टूबर, 2001 से शुरू किया जा चुका है।

(ख) 5 रुपए के नोटों का मुद्रण पूरे जोर शोर से शुरू हो चुका है। 5 रुपए के इन नए बैंक नोटों की आपूर्ति ऐसे प्रदेशों, जहां 5 रुपए के सिक्कों की कमी पायी गई है और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की शाखाओं में करने को प्राथमिकता दी जा रही है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प क्षेत्र में चीनी माल का एकाधिकार

1012. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शिल्प बाजार में चीनी माल का एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी प्रकृति को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति

1013. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान ग्रामीण ऋण प्रणाली के पुनर्गठन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) अब तक किन-किन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ऐसी सभी सिफारिशों को पूरी तरह से कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण ऋण व्यवस्था की समीक्षा करने और भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नीतियों और प्रस्तावों की सिफारिश करने हेतु प्रो. वी एस व्यास की अध्यक्षता में अगस्त, 2000 में ग्रामीण ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने 23 जुलाई, 2001 को अपनी रिपोर्ट नाबार्ड को भेज दी थी। समिति ने कृषि ऋण की विभिन्न गतिविधियों को वित्तपोषित करने, ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों मानव संसाधन विकास तथा कानूनी पर्यावरण में वसूली के संदर्भ में विशेष रूप से सुधार लाने आदि के संबंध में व्यापक स्तर पर सिफारिशें की हैं।

(ग) से (ङ) नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि वह विभिन्न अभिकरणों को शामिल करते हुए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए उपाय कर रहा है जिससे विभिन्न सुझावों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी जा सके। मुख्य पणधारियों तथा नीति निर्माताओं के बीच सहमति जुटाने के बाद सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड द्वारा तौर तरीके तैयार किए जाएंगे।

नवगठित राज्यों के लिए वित्तीय पैकेज

1014. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों को कोई वित्तीय पैकेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) इन राज्यों की संसाधन उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ को वर्ष 2001-2002 की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता पहुंचाई जा रही है। उत्तरांचल को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है जिससे यह राज्य, राज्य योजना के लिए मिलने वाली केन्द्रीय सहायता को 90% अनुदान और केवल 10% ऋण के रूप में पाने का हकदार होगा। ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत केन्द्रीय करों और सहायता अनुदानों में उनकी हिस्सेदारी भी सम्बद्ध राज्य के पुनर्गठन अधिनियमों के अनुसार जारी की जा रही है।

इसके अलावा नवसृजित राज्यों को विशेष छूट के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा में 30% वृद्धि की अनुमति तथा 31 मार्च, 2002 तक ओवरड्राफ्ट पर 5 दिन की रियायत दी है।

घर से भागे हुए बच्चों का पुनर्वास

1015. श्री विजय हान्दिक: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बेसहारा बालगृहों से भागे बच्चों पर नजर रखती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बनाए गए और पुनर्वासित बच्चों की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) इन्हें बचाने और उनका पुनर्वास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन बच्चों के पुनर्वासोत्तर स्थिति का आकलन करने हेतु कोई निगरानी रखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) "बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" नामक अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बेसहारा बच्चों के लिए 24 घंटों के ड्राप-इन-शेल्टरों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दे रहा है जिनमें रात्रिकालीन विश्राम, सुरक्षित पीने का पानी, स्नान, शौचालयों, प्राथमिक चिकित्सा, मनोरंजन तथा अनौपचारिक शिक्षा की भी सुविधाएं होती है। बेसहारा बच्चे इन आश्रयों में आते हैं तथा कुछ घंटों तक स्वेच्छा से ठहरते हैं। इसलिए, उक्त ड्राप-इन-शेल्टरों से बच्चों के भागने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.एफ.सी.आई. की अनुप्रयोज्य आस्तियां

1016. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार आई.एफ.सी.आई. की अनुप्रयोज्य आस्तियों और वसूली के लिए बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक आई.एफ.सी.आई. द्वारा कितनी राशि की वसूली की गई;

(ग) वर्तमान वित्तीय संकट से उबरने के लिए आई.एफ.सी.आई. को कुल कितनी राशि अपेक्षित है;

(घ) क्या आई.एफ.सी.आई. को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने हेतु आई.डी.बी.आई. से सम्पर्क किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो आई.एफ.सी.आई. के सुचारू कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार सकल बकाया सहायता राशि एवं निवल अनुप्रयोज्य आस्ति क्रमशः 19,953 करोड़ रुपए एवं 3,937 करोड़ रुपए है।

(ख) वर्ष 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 के प्रथम छः महीने के दौरान आई.एफ.सी.आई. द्वारा की गई कुल वसूली क्रमशः 3,876 करोड़ रुपए एवं 1,528 करोड़ रुपए है।

(ग) से (च) आई.एफ.सी.आई. की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने आई.एफ.सी.आई. के 20 वर्षीय परिपक्वता परिवर्तनीय डिबेंचरों के अभिदान हेतु 400 करोड़ रुपए दिए हैं। आई.डी.बी.आई., एल.आई.सी., एस.बी.आई. इत्यादि जैसे प्रमुख संस्थागत शेयर धारकों द्वारा जल्द ही 600 करोड़ रुपए की अन्य सहायता राशि दी जाने वाली है। उनकी उतरी सहायता राशि की शीघ्र आपूर्ति करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष अभियान

1017. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 12 लाख विकलांग व्यक्तियों में से सत्तर प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार/प्रस्ताव विकलांग व्यक्तियों को साक्षर बनाने हेतु विशेष अभियान शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा वर्ष 1991 में किए गए नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 5% आबादी के किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित होने का अनुमान है। 78.32% निःशक्त व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर प्राइमरी स्कूल स्तर तक 20.30% तथा माध्यमिक स्कूल स्तर और उससे ऊपर तक 8.8% है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि निःशक्त बच्चों सहित सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो, सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया है। इसके माध्यम से, विकलांग बच्चों को अनौपचारिक पद्धति, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा तथा सरकार और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विशेष शिक्षा के लिए संस्थानों के माध्यम से समावेशी स्कूलों, एकीकृत स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की योजना में बच्चों के लिए स्कूलों में संसाधन कक्षों, शिक्षण सहायक सामग्री, सहायक उपकरणों तथा परिवहन के द्वारा अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।

[अनुवाद]

ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना के लिए विश्व बैंक सहायता

1018. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव हुआ है जिसमें राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना हेतु विश्व बैंक की सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना प्रस्ताव की जांच की है और इसे विश्व बैंक को अग्रेषित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त ग्रामीण जलापूर्ति तथा सफाई परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव विश्व बैंक को निधि सहायता पर विचार करने हेतु 20 सितम्बर, 2001 को प्रस्तुत किया गया था।

हथकरघा क्षेत्र के लिए बैंक

1019. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेष रूप से एक पृथक बैंक की स्थापना हेतु मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सहकारी और क्षेत्रों के बुनकरों हेतु वर्तमान में उपलब्ध संस्थागत ऋण व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हथकरघा क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु कोई राष्ट्रीय कोष सृजित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) से (च) वस्त्र मंत्रालय में केवल हथकरघा क्षेत्र में ऋण वितरण के लिए बैंक की स्थापना हेतु कोई औपचारिक मांग प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि विभिन्न बैठकों में इस मामले पर चर्चा की गई है। चूंकि, हथकरघा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडब्बी), राज्य वित्त संस्थानों के साथ-साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास जैसे संगठनों से आजकल पहले ही संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध हैं, इसलिए केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्त हेतु अलग बैंक स्थापित करने का कोई विचार नहीं हैं।

देश से बाहर पड़ी विदेशी मुद्रा

1020. श्री साहिब सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों को किए गए निर्यात की कितनी विदेशी मुद्रा अभी देश में लायी नहीं गई है और यह अभी भी अन्य देशों में पड़ी हुई है;

(ख) ऐसी विदेशी मुद्रा को देश में लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे प्रमुख निर्यातकों के नाम क्या हैं जिनकी अधिकतम मात्रा में विदेशी मुद्रा अन्य देशों में पड़ी हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार निर्यात बिलों का कुल बकाया 14,158.97 करोड़ रुपए था।

(ख) बकाया निर्यात आय की वसूली के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है: नियार्तकों का वित्तपोषण करने वाले वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच नियमित बैठकें, निर्यात आय की बकाया बड़ी राशि के बारे में निदेशक मंडल को नियमित रूप से सूचित करना, ईसीजीसी के जरिए ऋण वसूली एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करना आदि।

(ग) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की सूची में हलका कोरती जाति को शामिल करना

1021. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की हलका कोरती जाति की पहचान केन्द्र सूची में शामिल करने के लिए की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हलका कोरती जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस जाति को मध्य प्रदेश में किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) मध्य प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में हलका कोस्ती को न तो अनुसूचित जातियों और न ही अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कोस्ती/कोश्ती को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

अधिक अनुदान

1022. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 सितम्बर, 2001 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' दिल्ली संस्करण में ''मिस द प्वाइंट, गेट मोर ग्रांट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी गम्भीर गलती की जांच के आदेश दिए हैं जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 67.5 करोड़ रुपये का आर्थिक अनुदान दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चीनी निर्यातकों को सुविधाएं

1023. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में चीनी के विशाल भण्डार को देखते हुए चीनी निर्यात में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज सहायता सहित क्या प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सरकार की निर्यात-आयात नीति के अधीन चीनी का निर्यात मुक्त है। तथापि, निर्यातकों के लिए निर्यात की जाने वाली मात्रा के लिए शर्करा निदेशालय से रिलीज आदेश प्राप्त करना अपेक्षित है। सरकारी खाते पर चीनी का कोई निर्यात नहीं किया जाता है। प्राइवेट अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक निर्णयों के अनुसार चीनी का निर्यात कर सकते हैं। अत: चीनी के निर्यात में निजी क्षेत्र के निकायों की पहले से ही भागीदारी है। चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

* चीनी के निर्यात पर से मात्रात्मक सीमा समाप्त कर दी है।
* यह अपेक्षा भी समाप्त कर दी गई है कि चीनी के निर्यात को अपेड़ा के पास पंजीकृत किया जाए।
* चीनी निर्यात करने वाली चीनी फैक्ट्रियों को निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर लेवी से छूट दे दी गई है।
* चीनी निर्यात करने वाली चीनी फैक्ट्रियों के मुक्त बिक्री के स्टाक में जो समायोजन निर्यात की तारीख से 12 माह के अन्दर किया जा रहा था उसे बढ़ाकर 18 माह कर दिया गया है।
* चीनी के निर्यात के लिए निर्यात की पोत पर्यंत कीमत की 5 प्रतिशत दर पर ड्यूटी इंटाइटलमेंट पास बुक लाभ की अनुमति दी गई है।

चीनी के सभी निर्यातकों के लिए उपर्युक्त लाभ उपलब्ध हैं, चाहे वे प्राइवेट अथवा सरकारी क्षेत्र के निकायों में किसी से भी संबंधित हों।

[अनुवाद]

मंत्रालय में अपव्यय की पहचान

1024. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम करने के लिए कदम उठाए हैं उसने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर रखी है जिनके विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय/विभागों के ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान इस प्रयोजनार्थ की गई है इनमें कितनी मात्रा में अपव्यय का पता लगाया गया है; और

(ग) ऐसे अपव्यय में कटौती करने/इसे रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात किये गये क्षेत्र हैं : गैर-योजना, गैर-विकासात्मक व्यय जैसे कि पदों का सृजन, पदों की संख्या में कटौती, रिक्त पदों को भरने, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा और मनोरंजन/आदर-सत्कार पर प्रतिबंध। यह मंत्रालय समय-समय पर इस संबंध में वित्त मंत्रालय से प्राप्त अनुदेशों का अनुसरण कर रहा है।

रत्नों और आभूषणों का निर्यात

1025. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 सितम्बर, 2001 को न्यूयार्क में हुई घटना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप रत्नों और आभूषणों के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रत्नों और आभूषणों के निर्यात के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद् (जीजेईपीसी) मुम्बई के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2001 तक की अवधि के दौरान 18378.58 करोड़ रुपए या 3619.78 मिलियन अमरीकी डालर के रत्नों एवं आभूषणों का निर्यात हुआ है जो गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में रुपए के रूप में 9.85% और अमरीकी डालर के रूप में 14.31% की गिरावट दर्शाता है। निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था खासकर यूएसए और जापान जैसे विकसित देशों के बाजारों में आई मंदी है।

सरकार ने रत्न एवं आभूषण को निर्यातों के लिए एक प्रमुखता वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है और रत्न एवं आभूषणों के निर्यातों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सरकार और जीजेईपीसी ने अनेक कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं:-

* एक मध्यावधि निर्यात योजना तैयार करना;
* हीरा खनन देशों से अपरिष्कृत हीरों की सीधी खरीद की संभावना का पता लगाना;
* आभूषण डिजाइन व विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के तत्वावधान में आभूषण डिजाइन व विनिर्माण के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल केन्द्र को आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलनकारी योजना के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराना;
* विदेशों में भारतीय रत्न एवं आभूषण की छवि के संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिकाओं में लगातार विज्ञापन/प्रचार अभियान चलाना; अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, अधिकांश खुदरा विक्रेताओं से सीधे सम्पर्क करना आदि।
* कुशल परामर्शदाताओं के द्वारा बाजार सर्वेक्षण करके और डिजाइनों में नवीनतम रूझानों के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में स्थल पर अध्ययन के प्रयोजन से भारतीय डिजाइनरों की नियुक्ति करके नए बाजारों का पता लगाना और अभिज्ञात करना;
* भारत से रत्नों एवं आभूषणों के निर्यात संवर्द्धन के लिए एक कार्यनीति तैयार करने के प्रयोजन से लैटिन अमरीकी देशों में नए बाजारों का भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है;
* भारत में निर्मित आभूषणों के लिए गुणवत्ता संबंधी छवि बनाने के प्रयोजन से प्रचार अभियानों के द्वारा भारत के स्वर्णाभूषण के प्रतीक चिह्न का संवर्द्धन करना;
* निर्यातकों और जीजेईपीसी से प्राप्त जानकारी और अनुरोधों के आधार पर निर्यातों को आसान बनाने के उद्देश्य से गत एग्जिम नीति में जरूरी संशोदन किए गए थे।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन

1026. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह मिशन कब तक कार्यरत हो जायेगा;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत और व्यय की गई; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत किन राज्यों को लाया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) सरकार ने फरवरी, 2000 से कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। इस मिशन में चार लघु मिशन शामिल हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

लघु मिशन	कार्यान्वयन एजेंसी	उद्देश्य	नौवीं योजना का परिव्यय (1999-2002)- केन्द्र का योगदान	खर्च की गई/निर्धारित राशि (अक्तू., 2001 तक)
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	अनुसंधान	40.00	4.21
2.	कृषि व सहकारिता विभाग	प्रौद्योगिकी का प्रसार	349.31	36.52 (अगस्त, 2001 तक)
3.	वस्त्र मंत्रालय	बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास	42.75	37.99
4.	वस्त्र मंत्रालय	जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण	18.75	27.44

(ङ) इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास

1027. श्री सुबोध राय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकलांगों के पुनर्वास की क्या-क्या योजनाएं हैं;

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान विकलांगों के पुनर्वास के लिए बिहार को कितनी धनराशि मुहैया कराई गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में गरीबों और बेसहारों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) बिहार में नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों में सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को सहायता (एडिप), नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन की योजना (अम्ब्रेला योजना) तथा नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.पी.डी.) शामिल हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत बिहार के लिए 2000-2001 के दौरान 430.24 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के कार्य निष्पादन की निगरानी

1028. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता गतिविधियों में लगे गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के कार्यनिष्पादन और कार्यकरण की समुचित निगरानी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उपलब्ध वर्तमान तंत्र क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट/सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाता है। उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान तभी मुहैया कराया जाता है जब उपभोक्ता कल्याण कोष भी स्थाई समिति राज्य सरकार की सिफारिशों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव को अनुमोदित कर देती है। वित्तीय सहायता मंजूर होने के पश्चात्, गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय के भीतर लेखा-परीक्षित लेखे, उपयोग प्रमाण-पत्र, कार्य-निष्पादन रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करके लेखाओं का निपटारा कर दें। राज्य सरकारों से अनुदानों के उपयोग की जांच करने का भी अनुरोध किया गया है।

कर्नाटक में एनटीसी द्वारा भूमि को बेचा जाना

1029. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कर्नाटक में कितनी भूमि में अपनी वस्त्र मिलें हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस भूमि को बेचने के लिए कर्नाटक सरकार के सहयोग की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन वत्र मिलों की अतिरिक्त भूमि को बेच दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इससे उगाही गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) कर्नाटक में इन मिलों के उन्नयन के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान अब तक मिलवार कितनी धनराशि का निवेश किया गया है/कितनी धनराशि निर्गत की गयी है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) कर्नाटक में एन.टी.सी. के अधीन वस्त्र मिलों की 429.50 एकड़ भूमि है।

(ख) और (ग) जी हां। राज्य सरकार ने भूमि की बिक्री तथा भूमि के प्रयोग में बदलाव के लिए सहमति दे दी है बशर्ते इसके उपयोग मिलों के पुनरुद्धार करने में एन.टी.सी. को सहायता देने के लिए राहत एवम् रिआयत पैकेज के लिए किया जाए। बी.आई.एफ.आर. ने राज्य सरकारों को भूमि की बिक्री के लिए बिना शर्त सहमति देने का निदेश दिया है ताकि भूमि की बिक्री से अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।

(घ) और (ङ) अब तक, कर्नाटक में एन.टी.सी. मिलों की किसी भूमि को बेचा नहीं गया है। भूमि की बिक्री बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनर्वासन योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् इसके एक भाग के रूप में की जाएगी।

(च) अर्थक्षम मिलों का आधुनिकीकरण, जैसा कि वस्त्र अनुसंधान संघों (टी आर ए) द्वारा सिफारिश की गयी है, बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनर्वासन योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् इसके एक भाग के रूप में किया जाएगा।

कर्नाटक में गुलबर्गा की एम.एस.के. मिलों को पुन: चालू करना

1030. श्री कोलूर बसवना गौड: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में गुलबर्गा की सदियों पुरानी एम.एस.के. मिलों को बंद करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उस मिल को पुन: चालू करना संभव नहीं था;

(घ) इससे कितने स्थायी श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे;

(ङ) इन कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) उक्त मिल के पास कितनी भूमि है;

(छ) क्या सरकार भूमि, संयंत्र और मशीनरियों को बेचने जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो किस प्रयोजनार्थ उगाही गई धनराशि का उपयोग किया जायेगा?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) एम.एस.के. मिल एन.टी.सी. (ए.पी.के.के.एम.) के प्रबंधन अधीन हैं जो कि बी.आई.एफ.आर. के समक्ष एक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी है। सरकार ने सभी पुनरुद्धार योग्य एककों के पुनरुद्धार के लिए अलग-अलग एकक की जांच करने और आकर्षक वी.आर.एस. प्रदान करने के बाद गैर पुनरुद्धार योग्य मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है। एन.टी.सी. (ए.पी.के.के.एम.) के एककों की अर्थक्षमता का मूल्यांकन साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिटरा) द्वारा किया गया था। एन.टी.सी. (ए.पी.के.के.एम.) के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी आई.एफ.सी.आई. ने इन रिपोर्टों की जांच की और बी.आई.एफ.आर. के समक्ष पुनर्वासन योजना का एक मसौदा प्रस्तुत किया है। बी.आई.एफ.आर. ने आपत्तियां और सुझाव को आमंत्रित करने के लिए इस पुनर्वास योजना के मसौदे को परिचालित किया है। मिलों को बंद करने अथवा उसका पुनरुद्धार करने के मामले पर निर्णय बी.आई.एफ.आर. द्वारा कम्पनी के लिए पुनर्वासन योजना को अंतिम रूप देने के समय लिया जाएगा।

(च) से (ज) एम.एस.के. मिल की कुल भूमि 205.32 एकड़ है। पुनर्वासन योजना के मसौदे में आधुनिकीकरण, वी.आर.एस. सांवधिक बकाया राशि का भुगतान आदि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पुनर्वासन योजना के लिए संसाधन जुटाने के लिए बेशी भूमि और परिसम्पत्तियों को बेचने की व्यवस्था है।

अपैरल पार्क

1031. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल):
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई वस्त्र नीति के अंतर्गत अपैरल पार्क की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत सहायता की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के लिए अब तक राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) वर्तमान में इन परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए कब तक धन निर्गत किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) से (घ) उत्कृष्ट समूह अर्थात् निर्यात के लिए अपैरल पार्क का सृजन करने के लिए केन्द्रीय बजट 2001-2002 में एक योजना की घोषणा की गयो है।

योजना के शुरू होने की प्रत्याशा में, कुछ राज्य सरकारों ने निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना अपने-अपने राज्यों बेंगलूर और बेलारी (कर्नाटक), ट्रोनिका सिटी और कानपुर (उत्तर प्रदेश), इंदौर और जबलपुर (मध्य प्रदेश), त्रिवेन्द्रम (केरल) में करने के लिए परियोजना प्रस्तावों को अग्रसारित किया है।

योजना के दिशानिर्देशों को जैसे ही अंतिम रूप दिया जाएगा परियोजना प्रस्तावों पर इनके अनुसार विचार किया जाएगा।

एमयूटीपी को विश्व बैंक से ऋण

1032. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना के प्रथम चरण हेतु विश्व बैंक से 1600 करोड़ रुपए के ऋण की बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एमयूटीपी परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) उक्त परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी नहीं। सरकार ने प्रस्तावित मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ अब तक वार्ता आरंभ नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रस्तावित मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) महानगर की उप-नगरीय परिवहन व्यवस्था को सुधारने तथा उसका विस्तार करने के लिए सड़क और रेल संघटकों से युक्त एक बहु-मॉडल परियोजना है। एमयूटीपी को दो संबद्ध चरणों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। चरण-I और चरण-II को मिलाकर परियोजना की कुल लागत 6871 करोड़ रु. होने का अनुमान है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा किया गया वित्तपोषण अनुमानत: 4038 करोड़ रु. होगा। तथापि, परियोजना की लागत, कार्य क्षेत्र और आकार को परियोजना निर्माण के मूल्यांकन/वार्ता के चरण पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारत-अमेरिका के आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग

1033. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-अमेरिका के आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अमेरिका द्वारा मान्य गैर-वित्तपोषित/सहायता प्राप्त प्रमुख परियोजना का ब्यौरा क्या है और इनमें वर्षवार हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार के विचाराधीन भारत-अमेरिका की संयुक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत-अमेरिका आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) (1) अप्रैल, 2000 में भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय मंच की स्थापना की गई थी ताकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इस मंच का उद्देश्य प्रत्येक देश के आर्थिक नीति-निर्माताओं के बीच नियमित सम्पर्क स्थापित करके भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच वित्तीय और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। यह संपर्क अंत: सरकारी बैठकों के जरिए स्थापित किया जाएगा जिनका नेतृत्व भारत के वित्त मंत्री और अमरीका के ट्रेजरी सेक्रेटरी द्वारा वित्तीय और आर्थिक घटनाक्रम तथा परस्पर हित के मुद्दों की चर्चा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही, उप-मंत्रिमंडल स्तर की बैठकें भी आयोजित की जाएंगी जिनमें अधिकारी हिस्सा लेंगे।

(2) हालांकि संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित नए संवाद हेतु हाल में कोई नई उपाय नहीं किए गए हैं, फिर भी वर्ष 1987 में शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग हेतु अमरीका-भारत रुपया निधि (यूएसआईएफ) की स्थापना पी एल-480 निधि से ली गई 127.49 करोड़ रु. की राशि से 10 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में, यूएसआईएफ ने भारत में अनिवार्यत: निम्नलिखित कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की:

* यू.एस. एजुकेशनल फाउण्डेशन इन इण्डिया (यूएसईएफआई)
* अमेरिकन स्टडीज रिसर्च सेन्टर (एएसआरसी)
* अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज (एआईआईएस)
* यूएस लायब्रेरी आफ कांग्रेस प्रोग्राम
* शिक्षा और संस्कृति से संबंधित भारत-अमरीका उप-आयोग

विवरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रम सं.	परियोजना-शीर्षक	अनुदान सहायता	31.3.1999 तक उपयोग	31.3.2000 तक उपयोग	31.3.2001 तक उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	उन्नत वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (पीएसीटी)	39.755	13.98	17.38	30.68
2.	तकनीकी सहायता समर्थन परियोजना (टीएएसपी)	21.000	17.92	17.96	18.77

1	2	3	4	5	6
3.	ऊर्जा प्रबंध तथा प्रशिक्षण (ईएमसीएटी)	27.000	20.379	22.97	23.98
4.	एड्स रोकथाम तथा नियंत्रण (एपीएसी)	10.000	1.96	2.9	8.97
5.	परिवार नियोजन सेवाओं में अभिनव प्रयोग (आईएफपीएस)	225.000	35.2	46.6	56.7
6.	पर्यावरणात्मक सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी में व्यापार	29.950	12.17	14.37	16.58
7.	वित्तीय संस्थाओं का सुधार तथा विस्तार (एफआईआरई)	44.000	18.24	20.00	21.87
8.	ग्रीनहाऊस गैस प्रदूषण रोकथाम (जीईईपी)	39.000	2.80	3.43	16.83
9.	ऊर्जा संरक्षण तथा वाणिज्यिकरण (ईसीओ)	25.000	0.00	0.00	0.91
10.	एवर्ट : एचआईवी/एड्स रोकथाम	41.500	0.00	0.00	0.273

पृथक पेंशन कोष का सृजन

1034. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन भुगतान के बढ़ते बोझ से सरकारी कोष पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेंशन के भुगतान के लिए एक पृथक कोष का सृजन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पेंशन के भुगतान का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर सूचना प्रौद्योगिकी यंत्र और आधुनिक तकनीक को अपनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) ''भारत सरकार की पेंशन संबंधी देयता के निर्धारण'' के संबंध में भारत सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल के विचारार्थ विषय में अल्प/मध्यावधि में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर संभावित व्यय का आकलन करना शामिल था। कार्यदल ने जून, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की 2000-2001 के लिए कुल बजटीय पेंशन देयता सकल घरेलू उत्पाद का 0.95 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार, केन्द्र के कर-राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यक्त पेंशन व्यय वर्ष 2000-01 के दौरान केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाले निवल पर कर राजस्वों का 14.6 प्रतिशत था।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में 1 अक्तूबर, 2001 के बाद सेवा में आने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु परिभाषित अशंदान के आधार पर एक नई पेंशन प्रणाली शुरू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ दल गठित किया है। यह दल इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रहा है और इसके दिसम्बर, 2001 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) कार्यदल ने इस बात पर बल दिया है कि विश्वसनीय पेंशन अनुमानों की प्राप्ति के लिए पेंशन देयताओं के पूर्वानुमान हेतु बीमांकित विधियों सहित वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता होगी।

वृद्ध व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1035. श्री बृजलाल खाबरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वृद्ध व्यक्तियों के लिए कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के लिए योजनावार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन योजना के अंतर्गत कितने वृद्ध व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय योजना स्कीम अर्थात "वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" के अंतर्गत वृद्धावस्था गृहों, दिवा देखभाल केन्द्रों, मोबाइल चिकित्सा देखभाल यूनिटों तथा गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों की स्थापना और रख-रखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसी प्रकार, गैर योजना स्कीम अर्थात "वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों/बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/स्वयंसेवी समूहों को सहायता की योजना" के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृह तथा बहुसेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पात्र संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत संगठनों को दी गई वित्तीय सहायता क्रमश: 7.75 करोड़ रु., 10.91 करोड़ रु. तथा 12.39 करोड़ रु. है।

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान पंचायती राज संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों/स्वयंसेवी समूहों को सहायता की योजना के अंतर्गत संगठन को दी गई वित्तीय सहायता क्रमश: 1.55 करोड़ रु. 2.36 करोड़ रु. तथा 0.78 करोड़ रु. है।

(ग) लाभान्वित व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 60,000 है।

[अनुवाद]

तस्करी के मामले में लिप्त उजबेक नागरिक

1036. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने सुश्री ओलगा कोजिरेवा के तस्करी मामले तथा सीमा शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत होने की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो राजस्व आसूचना निदेशालय ने तस्करी और इसमें सीमा शुल्क अधिकारियों का हाथ होने का पता किस सीमा तक लगाया है;

(ग) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय की जांच से हथियारों, खाद्य पदार्थों आदि की किसी प्रकार की तस्करी का पता चला है जैसा कि मीडिया में पहले ही समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजस्व आसूचना निदेशालय की रिपोर्ट को स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा की गई जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि रेशम वस्त्र जिनका कुल मूल्य 3,36,91,056/- रुपये (अंतर्राष्ट्रीय मूल्य) आंका गया था, की सुश्री ओलगा कोजीरेवा और उसके सहयोगियों द्वारा 25 बार भारत में तस्करी की गई थी। इस मामले में 2,06,66,729/- रुपये की राशि के शुल्क अपवंचन का पता लगाया गया था। आगे की गई जांच-पड़ताल से इस काम में अलग-अलग बार 22 सीमा शुल्क अधिकारियों के शामिल होने का पता चला था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर, सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली द्वारा 23/24.8.2001 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस में, 22 सीमा शुल्क अधिकारियों सहित 45 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 28.8.2000 को सुश्री ओलगा कोजीरेवा से अभिगृहीत किये गये रेशम के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत एक सीमा शुल्क अधिकारी सहित सुश्री ओलगा कोजीरेवा और 8 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 15.9.2001 को सक्षम न्यायालय में एक शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा, सुश्री ओलगा कोजीरेवा द्वारा 28.2.2000 से पूर्व किये गये अपराधों के संबंध में उसे सीमा शुल्क विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत 19.9.2001 को गिरफ्तार किया गया था और 22 सीमा शुल्क अधिकारियों सहित 43 व्यक्तियों के खिलाफ 28.8.2000 से पूर्व

किये गये अपराधों से संबंधित मामलों में सक्षम न्यायालय में 16.11.2001 को एक शिकायत भी दर्ज की गई है।

निजी बिक्री सौदे (प्राइवेट प्लेसमेंट डील्ज)

1037. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **वित्त मंत्री** 17 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3867 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभागों/संबंधित विनियामक निकायों से इस विषय के बारे में ब्यौरे देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) चूंकि यह सूचना अनेक स्रोतों से प्रतीक्षित है इसलिए प्रश्न के उत्तर के लिए एक निश्चित समय-सीमा का निर्धारण कठिन है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों पर सीबीआई के छापे

1038. डा. बलिराम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान 10 नवम्बर, 2001 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के घरों/कार्यालयों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कितने छापे पड़े;

(ख) प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी के यहां से अलग-अलग कितने मूल्य की परिसंपत्ति जब्त की गई;

(ग) इनमें से प्रत्येक के मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय सीमेंट निगम का उत्पादन और घाटे

1039. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट निगम की प्रत्येक इकाई में वर्ष वार सीमेंट का कितना उत्पादन, कितनी बिक्री, कुल कितना घाटा और कुल कितना शुद्ध लाभ हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितनी गैर-योजनागत बजटीय सहायता दी गई; और

(ग) भारतीय सीमेंट निगम के निजीकरण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) वर्ष 1998-99 से वर्ष 2000-2001 तक का इकाई-वार उत्पादन, टर्नओवर, सकल हानि एवं निवल हानि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत सरकार द्वारा सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (सीसीआई) को वर्ष 1998-99 से दी जा रही गैर-योजना बजटीय सहायता निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अप्रैल से 13 नवम्बर)
वेतन एवं मजदूरी, सांविधिक देयताओं, ग्रेच्युटी तथा वीआरएस के लिए गैर-योजना सहायता	831.00	3677.00	8498.00	4805.39

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) जो एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, ने दिनांक 27.3.2001 को हुई अपनी सुनवाई में प्रचालन एजेंसी (ओए) अर्थात् आईएफसीआई को समग्र रूप से निदेश दिया गया कि वह इस चलती हुई स्थिति में अथवा इसके संयंत्रों को पृथक रूप से या सामूहिक रूप से बेचने का कार्य आगे बढ़ाने का निदेश दिया। आईएफसीआई ने इस कार्य के लिए मर्चेंट बैंकर के रूप में एसबीआई कैप्स को नियुक्त किया है। वर्तमान में एसबीआई कैप्स प्राप्त 'रूचि अभिव्यक्ति' प्रस्तावों की संवीक्षा कर रही है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से वर्ष 2000-2001 तक का इकाई वार उत्पादन, टर्नओवर, सकल लाभ एवं निवल हानि

(रुपये लाख में)

इकाई	सीमेंट उत्पादन			बिक्री टर्न ओवर			निवल लाभ/(हानि)			सकल लाभ/(हानि)		
	1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01
	(मी. टन में)		(अनंतिम)			(अनंतिम)			(अनंतिम)			(अनंतिम)
मंढार	30	0	0	0	0	0	(1374)	(1521)	(1539)	(671)	(774)	(660)
कुरकुंटा	44150	0	0	1060	12	0	(1128)	(1637)	(1242)	(708)	(845)	(799)
बोकाजन	127020	118320	134335	3638	3282	4103	161	35	63	272	117	135
राजबन	159150	162155	106231	3399	3550	2370	(249)	(524)	(676)	(181)	(473)	(628)
नयागांव	9920	1855	0	123	55	0	(1544)	(1746)	(1886)	(727)	(696)	(784)
अकलतारा	0	0	0	36	0	0	(2155)	(2627)	(3107)	(600)	(914)	(859)
येरागुंटला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
चर्खी दादरी	15	–	0	5	3	0	(1144)	(1296)	(1349)	(526)	(614)	(530)
आदिलाबाद	106999	9287	1806	2286	120	86	(1974)	(2250)	(2566)	(1048)	(1134)	(1143)
तंदूर	489200	364100	36460	10371	6981	825	(4031)	(4549)	(4942)	(950)	(1292)	(2094)
नया गांव विस्तार	10740	0	0	229	37	1	(5065)	(5404)	(6181)	(822)	(818)	(726)
कारपोरेट कार्यालय	–	–	–	–	–	–	8	(172)	0	544	318	0
कुल	947224	655717	278832	21147	14040	7385	(18494)	(21691)	(23425)	(5415)	(7124)	(8088)

कर्नाटक द्वारा कतिपय नियमों में संशोधन

1040. **श्री जी.एम. बसवराज:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने निवेशकों में विश्वास पैदा करने तथा नियंत्रणमुक्त वातावरण में उनके व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए कतिपय नियमों में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सकरार ने कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित उक्त संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां। प्रथम चरण में, कर्नाटक सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न अधिनियमों तथा नियमों में संशोधन करना चाहती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इथियोपिया के वाणिज्यिक बैंक

1041. श्री सुनील खां:
श्री पी. मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक को इथियोपिया के वाणिज्यिक बैंक (सी.बी.ई.) के प्रबंधन को अपने हाथों में लेने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'सी.बी.ई.' की प्रबंधन को भारतीय स्टेट बैंक के हाथों में दिए जाने से पहले सभी गुण दोषों पर समुचित विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने कामर्शियल बैंक आफ इथियोपिया (सी.बी.ई.) द्वारा सी.बी.ई. की प्रबंधन संविदा के लिए जारी की गई सार्वभौमिक बोली में भाग लिया गया था। इसका नेतृत्व भारतीय दूतावास, अदीस अबाबा, इथियोपिया द्वारा प्रदान किया गया था। तथापि, विशिष्ट संविदा की कुछ शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है और व्यवस्था को अभी तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक संविदा की विभिन्न शर्तों के बारे में बातचीत का निर्णय होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस संबंध में विस्तृत यथोचित अध्यवसाय किया गया था और व्यवस्था के सभी गुण और दोषों पर विधिवत विचार किया गया है। चूंकि बातचीत अभी चल रही है, इसलिए फिलहाल समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार मेले

1042. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय निवेश आमंत्रित किए जाने के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में व्यापार मेलों के आयोजन सहित कोई राजनीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में अब तक कितने व्यापार मेलों का आयोजन किया गया और राज्य ने औद्योगिक और व्यापार निवेश प्राप्त करने के संदर्भ में तत्संबंधी परिणाम क्या रहे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत सरकार असम और पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आमंत्रित करने पर विशेष ध्यान देती रही है भारत सरकार कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) पूर्वोत्तर के लिए विशेष औद्योगिक नीति

(2) आकस्मिक बुनियादी सुविधाओं का विकास

(3) निर्यात विकास निधि

(4) मानव संसाधन विकास

पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष उत्पाद क्षेत्र/एरिया विशेष प्रोत्साहन जोन परिवहन इमदाद तथा अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सभी निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और व्यापार मेले आयोजित करे।

(ग) भारत सरकार, इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन ने 11-18 मार्च, 2001 तक पालीजोर स्टेडियम, गंगटोक, सिक्किम में इंडिया ट्रेड शो का आयोजन किया था। इस शो में 60 कम्पनियों/संगठनों ने भाग लिया। प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं में पूंजीगत सामान प्रसंस्कृत खाद्य, गिफ्टवेयर, हस्तशिल्प, किचनवेयर, वस्त्र सौन्दर्य और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी उत्पाद, कृषि उपस्कर फर्नीचर और साजो-सामान, ग्राइंडर्स, इंजीनियरिंग सामान जूट/कायर उत्पाद, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर इत्यादि शामिल थे भारतीय

व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा इस शो में इंजीनियरिंग सामानों से संबंधित उपभोक्ता उत्पादन कैटलौग भी प्रदर्शित किए गए थे।

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया था:

1. वस्त्र मेला त्रिपुरा सरकार, अगरतला, 23 सितम्बर–10 अक्तूबर, 2000–वस्त्र और परिधान
2. बंगलादेश ट्रेड फेयर, 2001, सिलहट चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, सिलचर, जनवरी 10–16, 2001 उपभोक्ता और औद्योगिक उत्पाद
3. 8वां अंतर्राष्ट्रीय गुवाहाटी व्यापार मेला 2001 इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेड फेयर एसोसिएशन गुवाहाटी, फरवरी 22–5 मार्च, 2001 उपभोक्ता एवं औद्योगिक उत्पाद
4. 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुवाहाटी व्यापार मेला, 2001 इंडस्ट्रीज एण्ड ट्रेड फेयर एसोसिएशन गुवाहाटी फरवरी, 16–2 मार्च, 2002 उपभोक्ता एवं औद्योगिक उत्पाद

आंध्र प्रदेश के बुनकरों के लाभ के लिए धन निर्गत किया जाना

1043. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1997 से बुनकरों के लाभ के लिए धन निर्गत करने हेतु केन्द्र सरकार के पास 12 प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार राज्य की ओर से दिए जाने वाले शेयर की राशि को अपने कोटे से पहले ही जारी कर चुकी है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से की शेयर राशि अब तक जारी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) हथकरघा क्षेत्र के लाभ के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केन्द्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियों को जारी करने के लिए आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक राज्य से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते अत: यह उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि दिशा–निर्देशों के अनुसार स्कीम के अनुमोदन हेतु निधियों को जारी करना, राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त बजट का प्रावधान, निधियों की स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति, मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा निधियों को जारी करना तथा अन्य ऐसी प्रक्रियात्मक आवश्यकतायें शामिल है।

विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मैचिंग निधियों की सूचना तथा चालू वर्ष अर्थात् 2001–2002 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई/जारी नहीं की गई निधियों की स्थिति

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	प्रस्तावों के लिए राशि	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा	जारी किया गया राज्य का हिस्सा
1	2	3	4	5
1.	कार्यशाला–सह आवास स्कीम	133.03	नहीं, क्योंकि प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है।	स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के हिस्से के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
2.	स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	90.15	नहीं, क्योंकि संशोधित प्रस्ताव अभी हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।	स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य के हिस्से के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

1	2	3	4	5
3.	थ्रिफ्ट फंड स्कीम	40.00	प्रस्ताव पर राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगें जाने के कारण केन्द्र का हिस्सा जारी नहीं किया है।	स्कीम के अंतर्गत राज्य हिस्सा घटक है। यद्यपि राज्य सरकार के प्रस्ताव में राज्य के हिस्से के बारे में कुछ नहीं बताया है। अत: राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।
4.	समूह बीमा स्कीम	25.00	प्रस्ताव पर राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगें जाने के कारण केन्द्र का हिस्सा जारी नहीं किया है।	स्कीम के अंतर्गत राज्य हिस्सा है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण नहीं है। उनसे विवरण मांगें गये है।
5.	हथकरघा विकास केन्द्र/गुणवत्ता रंगाई इकाईयां।	93.89	केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त सूचना तथा कागजातों को मंगवाने के कारण प्रस्तावों की प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकी।	यह केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम है जिसमें परियोजना की सारी लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।
6.	दीन दयाल हधकरघा प्रोत्साहन योजना	28.72	केन्द्रीय हिस्सा जारी नहीं किया गया है। प्रस्ताव या तो अपूर्ण अथवा व्यवहार्य नहीं था।	स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय हिस्सा जारी किये जाने के बाद ही राज्य का हिस्सा जारी किया जायेगा।
7.	प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम	579.78	33.87 लाख रुपये मूल्य की 6 परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय हिस्सा जारी किया गया है।	6 परियोजनाओं के लिए राज्य मैचिंग हिस्सा 25.21 लाख रुपये बनता है। यद्यपि इसे जारी किये जाने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
8.	एकीकृत हथकरघा	492.25	प्रस्तावों पर केन्द्रीय हिस्सा जारी करने के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि लाभभोगी अभिकरणों को पहले जारी की गई प्रथम किस्त का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया।	मैचिंग राज्य हिस्सा 436 लाख रुपये बनता है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित मैचिंग हिस्सा जारी करने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
9.	विपणन विकास सहायता स्कीम	326.45	केवल 64.07 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी किया गया क्योंकि केवल इस राशि के प्रस्ताव व्यवहार्य पाये गये।	राज्य का हिस्सा स्वीकृत

[हिन्दी]

बाजरे (मिलिट) की खरीद

1044. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को उसके समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान में बाजरे (मिलिट) की खरीद शुरू हो गई है;

(च) यदि हां, तो यह खरीद कब से शुरू हुई है;

(छ) क्या एफ.सी.आई. ने बाजरे (मिलिट) की खरीद के लक्ष्य को पूरा कर लिया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने बम्पर फसल की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम को निदेश दिया है कि वह राजस्थान में राज्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से एक लाख टन बाजरे की वसूली करे। राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए भंडारण स्थान प्रदान करेगी।

राजस्थान राज्य सरकार 30000 टन मक्का की वसूली के लिए उपाय करेगी।

(ग) और (घ) राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री भैरो सिंह शेखावत की अध्यक्षता में श्री सुभाष महारिया, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सहित कुछ संसद सदस्यों का शिष्टमंडल 20.10.2001 को केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री से मिला था और उन्हें राज्य में किसानों द्वारा बाजरे की मजबूरन बिक्री करने के बारे में अवगत कराया था।

(ङ) और (च) जी, हां। जयपुर, अलवर और जोधपुर राजस्व जिले में 1.11.2001 से तथा शेष जिलों में 5.11.2001 से बाजरे की खरीदारी शुरू हो गई है।

(छ) से (झ) बाजरे की वसूली चल रही है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान 20.11.2001 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा 5225 टन बाजार वसूल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय चर्म का बहिष्कार

1045. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने जूतों और चमड़ों से बनने वाली अन्य सामग्रियों के निर्माण में भारतीय चर्म का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय संगठनों ने जानवरों की सुरक्षा से संबंधित मौलिक कानूनों का अनुसरण करने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क साधा है;

(ग) क्या इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ऐसे निर्णय से भारतीय चर्म के बारे में पूरे विश्व में असंतोषजनक असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) चमड़ा निर्यात परिषद् द्वारा सरकार की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि हालांकि टिम्बर लैंड जैसी कम्पनियों ने भारत से जूतों और चमड़ों के उत्पादों की आगे खरीद स्थगित कर दी है तथापि कुछ अन्य कंपनियों ने जूतों तथा अन्य सामग्रियों के विनिर्माण में गाय के चमड़े के प्रयोग पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

सरकार ने ऐसे बहुराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने और इन संगठनों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने सहित अनेक कदम उठाए हैं। इस मुद्दे से भारत से होने वाले जूतों और अन्य सामग्रियों के निर्यात पर कोई स्पष्ट प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

राज्य द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियों और बैंकों को राजसहायता

1046. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य द्वारा चलाई जाने वाली कम्पनियों और बैंकों को अप्रत्यक्ष राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2001 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राजसहायता प्रदान की गई है; और

(ग) गत वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को कितना लाभांश अर्जित हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) ब्याज पर आर्थिक सहायता और कुछ आर्थिक सहायता जैसे गारंटी शुल्क आर्थिक सहायता, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अलग-अलग कम्पनियों को आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान की जा रही है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के लिए इस मद में आर्थिक-सहायता की धनराशि संशोधित अनुमानों के अनुसार 1020.90 करोड़ रुपए थी।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कुल लाभांश 5037 करोड़ रुपए था।

[हिन्दी]

एफ.सी.आई. में सुरक्षा गार्डों की छंटनी

1047. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब और अन्य राज्यों की एफ.सी.आई. में सुरक्षा गार्डों की छंटनी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनकी छंटनी के क्या कारण हैं;

(ग) उन कर्मचारियों को बहाल करने के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के लागू करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त निर्णय को कब तक लागू करने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) भारतीय खाद्य निगम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति नहीं करता है। भारतीय खाद्य निगम, निगम के डिपुओं पर पहरा देने के लिए एजेन्सियों/ठेकेदारों को नियुक्त करता है। पहरा तथा निगरानी प्रयोजनों हेतु ठेका श्रम की सेवाएं लेने के निषेध संबंधी श्रम मंत्रालय के दिनांक 8.2.99 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एस. 16011/2/99-एल.डब्ल्यू. के अनुसरण में, विभिन्न एजेंसियों के साथ ठेका समाप्त कर दिए गए थे। भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन तथा सुरक्षा गार्डों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है। अत: भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनकी छंटनी का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के किसी विशिष्ट निर्णय को उद्धृत नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पशुओं के आयात से संबंधित नियम

1048. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारी न्यूनतम शुल्क का भुगतान प्राप्त कर आयातकों द्वारा लाये गये पशुओं विशेषकर कुत्तों को प्राय: छोड़ देते हैं जबकि नियमों के अंतर्गत इन कुत्तों को एक निर्धारित अवधि के लिए संगरोध में रखना आवश्यक होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने पशुओं का आयात किया गया और न्यूनतम शुल्क प्राप्त करने के बाद कितने पशुओं को छोड़ दिया गया; और

(ग) भारत में आगमन के बाद इन सभी पशुओं का संगरोध में रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या नये कदम उठाये गये/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सभी पशुओं को विशेष रूप से कुत्तों को आयात करने पर उन्हें मूल देश के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क और अन्य प्रभारों की अदायगी करने पर छोड़ा जा रहा था। ऐसे प्रमाण-पत्र के न होने पर, पशुओं को एक निर्धारित अवधि के लिए पशु संगरोध अधिकारी की देखरेख में रखा जाता था। गत 3 वर्षों के दौरान, 166 पशुओं

को आयात किया गया और उन्हें शुल्क तथा अन्य प्रभारों की अदायगी करने पर छोड़ा गया था।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को अब अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे वैध आयात लाइसेंस के आधार पर और पशु संगरोध प्राधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही पशुओं को छोड़ने की अनुमति दें।

बाट और माप मानक नियम 1977

1049. श्री रामजी मांझी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाट और माप मानक (डिब्बाबंद आवश्यक वस्तुएं) नियम, 1977 के प्रावधानों और इनसे संबंधित नीतिगत मामलों की समीक्षा की गई है और बनाए गए कानूनों के प्रावधानों में परिवर्तन किए गए है;

(ख) यदि हां, तो किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिनियम और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है कि विनिर्माता पहले से मुद्रित सामग्री/पैकेटों पर धन का अपव्यय रोकने के लिए मौजूदा मुद्रित सामग्री/पैकेटों पर संशोधित स्टीकर चिपकाएं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने, संबंधित क्षेत्र की नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने तथा उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 1977 में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

(ग) और (घ) पैकेज में रखी वस्तुएं नियमों के अधीन किसी पैकेज पर पहले ही गई घोषणाओं को मिटाने और पैकिंग से पहले उन पर संशोधित घोषणा को पुन: प्रिन्ट करने के लिए विनिर्माता पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

[हिन्दी]

देना बैंक की उदयपुर शाखा में आग

1050. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देना बैंक की उदयपुर स्थित शाखा में हाल ही में आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे बैंक को कुल कितनी क्षति हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच समिति गठित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। देना बैंक के अनुसार 17 अक्तूबर, 2001 को उस भवन में आग लगने की घटना हुई थी जहां देना बैंक की उदयपुर शाखा अवस्थित है। भवन के भूतल पर कपड़े और वस्त्रों के शोरूम हैं और शाखा प्रथम तल पर स्थित है। आग भूतल पर लगी थी और लपटें शाखा में नहीं पहुँची थी परन्तु शाखा का अग्र भाग आग द्वारा उत्पन्न गर्मी और फायर ब्रिगेड द्वारा फैंकें गये पानी से कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था। शाखा प्रबन्धक के केबिन, पी.सी., विद्युत फिटिंग्स और अन्य वस्तुओं को हुई क्षति के कारण लगभग 4.75 लाख रु. की हानि हुई।

(घ) से (छ) जांच समिति का गठन आवश्यक नहीं समझा गया था। अग्नि बचाव एवं सुरक्षा उपाय क्रियाशील हैं और सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। भवन के अन्य सभी अधिभोगियों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

चूककर्त्ता गैर-बैंकिंग कंपनियां

1051. श्री बहादुर सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने तुलन-पत्र, लाभ-हानि संबंधी लेखे और वार्षिक विवरण प्रति वर्ष जमा न करने वाली चूककर्त्ता गैर-बैंकिंग कंपनियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो उन 15 बड़ी कंपनियों के नाम क्या हैं *जिन्हें नोटिस भेजे गये हैं; और*

(घ) कई चेतावनियों के बाद भी अपने दस्तावेज जमा न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे का विवरण जमा करें। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार उन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से भी बैंक के पास तुलन-पत्र और लाभ हानि लेखे की प्रति जमा करने की अपेक्षा की जाती है जो जनता की जमाराशियां रखते/स्वीकार करते हैं। बैंक उन कंपनियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है जो निर्धारित समय सीमा के भीतर तुलन-पत्र/लाभ और हानि जमा नहीं कर रहे हैं और साथ ही तुलन पत्र जमा न करने तथा अन्य पर्यवेक्षी संबंधी मामलों में भी पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने, पंजीकरण प्रमाण अस्वीकार करने, कारण बताओ नोटिस जारी करने आपराधिक शिकायतें दर्ज करने जनता से जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक आदि जैसी कार्रवाई भी की गई है। कुछ कंपनियों के नाम नीचे दिए गए है जिन्होंने 31.3.2000/2001 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र लाभ और हानि लेखे जमा नहीं किए हैं:-

1. प्रुडेंशियल कैपिटल मार्केट्स लि.
2. जनप्रिया फाइनेंस एंड इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (आई) लि.
3. लीनेक्स इंडिया लि.
4. राप्ति निधि लि.
5. नागार्जुन फाइनेंस लि.
6. एशिया पैसेफिक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लि.
7. ईबीएफ फाइनेंस लि.
8. मिडवेस्ट इंडिया इण्डस्ट्रीज लि.
9. पेन्नार पेटरसन लि.
10. क्रिस्टल क्रेडिट कारपोरेशन
11. दानेश मोटर फाइनेंस कं. प्रा. लि.
12. हरियाणा क्रेडिट एंड लिजिंग
13. सागर सुरी इंस्टेट एंड फाइनेंस लि.
14. मधुर लीजिंग लि.
15. अलाएंज कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लि.

[अनुवाद]

बैंकों में अध्यक्ष और निदेशक पद की रिक्तियां

1052. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के पदों की कितनी रिक्तियां हैं; और

(ख) इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फिलहाल कार्यकारी निदेशक के केवल तीन पद (पंजाब और सिंध बैंक, केनरा बैंक और युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया) रिक्त है। इन पदों को भरने की कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है।

चावल के खरीद मूल्य में वृद्धि

1053. श्री नरेश पुगलिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चावल के खरीद मूल्य में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1999, 31 मार्च 2000 और 31 मार्च, 2001 की तिथि के अनुसार सरकार के पास कितना चावल उपलब्ध है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वर्ष वार कितने चावल की खरीद की गयी;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा वर्षवार कितना चावल उठाया गया; और

(च) चावल के भंडारण के लिए क्या-क्या प्रबंध किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। किसानों से चावल की सीधे वसूली नहीं की जाती है। केवल धान किसानों से वसूल किया जाता है। सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2001-2002 के लिए साधारण और ग्रेड ए धान के वसूली मूल्य को क्रमश: 510/- रुपये से बढ़ाकर 530/- रुपए प्रति क्विंटल

और 540/- रुपये से बढ़ाकर 560/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

(ग) केन्द्रीय पूल में चावल के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है:

निम्न तारीख की स्थिति के अनुसार	मात्रा लाख टन में
31 मार्च, 1999	121.63
31 मार्च, 2000	157.19
31 मार्च, 2001	231.91

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान चावल की निम्नलिखित मात्रा वसूल की गई थी:-

(आंकड़े लाख टन में)

वित्तीय वर्ष	लेवी चावल	धान	चावल के रूप में जोड़
अप्रैल, 1998-मार्च, 1999	73.02	62.48	115.34
अप्रैल, 1999-मार्च, 2000	105.40	90.71	165.87
अप्रैल, 2000-मार्च, 2001	109.82	115.71	186.97

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा चावल की उठाई गई मात्रा का वर्षवार विवरण संलग्न है।

(च) भारतीय खाद्य निगम के पास 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार कुल 35.45 मिलियन टन की भण्डारण क्षमता है जबकि इसके पास उक्त तारीख को 31.07 मिलियन टन का स्टाक था।

जिन राज्यों ने विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना अपनाई है उन्हें खाद्यान्नों के भण्डारण की व्यवस्था खुद करनी होती है। इसके अतिरिक्त राज्य एजेंसियों द्वारा अपने गोदामों में स्टाक रखा जाता है।

भारतीय खाद्य निगम के पास स्थान की उपलब्धता, वसूली/उपभोक्ता राज्यों में वसूली और उठान/खाद्यान्नों की बिक्री की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। भारतीय खाद्य निगम एजेंसियों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता किराये पर लेने के अलावा स्वयं अपने गोदामों और प्लिंथों का निर्माण करके भी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करता है। भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को भी जब कभी आवश्यक समझा जाए, अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लेने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रत्योजित की गई है। चावल के भण्डारण के लिए आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्य भण्डारण निगमों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा लगभग 77.74 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए 7 वर्ष की गारंटी दी है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम ने 14 राज्यों में 5.88 लाख टन भण्डारण क्षमता के लिए 78 स्थानों पर प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से बनाओ और चलाओ आधार पर परम्परागत गोदामों का सृजन करने के लिए भी विज्ञापन दिया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों में चावल का वर्षवार उठान दिखाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उठान		
		अप्रैल, 98-मार्च, 99	अप्रैल, 99-मार्च, 2000	अप्रैल, 2000-मार्च, 2000 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2116.279	2307.920	1927.292
2.	अरुणाचल प्रदेश	94.190	101.730	29.786

1	2	3	4	5
3.	असम	555.026	528.130	379.911
4.	बिहार	235.771	236.570	132.477
5.	छत्तीसगढ़	–	–	88.204
6.	दिल्ली	112.672	74.470	1.980
7.	गोवा	59.960	46.130	8.552
8.	गुजरात	251.356	169.050	116.596
9.	हरियाणा	–	–	1.640
10.	हिमाचल प्रदेश	93.993	64.800	26.274
11.	जम्मू एवं कश्मीर	318.262	342.660	68.745
12.	कर्नाटक	888.057	823.00	948.458
13.	झारखंड	–	–	14.270
14.	केरल	1625.887	1191.00	488.950
15.	मध्य प्रदेश	305.969	318.941	283.098
16.	महाराष्ट्र	666.099	680.890	374.390
17	मणिपुर	42.956	42.370	23.276
18.	मेघालय	182.350	191.700	31.164
19.	मिजोरम	123.139	90.890	41.060
20.	नागालैंड	114.805	113.560	18.215
21.	उड़ीसा	575.806	887.600	662.920
22.	पंजाब	0.783	0.270	0.434
23.	राजस्थान	5.440	2.740	1.225
24.	सिक्किम	63.027	70.020	9.159
25.	तमिलनाडु	1282.717	1807.270	1209.710
26.	त्रिपुरा	182.900	152.130	59.792
27.	उत्तर प्रदेश	462.503	488.060	321.004
28.	उत्तरांचल	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	249.708	421.450	339.878

1	2	3	4	5
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	16.680	7.265
31.	चंडीगढ़	1.709	0.110	–
32.	दादर और नागर हवेली	3.763	1.380	2.634
33.	दमन और दीव	1.468	0.820	0.361
34.	लक्षद्वीप	2.620	5.000	5.288
35.	पांडिचेरी	1.643	11.890	9.904
	जोड़	106.02858	11189.231	7633.912

जाली नोट

1054. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम नागरिक को भूलवश जाली नोट मिलने की दशा में उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कोई दिशा-निर्देश नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन आम लोगों को मुआवजा देने से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने का है जो भूलवश इन जाली-नोटों को लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अनजाने में जाली नोट प्राप्त करने वाले नागरिकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई दिशा-निर्देश नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार का ऐसे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने के लिए, जिसे अनजाने में जाली नोट प्राप्त हो गया है, दिशा-निर्देश तैयार करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि एक ऐसे नोट के लिए, जो असली नहीं है, भुगतान करना वैध नहीं होगा। फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बैंक नोटों के सुरक्षा संबंधी लक्षणों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाता है ताकि आम आदमी बैंक नोट प्राप्त करते समय इसके असली होने की जांच कर सके।

आई.एफ.सी.आई. की वित्तीय स्थिति

1055. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने कुछ कंपनियों के साथ उन पर बकाया धनराशि की वसूली के उद्देश्य से एक मुश्त समाधान करने के बारे में बात की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी कंपनियों के साथ यह समाधान समझौता किया गया है तथा इनमें से प्रत्येक कंपनी से कितनी धनराशि वसूल की गयी अथवा वसूल किये जाने की संभावना है और उन पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने भी अपने प्रति कंपनियों के संदर्भ में कोई ऐसी ही पुनर्गठन योजना तैयार की है और यदि हां, तो इन कंपनियों पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) आई.एफ.सी.आई. की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अन्य क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के दौरान 175 मामलों में एक बारगी निपटान/बात-चीत द्वारा तय निपटान पर सहमति हुई है जिसमें 994.6 करोड़ रु. की राशि अन्तर्ग्रस्त है। तथापि, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार और सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के अनुरूप अलग-अलग संघटकों से सम्बन्धित ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

(ग) 52 मामलों में पुनर्गठन कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिनमें 1,414.4 करोड़ रु. की राशि (जिनमें 490.0 करोड़ रु. की कुल बकाया सहायता वाली 27 अनुपयोज्य आस्तियां शामिल है) अन्तर्ग्रस्त है।

(घ) आई.एफ.सी.आई. की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदम:-

* दिसम्बर, 1999 में राइट इश्यू जिसके 286.40 करोड़ रु. की राशि जुटाई गई है।

* दिनांक 30.10.2001 को सरकार द्वारा 400 करोड़ रु. की पूंजी निवेश।

* आशा की जाती है कि प्रमुख शेयर धारकों, अर्थात् आई.डी.बी.आई., एल.आई.सी. और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 600 करोड़ रु. की अतिरिक्त पूंजी का अभिदान किया जाना है।

* एकल उधारकर्त्ता को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 100 करोड़ रु. तक सीमित किए जाने का निर्णय।

* वसूली प्रबंधन को मजबूत बनाना।

* अल्पावधि निधियों के पक्ष में दीर्घावधि ऋणों के शेयर को कम करना।

* शुल्क आधारित आय में वृद्धि करना।

पूर्वोत्तर राज्यों में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1056. श्री भीम दाहाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक द्वारा इन योजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत इनमें से प्रत्येक राज्य को अब तक क्या लक्ष्य हासिल हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में चलाई जा रही योजनाएं तथा अन्य संबंधित ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

सिक्किम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त चल रही परियोजनाएं

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दाता	करार की तारीख	ऋण/ क्रेडिट राशि	वर्ष के दौरान संवितरण			30.9.2001 तक संचयी संवितरण
					1998-99	1999-2000	2000-01	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आईपीपी-नौवीं परियोजना	आई-डीए	24.06.94	78.60	9.71	6.93	10.41	56.98
2.	जिला प्राथमिक परियोजना-I परियोजना	आई-डीए	22.12.94	260.30	36.99	23.99	21.44	169.15
3.	असम ग्रामीण अव-संरचनात्मक कृषि सहायता परियोजना	आई-डीए	06.06.95	126.00	6.93	10.29	23.70	55.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना-II परियोजना	आई-डीए	18.04.96	395.20	64.01	78.75	75.05	267.36
5.	राज्य सड़क अव-संरचना विकास तकनीकी सहायता परियोजना	आईबी आरडी	15.01.97	46.50	8.28	12.13	9.29	41.45
6.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	आई-डीए	14.03.97	142.40	4.97	0.00	19.89	26.89
7.	उत्पादक बाल स्वास्थ्य सेवा परियोजना	आई-डीए	30.07.97	218.30	3.45	39.47	33.813	109.60
8.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	आई-डीए	30.07.97	164.80	3.78	11.62	12.88	36.63
9.	दूसरी एचआईवी/ एड्स नियंत्रण परियोजना	आई-डीए	14.09.99	194.75	–	5.00	36.36	48.88
10.	टीकाकरण नियंत्रण परियोजना	आई-डीए	19.05.00	142.60	–	–	29.63	52.57
11.	तकनीकी शिक्षा-III परियोजना	आई-डीए	18.10.00	64.90	–	–	2.77	3.13

टिप्पणी: इनमें से कुछ परियोजनाएं उत्तर-पूर्वी राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सांविधिक इकाई में परिवर्तित करना

1057. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी एक केन्द्रीय आदेश द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सांविधिक इकाई में परिवर्तित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीब लोगों के लिए चलाने को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में किसी दोष के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से स्वयं को कानूनी अधिकार से संपन्न करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो आदेश का पालन न करने के लिए दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किये गये; और

(च) इनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने और इसके अधिक जवाबदेह तथा प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया है। इस आदेश में निम्नलिखित मामलों के संबंध में उपबंध हैं:-

(1) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की पहचान करना;

(2) राशन कार्ड;

(3) मात्रा और निर्गम मूल्य;

(4) खाद्यान्नों का वितरण;

(5) लाइसेंसिंग;

(6) मानीटरिंग; और

(7) उल्लंघन के लिए दण्ड।

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले ही क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 13 के अधीन भारत सरकार ऐसे निदेश देने के लिए सशक्त है जिन्हें वह इस आदेश के सभी अथवा किसी उपबंध के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को देना आवश्यक समझती हो और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपबंधों का उपयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वितरण प्रणाली की त्रुटियां दूर करने और इसे पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए किया जा सकता है।

(ङ) और (च) आदेश का अनुपालन न करने के लिए दर्ज मामलों की संख्या और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

आई.एफ.सी.आई को उबारने वाला पैकेज

1058. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.एफ.सी.आई. को उबारने के लिए पैकेज के रूप में 400 करोड़ रुपये जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पैकेज का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारत सरकार ने आई.एफ.सी.आई. के 20 वर्षीय परिवर्तनीय डिबेंचरों में सरकार द्वारा निवेश के लिए 30 अक्तूबर, 2001 को आई.एफ.सी.आई. लि. को 400 करोड़ रुपये दे दिये हैं। आई.एफ.सी.आई. ने इसे भारत सरकार के प्रतिभूतियों में पुन: निवेश कर दिया है। उपर्युक्त पूंजी निवेश आई.एफ.सी.आई. की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी.ए.आर.) को सुधारने के लिए किया गया है। आई.एफ.सी.आई. को निधियों को देते समय अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वे विशेषकर अत्यधिक अनुपयोज्य आस्तियों जैसी बी.आई.एफ.आर. एवं न्यायालयों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटान करने के लिए कदम उठाए, एक सेक्टर-वार दृष्टिकोण के जरिए समस्या के समाधान के लिए आई.एफ.सी.आई. निवेश सूची में अनुपयोज्य आस्ति पर अध्ययन प्रारम्भ करें तथा विदेशी करेंसी एवं घरेलू उधारकर्त्ताओं के संबंध में पुनर्निर्धारण एवं पुनर्वित्त की सम्भावना की खोज करें।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से ग्राहकों को ऋण

1059. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने और जीवन बीमा व्यवस्था क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऋण को कौन-कौन से क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जायेगा;

(घ) क्या इस संबंध में किसी एजेंसी ने नाबार्ड के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय किया है; और

(च) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह फिलहाल जीवन बीमा कम्पनी की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त कर रहा है। तथापि, बीमा कारोबार

करते समय ग्राहकों को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने हेतु फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है फिलहाल इस संदर्भ में सहयोग कर रही किसी एजेंसी से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कनाडा के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का दौरा

1060. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकान्द रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के नेतृत्व में एक 100 सदस्यीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई, 2001 में देश के विभिन्न भागों का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या था;

(ग) भारत और कनाडा के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या कनाडा जी-17 देशों के समूह का एक सदस्य है और विश्व में यह सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है; और

(ङ) यदि हां, तो कनाडा भारत के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने और व्यापार बढ़ाने के प्रति किस सीमा तक सहमत हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री पियरे एस पेट्टिग्रीव के नेतृत्व में एक व्यापार शिष्टमंडल का अक्तूबर, 2001 में भारत दौरे का कार्यक्रम था, लेकिन इस दौरे को कार्य रूप नहीं दिया जा सका।

(ख) से (घ) कनाडा जी-8 समूह का एक देश है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा में वृद्धि

1061. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की वृद्धि कब तक दिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ और अन्यों के मामले में दिनांक 16.11.1992 को दिये गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। इस समय, खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 49.5% पद आरक्षित हैं तथा 50% पद खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षित हैं।

[अनुवाद]

गेहूं के आयात से संबंधित घोटाले

1062. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने आस्ट्रेलिया से वर्ष 1997-98 में किए गए गेहूं के आयात से संबंधित कथित घोटाले की जांच के कार्य को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी/की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके विलंब के क्या कारण हैं और इस जांच-कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) आस्ट्रेलियाई गेहूं बोर्ड से गेहूं का कथित रूप से अनियमित आयात करने की आरम्भिक जांच पूरी करने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले के संबंध में 11.9.2001 को एक नियमित मामला दर्ज किया है। इस संबंध में आगे और जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

सुपर बाजार का बंद किया जाना

1063. **श्रीमती जस कौर मीणा:**
श्री कमलनाथ:
श्री ए. कृष्णा स्वामी:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री के.ई. कृष्णामूर्ति:
श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री रामदास रूपला गावीत:
श्री कुंवर अखिलेश सिंह:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री प्रबोध पण्डा:
श्री अजय चक्रवर्ती:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री शिवाजी माने:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सुपर बाजार के बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुपर बाजार को इस समय विशेषकर 1997 के पश्चात् कितना घाटा हो रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार सुपर बाजार में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ङ) स्थान/संगठन कौन से हैं जहां सरकार का इन कर्मचारियों को खपाने का विचार है और इन्हें कितना मुआवजा दिए जाने की संभावना है और इसका मानदंड क्या है;

(च) क्या केन्द्र सरकार सुपर बाजार को बचाने के लिए किसी वैकल्पिक उपाय पर विचार करेगी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार को किसी बहु-राज्यीय सहकारी संस्था से सुपर बाजार को हस्तांतरित करने की अथवा इसे संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने की कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत दि को-आपरेटिव स्टोर लि. (सुपर बाजार) को 1996-97 से घाटा होना शुरू हुआ जो बाद के वर्षों में बढ़ता ही चला गया। इसके अलावा, सुपर बाजार पर कर्मचारियों के वेतन, आपूर्तिकर्त्ताओं को देय, भुगतान न किए गए लाभांश और सरकारी देनदारियां हैं। सुपर बाजार के सामने आ रही गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का प्रशासन, वाणिज्यिक प्रचालनों तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के रूप में स्टोर के समग्र कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप स्थिति तेजी से बिगड़ी है। इन सभी तथ्यों तथा सुपर बाजार की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए, सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक से बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत सुपर बाजार को बंद करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) सुपर बाजार का वर्ष वार विशेषतौर पर 1997 के बाद घाटा निम्नानुसार है:-

वर्ष	घाटा (रु. लाखों में)
1996-97	(-)67.75
1997-98	(-)321.33
1998-99	(-)706.80
1999-2000	(-)1372.52
2000-2001	(-)1628.57

घाटों के प्रमुख कारण व्यवसायवाद का अभाव और कुप्रबंध, कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कदाचार, कारोबार की मात्रा में तदनुरूपी वृद्धि किए बिना वेतन में गैर-आनुपातिक वृद्धि, आपूर्तिकर्ताओं से उधार में कमी, कर्मचारियों की गैर-आनुपातिक रूप से भारी संख्या के साथ बिक्री में कमी, नियत लागतों के स्तर में वृद्धि और कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता प्रतीत होते हैं।

(घ) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, सुपर बाजार में कुल 2016 कर्मचारी थे।

(ङ) बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत सुपर बाजार को बंद किए जाने पर सुपर बाजार के कर्मचारियों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

(च) और (छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

दक्षेस (सार्क) के वाणिज्य सचिवों की बैठक

1064. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षेस (सार्क) के वाणिज्य सचिवों ने अगस्त, 2001 में आयोजित एक बैठक में विकसित देशों के विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सूची का विस्तार करने के प्रयासों के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी भागीदार इस बात से सहमत हैं कि नयी वचनबद्धताएं और अनुबंधों पर विचार शुरू करने से पूर्व पहले किए गए अनुबंधों को पूरा करना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सिफारिश की है कि विश्व व्यापार संगठन में दक्षेस (सार्क) के राजदूतों द्वारा जिनेवा में जारी विचार-विमर्श को तेज किया जाए ताकि अन्य सामान विचारों वाले देशों को इसमें शामिल किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की कार्यसूची पर बिना किसी विलंब के सहमति हो सके; और

(घ) यदि हां, तो दक्षेस (सार्क) देशों विशेषकर भारत द्वारा इस मुद्दे पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) बहुपक्षीय व्यापार मुद्दों पर सार्क देशों की एक समन्वित कार्य नीति को तैयार करने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 22 अगस्त, 2001 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के वाणिज्य सचिवों की बैठक हुई थी और उन्होंने सार्क वाणिज्य मंत्रियों के विचारार्थ एक संयुक्त वक्तव्य का मसौदा प्रस्तुत किया था। वाणिज्य सचिवों ने इस बात पर जोर दिया था कि कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे उरूग्वे दौर के कगार की उपज हैं और इन्हें किसी बाह्य संबंध के बिना प्राथमिकता आधार पर सुलझाया जाना चाहिए।

(ग) सार्क के वाणिज्य सचिवों ने जेनेवा में दोहा सम्मेलन हेतु तैयारी प्रक्रिया के दौरान अन्य समान विचारों वाले देशों के साथ-साथ जेनेवा में सार्क देशों के राजदूतों के बीच विचार-विमर्श तेज करने की सिफारिश भी की। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र और इसका अधिदेश जिसे पूर्ण पूर्व-परामर्शों और आमराय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, किसी अस्पष्टता की गुंजाईश के बिना स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए और अंतिम क्षण में उक्त घोषणा-पत्र में नए मुद्दों को शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) जेनेवा में डब्ल्यू टी ओ के लिए प्राधिकृत सार्क देशों और अन्य समान विचारों वाले देशों के समूह के राजदूत दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पूर्व और उसके दौरान संपर्क में रहे और उन्होंने विभिन्न अनौपचारिक विचार-विमर्श किए ताकि वे डब्ल्यू टी ओ में अपने सामान्य हितों की कारगर ढंग से रक्षा कर सकें।

हथकरघा मेले

1065. श्री जी.जे. जावीया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में देश के विभिन्न भागों में कितने हथकरघा मेले आयोजित किए गए और इन्हें कहाँ-कहाँ आयोजित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गयी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों को दिये गये धन के उपयोग की निगरानी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आयोजित किये गये मेलों की संख्या तथा उनके लिए प्रदान की गई सहायता तथा स्थलों/राज्यों का विवरण संलग्न हैं।

(ग) और (घ) सम्बन्धित राज्य सरकार/अभिकरण से निधियों की सदुपयोगिता के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अंतिम राशि जारी की जाती हैं।

विवरण

1999-2000 के दौरान आयोजित किए गये राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो/विशेष एक्सपो

क्रम सं.	मेलों तथा राज्य का नाम	अवधि	स्थल	भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	10.10.99 से 31.10.99	नई दिल्ली	16,46,845/-
2.	विशेष एक्सपो (सिल्क फैब)	23.10.99 से 03.11.99	नई दिल्ली	18,43,865/-
3.	विशेष एक्सपो (आईआईएफटी-1999)	14.11.99 से 27.11.99	नई दिल्ली	4,30,995/-
4.	जम्मू व कश्मीर राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	27.12.99 से 13.01.2000	जम्मू	15,89,200/-
5.	मध्य प्रदेश राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	10.10.99 से 02.11.99	भोपाल	35,79,649/-
6.	महाराष्ट्र राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	17.12.99 से 09.01.2000	मुम्बई	38,00,000/-
7.	उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	23.03.2000 से 16.04.2000	कानपुर	34,10,602/-
8.	पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	11.02.2000 से 05.03.2000	कोलकाता	30,12,720/-

2000-2001 के दौरान आयोजित किए गये राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो/विशेष एक्सपो

क्रम सं.	मेलों तथा राज्य का नाम	अवधि	स्थल	भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	20.09.2000 से 15.10.2000	हैदराबाद	33,76,559/-

1	2	3	4	5
2.	असम राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	16.03.2001 से 08.04.2001	गुवाहाटी	37,20,000/-
3.	विशेष एक्सपो (एक जागरण)	20.01.2001 से 04.02.2001	गुवाहाटी	4,00,000/-
4.	दिल्ली राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	04.10.2000 से 20.10.2000	नई दिल्ली	17,21,338/-
5.	विशेष एक्सपो (सिल्क फैब)	11.10.2000 से 22.10.2000	नई दिल्ली	20,58,615/-
6.	विशेष एक्सपो (आईआईएफटी-2000)	14.11.2000 से 27.11.2000	नई दिल्ली	4,00,000/-
7.	विशेष एक्सपो (उन)	30.12.2000 से 13.01.2001	नई दिल्ली	8,65,227/-
8.	महाराष्ट्र राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	22.12.2000 से 14.01.2001	पूना	38,00,000/-
9.	नागालैंड विशेष प्रदर्शनी (होरन बिल फैस्टीबल)	01.12.2000 से 05.12.2000	कोहिमा	4,70,500/-
10.	राजस्थान राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	28.11.2000 से 18.12.2000	जयपुर	18,00,000/-
11.	उत्तर प्रदेश विशेष एक्सपो (सिल्क फैब)	23.12.2000 से 03.01.2000	लखनऊ	2,00,000/-

1999-2000 के दौरान आयोजित किए गये जिला स्तर के मेले/त्यौहार

क्रम सं.	मेलों तथा राज्य का नाम	अवधि	स्थल	भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश चनैथा साम्बरम	06.10.99 से 19.10.99	हैदराबाद	1,90,363.00
2.	चनैथा सान्दादी	06.10.99 से 10.10.99	विजयवाड़ा	1,74,270.00
3.	अरुणाचल प्रदेश गणतंत्र दिवस	26.01.2000 से 28.01.2000	इटानगर	1,30,560.00
4.	असम दुर्गा पूजा मेला	16.10.99 से 20.10.99	दारंग	1,99,886.00

1	2	3	4	5
5.	माली पूजा त्यौहार	06.11.99 से 09.11.99	जनसुखिया	2,00,000.00
6.	क्रिसमस सैल	03.12.99 से 12.12.99	सिलोंग	2,00,000.00
7.	मांगई सैल	03.01.2000 से 12.01.2000	अगरतला	2,00,000.00
8.	एक्स जागरण	18.02.2000 से 27.02.2000	इटानगर	2,00,000.00
9.	एक्स जागरण हैडवोवन	20.12.99 से 30.12.99	गुवाहाटी	4,00,000.00
10.	दोल उत्सव	26.03.2000 से 13.04.2000	तेजपुर	2,00,000.00
11.	बोदो साहित्य सभा	25.02.2000 से 27.02.2000	कोकराझार	1,99,938.00
12.	दिल्ली दशहरा त्यौहार	16.10.99 से 27.10.99	लक्ष्मी नगर	2,00,000.00
13.	दीपावली त्यौहार	27.10.99 से 7.11.99	मधुबन चौक	2,00,000.00
14.	गुजरात नवरात्रि उत्सव	02.10.99 से 10.10.99	बड़ौदा	1,91,416.00
15.	दीपावली उत्सव	29.10.99 से 04.11.99	अहमदाबाद	2,00,000.00
16.	महाशिवरात्रि	01.03.2000 से 05.03.2000	जूनागढ़	1,73,683.00
17.	हरियाणा दुर्गा अष्टमी (मनशा देवी)	10.10.99 से 18.10.99	पंचकुला	1,61,202.00
18.	कार्तिक कलचर त्यौहार	15.11.99 से 21.11.99	बलवगढ़	2,00,000.00
19.	हिमाचल प्रदेश रेणुकजी	18.11.99 से 23.11.99	सीरमोर	1,25,027.00
20.	लावी मेला	11.11.99 से 16.11.99	शिमला	86,105.00

1	2	3	4	5
21.	क्रिसमय/नया वर्ष	24.12.99 से 02.01.2000	शिमला	1,70,715.00
22.	नवरात्रा मेला	10.10.99 से 19.10.99	ज्वालाजी	80,296.00
23.	जम्मू व कश्मीर अमरनाथ जी यात्रा	19.08.99 से 26.08.99	बलटाल श्रीनगर	1,98,120.00
24.	कर्नाटक श्री कल्लुर मोकाबिका देवी जैथरा	07.03.2000 से 12.03.2000	दक्षिण कन्नड़	1,81,917.00
25.	लोर्ड नरसिमा जैथरा	25.03.2000 से 03.04.2000	जिला मंडाया	1,38,160.00
26.	मध्य प्रदेश महा शिवरात्रि मेला	25.12.99 से 06.01.2000	भोपाल	2,00,000.00
27.	जागर उत्सव	30.01.2000 से 10.02.2000	रायपुर	2,00,000.00
28.	दुर्गा मेला	02.12.99 से 10.12.99	दुर्ग	2,00,000.00
29.	महाराष्ट्र जिला स्तर प्रदर्शनी	06.12.99 से 15.12.99	पूना	1,92,950.00
30.	मणिपुर कोणगजोम दिवस फैस्टीव मेला	22.04.99 से 30.04.99	थाऊबाल	1,81,763.00
31.	मेघालय हथकरघा प्रदर्शनी	02.12.99 से 06.12.999	तुरा	1,60,972.00
32.	नागालैंड शेखरीनजी (अंगामी)	15.03.2000 से 24.03.2000	कोहिमा	2,00,000.00
33.	उड़ीसा एक्स मास मेला	30.12.99 से 08.01.2000	पूरी	1,99,015.00
34.	पंजाब मेघा मेला	11.01.2000 से 14.01.2000	मुक्तसर	95,504.00
35.	राजस्थान क्राफ्ट इंडिया 1999	25.10.99 से 03.11.99	जयपुर	2,00,000.00
36.	सिक्किम गंगटोक क्राफ्ट मेला	14.11.99 से 20.11.99	गंगटोक	1,99,470.00

1	2	3	4	5
37.	त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला	05.10.99 से 14.10.99	अगरतला	2,00,000.00
38.	हथकरघा मेला (बसतर मेला)	08.12.99 से 14.12.99	धर्मा नगर	1,18,946.00
39.	उत्तर प्रदेश जिला स्तर प्रदर्शनी	21.10.99 से 5.11.99	ओबरा (वाराणसी)	1,96,044.00
40.	लखनऊ महाउत्सवा	25.11.99 से 05.12.99	लखनऊ	1,98,459.00
41.	नुमाइश मेला	09.03.2000 से 16.03.2000	हरदोई	1,97,553.00
42.	पश्चिम बंगाल शरर्दिया बसतर मेला	28.09.2000 से 12.10.99	चिनसूरच (हुगली)	2,00,000.00
43.	बसंती का टेंट बसतर प्रदर्शनी	03.04.99 से 12.04.99	कोंटई (मिदनापुर)	1,00,702.00

2000-2001 के दौरान आयोजित किए गये जिला स्तर मेले/त्यौहार

क्रम सं.	मेलों तथा राज्य का नाम	अवधि	स्थल	भारत सरकार द्वारा किया गया व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश चनैथा कालंजली	24.07.2000 से 03.08.2000	विजयवाड़ा	1,98,500/-
2.	चनैथा साम्बरम	01.08.2000 से 11.08.2000	विशाखापत्तनम	1,81,925/-
3.	चनैथा लायलू	14.12.2000 से 24.12.2000	वारंगल	1,97,283/-
4.	चनैथा मुरीपाल्लू	25.12.2000 से 05.01.2001	तिरूपति	1,94,523/-
5.	चनैथा हरिविल्लू	03.01.2000 से 12.01.2001	हैदराबाद	1,93,565/-
6.	अरुणाचल प्रदेश लूजर त्यौहार	05.02.2001 से 09.02.2001	दीरंग/रूपा/ बोमदीला	1,61,010/-
7.	न्योकुल त्यौहार	22.02.2001 से 31.03.2001	जीरो/हापल्ली/ पैलीन	1,90,000/-

1	2	3	4	5
8.	असम शारीदीया बसतर उत्सवा	10.09.2000 से 02.10.2000	रीबारी (गुवाहाटी)	2,00,000/-
9.	दुर्गा पूजा मेला	15.09.2000 से 16.10.2000	अगरतला	2,00,000/-
10.	काली पूजा	05.11.2000 से 09.11.2000	दीबरूगढ़	2,00,000/-
11.	माली पूजा मेला	06.11.2000 से 09.11.2000	तिनसुखीया	2,00,000/-
12.	रस यात्रा	21.11.2000 से 29.11.2000	नालीबारी	2,00,000/-
13.	क्रिसमस दिवस	14.12.2000 से 25.12.2000	शिलांग	2,00,000/-
14.	जोन बिल मेला	18.01.2001 से 21.01.2001	मोरी गांव	1,58,180/-
15.	नेताजी मेला	23.01.2001 से 04.02.2001	करीमगंज	1,59,300/-
16.	गांधी मेला	30.01.2001 से 05.02.2001	सीलचर	1,58,178/-
17.	असम साहित्य सभा	07.02.2001 से 11.02.2001	डिबरूगढ़	2,00,000/-
18.	जिला स्तर इवेटस	25.03.2001 से 13.04.2001	तेजपुर	2,00,000/-
19.	छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ उत्सव	01.03.2001 से 15.3.2001	दिल्ली हाट, नई दिल्ली	2,00,000/-
20.	दिल्ली गुरु नानक जयंती	07.11.2000 से 16.11.2000	गुलाबी बाग	2,00,000/-
21.	होई अष्टिमी	19.10.2000 से 28.10.2000	प्रीतमपुरा	**1,00,000/-
22.	क्रिसमस (एक्स मास)	21.12.2000 से 31.12.2000	गोबिंदपुरी	2,00,000/-
23.	गुजरात तारनेतार मेला	02.09.2000 से 04.09.2000	तारनेतार	*-

1	2	3	4	5
24.	नवरात्रि उत्सव	01.10.2000 से 08.10.2000	बड़ौदा	*–
25.	दिपावली मेला	15.10.2000 से 22.10.2000	सूरत	*–
26.	क्रिसमस मेला	25.12.2000 से 29.12.2000	आनन्द	*–
27.	महाशिवरात्रि मेला	17.02.2001 से 22.02.2001	जूनागढ़	**1,00,000/–
28.	हरियाणा दुर्गाअष्टमी	28.09.2000 से 05.10.2000	पंचकुला	1,73,035/–
29.	कपल मोचन मेला	09.11.2000 से 11.11.2000	जिला विलासपुर यमुना नगर	1,53,570/–
30.	हिमाचल प्रदेश ज्वालाजी नवरात्रा मेला	28.09.2000 से 07.10.2000	कांगड़ा	1,37,270/–
31.	कुल्लु दशहरा	07.10.2000 से 13.10.2000	कुल्लु	1,30,083/–
32.	रेणुका मेला	06.11.2000 से 11.11.2000	सीरमोर	1,15,653/–
33.	क्रिसमस/नववर्ष मेला	24.12.2000 से 02.01.2001	शिमला	1,73,380/–
34.	शिवरात्रि मेला	21.02.2001 से 28.02.2000	मंडी	1,60,158/–
35.	अमरनाथ जी यात्रा	22.07.2000 से 15.08.2000	पहलगांव	1,98,280/–
36.	अमरनाथ यात्रा	01.08.2000 से 20.08.2000	बालतल	2,00,000/–
37.	हथकरघा मेला	28.09.2000 से 06.10.2000	कटरा	2,00,000/–
38.	दिवाली मेला	24.10.2000 से 03.11.2000	उधमपुर	*–
39.	कर्नाटक कोटेश्वरा जाथैरे	17.02.2001 से 22.02.2001	कौटूर	99,338/–

1	2	3	4	5
40.	जिला स्तरीय मेले	21.01.2001 से 25.01.2001	मैसूरे	1,99,868/-
41.	जिला स्तरीय मेले	15.03.2001 से 25.03.2001	तुमकुर	*-
42.	जिला स्तरीय मेले	25.03.2001 से 03.04.2001	मांडैया	*-
43.	मध्य प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी (गांधी जयंती)	02.10.2000 से 12.10.2000	कोरबा	**1,00,000.00
44.	दिपावली त्यौहार	10.10.2000 से 20.10.2000	बिलासपुर	**1,00,000/-
45.	दिपावली (हथकरघा मेला)	16.10.2000 से 25.10.2000	इंदौर	1,76,222/-
46.	मकर संक्रांति पर्व	11.11.2000 से 19.12.2000	जबलपुर	2,00,000.00
47.	महाशिवरात्रि पर्व	25.12.2000 से 07.01.2001	भोपाल	2,00,000.00
48.	हथकरघा मेला	01.02.2001 से 14.02.2001	भिलाई (दुर्ग)	2,00,000.00
49.	मणिपुर कोगंजोमवार मैमोरियल मेला 2000	21.04.2000 से 27.04.2000	थउवाल	2,00,000.00
50.	निगोल चाकुबा फैस्टिव मेला	26.10.2000 से 01.11.2000	इम्फाल	2,00,000.00
51.	निगोल चाकुबा फैस्टिव मेला	25.10.2000 से 31.10.2000	विष्णुपुर	2,00,000.00
52.	मेघालय प्रदर्शनी सह बिक्री	05.12.2000 से 09.12.2000	शिलोंग	1,93,025.00
53.	मिजोरम बुगलई जिला स्तर हथकरघा मेला	01.09.2000 से 16.09.2000	लुगई टाऊन	2,00,000.00
54.	अजवाल जिला स्तर हथकरघा मेला	01.11.2000 से 17.11.2000	अजवाल	2,00,000.00

1	2	3	4	5
55.	नागालैंड नाकनूलूम (चैनज) त्यौहार	10.07.2000 से 19.07.2000	तूनसग टाऊन	1,94,250.00
56.	अनोगमोग (संगतम) त्यौहार	06.09.2000 से 15.9.2000	कीपहेर टाऊन	1,94,874.000
57.	तसोकुम (किमानागन) त्यौहार	09.10.2000 से 18.10.2000	नोकलाक टाऊन	1,95,273.00
58.	उड़ीसा बालीयात्रा मेला	11.11.2000 से 17.11.2000	कटक	2,00,000.00
59.	मकर त्यौहार	02.01.2001 से 12.01.2001	मयूभाम	*–
60.	पंजाब शहीदी जोर मेला	26.12.2000 से 28.12.2000	फतहगढ़ साहिब	1,35,570.00
61.	होला मोहल्ला	मध्य मार्च 2000 से	आनंद पुर साहब	**1,00,000.00
62.	राजस्थान क्राफ्ट इंडिया-2000	14.11.2000 से 23.10.2000	जयपुर	**1,00,000.00
63.	मेवाड़ उद्योग उत्सव-2000	02.12.2000 से 11.12.2000	चित्तोड़गढ़	*–
64.	अजमयूरू उद्योग क्राफ्ट मेला-2000	जनवरी, 2001	अजमेर	**1,00,000.00
65.	हदोती उद्योग मेला	25.02.2001 से 04.03.2001	कोटा	**1,00,000.00
66.	पांचती राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेला	02.01.2001 से 11.01.2001	जोधपुर	*–
67.	सिक्किम पंगामाबसोल	15.09.2000 से 19.09.2000	राबोंगल्ला	1,97,425.00
68.	गंगटोक क्राफ्ट मेला	07.12.2000 से 12.12.2000	गंगटोक	2,00,000.00
69.	नामपरी दांगलोसोग मेला	19.12.2000 से 25.12.2000	दजोगू	1,99,350.00

1	2	3	4	5
70.	लेगशीप मेला	22.02.2000 से 28.02.2000	लेगशीप	1,99,500.00
71.	त्रिपुरा सारदीया हस्त करू एवं वस्त्र मेला	23.09.2000 से 02.10.2000	अगरतला	2,00,000.00
72.	शीतकालीन हथकरघा/ हस्तशिल्प मेला	02.12.2000 से 11.12.2000	उदयपुर	1,99,605.00
73.	उत्तर प्रदेश सावन झूला मेला	07.08.2000 से 16.08.2000	अयोध्या	1,66,953.00
74.	सावन मेला आनंदेश्वर	28.07.2000 से 20.08.2000	परमात कानपुर	1,99,949.00
75.	सावन मेला सिद्धनाथ	08.08.2000 से 20.08.2000	जाजमुऊ कानपुर	1,99,951.00
76.	हथकरघा प्रदर्शनी	01.10.2000 से 10.10.20000	रेनकुट	**1,00,000.00
77.	कार्तिक पूर्णिमा मेला	05.11.2000 से 15.11.2000	वाराणसी	1,99,383.00
78.	नुमाइश मेला	24.02.2001 से 04.03.2001	हरदोही	1,97,904.00
79.	मकर संक्रांति मेला	14.01.2001 से 23.01.2001	गोरखपुर	1,22,905.00
80.	भुवनेश्वर (चकालबंशी)	मार्च-2001	उनऊ	**1,00,000.00
81.	सलदीया वस्त्र मेला	20.09.2000 से 01.10.2000	चिनसूरा	2,00,000.00
82.	कृषि ओ शिल्प मेला-2000	15.12.2000 से 04.01.2001	रायगंज	*-
83.	टेन्ट वस्त्र प्रदर्शनी ओ मेला-2000	02.04.2000 से 11.4.2000	कोन्टई	1,65,160.00
84.	शारदीया साड़ी मेला	02.09.2000 से 14.09.2000	आसनसोल	2,00,000.00
85.	टेन्ट वस्त्र प्रदर्शनी-2000	16.09.2000 से 25.09.2000	मिदनापुर	1,74,579.00

*कोई अग्रिम भुगतान जारी नहीं किया गया है। अंतिम भुगतान अभी जारी किया जाना है।

**केवल अग्रिम भुगतान। अंतिम भुगतान अभी जारी किया जाना है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

1066. श्री तूफानी सरोज:
श्री भालचन्द्र यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाएं घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शाखाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन्हें कितना घाटा हुआ;

(ग) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में चल रही शाखाओं का समूह-वार ब्यौरा उनके द्वारा उठाई गई हानियों समेत नीचे दिया गया है:-

(रु. करोड़ में)

समूह	मार्च, 1999		मार्च, 2000		मार्च, 2001	
	शाखाओं की सं.	अन्तर्ग्रस्त राशि	शाखाओं की सं.	अन्तर्ग्रस्त राशि	शाखाओं की सं.	अन्तर्ग्रस्त राशि
महानगरीय	132	52.07	244	97.05	335	126.57
शहरी	92	9.52	286	35.98	309	44.38
अर्द्धशहरी	49	2.98	101	7.34	95	9.05
ग्रामीण	316	16.71	402	22.29	324	23.63

(ग) ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में उठाई गई हानियों के कारण नीचे दिए गए हैं:-

1. कारोबार की कम मात्रा।
2. सतत् आधार पर कारोबार का अपर्याप्त विकास।
3. उचित आधारभूत सामग्री/स्टाफ संख्या की कमी।
4. बैंक के परिचालन की उच्च निर्धारित लागत
5. अल्प परिचालन मार्जिन
6. निर्दिष्ट ऋण एवं कम वसूली के कारण एन.पी.ए. में पर्याप्त बढ़ोत्तरी।
7. उत्तरी और उत्तरी-पूर्वी राज्यों में प्रतिकूल कानून और व्यवस्था के कारण इन क्षेत्रों में कुछ शाखाओं की निर्बाध कार्यप्रणाली पर असर हुआ जिसके परिणाम स्वरूप कम मात्रा में कार्य हुआ और कम आय हुई।
8. प्राइवेट/विदेशी बैंकों के साथ प्रौद्योगिकी अनुकूल सेवाओं समेत कड़ी प्रतियोगिता।
9. समिति शाखाओं में लाभप्रद कारोबार की अनुपलब्धता।
10. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.), जहां शाखाएं स्थापित है, के भाग्य के साथ सीमित शाखाओं में कारोबार की मात्रा में गिरावट।
11. उपरि व्यय उच्च स्तर पर/परिसरों के लिए उच्च किराया लागत।
12. घाटे में चल रही शाखाओं (एल.एम.बी.) के आस्ति संविभाग में अल्प निवल आय सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम शामिल हैं।
13. उच्च अनुप्रयोज्य आस्तियां।

(घ) भारतीय स्टेट बैंक ने उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. गैर-निधि आधारित कारोबार पर ज्यादा ध्यान देना।
2. नियंत्रण खर्चों में कटौती।
3. सभी घाटे में चल रही शाखाओं के कारोबार एवं परिणाम की सूक्ष्म निगरानी।
4. जब हानियां बनी हुई है और इन्हें लाभ में बदलने के अवसर नजर नहीं आते हैं, तब भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विषय/समापन/पुन: अवस्थापन के विकल्पों पर विचार करने के लिए विशेष रूप से महानगरीय/शहरी केन्द्रों में घाटे में चल रही शाखाओं के लिए उपलब्ध कारोबार संबंधी अवसरों का अध्ययन।
5. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार महानगरीय/शहरी केन्द्रों में उस क्षेत्र में उपलब्ध सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए घाटे में चल रही शाखाओं का पुन: अवस्थापन।
6. जहां संभव हो, ग्रामीण एल.एम.बी. को अनुषंगी कार्यालयों में बदलने का समर्थन करना।

[अनुवाद]

वित्तीय घाटा

1067. श्री सुरेश कुरूप:
श्री तरित वरण तोपदार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय घाटा चिन्ताजनक रूप से बढ़ रहा है और केन्द्र सरकार वर्तमान स्थिति से निपटने में अक्षम है;

(ख) यदि हां, तो इस समय वस्तुत: कितना वित्तीय घाटा हुआ है और गत दो वर्षों के दौरान तुलनात्मक स्थिति क्या थी;

(ग) चरणबद्ध तरीके से वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार वित्तीय घाटे की समस्या से निपटने में किस सीमा तक सफल हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) और (ख) महालेखा नियंत्रक के अनुसार, अप्रैल-सितम्बर, 2001 की अवधि के लिए राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 57262 करोड़ रु. पर 34.4 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी है। वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राजकोषीय घाटा तदनुरूपी अवधि में क्रमश: 52,395 करोड़ रु. और 42592 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ) आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित करने और राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए, सरकार बेहतर राजकोषीय प्रबंध की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। राजकोषीय समेकन प्राप्त करने की दृष्टि से वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्र सरकार के व्यय संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने, व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाते समय आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मित्वययिता लाने की प्रक्रिया के माध्यम से, व्यय प्रबंध करने पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट में कई तरह की पहल की गई हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ नई भर्ती को कुल सविलियन स्टाफ संख्या के एक प्रतिशत तक सीमित रखना, सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए इनके उपभोक्ता प्रभारों में संशोधन करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा ब्याज के भार को कम करने की दृष्टि से, अधिकांश नियंत्रित ब्याज दरों में 01 मार्च, 2001 से 1.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 2000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 संसद में पेश किया गया था इस विधेयक में ऋण घाटे और उधार की उच्चतम सीमा से संबंधित प्रावधान शामिल है।

विश्व व्यापार संगठन के विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना

1068. श्री अम्बरीश: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में विश्व व्यापार संगठन के विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार अपने-अपने राज्यों में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित कर चुके राज्यों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को डब्ल्यू प्रकोष्ठ की स्थापना करने और डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित विभिन्न मामलों के प्रभावी समन्वय हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने की सलाह दी थी।

(ग) अब तक आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, हरियाणा की राज्य सरकारों और

संघशासित क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली ने डब्ल्यू.टी.ओ. प्रकोष्ठ की स्थापना की है। पंजाब की राज्य सरकार ने भी पंजाब की अर्थव्यवस्था पर उभरती हुई डब्ल्यू.टी.ओ. प्रणाली के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

हीरा व्यापारियों के परिसरों पर आयकर के छापे

1069. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग के अधिकारियों ने हाल में दिल्ली में हीरे के दो प्रसिद्ध व्यापारियों के परिसरों पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छापों के दौरान क्या जब्ती की गई; और

(घ) गत तीन आकलन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन्होंने वास्तव में कितना आयकर दिया और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। आयकर विभाग द्वारा दिल्ली के निम्नलिखित दो विख्यात हीरा व्यापारियों के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई थी:

(1) मैसर्स चावला ज्वैलर्स, 2645 बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली,

(2) मैसर्स चम्पालाल ज्वैलर्स, 1070, मालीवाहा, चांदनी चौक, दिल्ली-6

तलाशी के परिणामस्वरूप निम्नानुसार जब्तियां की गई थी,

नाम	बेहिसाबी नकदी (रुपये में)	जेवरात (रुपये में)
चावला ज्वैलर्स	2,05,000	4,02,06,934
चम्पालाल ज्वैलर्स	3,31,79,300	8,65,12,756

(घ) उपर्युक्त कर निर्धारितियों द्वारा वास्तव में चुकाया गया आयकर और उनके विरुद्ध बकाया करों का उल्लेख नीचे किया गया है।

नाम	चुकाये गये कर (रुपये में)			बकाया कर (रुपये में)		
	कर नि. वर्ष 1999-2000	कर नि. वर्ष 2000-2001	कर नि. वर्ष 2001-2002	कर नि. वर्ष 1999-2000	कर नि. वर्ष 2000-2001	कर नि. वर्ष 2001-2002
(1) चावला ज्वैलर्स	56,095	5,000	13,800	शून्य	शून्य	शून्य
(2) चम्पालाल ज्वैलर्स	99,970	39,80,402	16,93,919	शून्य	शून्य	शून्य

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा वस्तुओं का परीक्षण

1070. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अधिकारी क्रेताओं को जारी किए जाने से पहले वस्तुओं का निरीक्षण नहीं करते हैं और उनमें से कई वस्तुएं खराब पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में ऐसे कितने मामले आये हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा रेलवे को आपूर्ति की गयी रेलपटरियां पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा किए गए परीक्षण के बावजूद खराब पायी गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार मामले की जांच करेगी और दंडात्मक कार्यवाही करेगी;

(ङ) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों ने अपने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है; और

(च) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामले जानकारी में आये हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सामान्य नियम के अनुसार डी.जी.एस. एंड डी की संविदाओं पर की जाने वाली आपूर्तियों का निरीक्षण प्रेषण-पूर्व स्तर पर डी.जी.एस. एंड डी. की गुणवत्ता आश्वासन शाखा द्वारा किया जाता है। केवल उन स्टोरों को प्रेषण हेतु अनुमति दी जाती है जो संविदा के विनिर्देशनों के पूर्णत: अनुरूप होते हैं और जिन्हें संबंधित निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विधिवत प्रमाणित किया जाता है। तथापि, कुछेक ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें परेषिति ने निरीक्षित स्टोरों की गुणवत्ता पर विवाद उठाया हो। ऐसे मामलों में परेषिती के प्रतिनिधियों के सहयोग से संयुक्त निरीक्षण प्रणाली के जरिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) 1997 में डी.जी.एस. एंड डी. की गुणवत्ता आश्वासन शाखा द्वारा निरीक्षित रेल पटरियों को अस्वीकार किए जाने का एक मामला बना था। यह पाया गया था कि उक्त अस्वीकृति का कारण रेल पटरियों में सतही खराबियां थी जो प्रेषण के बाद पैदा हुई थी। डी.जी.एस. एंड डी. भिलाई इस्पात संयंत्र, दि मैन्युफैक्चरर्स एंड रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैण्डर्डस आर्गेनाइजेशन (आर.एस.डी.ओ.) के अधिकारियों के एक दल द्वारा इन खराबियों के कारणों की जांच की गयी थी। इस दल के जांच परिणामों के आधार पर समुचित उपाय किए गए थे। उसके बाद इस खराबी की पुनरावृत्ति होने की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) और (च) इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है। सी.बी.आई./सर्तकता द्वारा की गयी जांच पड़ताल के आधार पर अब तक किसी शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी है।

बी.आई.एफ.आर. को समाप्त किया जाना

1071. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को समाप्त करने और इसके बदले नया निकाय लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.), जिसके अधीन औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की गई थी, ने औद्योगिक रूग्णता की समस्या का कारगर ढंग से समाधान नहीं किया है। एस.आई.सी.ए. के प्रवर्तित करने पर जो कमियां ध्यान में आईं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल थीं:

- रुग्णता की सीमित परिभाषा;
- बी.आई.एफ.आर. के हस्तक्षेप की धीमी गति; और
- रुग्ण कंपनियों के परिसमापन में विलम्ब।

एस.आई.सी.ए. को निरसित करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 नामक एक विधेयक 30.8.2001 को लोक सभा में पेश किया गया था। साथ ही, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 नामक एक अन्य विधेयक भी पेश किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि बोर्ड अधिकरण की स्थापना का प्रावधान है, जिसे वे शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनका प्रयोग इस समय (क) कंपनी विधि बोर्ड (क) कंपनियों के परिसमापन और योजनाओं के सम्मेलन के संबंध में उच्च न्यायालयों और (ग) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन बी.आई.एफ.आर./ ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा किया जाता है।

एल्युमिनियम पर आयात शुल्क

1072. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल्युमिनियम (द्वितीयक) उद्योग से एल्युमिनियम पर आयात शुल्क को कम करने की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मांगें क्या हैं;

(ग) आयातित मूल एल्युमिनियम का उपयोग करने वाले उद्योग स्वदेशी मूल एल्युमिनियम का उपभोग करने वालों की तुलना में किस प्रकार अलाभकारी स्थिति में हैं तथा शुल्कों सहित स्वदेशी उत्पादन की लागत कितनी है और सीमा शुल्क तथा अन्य करों सहित आयातित एल्युमिनियम की तुलनात्मक लागत कितनी है; और

(घ) सरकार की इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) एल्युमिनियम पर सीमा शुल्क घटाने/समाप्त करने के बारे में कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार, आयातित एल्युमिनियम की उतराई लागत 102,954 रुपये प्रति टन (सितम्बर, 2001 तक) बतायी गई है। इसके विपरीत स्वदेशी एल्युमिनियम का बाजार मूल्य 94,500 रुपये प्रति टन बताया गया था। तथापि, देश में एल्युमिनियम का कुल उत्पादन और घरेलू खपत लगभग बराबर है।

(घ) अभ्यावेदनों की जांच की गई है। सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, सरकार वे एल्युमिनियम पर मौजूदा शुल्क को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात

1073. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से कपास, धागों, कपड़ों और सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और वर्ष 2000-2001 के दौरान मदवार कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) क्या उक्त मदों के निर्यात से लाभ आयात लगातार बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो मदों से कितना लाभ प्राप्त होता है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में लाभ अनुपात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 और 2000-2001 के दौरान देश से वस्त्र निर्यात का मदवार मूल्य नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये में)/(मिलियन अमरीकी डालर में)

मद	1996-97		2000-2001	
	रुपये	अमरीकी डालर	रुपये	अमरीकी डालर
सिले सिलाये परिधान	13324.1	3753.3	25470.9	5569.5
सूती वस्त्र	12656.6	3565.3	16211.7	3548.2
मानव निर्मित वस्त्र	2561.3	721.5	5004.4	1095.3
ऊन व ऊनी वस्त्र	367.9	103.7	236.2	63.8
रेशम	457.1	128.8	1457.7	318.9
कुल	29367.2	8272.5	48380.9	1059.6

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस.

(ग) और (घ) लाभांश विशिष्ट निर्यातकों द्वारा वसूल किया जाता है जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें किस्म, गुणवत्ता, कीमत, मांग और पूर्ति की स्थिति आदि जैसे प्रमुख वाणिज्यिक कारक शामिल है। सरकार इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के आंकड़े नहीं रखती है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे वस्त्र और क्लोदिंग उत्पादों की लागत संबंधी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में अनेक उपाय किये है जिनमें शामिल हैं:

(1) परिधान और वस्त्र निर्यातकों को निरंतरता के आधार पर कोटा प्रदान करने की दृष्टि से कोटा नीतियों की पहले आओ पहले पाओ/सिले-सिलाये परिधान हकदारी प्रणालियों के अंतर्गत अधिकांश श्रेणियों के लिए व्यापक अतिरिक्त मात्राएं खोली गई है।

(2) पारगमन की लागत और निर्यातकों के समय को कम करने के लिए कुछ श्रेणियों के लिए इ.एम.डी./बीजी की राशि को कम किया गया है और कोटे को प्रयुक्त करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त

पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत ऐसी सभी श्रेणियों के लिए लाईसेंस की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। जिनके पास शेष वर्ष के लिए अधिशेष मात्राएं विद्यमान हैं।

(3) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीइपीबी की दरों को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2001-02 के बजट में वस्त्र पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र पैकेज के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध हैं:

1. वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क के ढांचे को सामान्यत: सुव्यस्थित बनाया गया है ताकि विकास और अधिकतम मूल्य संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके।

2. 159 विशिष्ट वस्त्र और परिधान मशीनों पर सीमा शुल्क 15% से घटा कर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शटल रहित करघों सहित मशीनों की 12 मुख्य मदों पर भी प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50 हजार शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वस्त्र उद्योग को ब्याज में 5% की प्रतिपूर्ति की सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टी.यू.एस.एफ. के अंतर्गत मशीनों के लिए मूल्यह्रास भत्ते की दर को बढ़ा कर 50% कर दिया गया है।

4. परिधानों के निर्यात के लिए अपैरल पार्कों की स्थापना करने के प्रयोजन से वर्ष 2001-2002 के बजट में 10 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की भी व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

परिवहन राजसहायता नीति

1074. श्री अनिल बसु:
श्री पी. मोहन:
श्री सुबोध राय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1971 में दूरदराज, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण के लिए शुरू की गई परिवहन राजसहायता योजना में वर्ष 1999-2000 तक कुल 530.77 करोड़ रुपये की राजसहायता दी गई;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के लिये राज्यवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या योजना के लक्ष्य पूरे हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन.पी.सी.) ने मार्च, 2001 में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की और कारखानों की संख्या, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि के रूप में औद्योगिकीकरण के विकास की सूचना दी। रिपोर्ट में लाभग्राही राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास और औद्योगिक एककों के विस्तार/विविधता जैसे अप्रत्यक्ष लाभों का भी अभिज्ञान किया गया।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2000-01
1	2	3
1.	असम	16.69
2.	मणिपुर	–
3.	त्रिपुरा	0.69
4.	अरुणाचल प्रदेश	–
5.	मेघालय	2.62

1	2	3
6.	नागालैंड	–
7.	मिजोरम	–
8.	सिक्किम	–
9.	हिमाचल प्रदेश	40.38
10.	जम्मू और कश्मीर	2.76
11.	उत्तर प्रदेश	0.007
12.	अण्डमान और निकोबार	0.33
13.	लक्षद्वीप	–
14.	पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग)	–
	योग	63.477

[हिन्दी]

बैंक शाखाओं का विलय

1075. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री अरुण कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कई शाखाओं का विलय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान बैंकवार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कितनी शाखाओं का विलय हुआ/बंद की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र के अहमदनगर में यूको बैंक की मुंगी शाखा का भी विलय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो विलय के बाद वर्तमान स्थिति क्या है और क्या बैंक की उक्त शाखा को संचालनात्मक बनाने हेतु क्षेत्र के लोगों ने कोई प्रस्ताव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीयकृत बैंक की 249 शाखाओं का विलय पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-2001 के दौरान किया जा चुका है। विलयित शाखाओं का बैंक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
इलाहाबाद बैंक	1	पंजाब एंड सिंध बैंक	1
आन्ध्रा बैंक	1	पंजाब नैशनल बैंक	20
बैंक आफ बड़ौदा	1	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	2
बैंक आफ इंडिया	3	भारतीय स्टेट बैंक	14
बैंक आफ महाराष्ट्र	1	सिंडिकेट बैंक	3
केनरा बैंक	4	यूको बैंक	44
देना बैंक	12	यूनियन बैंक आफ इंडिया	45
इंडियन बैंक	67	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	20
इंडियन ओवरसीज बैंक	4	विजया बैंक	6

(ग) से (ङ) जी, हां। यूको बैंक की मुंगी पैथन शाखा का विलय अहमदनगर शाखा के साथ किया गया है। मुंगी पैथन शाखा के कार्यक्षेत्र में आने वाले 5 गांवों को उस क्षेत्र के अन्य वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं में पुन: बांटा गया था। मुंगी पैथन शाखा के

विलय के विरुद्ध एक अभ्यावेदन मिला है परन्तु क्षेत्र की बैंकिंग सेवा की आवश्यकता का ध्यान उस क्षेत्र में अवस्थित अन्य बैंकों की शाखाओं द्वारा रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

"ड्यूटी ड्रा बैक" योजना में प्रोत्साहन

1076. श्री के.ई. कृष्णामूर्ति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घट रहे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए "ड्यूटी ड्रा बैक" योजनाओं में प्रोत्साहन देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रोत्साहनों से लाभान्वित होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 4 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं. 50/2001-सीमाशुल्क (गै.टै.) के तहत 300 से अधिक निर्यात उत्पादों के संबंध में शुल्क प्रति अदायगी दरों की पुनरीक्षा की है एवं इनमें संशोधन किए हैं। इसके रंजकों एवं रसायनों, टैक्सटाइल्स जिनमें ऊनी एवं हथकरघे के वस्त्र भी शामिल हैं, पीतल की कलात्मक वस्तुओं/हार्डवेयर्स, चमड़े के जूतों/जूतों के ऊपरी भागों, इंजीनियरिंग सामान्य जिसमें साइकिलों के भाग, इलैक्ट्रानिक्स तथा अन्य विविध वस्तुएं जिनमें लेखन उपकरण भी शामिल हैं, को भी लाभ मिलेगा।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

1077. श्री चिन्मयानंद स्वामी:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री ब्रह्मानंद मंडल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्टूबर, 2001 की तिथि के अनुसार देश में विदशी मुद्रा और स्वर्ण भंडार कितना था;

(ख) गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या भविष्य में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 31 अक्टूबर, 2001 को भारत का कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 45.26 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें से 2.94 बिलियन अमरीकी डालर की राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा प्रारक्षित भंडारों के रूप में धारित स्वर्ण के मूल्य को प्रदर्शित करती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान, भारत का कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार और इसके संघटक के रूप में स्वर्ण प्रारक्षित भंडार का विवरण निम्नानुसार है:-

	बिलियन अमरीकी डालर	
के अंत में	कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार*	स्वर्ण प्रारक्षित भंडार@
अक्टूबर, 2000	34.90	2.80
अक्टूबर, 1999	33.81	3.22
अक्टूबर, 1998	29.76	3.06

* विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां, स्वर्ण तथा एस.डी.आर. विशेष आहरण अधिकार शामिल है।

@ स्वर्ण धारिताओं का मूल्य वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आधार पर आंका गया है।

(ग) और (घ) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर इस समय अच्छी स्थिति में है। इन विदेशी मुद्रा भंडारों में भविष्य में होने वाली वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों के परिणामों पर, तथा विदेशी मुद्रा बाजार की अधिशेष स्थिति पर निर्भर करेगी, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को बाजार ने निवल क्रय करने की सुविधा होगी। सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि दीर्घावधि में प्रारक्षित भंडारों की मात्रा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप रहे और यह प्रतिकूल और अप्रत्याशित घटनाक्रमों में अधिक सुरक्षा प्रदान करे।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते डालना

1078. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को करोड़ों रुपए के कार्पोरेट ऋणों को बट्टे खाते से डालने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) बैंकों द्वारा कितने ऋण को बट्टे खाते डाले जाने की संभावना है और अंततः इसके लाभार्थी कौन होंगे; और

(घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 5 लाख रुपए तक के बकाया ऋण वाले छोटे ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को कितनी राहत उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई, 2000 के अपने परिचयपत्र के तहत 5 करोड़ रु. तक की अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के निपटान के लिए विवेकाधिकार रहित और अभेदमूलक मार्गनिर्देश बनाए थे और बैंकों को 5 करोड़ रु से अधिक के बकाया ऋण के लिए स्वयं अपनी नीति तैयार करने का परामर्श दिया था। मुख्य कार्यपालकों को पुनर्वास के लिए बैंकों द्वारा कारगर कार्रवाई, 30.9.2001 तक सभी आवश्यक मामलों में वाद दायर करने के लिए एक बारगी निपटान सुनिश्चित करना था। बैंकों को अपनी अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) के समझौते द्वारा निपटान के लिए लोक अदालत के मंच का उपयोग करने का परामर्श भी दिया गया है और एनपीए खातों में 5 लाख रु. तक की शेष बकाया राशियों वाले विवादों का निपटान करने के लिए इस मंच का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई, 2001 में मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।

आभूषणों की शुद्धता

1079. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्री शिवाजी मानेः
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसीः
श्री राम मोहन गाड्डेः

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 2001 को नवभारत टाइम्स में ''गहनों की शुद्धता के बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आये'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और उन जौहरियों का ब्यौरा क्या है जिनके नमूने सही नहीं पाये गये और ऐसे चूककर्त्ता जौहरियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आभूषणों की शुद्धता के लिए कोई ठोस उपाय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन तथ्यों से भारतीय आभूषणों के निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) समाचार में बताए तथ्य सही हैं सिवाय इसके कि देश में ऐसे 248 जौहरी हैं जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 12 अनुमोदित जांच एवं प्रमाणांकन केन्द्रों से अपने जेवरातों को प्रामाणांकित कराने के लिए लाइसेन्स दिए गए हैं, न कि 248 जांच एवं प्रमाणांकन केन्द्रों से जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने कुछ प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण किया तथा जिन 75 नमूनों का परीक्षण किया गया उनमें से केवल 9 को उनकी शुद्धता के बारे में किए गए दावों के अनुरूप पाया। जिनके नमूनों को शुद्धता के बारे में किए गए दावों के अनुरूप नहीं पाया गया उनके विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती है या नहीं - इस पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जौहरियों को प्रशिक्षित करके तथा आम उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करके भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणांकन योजना के कार्यान्वयन को मजबूत किया जा रहा है।

(ङ) और (च) सरकार को भारतीय जेवरातों के निर्यात पर किसी प्रकार के प्रभाव की कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

निपटान आयोग का कार्यकरण

1080. श्री निखिलानन्द सर:
श्री पी. मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान निपटान आयोग को दर्ज कराये गये 1729 आवेदनों में से केवल 624 मामलों का निपटान किया गया और 31 मार्च, 1999 की तिथि के अनुसार 1105 आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आवेदनों की वास्तविक नवीनतम संख्या क्या है;

(ग) क्या आयोग ने मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है जिसका परिणाम यह है कि मामलों का अंतिम निपटान विलंब से हुआ है जिससे और उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोनों ओर स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान समझौता आयोग में 2306 आवेदन दर्ज किए गए थे। इस अवधि से पहले 2369 आवेदन लंबित थे। इस अवधि के दौरान 2782 आवेदनों का निपटान किया गया। 31.2.1999 की स्थिति के अनुसार 1893 आवेदन निपटान हेतु लंबित थे।

(ख) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार अंतिम निपटान के लिए 1608 मामले लंबित थे।

(ग) और (घ) विलम्ब के कारणों में आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से रिपोर्टें देर से प्राप्त होना तथा सुनवाई के लिए नियत मामलों के स्थगन के लिए आवेदक द्वारा अनुरोध कराना शामिल है।

(ङ) आयोग ने मामलों के निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) रिपोर्टों को शीघ्र भेजने के लिए संबंधित मुख्य आयकर आयुक्त के साथ बैठकें आयोजित करना।

(2) भिन्न-भिन्न स्थानों पर आयोग की पीठों द्वारा कैम्प लगाना, और

(3) निपटान में तेजी लाने के लिए आयोग की चार पीठों के बीच कार्य का पुन: आवंटन करना।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्तें

1081. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्तें अर्थात् कृषि संबंधी समझौते और वस्त्र संबंधी समझौते की शर्तों को विकसित देशों द्वारा नियत तिथि यानी 1 जनवरी, 2001 तक लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों में भारत को कितना बाजार उपलब्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) कृषि संबंधी डब्ल्यू.टी.ओ. करार में यह निर्देशित है कि बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन तथा निर्यात इमदादों के क्षेत्रों में नियम बनाए जाएं। वार्षिक अधिसूचनाओं की स्थापित क्रियाविधि के जरिए सदस्य देश कृषि संबंधी करार के तहत अपनी वचनबद्धताओं के कार्यान्वयन का उल्लेख करते हैं। चूंकि डब्ल्यू.टी.ओ. में इन अधिसूचनाओं को दायर करने में समय का अंतराल होता है, इसलिए वचनबद्धताओं के कार्यान्वयन का अंतिम संकलन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तथापि, डब्ल्यू.टी.ओ. के आंकड़ों के अनुसार कृषि वस्तुओं के विश्व के निर्यातों में भारत का हिस्सा जो 1991-94 की अवधि में 1.3% था, वह बढ़कर वर्ष 1998 में 1.9% हो गया।

वस्त्र एवं कपड़ा करार (ए.टी.सी.) के प्रावधानों के तहत वस्त्र एवं कपड़ा क्षेत्र के व्यापार को 2005 तक गैट में अन्तत: समेकित करना अनिवार्य है जिसके पश्चात् ए.टी.सी. के तहत सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे और गैट/डब्ल्यू.टी.ओ. के बहुपक्षीय व्यापार संबंधी नियम लागू हो जाएंगे। यह समेकन 10 वर्षों की संक्रमण अवधि में 4 चरणों में किया जा रहा है। अब तक विभिन्न देशों ने वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों की गैट 1994 में समेकन कर लिया है, जो इस क्षेत्र के उत्पादों के 1990 में हुए उस देश के आयातों की कुल मात्रा के 33% से कम नहीं बनता है। ए.टी.सी. के प्रावधानों के अनुसार डब्ल्यू.टी.ओ. के सदस्य देशों ने

भी इस क्षेत्र के उत्पादों के 1990 में हुए आयातों की कुल मात्रा के आगे और 18% का समेकन करने के लिए अपना कार्यक्रम भी अधिसूचित किया है जो 1 जनवरी, 2002 से प्रभावी होगा। इस क्षेत्र में व्यापार के गैट 1994 में समेकन की प्रक्रिया के फलस्वरूप विकासशील देशों के संबंध में कोटे को कोई सार्थक रूप से समाप्त नहीं किया गया है क्योंकि समेकन प्रक्रिया पिछड़ी हुयी है और निरोधक सदस्यों ने मुख्य रूप से उन उत्पादों को समेकित करने का विकल्प चुना है जो कोटे के अंतर्गत नहीं आते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए उद्दिष्ट चावल की कालाबाजारी

1082. श्री रघुनाथ झा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए उद्दिष्ट चावल के कालाबाजारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए आरक्षित चावल को काले बाजार में बेच दिया गया;

(ग) क्या चावल का निर्यात 5 रुपये 65 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है लेकिन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इसे 6 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितना चावल क्षतिग्रस्त पाया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। यद्यपि केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदामों तक इनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से लक्षित लाभभोगियों को खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए उद्धिष्ट खाद्यान्नों की कालाबाजारी सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खराब कार्यकरण के बारे में इस मंत्रालय में प्राप्त शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु अग्रेषित की जाती हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी है कि वह निर्यातकों को 5650/- रुपये प्रति टन की दर पर चावल और 6000/- रुपये प्रति टन की दर पर सेला चावल की पेशकश करे जबकि सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए सूखा प्रभावित राज्यों को मुफ्त खाद्यान्नों का आवंटन कर रही है। सूखा, बाढ़ आदि जैसी आपदा राहत के लिए भी राज्यों को प्रभावित परिवारों में वितरित करने के लिए खाद्यान्नों का आवंटन गरीबी रेखा से नीचे की दरों अर्थात् 5650/- रुपये प्रति टन की दर पर चावल और 4150/- रुपये प्रति टन की दर पर गेहूं का आवंटन किया जाता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्षतिग्रस्त के रूप में श्रेणीबद्ध चावल की मात्रा नीचे दी गई है:-

वर्ष	मात्रा
1998-99	1.15 लाख टन
1999-2000	1.15 लाख टन
2000-2001	0.36 लाख टन

राजसहायता संबंधी नीति

1083. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राजसहायता संबंधी नीति वांछित परिणाम देने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इससे अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(घ) क्या राजसहायता नीति की समीक्षा करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) सरकार की सब्सिडी से सम्बद्ध नीति को राजकोषीय नीति का एक शक्तिशाली कल्याणवर्द्धक साधन माना जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रदान की गई सब्सिडियों को बजट प्रलेखों में सूचीबद्ध किया जाता है। लेकिन सब्सिडियों का काफी बड़ा भाग सामाजिक और आर्थिक सेवाओं संबंधी व्यवस्था में अस्पष्ट रह जाता है, जहां वे प्राय: नियंत्रण से बाहर हो जाती

है जिससे राजकोषीय घाटे पर दबाव और बढ़ जाता है। केन्द्र सरकार के बजट में चीनी सहित उर्वरक और खाद्य के लिए पर्याप्त और प्रत्यक्ष सब्सिडियां प्रदान की जाती है। मिट्टी के तेल, घरेलू एल.पी.जी., कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति, सिंचाई, जल और सामाजिक सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था के लिए परोक्ष रूप से भी सब्सिडी प्रदान की जाती हैं। सरकार ने वर्ष 2000-01 के बजट में यह घोषणा की थी कि पैट्रोलियम उत्पादों से संबंधित नियंत्रित मूल्य प्रणाली (ए.पी.एम.) को मार्च, 2002 तक समाप्त कर दिया जाए। सरकार सब्सिडी के भार और राजकोष की कुल राशि पर इसके दुष्प्रभाव की लगातार संवीक्षा कर रही है सरकार ने मई, 1997 में सदन के समक्ष ''भारत में सरकार की सब्सिडियों के संबंध में चर्चा पत्र'' प्रस्तुत किया था। यह माना जाना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों की वजह से सब्सिडियों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, सरकार सब्सिडियों को पारदर्शी सुलक्षित बनाने और इनकी कुशल व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1084. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:
डा. बलिराम:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के अंतर्गत 1 जनवरी, 1996 के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% है (अनुसूचित जाति - 08.41% और अनुसूचित जनजाति 2.27%) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) के सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% है (अनुसूचित जातियों - 9.68% और अनुसूचित जनजातियों 3.52%) जबकि उनके लिए निर्धारित कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों, सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्तशासी संगठनों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और इनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इस पदों पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे पदों पर अलग-अलग कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंक धोखाधड़ी

1085. श्री बीर सिंह महतो:
श्री रामटहल चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे मामलों में बैंकवार कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों में अंतर्ग्रस्त धनराशि की वसूली करने और उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अब तक कितनी धनराशि वसूली गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए ब्यौरे के अनुसार धोखाधड़ी के मामलों की संख्या वर्ष 1999 में 1839 तथा वर्ष 2000 में 1858 थी जिनमें क्रमश: 536.63 करोड़ रु. और 538.56 करोड़ रु. की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। धोखाधड़ी की बैंकवार संख्या तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) बैंकों में धोखाधड़ियों के जारी रहने के प्राथमिक कारक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की शिथिलता, लेखा बहियों के बकाया तुलन और अंतर-शाखा खातों का मिलान न होना तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना है।

(घ) और (ङ) धोखाधड़ियों के मामलों में लिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध बैंक नियमित विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों से सहयोग करने वाले उधारकर्त्ताओं के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमें दायर करते हैं। जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है, मामलों को जांच के लिए सी.बी.आई. और पुलिस को सौंपा जाता है। वर्ष 1999 और 2000 के दौरान 70.65 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई थी।

विवरण

वर्ष 1999 और 2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ियों की बैंक-वार संख्या

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	1999		2000	
		धोखाधड़ियों की संख्या	राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय स्टेट बैंक	492	30.50	546	269.15
		*04	23.03	*05	0.25
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	18	3.87	12	5.82
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	32	64.36	32	15.13
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	07	0.86	15	0.92
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	31	0.92	34	0.71
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	24	40.47	20	0.74
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	08	0.22	10	6.88
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	39	15.60	23	0.37
9.	इलाहाबाद बैंक	39	0.55	55	3.30
10.	आन्ध्रा बैंक	39	11.62	102	14.36
11.	बैंक आफ बड़ौदा	64	2.09	83	2.35
12.	बैंक आफ इंडिया	140	22.24	151	33.13
		*13	94.17	*03	1.34
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	16	0.58	03	6.57
14.	केनरा बैंक	286	87.79	203	53.85
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	74	13.75	44	3.94
16.	कारपोरेशन बैंक	13	0.78	37	17.50
17.	देना बैंक	39	28.08	13	2.30
18.	इंडियन बैंक	69	13.26	55	3.88
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	55	8.06	41	17.88
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	10	0.45	22	18.66

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब नेशनल बैंक	54	33.51	49	22.52
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	12	11.02	14	13.23
23.	सिंडिकेट बैंक	97	3.19	107	8.66
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	68	1.78	43	5.60
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	33	1.82	51	1.43
26.	यूको बैंक	47	1.25	45	2.88
27.	विजया बैंक	16	20.81	40	5.21

* भारत के बाहर (आंकड़े अनन्तिम)

कल्याणकारी योजनाओं के लिये निधियों का उपयोग

1086. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
प्रो. दुखा भगत:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री मानसिंह पटेल:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए दी गई धनराशि के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्यों को निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता के लिए निम्नलिखित तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

(1) उसी योजना के अंतर्गत आगे निधि की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को प्रक्रियाबद्ध करते समय पूर्व वर्षों में स्वीकृत निधियों की उपयोगिता को ध्यान में रखा जाता है।

(2) निधियों की उपयोगिता का मानिटर अधिक प्रगति रिपोर्टों की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है जिससे वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धि की प्रगति का पता चलता है।

(3) इस मंत्रालय के अधिकारियों के राज्यों के क्षेत्र दौरे के दौरान निधि की उपयोगिता का मानिटर किया जाता है।

(4) निधियों की उपयोगिता की समीक्षा आवधिक रूप से राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में की जाती है।

[अनुवाद]

खाद्यान्न खरीद प्रणाली को समाप्त किया जाना

1087. श्री रामप्रसाद सिंह:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का वर्तमान खाद्यान्न खरीद प्रणाली और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस दिशा में किसी वैकल्पिक प्रबंध का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, नहीं। इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कार्पोरेट प्रशासन

1088. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्पोरेट प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) क्या हाल के दिनों में देखी गई बाजार कौशलता के मद्देनजर कार्पोरेट प्रशासन प्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक परिवर्तन करना जरूरी हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में भविष्य में कौन से कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कार्पोरेट प्रशासन के मानकों को प्रोत्साहित तथा बढ़ाने के लिए 7 मई, 1999 को एक कार्पोरेट प्रशासन समिति की स्थापना की है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, सेबी ने समिति की अनिवार्य सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए शेयर बाजारों को अपने सूचीकरण समझौतों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। सेबी ने एक चरणबद्ध कार्यक्रम के जरिए, कार्पोरेट प्रशासन के कुछ सर्वोत्तम व्यवहारों को अनिवार्य बना दिया है। किसी कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक अनुकूलतम संयोजन होगा, जिसमें गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एक योग्यता प्राप्त तथा स्वतंत्र लेखा-परीक्षा समिति की स्थापना करना आवश्यक है, जिसकी बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार होंगी। कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों में कार्पोरेट प्रशासन से संबंधित एक अलग खंड रखा जाना आवश्यक है। सूचीकरण समझौते के नये खंड में बोर्ड की बैठकों के आयोजन की बारंबारता सहित बोर्ड की प्रक्रियाएं भी निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी निदेशक ऐसी सभी कंपनियों में से 10 से अधिक कंपनियों का सदस्य नहीं होगा अथवा पांच से अधिक कंपनियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, जिनमें वह निदेशक है। किसी नये निदेशक की नियुक्ति या किसी निदेशक की पुनर्नियुक्ति की स्थिति में शेयरधारकों को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। शेयर धारकों तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए बोर्ड की एक समिति भी बनायी जायेगी। सरकार ने कार्पोरेट प्रशासन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार भी आरंभ किया है।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये कल्याणकारी योजनायें

1089. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों के कल्याण और उत्थान के लिये वर्तमान में कौन सी योजनायें लागू की जा रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों, विशेषकर विद्यार्थियों को कोई विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत कौन से विशेष उपाय किये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) अनुसूचित जातियों के कल्याण और उत्थान के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अभी कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं और इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को दी गई सहायता का विवरण संलग्न है।

कार्यान्वित योजनाओं में से, विशेष सहायता के प्रावधान की योजना में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में राज्य सरकार को 100 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इस राशि का उपयोग निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों की सहायता के लिए किया जाता है जिससे कि वे कौशल का उन्नयन कर सकें और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलाप चला सकें।

योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकार को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना, बुक बैंक, छात्रावास के निर्माण के लिए सहायता और योग्यता के उन्नयन के लिए सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में चुने हुए 48 जिलों में जिला परिषदों को सहायता दी जाती है।

विवरण

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम: मध्य प्रदेश

योजना का नाम	उद्देश्य	1998-99 में दी गई निधियां	1999-2000 में दी गई निधियां	2000-2001 में दी गई निधियां
1	2	3	4	5
विशेष केन्द्रीय सहायता	अनु. जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना का योजक	2237.08	3303.27	1720.00
अनु. जाति विकास निगम को सहायता	आय सृजनकारी योजनाओं का वित्त पोषण	4.77	शून्य	–
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना	उच्च शिक्षा प्राप्ति	–	193.85	382.47
मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की योजना	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे बच्चों को छात्रवृत्ति	90.22	86.05	153.45
योग्यता उन्नयन की योजना	उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करना	55.74	39.15	16.80
लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के निर्माण की योजना	अनु. जाति की लड़कियों और लड़कों को आवासीय सुविधा देना	574.53	532.18	1202.46
पुस्तक बैंक की योजना	तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए नवीनतम पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना	–	–	12.79
कोचिंग और संबद्ध योजना	विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए कोचिंग	82.94	66.09	44.03
अनु. जाति की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल	38.95	20.98	–
सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	सफाई कर्मचारियों के परिवारों का पुनर्वास	–	883.375	–
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	ऋण प्रदान करना	228.60	82.25	373.00
स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	अनुदान प्रदान करना	55.81	83.32	69.98

1	2	3	4	5
राष्ट्रीय अनु. जाति/अनु. जन-जाति वित्त एवं विकास निगम	ऋण प्रदान करना	1930.34	1294.53	361.95
पी.सी.आर. एवं अत्याचार	अनु. जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम करना	682.06	732.96	977.24
अनु. जातियों के लिए अखिल भारतीय या अन्तर्राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजना (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)*	अनुसंधान अध्ययन करना	–	–	–
अनु. जाति, अनु. जनजाति आदि के छात्रों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति*	विदेश में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना	–	–	–

*निधियां राज्यवार निर्मुक्त नहीं की जाती हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन

1090. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार क्षेत्र की कितनी इकाइयों को शीघ्र ही बन्द अथवा परिसमाप्न किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की ऐसी इकाइयों के पास ऐसी अचल परिसम्पत्तियां हैं जिस पर इन्हें बंद किये जाने की स्थिति में भू-माफिया द्वारा कब्जा किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने उन परिसम्पत्तियों के वास्तविक उचित मूल्य/कीमत का मूल्यांकन नहीं किया है और उक्त अचल परिसम्पत्तियों का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन किए बगैर इन इकाईयों का निपटान करने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथरिया): (क) दिनांक 30.6.2001 तक की जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार बी.आई.एफ.आर. ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों (विवरण संलग्न) को "बन्द करने" की अनुशंसा की है। भारत गोल्ड माइन्स लि. (बी.जी.एम.एल.), टेनरी एण्ड फूटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. (टी.ए.एफ.सी.ओ.), मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि. (एम.एन.पी.एल.), भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजी. लि. (बी.पी.एम.ई.एल), वेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड (डब्ल्यू.आई.एल.) रिहैबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कारपो. (आर.आई.सी.), तथा नेशनल बाइसाइकिल कारपो. आफ इण्डिया लि. (एन.बी.सी.आई.एल.) को बन्द कर दिया गया है। माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो. लि. (एम.ए.एम.सी.) को बन्द करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। एच.एम.टी. के चार एककों तथा बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) के घाटा उठाने वाले 7 तापसह एककों (एल.आर.यू.)/फैब्रिकेशन यार्ड को भी बन्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (सी.सी.आई.एल.), इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (आई.आर.सी.सी.) तथा ई.टी. एण्ड टी. को बन्द करने का अनुमोदन कर दिया है। टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (टी.टी.सी.आई.), ने परिसमापन हेतु आवेदन किया है।

(ख) से (घ) ऐसी कम्पनियों के मामले में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक कम्पनी की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के संबंध में कार्रवाई करेगा।

विवरण

बी.आई.एफ.आर. द्वारा बंद करने की अनुशंसा

1. भारत गोल्ड माइन्स लि.
2. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.
3. ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.
4. कानपुर टेक्सटाइल लि.
5. साइकिल कारपो. आफ इंडिया लि.
6. एल्गिन मिल्स कंपनी लि.
7. महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि.
8. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.
9. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
10. नेशनल बाइसिकल कारपो. आफ इंडिया लि.
11. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. आफ इंडिया लि.
12. वेबर्ड (इंडिया) लि.

[हिन्दी]

प्रतिभूति घोटाला

1091. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली पूर्व संयुक्त संसदीय समिति की कुछ सिफारिशों को सरकार द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पूर्व संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इसे अब तक लागू न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) प्रतिभूतियों एवं बैंकिंग कारोबार में हो रही अनियमितताओं की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में निहित सभी 274 सिफारिशों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट जुलाई एवं दिसम्बर, 1994 में संसद में प्रस्तुत की गई है। स्टाक बाजार घोटाले पर गठित वर्तमान संयुक्त संसदीय समिति द्वारा 13 एवं 14 जून, 2001 को इस संदर्भ में प्रगति की जांच की गई। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

तमिलनाडु में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1092. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक से स्वीकृति हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को स्वीकृत कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारत में विभिन्न मौजूदा परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) तमिलनाडु में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तीन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	परियोजना का नाम	हस्ताक्षर करने की तारीख	कुल क्रेडिट/ऋण	दि. 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार संवितरण
1.	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति परि.	20.11.1995	80.5 मि. अमरीकी डालर	63.44 मिलियन अम. डालर
2.	द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	14.7.1999	105 मिलियन अम. डालर	70.38 मिलियन अमरीकी डालर
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	22.9.1995	181.9 मि. एसडीआर	96.319 मि. एसडीआर

इसके अतिरिक्त, तीन बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं अर्थात् (1) राज्य सड़क आधारभूत विकास तकनीकी सहायता, (2) कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना, और (3) जल-विज्ञान परियोजना, इनमें तमिलनाडु भागीदार राज्यों में से एक राज्य है।

तीन परियोजना प्रस्तावों अर्थात् (1) तमिलनाडु महिला विकास परियोजना, (2) तमिलनाडु स्वास्थ्य सेवा परियोजना, और (3) तमिलनाडु राज्य राजमार्ग परियोजना को विश्व बैंक के पास सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं के ब्यौरे (राज्यवार)

(आई.बी.आर.डी. ऋण और मि.अम. डालर में संवितरित)
(आई.डी.ए. क्रेडिट और मि. एस.डी.आर. में संवितरित)

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	कुल क्रेडिट/ऋण सहायता	दि. 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार संवितरण
1.	आंध्र प्रदेश	7	1076.3 आई.बी.आर.डी.	386.116
			526.025 आई.डी.ए.	298.260
2.	असम	1	81 आई.डी.ए.	42.135
3.	गुजरात	1	381 आई.बी.आर.डी.	48.548
4.	हरियाणा	1	187.3 आई.डी.ए.	167.028
5.	कर्नाटक	3	435 आई.बी.आर.डी.	91.6
			137.9 आई.डी.ए.	61.265
6.	केरल	2	78.9 आई.डी.ए.	14.328
7.	महाराष्ट्र	2	124.783 आई.बी.आर.डी.	51.988
			97.9 आई.डी.ए.	7.444
8.	मध्य प्रदेश	1	84.2 आई.डी.ए.	2.889
9.	उड़ीसा	4	332.67 आई.बी.आर.डी.	117.509
			286.6 आई.डी.ए.	130.942
10.	राजस्थान	3	180 आई.बी.आर.डी.	18.536
			133.5 आई.डी.ए.	5.75
11.	तमिलनाडु	3	185.5 आई.बी.आर.डी.	133.815
			181.9 आई.डी.ए.	96.139
12.	उत्तर प्रदेश	7	277.208 आई.बी.आर.डी.	54.332
			300.5 आई.डी.ए.	68.202

इसके अतिरिक्त, 285.895 मि. अमरीकी डालर (आई.बी.आर.डी.) और 470.7 मि. एस.डी.आर. (आई.डी.ए.) की कुल सहायता की 8 बहु-राज्यीय परियोजनाएं हैं, जो कई राज्यों में कार्यान्वयनाधीन है।

रबड़ हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

1093. श्री एन.एन. कृष्णलाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा रबड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) इस संबंध में प्राकृतिक रबड़ के व्यापारियों की क्या प्रतिक्रया है;

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने में रबड़ व्यापारियों की ओर से कोई असहयोग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) सरकार ने रबड़ के लिए 'न्यूनतम समर्थन कीमत' निर्धारित नहीं की है। तथापि, सरकार ने रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत रबड़ के व्यापार के लिए न्यूनतम, कीमत निर्धारित करते हुए उसे अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचित कीमत का उल्लंघन करते हुए व्यापार करना रबड़ अधिनियम के तहत दंडनीय है। रबड़ बोर्ड ने कीमत अधिसूचना के उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए "मानीटरिंग कक्ष" की स्थापना की है।

(ख) से (घ) प्रारंभ में रबड़ के डीलरों को न्यूनतम कीमत के बारे में कुछ शंकाएं थी परन्तु व्यापारिक समुदाय के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, बाजार अब व्यवस्थित हो गया है और अब सामान्य व्यापार कारोबार चल रहा है।

लकड़ी का आयात

1094. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से कितनी प्रमात्रा में लकड़ी का आयात किया गया है;

(ख) उक्त आयातित लकड़ी की लागत कितनी है;

(ग) क्या यह लकड़ी घटिया किस्म की पायी गयी थी और आयात हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) लकड़ी वर्ष 1996 के पहले से ही मुक्त रूप से आयात योग्य वस्तु है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लकड़ी के आयात के लिए गुणवत्ता संबंधी कोई प्रतबिंध नहीं लगाए गए हैं। उस मंत्रालय के नोटिस में घटिया क्वालिटी की लकड़ी के आयात संबंधी कोई घटना नहीं आयी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लकड़ी का आयात

कोड संख्या	मद विवरण	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		मात्रा (टन में)	मूल्य करोड़ रुपए में	मात्रा (टन में)	मूल्य करोड़ रुपए में	मात्रा (टन में)	मूल्य करोड़ रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8
4401	लट्ठे, गुटके, टहनियो, छड़ियों का समान रूपो में ईंधन की लकड़ी, चिप्स या टुकड़ों के रूप में लकड़ी, बुरादा, लकड़ी, अपशिष्ट और कतरन; लट्ठे, ब्रिकेट्स, पिलेट्स या समान रूपों में गट्ठों में हों अथवा न हों।	1199	0.46	455	0.40	706	1.41

1	2	3	4	5	6	7	8
4403	अपरिष्कृत लकड़ी; जो छाल या बुरादा के स्ट्रिप मोटे तौर पर चौकोर के रूप में हों अथवा न हो।	1614811 (घन मीटर)	1428.01	1941946 (घन मीटर)	1859.61	2097852 (घन मीटर)	2092.05
4404	हूपबुड, स्पिल्ट पोल्स, पाइल्स, पिकेट्स एंड स्टेक्स आफ बुड, प्वाइन्टेड लेकिन लम्बाई में चिराई न गई हों, लकड़ी की छड़ियां रफली ट्रिम्ड बट ऑन टर्नड्, मोड़ी गई अथवा अन्यथा संसाधित, वाकिंग स्टिक्स, अम्ब्रेलाज, टूल हैन्डल्स या उसके समान वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त, बुरादा और उसके सामान	105	0.52	41	0.30	89	0.20
4407	लम्बाई में चीरी अथवा फाड़ी गई, लकड़ी, काटकर टुकड़े की गई या छिलके उतारी गई जो तैयार हों अथवा न हों, 6 मी.मी. से अधिक मुटाई की सैन्डेड या फिन्गर ज्वाइन्टेड	*	15.03	*	12.18	*	26.01
4409	लकड़ी (पार्केट फ्लोरिंग के लिए स्ट्रिप्स एवं फ्रीज सहित) इसके किनारों या सिरों के साथ-साथ लगातार गढ़ी गई (टंगड, ग्रोवरड, रिबेटेड, चैमफर्ड, वी-ज्वाइन्टेड, बिडेड, माल्डेड, राउंडेड या उसके समान) चाहे योजनाबद्ध तरीके से संवारी गई हो या नहीं, सैन्डेड या फिन्गर ज्वाइंटेड।	2136	15.19	170	1.52	236	3.57
	कुल		1459.20		1874.01		2123.24

*शीर्ष 4407 के अंतर्गत 16 टैरिफ लाइनें हैं और मात्रा की माप की इकाई इन सभी लाइनों के लिए समान नहीं है।

खाद्यान्नों की मांग और आबंटन

1095. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री मानसिंह पटेल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल और खाद्य तेलों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार मांग और आवंटन कितना रहा;

(ख) क्या आवंटन उनकी मांग की अपेक्षा कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनकी मांग के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु कोई कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिट्टी के तेल का वितरण करने के लिए इसका वार्षिक आवंटन वर्ष के आरंभ होने से अग्रिम कुछ सिद्धान्तों को अपनाकर किया जाता है। वार्षिक आवंटन के अलावा, बाढ़, सूखा आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त मिट्टी के तेल के आवंटन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान गेहूं, चावल और मिट्टी के तेल के राज्य-वार आबंटन बताने वाला विवरण-I संलग्न है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल का आवंटन उनसे प्राप्त मांग और कुल आयात राज्यों की आवश्यकता केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, विगत के उठान, पत्तनों पर राज्य व्यापार निगम की भंडारण क्षमता आदि जैसे घटकों के आधार पर किया गया था। अत: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य तेलों की मांग और आवंटन में भिन्नता थी। वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों की मांग और किए गए आवंटनों के बारे में विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्यवार गेहूं, चावल और मिट्टी के तेल का आवंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (1999-2000)			आबंटन (2000-2001)		
		चावल ('000 टन में)	गेहूं ('000 टन में)	मिट्टी का तेल (टन में)	चावल ('000 टन में)	गेहूं ('000 टन में)	मिट्टी का तेल (टन में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2300.400	141.000	679848	3179.258	96.000	651375
2.	अरुणाचल प्रदेश	109.200	7.800	10917	88.704	8.200	10346
3.	असम	670.000	213.900	272623	788.708	123.600	273270
4.	बिहार	507.360	861.040	870036	837.444	1256.168	894246
5.	छत्तीसगढ़	–	–	*	126.417	42.128	*
6.	दिल्ली	154.680	724.800	204672	163.320	511.680	204672
7.	गोवा	75.960	33.720	28075	49.070	23.154	28075
8.	गुजरात	292.500	739.500	837295	559.526	919.287	874455
9.	हरियाणा	000.000	156.600	171731	0.000	184.558	175633
10.	हिमाचल प्रदेश	146.760	142.440	61845	98.691	106.753	61434
11.	जम्मू और कश्मीर	433.266	364.548	111765	262.920	123.840	105216
12.	झारखंड	–	–	*	82.236	123.352	*

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	कर्नाटक	900.00	420.000	531167	1485.272	363.068	534360
14.	केरल	1743.840	452.640	302078	1746.539	452.640	309149
15.	मध्य प्रदेश	412.200	503.880	666632	577.452	814.762	685182
16.	महाराष्ट्र	762.480	1208.160	1577953	790.064	1465.140	1488926
17.	मणिपुर	125.000	23.220	22859	65.534	20.520	22781
18.	मेघालय	207.576	14.460	21034	224.770	12.000	21086
19.	मिजोरम	125.076	14.080	8146	95.660	15.120	8195
20.	नागालैंड	125.100	23.490	14362	122.040	23.040	14370
21.	उड़ीसा	1169.855	420.000	381696	994.562	102.300	382251
22.	पंजाब	11.520	61.560	343127	20.160	107.556	343127
23.	राजस्थान	15.860	633.220	443265	33.062	1251.943	544316
24.	सिक्किम	87.720	2.090	7895	92.556	1.200	7895
25.	तमिलनाडु	1814.760	360.00	732527	1582.944	0.000	732527
26.	त्रिपुरा	197.500	17.160	32562	164.890	15.360	32757
27.	उत्तर प्रदेश	739.700	1529.440	1410905	873.440	1798.576	1456783
28.	उत्तरांचल	–	–	*	24.760	16.964	*
29.	पश्चिम बंगाल	518.600	1061.100	820091	874.824	1354.896	831722
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह@	30.00	9.000	7037	31.804	9.840	6736
31.	चंडीगढ़	3.600	21.600	15408	2.520	15.478	15408
32.	दादर और नागर हवेली	6.600	3.000	3238	5.109	1.345	3238
33.	दमन और दीव	7.200	2.400	2438	1.852	0.748	2438
34.	लक्षद्वीप@	6.300	0.504	921	6.540	0.504	921
35.	पांडिचेरी	24.000	9.000	15363	38.568	6.240	15363
	जोड़	13724.613	10175.352	10609516	16091.216	11367.960	10738253

@इन दो राज्यों के लिए वार्षिक आबंटन किया जाता है।

*नए राज्य नवम्बर, 2000 में बने, आबंटन/उठान अविभक्त बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शामिल हैं।

विवरण-II

वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित खाद्य तेल की राज्यवार मांग, आवंटन और उठान

(मात्रा टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000			2000-2001		
		मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	98000	56700	12139	2400	10000	3000
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	3600	2430	851	1350	1050	545
6.	गुजरात	40330	25400	10082	25000	12504	9058
7.	हरियाणा	200	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	3200	2060	737	840	535	326
9.	जम्मू और कश्मीर	1500	1262	55	750	250	8
10.	कर्नाटक	14000	13600	2341	6000	3500	–
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	56000	41800	9347	25000	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	7800	5215	56	5850	2180	शून्य
15.	मेघालय	1000	560	26	300	200	12
16.	मिजोरम	600	306	45	1500	675	–
17.	नागालैंड	4800	3740	1636	2400	1940	540
18.	उड़ीसा	20900	10000	956	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	2200	1720	960	600	550	540
22.	तमिलनाडु	5400	3450	914	शून्य	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	1100	660	101	220	90	50

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	53000	28000	5479	11300	5026	4885
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	250	177	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादर और नागर हवेली	960	808	448	480	360	272
29.	दमन और दीव	1850	1561	530	750	455	265
30.	दिल्ली	5900	4950	1951	2100	1379	847
31.	लक्षद्वीप	400	334	147	180	180	शून्य
32.	पांडिचेरी	11000	6800	988	2400	1250	324
	जोड़	338990	217233	49789	111020	42124	20672

[हिन्दी]

निर्यात-आयात कार्य निष्पादन

1096. श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:
श्री साहिब सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 के दौरान और आज तक कितने मूल्य का निर्यात और आयात किया गया है;

(ख) भारत के विदेशी व्यापार की मौजूदा स्थिति क्या है और सरकार द्वारा निर्यात और आयात में संतुलन कायम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को घटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-सितम्बर, 2001 के दौरान भारत के निर्यातों और आयातों का मूल्य क्रमश: 32706.14 मिलियन अमरीकी डालर तथा 37531.35 मिलियन अमरीकी डालर था। जनवरी-सितम्बर, 2001 के दौरान भारत की निर्यात वृद्धि दर 4.17% तथा आयात वृद्धि दर- 2.68% रही।

(ख) और (ग) अप्रैल-सितम्बर, 2001-02 के दौरान पण्य वस्तुओं के निर्यातों ने 1.95% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की और आयातों में केवल 1.81% की वृद्धि प्रदर्शित हुई। निर्यातों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं- लदान-पूर्व और लदान-पश्चात् दोनों ऋणों के लिए निर्यात ऋण दर में कटौती, 100 करोड़ रु. अथवा उससे अधिक की निर्यात संविदा वाले विनिर्माता निर्यातकों को अक्तूबर, 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, लैटिन अमरीकी देशों को किए गए निर्यातों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए 180 दिन की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना और कई उत्पादन समूहों पर शुल्क वापसी की दरों में उर्ध्वगामी संशोधन करना। निर्यात निष्पादन की लगातार समीक्षा की जा रही है और उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं।

शहद का निर्यात

1097. श्री राजो सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार उच्च गुणवत्ता वाले गाढ़े शहद के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठा रही है;

(ग) क्या हमारे देश में खराब गुणवत्ता वाले शहद का आयात किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप लाखों परिवार बेरोजगार हो रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे आयात को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार को सस्ती दरों पर खराब गुणवत्ता वाले शहद के आयात के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक शहद के आयात पर 35% का मूल सीमाशुल्क लगाया जाता है। देश में शहद सहित सभी खाद्य उत्पादों का आयात खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में निर्धारित मानकों के अधीन होता है। आयातित शहद को उपरोक्त अधिनियम में निर्धारित गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुरूप होना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

बीड़ी उद्योग से एकत्रित उत्पादन

1098. श्री अबुल हसनत खान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान बीड़ी उद्योग से कुल कितने राजस्व का उत्पादन शुल्क एकत्रित किया गया है;

(ख) कितने प्रतिशत राजस्व उत्पाद शुल्क का कल्याण संबंधी उपकर के रूप में अन्यत्र उपयोग किया गया; और

(ग) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य की राजस्व वसूली कितनी रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 2000-01 के दौरान बीड़ी उद्योग से कुल मिलाकर 354 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्त हुआ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान, पश्चिम बंगाल जिसका क्षेत्राधिकार सिक्किम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है, में स्थित उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों के संबंध में बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व की राशि लगभग 56 करोड़ रुपये थी।

इंडोनेशिया द्वारा भारतीय गेहूं को अस्वीकृत करना

1099. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडोनेशिया को गेहूं निर्यात करने के केन्द्र सरकार के प्रयास को झटका लगा है क्योंकि इंडोनेशियाई सरकार ने खराब गुणवत्ता के कारण भारतीय गेहूं को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार घटिया गेहूं का निर्यात कर रही है जिसके कारण परिवहन प्रभार इत्यादि का भारी नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई पहल की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बैंकों की ब्याज दर

1100. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री वाई.वी. राव:
श्री रामशकल:
श्री जे.एस. राव:
श्री रामलाल रूपला गावीत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 2001 में पुन: ब्याज दरों और नकद आरक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लघु बचतों पर ऐसे कदमों के प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस निर्णय के द्वारा कितना लाभ प्राप्त हुआ है/प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) स्थूल आर्थिक एवं मौद्रिक विकासों की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर, 2001 को कारोबार बन्द होने के समय से बैंक दर को 0.50 प्रतिशत बिन्दु घटाकर 7.0 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया।

22 अक्तूबर, 2001 को प्रस्तुत वर्ष 2001-2002 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में आरक्षित निधि अनुपात (सी.आर.आर.) को शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं (एन.डी.टी.एल.) के 200 आधार अंकों द्वारा घटाकर 7.50 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत किया गया था। सी.आर.आर. को घटाकर 5.75 प्रतिशत किया गया था जो 3 नवम्बर, 2001 से शुरू पखवाड़े से प्रभावी है और सी.आर.आर. को एन.डी.टी.एल. के 5.50 प्रतिशत तक और घटाया जाएगा जो 29 दिसम्बर, 2001 से शुरू पखवाड़े से प्रभावी होगी।

(ग) से (ङ) आशा की जाती है कि सी.आर.आर. के संबंध में नीति में हाल ही के परिवर्तनों से अल्पावधि आय नियंत्रण में वृद्धि, मुद्रा बाजार का विकास, बैंकों और गैर-बैंकों के मध्य नियामक क्रय-विक्रय घटाना, बैंकों की ऋण योग्य संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि तथा मौद्रिक नीति के संचालन में अप्रत्यक्ष लिखितों की कार्यक्षमता में सुधार करने में सुविधा होगी। एन.डी.टी.एल. के वर्तमान स्तर पर उपायों के सम्मिलित प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली के ऋण योग्य संसाधनों में लगभग 8000 करोड़ रु. (लगभग 6,000 करोड़ रु. 3 नवम्बर, 2001 से प्रभावी) की वृद्धि होगी।

सी.आर.आर. में कटौती और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली के ऋण योग्य संसाधनों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ना चाहिए।

[अनुवाद]

अमेरिका को समुद्री उत्पादों का निर्यात

1101. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को कुल कितने समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया है;

(ख) मात्रा और मूल्य के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमेरिका को समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस संबंध में क्या उपलब्धि रही है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अन्य किन-किन देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में संयुक्त राज्य अमरीका को हुए समुद्री उत्पादों के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (मिलि. अमरीकी डालर)
1998-99	34472	147.68
1999-2000	36645	180.17
2000-01	41747	255.93

स्रोत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, 2001) के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य प्रमुख बाजारों को किए गए समुद्री उत्पादों के निर्यात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

देश	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (मिलि. अमरीकी डालर)
1	2	3
यू.एस.ए.	20836	144.43
जापान	33473	233.35

1	2	3
यूरोपीय संघ	33481	99.08
चीन	32108	39.23
दक्षिण पूर्व एशियाई देश	15360	43.46
मध्य पूर्व	6831	18.28
अन्य देश	9532	24.82
जोड़	151620	602.65

स्रोत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

व्यापार अवरोधों को हटाना

1102. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994 की विश्व व्यापार संगठन संधि के अनुसार वस्त्र क्षेत्र में सभी व्यापार अवरोधों को हटाने हेतु विकासशील देशों को एक 10 वर्ष की संक्रमण अवधि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है कि संक्रमण अवधि के समाप्त होने के पूर्व हमारा निर्यात प्रयास बेकार साबित न हो?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) वस्त्र एवं कपड़ा करार (एटीसी) के प्रावधानों के तहत वस्त्र एवं क्षेत्र के व्यापार को 2005 तक गैट में अन्ततः समेकित करना अनिवार्य है जिसके पश्चात् एटीसी के तहत सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे और गैट/डब्ल्यू टी ओ के बहुपक्षीय व्यापार संबंधी नियम लागू हो जाएंगे। यह समेकन 10 वर्षों की संक्रमण अवधि में 4 चरणों में किया जा रहा है। अब तक विभिन्न देशों में वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों का गैट 1994 में समेकन कर लिया है, जो इस क्षेत्र के उत्पादों के 1990 में हुए उस देश के आयातों की कुल मात्रा के 33% से कम नहीं बनता है। एटीसी के प्रावधानों के अनुसार डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देशों ने भी इस क्षेत्र के उत्पादों के 1990 में हुए आयातों की कुल मात्रा के आगे और 18% का समेकन करने के लिए अपना कार्यक्रम भी अधिसूचित किया है जो 1 जनवरी, 2002 से प्रभावी होगा।

सरकार ने उभरती हुई वैश्विक चुनौती का मुकाबला करने हेतु घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों में से कुछेक कदमों में शामिल हैं-लघु क्षेत्र से सिले-सिलाए वस्त्र के बुनाई खण्ड अनारक्षित करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) को शुरू करना; टफ्स के अंतर्गत आने वाली कुछेक मशीनों के लिए संवर्धित मूल्य ह्रास की सुविधा इत्यादि। प्रतिस्पर्धी गौण वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए कपास के उत्पादन, उत्पादकता और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ संकेन्द्रित उपाय करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है। कुछेक वस्त्र मशीनरी के संबंध में रियायती सीमाशुल्क की अनुमति भी दी गई है। वस्त्र उद्योग का सुव्यवस्थित और सतत विकास करने और वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 की घोषणा की गई है।

मादक पदार्थों की तस्करी

1103. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर अफगानिस्तान में युद्ध शुरू होने के बाद मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग स्वापक और प्रतिबंधित औषधियों की तस्करी हेतु भारतीय मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में 11 सितम्बर, 2001 के बाद जब्त किये गये मादक पदार्थों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत के मार्ग से मादक पदार्थों की आवाजाही को रोकने और अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता और अन्य देशों के साथ अच्छी वायु सेवा जुड़े होने के कारण भारत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के लिए सुगम्य क्षेत्र बन गया है, जोकि एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है। मादक पदार्थों के कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण से अफगानिस्तान में युद्ध आरम्भ होने के बाद कुल मिलाकर मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि होने की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ख) कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में अभिगृहीत स्वापक औषधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:- अफीम- 389 कि. ग्राम, हेरोइन-147 कि.ग्रा.,

हशीश - 2456 कि.ग्रा., गांजा - 2770 कि. ग्राम और मैथाक्वालाब - 40 कि. ग्राम।

(ग) नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें, समस्त नशीली दवाओं से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, उदार पुरस्कार योजना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पार बैठकों को तिमाही आधार पर आयोजित करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल हैं।

उड़ीसा पर ब्याज भार को माफ करना

1104. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से 1999-2000 और आज तक राज्य में गरीबी के कारण और 1999 में प्राकृतिक विपदाओं के बार-बार आने तथा 2000 के भयंकर सूखे और 2001 में भारी बाढ़ के कारण उड़ीसा पर ब्याज के भार को माफ करने के लिए संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से राज्य के वित्तीय पुनर्गठन हेतु केन्द्र सरकार के ऋणों के विलंबन और विश्व बैंक और डी.एफ.आई.डी. से सहायता हेतु संपर्क किया है; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) बकाया ऋणों तथा ब्याज को माफ करने और 1999-2000 के आगे से केन्द्रीय सरकारी ऋणों पर ऋण स्थगन के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं।

भीषण चक्रवात के पश्चात् राज्य द्वारा झेले जा रहे वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए छः माह के ऋणस्थगन के साथ नवम्बर, 1999 से मार्च, 2000 की अवधि के लिए ऋण तथा ब्याज की पुनर्अदायगी दो वर्ष के लिए पुनःसंशोधित की गई थी। 15 मार्च, 2001 को देय ब्याज के साथ ऋणों की वापसी को भी 29 मार्च, 2001 तक आस्थगित रखा था। राज्य के सम्पूर्ण आर्थिक विकास हेतु वर्ष 1999-2000 से अब तक भारत सरकार ने राज्य योजना हेतु 2626.56 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान भारत सरकार ने राज्य के आपदा राहत कोष और आपदा राहत हेतु प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता कोष के तहत सहायता हेतु केन्द्र के हिस्से के रूप में 1106.46 करोड़ रुपए भी जारी किए।

उड़ीसा सरकार ने संभावित डी.एफ.आई.डी. वित्त पोषण के साथ 3000 करोड़ रुपए के बुनियादी समायोजन ऋण के लिए विश्व बैंक से सहायता हेतु भारत सरकार से संपर्क किया है जिस पर भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है।

निर्यात-आयात पर परमाणु परीक्षण का प्रभाव

1105. श्री प्रबोध पण्डा:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद आयात-निर्यात कहां तक प्रभावित हुआ है;

(ख) सरकार द्वारा देश से निर्यात को बढ़ावा देने और आयात घटाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ देशों ने अपने प्रतिबंधों को उठा लिया है जो 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद लगाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप भारत के उत्पादन क्षेत्र और व्यापार में कितना सुधार हुआ है अथवा सुधार होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारतीय पण्य वस्तुओं के निर्यातों और आयातों का मूल्य तथा वृद्धि दर निम्नानुसार है-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	%वृद्धि	आयात	%वृद्धि
1997-98	35006	4.6	41484	6.0
1998-99	33219	(-)5.1	42389	2.2
1999-2000	36822	10.8	49671	17.2
2000-01	44560	21.0	50537	1.7
2001-02 अप्रैल-सितंबर (अनंतिम)	20968	(-)1.95	25931	1.81

वर्ष 1998-99 में नकारात्मक वृद्धि मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई संकट के कारण थी। यू एस ए जैसे देशों द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण भारतीय निर्यातों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि निर्यात प्रतिबंधों से प्रभावित कंपनियां यू एस ए को निर्यात नहीं करती है।

विश्व बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के उद्देश्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं- विकेन्द्रीकरण के जरिए कारोबार लागत को कम करना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और एग्जिम नीति में यथाउल्लिखित विविध अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों को अभिज्ञात करके तथा विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करके भी निर्यात संवर्द्धन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनके अलावा नई एग्जिम नीति 2001-2002 में घोषित उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं- कृषि निर्यातों का संवर्द्धन, बाजार पहुंच प्रयास, कारोबार सह व्यापार सुविधा केन्द्रों की स्थापना करना आदि। निर्यात संवर्धन के लिए हाल ही के कुछ उपायों में शामिल हैं- लदान-पूर्व और लदान-पश्चात् दोनों ऋणों के लिए निर्यात ऋण दर में कटौती, 100 करोड़ अथवा उससे अधिक की निर्यात संविदा वाले विनिर्माता निर्यातकों को अक्तूबर, 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, लैटिन अमरीकी देशों को किए गए निर्यातों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए 180 दिन की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना और कई उत्पाद समूहों पर शुल्क वापसी की दरों का उर्ध्वगामी संशोधन करना। निर्यात निष्पादन की लगातार निगरानी की जा रही है और व्यापार घाटे को कम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। एक वार रूम उन संवेदनशील मदों के आयात पर लगातार नजर रखे हुए है जिसके लिए मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए गए हैं।

(ग) से (ङ) मई, 1998 के भारतीय परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप यू एस ए और जापान जैसे देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को अब हटा लिया गया है। तथापि, इन प्रतिबंधों को हटाने का भारतीय व्यापार आदि पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव को अलग से आकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि विनिर्माण और व्यापारिक कार्यकलाप अनेक कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जैसे कि वैश्विक आर्थिक विकास, देश में बुनियादी सुविधाओं का विकास आदि।

[हिन्दी]

व्यापार संबंधी विवाद

1106. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार संबंधी कई विवाद विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या विचार-विमर्श किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा विवाद निपटान निकाय से अनुकूल निर्णय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम/उपाय किये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) हमारे कतिपय व्यापारिक साझेदारों के साथ कुछ व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करने के लिए भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के विवाद निपटान निकाय से संपर्क किया है। हमारे कुछ व्यापारिक साझेदारों ने कुछेक मामलों में भारत के खिलाफ डब्ल्यू टी ओ में शिकायत भी

की है। डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय में पड़े उन सभी लंबित मामलों, जिनमें भारत या तो शिकायतकर्त्ता देश है या उसके खिलाफ शिकायत की गई है, की मौजूदा स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

इन सभी विवादों में भारत ने विवाद के अधीन विशिष्ट उपायों से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने के उद्देश्य से उन देशों के साथ जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है अथवा जो शिकायतकर्त्ता देश है, के साथ परामर्श किए हैं। कुछेक मामलों में कोई पारस्परिक रूप से स्वीकार्य हल नहीं निकल सका है और भारत ने या शिकायतकर्त्ता देश ने विवाद निपटान पैनल की स्थापना की मांग की है। इन निकायों के समक्ष विवादाधीन उपायों पर सरकार का दृष्टिकोण रखते हुए समय पर अनुरोध किए गए हैं।

क्र.सं.	विवाद विषय	शिकायतकर्त्ता देश	जिस देश के खिलाफ शिकायत की गई है	मौजूदा स्थिति
1.	कच्ची खाल और चर्म समेत उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध	ई.सी.	भारत	परामर्श किए गए
2.	आटोमोटिव क्षेत्र-आटो नीति को प्रभावित करने वाले कतिपय उपायों के संबंध में	ई.सी.	भारत	पैनल की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है।
3.	गैट 1994 के अनुच्छेद XVIIIख से इतर कारणों से भारत द्वारा लगाए गए आयात प्रतिबंध	ई.सी.	भारत	परामर्श किए गए
4.	भारतीय प्राधिकारियों द्वारा लागू की गई अनेक सीमा शुल्क वृद्धियां	ई.सी.	भारत	परामर्श किए गए
5.	भारत से एंटी बायटिक के आयातों पर दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया पाटन रोधी शुल्क	भारत	दक्षिण अफ्रीका	परामर्श किए गए
6.	आटोमोटिव क्षेत्र- आटो नीति को प्रभावित करने वाले कतिपय उपायों के संबंध में	यू एस ए	भारत	पैनल की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है।
7.	भारत से सी टी एल स्टील प्लेट के आयातों पर यू एस द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क	भारत	यू एस ए	पैनल की स्थापना की गई है। पहला अनुरोध किया गया है।
8.	पाटन और इमदाद समायोजन (बेयर्ड संशोधन) संबंधी अमरीकी विधान	भारत और 8 अन्य देश	यू एस ए	पैनल की स्थापना की गई है
9.	भारत से जूट के बैगों के आयातों पर ब्राजील द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क	भारत	ब्राजील	परामर्श किए गए
10.	अर्जेंटीना औषधि विवाद	भारत	अर्जेंटीना	परामर्श किए गए

विदेशी निवेशकों और सरकार के बीच समन्वय हेतु प्राधिकरण

1107. श्री रामशकल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों और सरकारी तंत्र के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु किसी प्राधिकरण का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में उपलब्ध प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) सरकार ने 9 अगस्त, 1999 को एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की है ताकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों को त्वरित रूप से कार्यान्वयन में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में विदेशी निवेशकों की सहायता करके उनके लिए एक अग्र क्रियात्मक एकल चरण अनुवर्ती देख रेख सेवा (वन-स्टाप आफ्टर केयर सर्विस) उपलब्ध करायी जा सके, प्रचालनात्मक समस्याओं को दूर किया जा सके और सहभागी दृष्टिकोण के जरिये अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के साथ-साथ समस्याओं का समाधान निकालने के लिए विभिन्न सरकारी एजेन्सियों से संपर्क किया जा सके। एफ.आई.आई.ए. निवेशक तथा विभिन्न सरकारी एजेन्सियों के बीच एकल बिन्दु (प्वान्ट) परपर संपर्क के रूप में कार्य करता है। विभिन्न अनुमोदनों/अनुमतियों में तेजी लाना, निवेशकों, तथा संबंधित सरकारी एजेन्सियों के बीच भागीदारी का पोषण करना, प्रत्यक्ष ज्ञान में मतभेद को दूर करना, समग्र विश्वसनीयता को बढ़ाना, नीतिगत ढांचे की समीक्षा करना तथा एफ.डी.आई. अनुमोदनों के वास्तविक निवेश में परिवर्तन तथा क्रियान्वयन के बारे में विदेशों में भारत के राजनयिक मिशनों को अवगत रखने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क करना एफ.आई.आई.ए. के कार्य हैं।

[अनुवाद]

सहकारी बैंक

1108. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों को वित्तीय संकट से उबारने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों से 8000 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार किन-किन बैंकों को लाभ प्राप्त होगा; और

(घ) इन बैंकों को किन शर्तों पर यह पैसा प्रदान किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप-गवर्नर श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में सहकारी ऋण प्रणाली के अध्ययन और इसे मजबूत बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया था। इस कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने संबंधी पैकेज तैयार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश का सुझाव दिया है। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थानों के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने 25 अगस्त, 2001 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें सहकारी ऋण प्रणाली को प्रदान की जाने वाली सहायता और उसके लिए निधियन तंत्र से संबंधित निर्णय लिया गया था। तदनुसार, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में चुने हुए राज्य सरकारों के सहकारिता मंत्रियों की समिति गठित की गई है। इस समिति से सहकारी बैंकों में पुनरुद्धार के लिए साझा सहायता पद्धति और इसके निधियन तंत्र के मामले के अलावा सहकारी ऋण ढांचे अंतरण की व्यवहार्यता की जांच की अपेक्षा की जाती है। यह समिति विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श कर रही हैं और इसके शीघ्र ही अपनी सिफारिश देने की संभावना है।

एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत गुजरात को अनुदान

1109. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) और जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में इन योजनाओं से कितने अनु. जाति/अनु. जनजाति परिवार लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) अनुसूचित जनजातियों के तीव्र आर्थिक विकास

को सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी उप-योजना की कार्य नीति तैयार की गई थी। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों का तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विशेष संघटक योजना की कार्यनीति तैयार की गई थी। इस कार्य नीति के अंतर्गत सम्बन्धित अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अ.ज.जा. तथा अ. जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में क्रमश: सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध योजना निधि में से जनजातीय उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना के अंतर्गत निधि निर्धारित की जाती है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आदिवासी उप योजना तथा विशेष संघटक योजना के लिए एक योगज के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता तथा जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत आबंटित निधियां इस प्रकार हैं:-

(राशि रुपए लाख में)

योजना	1998-99	1999-2000	2000-2001
विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	371.40	682.27	1,521.88
जनजातीय योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3,689.70	3,139.98	3,139.98

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (क) तथा 11 (ख) के अंतर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या इस प्रकार है:-

	1998-99	1999-2000	2000-2001
अनुसूचित जाति परिवार	65,073	60,146	67,304
अनुसूचित जनजाति परिवार	1,25,651	1,26,543	1,25,271

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में भ्रष्टाचार के मामले

1110. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भ्रष्टाचार के बारे में 27.7.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 838 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डी.ओ. 31090 के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके नाम जांच रिपोर्ट में शामिल हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट जिसका संदर्भ मंत्रालय ने दिया है, प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट में दावों के निपटानों में कथित अनियमितताओं के आरोप में प्रशासनिक अधिकारी स्तर के तथा सहायक स्तर के कर्मचारियों का नाम आया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इन अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी है। तद्नुसार, बीमा कम्पनी के सतर्कता विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन

1111. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के राजस्व वसूली में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक कितने राजस्व की वसूली की गई;

(ग) सरकार का राजस्व वसूली में आ रही गिरावट को दूर करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग में बड़ा परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष में आज की तारीख तक प्राप्त राजस्व की राशि इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क**
1998-99	41278	52454
1999-2000	48334	61747
2000-2001	47620	68242
अप्रैल-अक्तूबर, 2001	23131(अ)	37073(अ)

**उत्पाद शुल्क राजस्व में वे उपकर शामिल नहीं हैं जिन्हें राजस्व विभाग द्वारा नहीं लगाया जाता है।

टिप्पणी: राजस्व वसूलियां विभागीय अभिलेखों के अनुसार है।

अ = आंकड़े अनंतिम हैं।

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में कोई कमी नहीं हुई थी। जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है, वर्ष 2000-01 में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में मामूली सी कमी हुई थी। अन्य कारकों के अलावा, सितम्बर, 2001 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क में कमी के कारण उस वर्ष में कमी हुई थी।

(ग) से (ङ) राजस्व सहायता बढ़ाने, बेहतर कर प्रबन्ध करने, प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पुनर्गठन के एक प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

मांस का निर्यात

1112. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक किन-किन देशों को विभिन्न मवेशियों के मांस का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न धार्मिक/सामाजिक संगठनों से मांस के निर्यात पर रोक लगाने हेतु अनुरोध/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित विभिन्न मवेशियों के मांस का कुल मूल्य निम्नानुसार रहा है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु.)
1998-99	691.30
1999-2000	706.42
2000-01	1375.04
अप्रैल-जून 2001 (अनं.)	259.61

स्रोत डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता

भारत से विभिन्न मवेशियों के मांस का निर्यात अफगानिस्तान, अल्बानिया, अंगोला, अर्मेनिया, बहरीन, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, चीनी ताइपेइ, चीन जनवादी गणराज्य, कोमोरोस, कांगो, क्रोएशिया, चैक गणराज्य, साइप्रस, डेनमार्क, अरब मिश्र गणराज्य, इक्वाडोर, फ्रांस, गेबन, जाम्बिया, जार्जिया, जर्मनी, धाना, गुएना, गुएना (बिसु) फ्रैंच गुएना ग्रीक, हांगकांग इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, इटली, आइवरी कोस्ट, जापान, जार्डन, कजाकिस्तान, केन्या/कोरिया गणराज्य, कुवैत, लेबनान, लाइबेरिया, मलेशिया, मालदीव, मोरितानिआ, माल्टा, मारीशस, मेक्सिको, मोजाम्बिक, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नार्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलिपीन्स, पुर्तगाल, कतर, रूस, सउदी अरब, सेनेगल, सेशैल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, थाइलैंड, टोगों, त्रिनिदाद, तुर्क सी.आई.एस., तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, अमरीका, यूक्रेन, यमन गणराज्य तथा विएतनाम को किया गया है।

(ख) और (ग) कई धार्मिक/सामाजिक संगठन धार्मिक आधार पर और अपनी ऐसी आशंकाओं के कारण कि निर्यात से भारत का पशुधन समाप्त हो जाएगा मांस का निर्यात बंद करने के लिए सरकार को समय-समय पर आवेदन प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इन संगठनों में से प्रमुख संगठनों में शामिल हैं अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली, एनिमल राईट्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली, अहिंसा महासंघ, मुंबई, द बाम्बे ह्यूमैनेटेरियन लीग, मुंबई, महाराजा कुमरपाल, जीवदया ट्रस्ट, चेन्नई, विभिन्न राज्यों के जैन समाज; अहिंसा प्रिय समाज, नई दिल्ली अखिल भारतीय मांस निर्यात निरोध परिषद तथा विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं।

(घ) सरकार ने भारत से मांस एवं मांस उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित करने के अनुरोधों पर आवश्यक गंभीरता से विचार किया है। मांस के निर्यात से भारत का पशुधन में कमी नहीं आई है। 1987 तथा 1992 की पशुधन संख्या के अनुसार पशुधन की संख्या 1987 में 445.28 मिलियन से बढ़कर 1992 में 470.14 मिलियन हो गई है जिसमें 1.1% की वार्षिक वृद्धि दर प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त, भारत का मांस निर्यात देश में मांस

उत्पादन का केवल लगभग 4% बनता है। बहुत से लोगों की आजीविका मांस उद्योग, से जुड़ी हुई है जिसमें पशुपालन, पशुवध तथा मांस प्रसंस्करण शामिल हैं। इस प्रकार, मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से बेरोजगारी तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का घाटा हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुत्पादक पशुओं की परवरिश नहीं की जाएगी और इससे वे पशु रोगों के वाहक बन जाएंगे जिससे उत्पादक पशुओं और दुग्ध उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अनुत्पादक पशुओं को भी खिलाना पड़ेगा, जिससे स्वस्थ उत्पादक पशुओं को उस देखभाल से वंचित होना पड़ेगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

महाराष्ट्र में लोधी जाति को पिछड़ी जाति के रूप में शामिल करना

1113. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण भारत में लोधी जाति की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लोदी जाति की विशेषकर महाराष्ट्र में पिछड़ी जाति के रूप में पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) किन-किन राज्यों में यह जाति पिछड़ी जाति के रूप में शामिल की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) अधिनियम, 1993 के प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन.सी.बी.सी.) ने महाराष्ट्र के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में 'लोधी' जाति को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया है और इसे शामिल करने के अनुरोध को रद्द करने की सिफारिश की है क्योंकि इस समुदाय को महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं पाया गया है।

(च) 'लोधी' जाति/समुदाय को आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल किया गया है। इस जाति को गुजरात राज्य में लोधा और हरियाणा में लोध/लोधा के रूप में भी शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयां

1114. श्री एन.टी. षणमुगम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रेनाईट औद्योगिक क्षेत्र में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयां स्थापित करने को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में स्थापित किए गए ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक उद्यमियों से इस संबंध में आवेदन-पत्र अभी तक मंजूरी हेतु लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु में निर्यातोन्मुखी एकक योजना के तहत ग्रेनाइट क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के ब्यौरे दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अभी तक स्वीकृत ग्रेनाइट क्षेत्र की निर्यातोन्मुखी इकाइयों की सूची

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्वीकृति की तारीख
1	2	3
1.	इंटर फिट इंडिया लि.	30 मार्च, 1982
2.	तामिन ग्रेनाइट प्लांट (1)	26 अगस्त, 1982
3.	जैम ग्रेनाइट्स	21 मई, 1983
4.	रासली ग्रेनाइट प्रा.लि.	23 जून, 1983

1	2	3
5.	इंटर प्राइजिंग इंटर प्राइसेस	17 अप्रैल, 1984
6.	अम्मान ग्रेनाइट	22 अक्तूबर, 1984
7.	मोन्यूमैंट्स इंडिया	28 अक्तूबर, 1985
8.	कोरोमंडल ग्रेनाइट क. लि.	27 अक्तूबर, 1986
9.	पल्लवा ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज	8 सितंबर, 1987
10.	पूषया एक्सपोर्ट प्रा. लि.	15 दिसम्बर, 1987
11.	हिमालय ग्रेनाइट लि.	25 मार्च, 1988
12.	विजय ग्रेनाइट प्रा. लि.	15 अप्रैल, 1988
13.	स्पेरटैक सैरामिक्स इंडिया लि.	20 अप्रैल, 1988
14.	एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लि.	12 अगस्त, 1988
15.	स्वान स्टोन आर्ट प्रा. लि.	26 सितम्बर, 1988
16.	येरकाउड ग्रेनाइट प्रा. लि.	3 अक्तूबर, 1988
17.	आरकेयन ग्रेनाइट प्रा. लि.	12 अक्तूबर, 1988
18.	एम्मीसेन एक्सपोर्ट प्रा. लि.	12 अक्तूबर, 1988
19.	इरोड ग्रेनाइट प्रा. लि.	4 नवम्बर, 1988
20.	कार्तिक ग्रेनाइट प्रा. लि.	14 दिसम्बर, 1988
21.	ब्राइटर ग्रेनाइट प्रा. लि.	15 फरवरी, 1989
22.	डिस्को स्टोन इंडो लि.	30 मार्च, 1989
23.	इन्लाक ग्रेनाइट लि.	31 मार्च, 1989
24.	मोनूमार्क्स ग्रेनाइट्स	31 मार्च, 1989
25.	सिओमाह ग्रेनाइट	7 अप्रैल, 1989
26.	माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट लि.	8 सितंबर, 1989
27.	बन्नारी अम्मान शुगर्स लि.	31 अक्तूबर, 1989
28.	तामिन ग्रेनाइट टाइल्स प्लांट-II	27 नवम्बर, 1989
29.	अंकित ग्रेनाइट्स लि.	16 फरवरी, 1990
30.	ग्रान रोक टाइल्स प्रा. लि.	5 मार्च, 1990
31.	जी.टी.पी. ग्रेनाइट लि.	5 मार्च, 1990
32.	कोठरी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि.	28 जून, 1990
33.	प्रीमियम ग्रेनाइट्स लि.	28 जून, 1990
34.	तालावाडी रॉक एंड मिनरल प्रोडक्ट्स लि.	28 जून, 1990
35.	साउथ इंडिया कारपोरेशन	29 जून, 1990
36.	शेरोन ग्रेनाइट्स	30 अप्रैल, 1991
37.	जीजी ग्रेनाइट्स लि.	30 अप्रैल, 1991
38.	इम्पीरियल ग्रेनाइट्स लि.	7 मई, 1991
39.	जीटीपी ग्रेनाइट्स लि. यूनिट-II	24 दिसम्बर, 1991
40.	यूटी लि.	31 दिसम्बर, 1991
41.	के.से. कटटेमा ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	21 फरवरी, 1992
42.	ओबली ग्रेनाइट्स	28 फरवरी, 1992
43.	हैरिटेज ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	9 अप्रैल, 1992
44.	शेरोन शुगर ग्रेनाइट्स	17 दिसम्बर, 1992
45.	साकेत इंडिया लि.	5 मार्च, 1993
46.	स्क्वेयर डी ग्रेनाइट्स लि.	28 जून, 1993
47.	यूनाइटेड ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	18 मई, 1994
48.	अम्मान ग्रेनाइट्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	19 दिसम्बर, 1994
49.	एल्पस ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	31 मार्च, 1995
50.	अशोक ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	7 जुलाई, 1995
51.	इंडिग्रा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	19 सितम्बर, 1995
52.	वैलशाइन ग्रेनाइट्स लि.	19 सितम्बर, 1995
53.	यूरो इंटरट्रीज इंडिया लि.	27 सितम्बर, 1995
54.	स्टोन वंडर्स इंडिया लि.	19 मार्च, 1996
55.	ओमेगा ग्रेनाइट	27 मई, 1996
56.	पीटर डेनिस	2 दिसम्बर, 1996

1	2	3
57.	श्री देवराज ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	20 मार्च, 1997
58.	एटलस ग्रेनाइट्स	22 अप्रैल, 1998
59.	जी आर ग्रेनाइट्स	31 अगस्त, 1998
60.	मतुराई आर के रॉक प्रोडयूस प्रा. लि.	9 सितम्बर, 1998
61.	एजी ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	22 सितम्बर, 1998
62.	फाउना इंटरनेशनल	5 जनवरी, 1999
63.	ए ब्ल्यू हिल ग्रेनाइट्स (इंडिया) प्रा. लि.	19 मार्च, 1999
64.	आर के ग्लेनरॉक प्रा. लि.	30 अगस्त, 1999
65.	एस एन आई ग्रेनाइट्स	5 जनवरी, 2000
66.	पैरी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रा. लि.	23 मार्च, 2000
67.	एरो ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज लि.	29 मार्च, 2000
68.	आर्चीयन ग्रेनाइट्स लि.	29 मार्च, 2000
69.	सेवन हिल्स इंटर प्राइसेज	29 मार्च, 2000
70.	माधव मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स लि. यूनिट-II	31 मार्च, 2000
71.	मानी ओमेगा ग्रेनाइट्स प्रा. लि.	21 जून, 2000
72.	केट-सा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	20 मार्च, 2001
73.	सलैक्टिव स्टोन प्रा. लि.	7 जून, 2001

पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु अनुदान

1115. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछड़े समुदायों में गरीबी निवारण हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न पिछड़े समुदायों के असमान विकास के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इनके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है, जिसे पिछड़े वर्गों के पात्र सदस्यों को कौशल विकास तथा स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना करने के लिए रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। एन बी सी एफ डी सी इस उद्देश्य के लिए आवधिक ऋण, सीमान्त राशि ऋण तथा लघु साख वित्त उपलब्ध कराता है। स्वर्णिम योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) पिछड़े वर्गों की महिलाओं का उनमें आत्म-निर्भरता की भावना जागृत करने के लिए ऋण प्रदान करता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने अभी तक निगम की योजनाओं के अंतर्गत राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए अन्य पिछड़े वर्ग के 3,42,671 व्यक्तियों को 552.19 करोड़ रु. निर्मुक्त किया है। भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी कार्यान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों सहित शहरी तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही है:-

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.);
2. रोजगार बीमा योजना (ई.ए.एस.);
3. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.); और
4. स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित राशि तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण [illegible] है।

विवरण

		1998-99			1999-2000			2000-01			2001-02 (20.11.2001 तक)		
		आबंटन संशो. अनु.	व्यय	लाभार्थी	आबंटन संशो. अनु.	व्यय	लाभार्थी	आबंटन संशो. अनु.	व्यय	लाभार्थी	आबंटन संशो. अनु.	व्यय	लाभार्थी
1.	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए परीक्षा-पूर्व छात्रवृत्ति	2.00	1.50	19523	5.00	4.25	116920	6.00	6.00	184340	18.00	17.20	9,41,589
2.	अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	5.00	4.65	28,095	5.50	4.97	41794	9.00	8.99	357739	24.50	7.90	54,001
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल	2.00	1.31	350	3.00	3.00	3110 (44 होस्टल)	5.00	5.00	2410 (43 होस्टल)	15.00	1.47	600 (12 होस्टल)
4.	अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.00	0.64	2105	2.50	1.07	4915	3.50	1.57	3860	3.50	2.48	8495
5.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	0.20	0.20	320	2.50	0.03	100	3.00	0.01	40	1.50	0.35	1670
6.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	91.50	91.50	109948	100.00	100.00	42,724	0.01	0.00	21518	16.84	0.00	16,269

*व्यय के रूप में दर्शाई गई राशि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की शेयर पूंजी के प्रति भारत सरकार के अंशदान से संबंधित है। शेयर पूंजी अंशदान, अच्छी वसूली स्थिति तथा आंतरिक संसाधनों के प्रति भारत सरकार के अंशदान के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी योजनाओं के अंतर्गत उनके पास उपलब्ध निधियों में से ऋणों के वितरण द्वारा लाभार्थियों को सहायता दी गई है।

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

1116. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा कार्यों को समर्थन और मदद देने के विचार से ''दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना'' प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना में हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर धागे की सुनिश्चित आपूर्ति की परिकल्पना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई और खर्च की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनञ्जय कुमार): (क) जी, हां। सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए एक स्कीम अर्थात् ''दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना'' आरंभ की है।

(ख) हथकरघा क्षेत्र के समूचे विकास और हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए एकीकृत और समन्वित रीति से उत्पाद विकास, आधारभूत संरचना संबंधी सहायता, संस्थागत सहायता, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपस्करों की आपूर्ति और विपणन सहायता आदि जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए यह योजना इस क्षेत्र की व्यापक योजना है। यह स्कीम वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता, परियोजनाओं की योग्य कार्यान्वयन अभिकरणों के मूल सहायता जैसे करघों, कलपूर्जो आदि के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण लेने वाले बुनकरों हेतु मजदूरी की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रशिक्षण के लिए सहायता, योग्य संगठनों/समूह हेतु जल तथा वहि:स्राव संयंत्र (एफलूएंट ट्रीटमैंट प्लांट और ब्लीचिंग, डाईग, फिनिशिंग आदि सुविधाओं से युक्त प्रोसेस हाउस स्थापित करने के लिए आधारभूत सहायता के लिए वित्त सहायता, डिजाइनों को प्रदान करने हेतु तथा हथकरघा उत्पादों की डिजाइन गुणवत्ता के सुधार हेतु कम्प्यूटरीकृत डिजाइन पद्धति की स्थापना, प्रचार, विज्ञापन, ब्रोचरों/केटलांग की छपाई, बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा अध्ययन के लिए शामिल व्यय के लिए हथकरघा संगठनों हेतु वित्तीय सहायता, हथकरघा की बिक्री के प्रोत्साहन के लिए फिल्म निर्माण पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर राज्य से तैयार वस्तुओं की परिवहन लागत हेतु सब्सिडी के लिए सहायता तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठनों राष्ट्रीय

हथकरघा निगमों, शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों/परिसंघों को व्यवहार्य योग्य बनाने के लिए तथा उनकी ऋण सीमा/चल पूंजी बढ़ाने के लिए वित्त सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अब तक स्कीम के अंतर्गत जारी की गई तथा स्वीकृत की गई कुल राशि नीचे दर्शाई गयी है:-

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2000-2001		वर्ष 2001-2002	
		स्वीकृत राशि	जारी राशि	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	432.64	432.62
2.	असम	658.08	424.10	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	202.16	101.01
4.	गुजरात	425.00	212.50	–	–
5.	हिमाचल प्रदेश	13.868	6.89	14.99	7.49
6.	जम्मू व कश्मीर	57.64	44.54	–	–
7.	मणिपुर	287.16	143.51	–	–
8.	मध्य प्रदेश	37.88	32.71	3.28	3.28
9.	नागालैंड	66.35	33.10	–	–
10.	तमिलनाडु	677.05	677.05	1246.97	1246.97
11.	त्रिपुरा	62.69	33.14	–	–
12.	उत्तर प्रदेश	111.35	54.15	365.94	242.47
13.	पश्चिम बंगाल	56.42	28.1511	–	–
14.	छत्तीसगढ़	–	–	13.10	13.10
15.	कर्नाटक	–	–	166.32	166.32
16.	मेघालय	12.035	6.00	–	–
	योग	2465.523	1695.841	2445.40	2213.28

[हिन्दी]

कृत्रिम कपड़े का निर्यात

1117. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृत्रिम कपड़ा विकसित करने तथा इसका निर्यात करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृत्रिम कपड़े की श्रेणी में कौन से कपड़े शामिल किये गये है; और

(घ) यह योजना कब तक लागू होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीएनजी सिलेंडरों को बीआईएस प्रमाणन

1118. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बाजार में बड़ी संख्या में नकली सीएनजी सिलेंडरों को ध्यान में रखते हुए सीएनजी सिलेंडरों/ इकाइयों के लिए बीआईएस प्रमाणन अनिवार्य करने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के सिलेंडर गैस सिलेंडर नियम, 1981 के तहत आते हैं तथा भारत में उनके विनिर्माण एवं उनकी भराई करने की अनुमति देने के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक सांविधिक प्राधिकारी है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अपेक्षाओं के अनुसार आईएस 7285:1988 के अनुरूप निर्मित जोड़-रहित सिलेण्डरों का भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन स्कीम, जिसके तहत विनिर्माता को आई.एस.आई. चिह्न का प्रयोग करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, के प्रचालन के जरिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निरीक्षण/ प्रमाणन किया जाता है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा गैस सिलेण्डर नियमों के उपबंधों के तहत संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) सिलेण्डरों के आयात की अनुमति दी जाती है जिनका निरीक्षण मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाता है। गैस सिलेण्डर नियमों के विभिन्न उपबंधों के प्रवर्तन का अधिकार मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पास है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म उद्योग को ऋण

1119. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों की कुछ लाभ कमाने वाली शाखाएं और फिल्म उद्योग का विचार है कि 14 मई, 2001 को फिल्म वित्त पोषण हेतु जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश अव्यवहारिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन दिशानिर्देशों को और लोकप्रिय बनाने हेतु इनमें संशोधन करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) किन-किन बैंकों ने फिल्म वित्त पोषण शुरू कर दिया है; और

(छ) किन निर्माताओं ने अपनी परियोजनाओं के लिए ऋण प्राप्त किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) फिल्म वित्तपोषण के लिए दिनांक 14 मई, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के जारी किए जाने के बाद, ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं मिली हैं जिनसे यह पता चले कि मार्गनिर्देश अव्यावहारिक हैं। तथापि, संबंधित आस्ति पोर्टफोलियों के विकास एवं गुणवत्ता के संदर्भ में बैंक के अनुभव के आधार पर विभिन्न बैंकों द्वारा वित्तपोषण योजना की आवश्यकतानुसार, बाद में समीक्षा की जाएगी। 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों ने 167 वाणिज्यिक फिल्मों का वित्तपोषण किया है, जिसमें 174.78 करोड़ रुपए की रकम अन्तर्ग्रस्त है। परंतु बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीतिरिवाजों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के प्रावधानों और लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

[हिन्दी]

भांडागार केन्द्रों का निर्माण

1120. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न की कमी की चुनौती का सामना करने हेतु भांडागार केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को इस कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ग) क्या जबलपुर में एक भांडागार केन्द्र का निर्माण कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश में निर्माण किए जाने वाले भांडागार केन्द्रों का स्थान-वार तथा लागत-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए और सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र, घरेलू और विदेशी, दोनों के प्रयासों और संसाधनों को इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और चलाने के लिए शामिल करने लिए सरकार ने खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। खाद्यान्नों की समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई को इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का स्तर प्रदान किया गया है। इस क्षेत्र में अनुमेय प्रोत्साहन इस क्षेत्र के लिए भी दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) गेहूं की समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई सुविधाओं को प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों में 11 स्थानों पर सृजित करने का प्रस्ताव है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहचान किए गए स्थानों की सूची विवरण-I में दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से ''बनाओ और चलाओ'' आधार पर परम्परागत गोदामों का सृजन करने के लिए 14 राज्यों में कुल 5.88 लाख टन भंडारण क्षमता के लिए 78 स्थानों की पहचान भी की है। इन स्थानों की सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

निजी क्षेत्र द्वारा बनाओ और चलाओ आधार पर बल्क भंडारण क्षमता के सृजन हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहचान किए गए स्थानों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान		क्षमता
1	2	3		4
	वसूली राज्य			
1.	पंजाब	1.	नाभा	3 लाख टन
		2.	बरनाला	3 लाख टन
		3.	मोगा	3 लाख टन
2.	हरियाणा	1.	सिरसा	3 लाख टन
		2.	कैथल	3 लाख टन
	उपभोक्ता राज्य			
3.	पश्चिम बंगाल	1.	हुगली	1 लाख टन
4.	तमिलनाडु	1.	चेन्नई	1 लाख टन
		2.	कोयम्बटूर	1 लाख टन
5.	कर्नाटक	1.	बंगलौर	1 लाख टन
6.	महाराष्ट्र	1.	नवी मुंबई	2 लाख टन
	जोड़			21 लाख टन

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भण्डारण निगम गुजरात में पिप्पव में पोर्ट टाऊन बल्क हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन की सुविधाएं भी सृजित कर रहा है।

विवरण-II

निजी क्षेत्र द्वारा बनाओ और चलाओ आधार पर परंपरागत भंडारण क्षमता के सृजन हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहचान किए गए स्थानों की सूची

क्र. सं.	जोन/क्षेत्र	केन्द्र		क्षमता (टन में)	टिप्पणियों (प्रत्येक राज्य की कुल क्षमता टन में)
1	2	3		4	5
	पूर्वी जोन				
1.	उड़ीसा	1.	संबलपुर	10,000	70,000
		2.	तीतलागढ़	10,000	
		3.	तलचेर	10,000	
		4.	कोरापुट	10,000	
		5.	कालाहांडी	10,000	
		6.	बोलंगीर	10,000	
		7.	केंद्रपाड़ा	10,000	
2.	बिहार	1.	दरभंगा	5,000	10,000
		2.	बोकारो	5,000	

1	2		3	4	5
3.	सिक्किम	1.	गंगटोक	5,000	5,000
4.	पश्चिम बंगाल	1.	मिदनापुर	10,000	10,000
	दक्षिणी जोन				
5.	आंध्र प्रदेश	1.	श्रीकाकुलम	10,000	70,000
		2.	समालकोट	10,000	
		3.	राजामुंदरी	10,000	
		4.	इलूरू	10,000	
		5.	जगैयापेप	10,000	
		6.	हजुरनगर	10,000	
		7.	जामीकुंटा	10,000	
6.	तमिलनाडु	1.	कांचीपुरम	5,000	45,000
		2.	वृद्धाचलम	10,000	
		3.	सलेम	10,000	
		4.	धर्मापुरी	5,000	
		5.	इरोड	10,000	
		6.	कन्याकुमारी	5,000	
7.	कर्नाटक	1.	बंगेरपेट	10,000	60,000
		2.	मंडया	10,000	
		3.	मंगलौर	10,000	
		4.	देवानगेरे	10,000	
		5.	करवार	10,000	
		6.	कोप्पल	10,000	
8.	केरल	1.	थिरूवला	10,000	35,000
		2.	मंजेस्वरम	10,000	
		3.	थिरूनावाया	10,000	
		4.	पारापन्नागढ़ी	5,000	
	पश्चिमी जोन				
9.	गुजरात	1.	हिम्मतनगर	10,000	30,000
		2.	पोरबंदर	5,000	
		3.	दहोड	10,000	
		4.	भरूच	5,000	
10.	मध्य प्रदेश	1.	छिंदवाड़ा	5,000	20,000
		2.	भोपाल	10,000	
		3.	शिवपुरी	5,000	
11.	छत्तीसगढ़	1.	महासमुंद	10,000	50,000
		2.	भाटापारा	10,000	
		3.	अकालतारा	5,000	
		4.	दुर्ग	10,000	
		5.	जगदलपुर	10,000	
		6.	राजनंद गांव	5,000	
12.	महाराष्ट्र	1.	बीड	5,000	15,000
		2.	ओसमानाबाद	5,000	
		3.	नांदेड़	5,000	
	उत्तरी जोन				
13.	हरियाणा	1.	अम्बाला सिटी/कैंट	10,000	1,35,000
		2.	नारायणगढ़	10,000	
		3.	बराड़ा	5,000	
		4.	जगाधरी	10,000	
		5.	कुरूक्षेत्र	10,000	
		6.	कैथल	10,000	
		7.	शाहबाद	20,000	
		8.	लड़वा	10,000	
		9.	जाखल	10,000	
		10.	टोहाना	10,000	
		11.	फतेहाबाद	10,000	
		12.	होडल	10,000	
		13.	बल्लभगढ़	10,000	
13.	हिमाचल प्रदेश	1.	मंडी	5,000	33,000
		2.	लाहुलस्पिति/ (केलांग)	2,500	
		3.	शिमला	5,000	
		4.	किन्नौर	2,500	
		5.	कांगड़ा	5,000	
		6.	बिलासपुर	1,000	
		7.	तिस्सा	1,000	
		8.	भारमौर	1,500	
		9.	किल्लार	1,000	
		10.	देहरा	2,000	
		11.	बैजनाथ	1,000	

1	2	3	4	5
		12. हाथ-कोठी	1,000	
		13. नाहन	2,500	
		14. सुरगनी चंबा	1,000	
		15. थुनाग मंडी	1,000	
	सकल जोड़			5,88,000

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु औद्योगिक विकास योजना

1121. श्री एम.के. सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु प्रधान मंत्री विशेष योजना के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश के द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें विशेष रियायतें दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम तथा अन्य राज्यों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा संस्थागत विदेशी निवेश की वर्तमान स्थिति क्या है, और गत तीन वर्षों के दौरान कितना निवेश किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) यद्यपि एफ.आई.आई. से निवेश सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मात्र को आकृष्ट करने के लिए विशेष रूप से बनी कोई रियायती योजनाएं नहीं हैं, फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों में उपलब्ध कराये जा रहे परिवहन राजसहायता, ब्याज राजसहायता तथा अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे विशेष सेक्टर/क्षेत्र विशिष्ट प्रोत्साहन विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों सहित सभी भारतीय कंपनियों पर समान रूप से लागू हैं।

(ग) वर्ष 1998 से 2000 तक की अवधि में असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुमोदित किये गये एफ.डी.आई. प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

राज्य का नाम	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (करोड़ रुपये में)
1 2	3
1. असम	शून्य
2. मेघालय	44.46
3. त्रिपुरा	शून्य
4. मिजोरम	1.52
5. अरुणाचल प्रदेश	शून्य
6. मणिपुर	शून्य
7. नागालैंड	शून्य

एफ.आई.आई. निवेश क्षेत्र विशेष के लिए नहीं हैं और भारतीय पूंजी बाजारों में किये जाते हैं।

कपास उद्योग के लिए शीर्ष निकाय

1122. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल काटन काउंसिल आफ यू.एस.ए. की तर्ज पर कपास उद्योग के क्षेत्र में एक शीर्ष निकाय जैसे भारतीय राष्ट्रीय कपास बोर्ड की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) से (ग) वस्त्र विषय पर कार्य समूह, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ (फिक्की), नई दिल्ली ने भारतीय राष्ट्रीय कपास बोर्ड की स्थापना की परिकल्पना की थी।

वर्तमान कपास सलाहकार बोर्ड, (सी.ए.बी.) जिसमें सभी संबंधितों के प्रतिनिधिगण हैं, आमतौर पर, सरकार को कपास के उत्पादन, कपास के विपणन में खपत से संबंधित मामलों पर सलाह देती है तथा सूती वस्त्र मिल उद्योग, कपास उपजकर्त्ताओं, कपास व्यापार और सरकार के बीच संपर्क के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। फिक्की द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कपास बोर्ड के लिए परिकल्पित किए गए कार्यकलापों के समान समरूप ही सी.ए.बी. के कार्यकलाप हैं।

यू.एस.-64 योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु आवेदन

1123. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.टी.आई. को यू.एस.-64 योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबहर, 2001 के अंत तक भुगतान की मांग की तुलना में इस योजना के अंतर्गत यू.टी.आई. द्वारा कुल कितनी राशि क़ा निपटान किया गया;

(ग) मांगें गए भुगतान की पूरी राशि अदा न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यू.टी.आई. के पुनर्गठन हेतु किसी व्यापक प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 1 अगस्त, 2001 से 31 अक्तूबर, 2001 के दौरान यू.एस.-64 के अधीन 2,43,544 आवेदन (अनन्तिम) प्राप्त किए हैं। यूनिट धारिता की कुल संख्या (लगभग 1.89 करोड़) को देखते हुए पुन: खरीद मामलों की संख्या अधिक नहीं है।

(ख) और (ग) यू.टी.आई. ने दिनांक 01.08.2001 से 31.10.2001 तक यूनिट के पुन: खरीद मूल्य के लिए 294.15 करोड़ रुपए (अनन्तिम) अदा किये। सभी वैध पुन: खरीद आवेदनों पर न्यासी बोर्ड द्वारा उसकी दिनांक 15.07.2001 को हुई बैठक में यथानुमोदित सीमित पुन: खरीद पैकेज के अधीन प्रति यूनिट धारक 30000 यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन कार्यवाही की गई है।

(घ) और (ङ) यू.टी.आई. द्वारा जुलाई, 2000 में श्री. वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में गठित ''कार्पोरेट पोजीशनिंग कमेटी'' में अक्तूबर, 2001 में यू.टी.आई. को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि यू.टी.आई. की संरचना ''सेबी'' म्युचल फण्ड विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तद्नुसार इसके लिए (1) एक प्रायोजक (2) एक न्यासी कंपनी, और (3) परिसंपित्त प्रबंध कंपनी होगी।

यू.टी.आई. के न्यासी बोर्ड ने दिनांक 30 अक्तूबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में सभी पण्यधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए यह रिपोर्ट सार्वजनिक बनाने का निर्णय लिया है।

अपव्यय

1124. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम करने के लिए कदम उठाए हैं और उसने इस बात की भी पहचान की है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों और विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय/उनके अंतर्गत आने वाले विभागों में ऐसे जगहों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान इस प्रयोजनार्थ की गई है और इनमें कितनी मात्रा में अपव्यय का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि अपव्यय होता है, तो ऐसे अपव्यय में कटौती करने/इसे रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गैर-योजना, गैर विकासीय व्यय को नियंत्रित करना सरकार का अनवरत प्रयास रहा है। यह इस संदर्भ में है कि अन्य उपायों के साथ-साथ, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों सहित अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्त मंत्रालय द्वारा फिजूल सरकारी व्यय से बचने के लिए अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं। इन उपायों में पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध, स्वीकृत पदों की संख्या में कमी, रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध, कार्यालय व्यय में कमी, मोटरवाहन की खरीद पर प्रतिबन्ध, विदेश यात्रा तथा स्वागत/सत्कार व्यय आदि पर प्रतिबन्ध शामिल हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1125. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमा दरों की उच्च सीमा को घटा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इसको कितनी बार घटाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग

कंपनियों को छोड़कर) द्वारा स्वीकार की गई सार्वजनिक जमाराशियों और निधि एवं चिट फंड कंपनियों द्वारा स्वीकार की गई जमाराशियों पर देय ब्याज की दर (1) 31.3.2001 को 2% कम करके 16% वार्षिक से 14% वार्षिक कर दी गई थी, जो 1.4.2001 से प्रभावी थी और (2) 31.10.2001 को 1.5% कम करके 14% वार्षिक से 12.5% कर दी गई थी, जो 1.11.2001 से प्रभावी है। नई ब्याज दरें केवल नई जमाराशियों तथा 1.11.2001 को और से विद्यमान जमाराशियों के नवीकरण पर लागू की गई हैं।

चीनी की कीमतों में वृद्धि

1126. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितंबर, 2001 के दौरान भारत में चीनी की कीमतें 400 रुपए से बढ़कर 500 रुपए प्रति टन पहुंच गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सितम्बर, 2001 के अंत तक देश में 110 लाख टन से अधिक का अभूतपूर्व भंडार था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा देश में चीनी की कीमतें कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) सितम्बर, 2001 माह के दौरान देश के चार प्रमुख बाजारों नामत: दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में एस-30 ग्रेड की चीनी के थोक मूल्य 1413 रुपये से 1650 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में थे, जबकि पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह के दौरान ये मूल्य 1470 रुपये से 1700 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में थे। इस प्रकार सितम्बर, 2001 माह के दौरान ये मूल्य पिछले वर्ष की इसी माह के दौरान चल रहे मूल्यों से कम थे।

(ग) 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार चीनी मिलों के पास चीनी का स्टाक अनंतिम आधार पर 103.61 लाख टन था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विकास दर

1127. श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री एन.टी. षणमुगम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 2001 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "आई.एम.एफ. स्केल्स डाउन इंडियाज ग्रोथ एस्टीमेटेड टू 4.5%" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दर्शाये गए मामले की वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विकास दर 6.5% निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विकास दर के उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, अक्टूबर, 2001 पर आधारित है। जिसमें वर्ष 2001 के दौरान भारत के लिए वास्तविक घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत आंकी गई है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2001) के लिए सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वर्ष 2001-02 के बजट में निहित नीति में कृषि क्षेत्र के सुधारों की गति तेज करने और खाद्य अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंध, संरचनात्मक निवेश में तेजी लाने, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार में सुधार जारी रखने, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालने वाले शेष नियंत्रणों को हटा कर संरचनात्क सुधारों को और आगे बढ़ाने, बेहतर शैक्षिक सुविधाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से मानव विकास गैर-उत्पादक व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, निजीकरण की प्रक्रिया और सार्वजनिक उद्यमों की पुनर्संरचना की गति को तेज करने तथा कर आधार को व्यापक बना कर राजस्व में वृद्धि करने और निष्पक्ष तथा न्यायसंगत कर-व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2001-02 के बजट में भी अति महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्वदेशी मांग को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य के साथ-साथ, संविदात्मक बचतों पर ब्याज दरों में कटौती, निगमित और गैर-निगमित क्षेत्रों द्वारा अदा किए जाने वाले उपकर को समाप्त करके करों में कटौती, शीर्ष सीमाशुल्क दर में और कमी करना, उत्पाद कर प्रणाली को बहुत सरल बनाना, शामिल है। आशा है कि बजट नीति की पृष्ठभूमि में मांग को बढ़ाने के लिए किए गए इन विशिष्ट उपायों द्वारा विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात

1128. श्रीमती जस कौर मीणा:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री बृजलाल खाबरी:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अभी तक देश-वार कितने गेहूं तथा चावल का निर्यात किया गया और उससे वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) 2001-2002 तथा गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं तथा चावल के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं और चावल के निर्यात में गिरावट का रूख रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए और चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान किन-किन देशों से गेहूं और चावल के निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने गेहूं तथा चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) आयात और निर्यात के विस्तृत आंकड़े (गैर सरकारी खाते पर किये जाने वालों सहित) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकीय की मासिक/वार्षिक पत्रिकाओं में उपलब्ध होते हैं जिनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) 1998-99 और 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात का कोई लक्ष्य नहीं था। सरकार ने 2000-2001 के लिए केन्द्रीय पूल से 50 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल का निर्यात करने की पेशकश करने का निर्णय लिया था। 2001-2002 के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 50 लाख टन गेहूं और 30 लाख टन चावल की पेशकश की जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) निर्यातकों को बहरीन, बंगला देश, कोन्टोनू, चैक गणराज्य, दजीबैटी, इथोपिया, घाना, इण्डोनेशिया, आईवोरी कास्ट, कुवैत, मालद्वीव, मलेशिया, मारीशश, मोजाम्बिक, म्यांमार, नीदरलैण्ड, नाईजीरिया, ओमान, कतर, फिलीपीन्स, रूस, सऊदी अरब, सीचीली, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सुडान, ताईवान, थाईलैण्ड संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, यमन से निर्यात के आदेश प्राप्त हुए हैं।

(छ) और (ज) केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) निर्यात के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की पेशकश करना तथा गेहूं और चावल के निर्यात मूल्य को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी स्तर पर बनाए रखना;

(2) गेहूं और चावल के निर्यातों की सतत मानीटरिंग करना और इस संबंध में होने वाली समस्याओं को दूर करना;

(3) निर्यात के लिए स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्यान्नों का भेजा जाना सुनिश्चित करने के लिए काण्डला पत्तन पर सफाई सुविधाएं स्थापित करना; और

(4) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में संक्रेन्द्रित रूप से खाद्यान्नों के निर्यात को डील करने के लिए निर्यात सैल का सृजन करना।

[अनुवाद]

मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति

1129. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्तता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत मानसिक रोग को सातवीं निशक्तता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिनियम में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या उनके कल्याण के लिए कोई उचित प्रयास नहीं किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके हित में सभी गतिविधियों की समीक्षा तथा समन्वय करने के लिए बनी केन्द्रीय समन्वय समिति की नवम्बर, 1998 से बैठक ही नहीं हुई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) मानसिक रोग को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (1) के अंतर्गत एक विकलांगता के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ख) से ,(च) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), अधिनियम, 1995, जो 7.2.1996 से प्रभावी हुआ, एक व्यापक विधान है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वास के निवारक तथा संवर्द्धनात्मक दोनों पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी आरक्षण, अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास, बाधामुक्त-वातावरण के विकास, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता, विकलांग कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना तथा गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना आदि का प्रावधान है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि उपयुक्त सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं तैयार करेंगे और ऐसी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण तथा नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण आदि का प्रावधान किया जाए। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपयुक्त सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी कार्यशक्ति का कम से कम पांच प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों से पूरा करें।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एन.आई.एम.एच.) सिकन्दराबाद, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, डिग्री/डिप्लोमा, पाठ्यक्रमों, माता-पिताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास में संलग्न है। यह संस्थान शीघ्र हस्तक्षेप, विशेष-शिक्षा, व्यवहार परिवर्तन, मार्गदर्शन तथा परामर्श, वाणी रोग विज्ञान तथा श्रवण विज्ञान, फिजियोथैरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार स्थापन, जेनेटिक परामर्श तथा व्यावसायिकों के बहुसंकायी दल द्वारा बहु विकलांगताओं के प्रबंधन से संबंधित विशेष सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों के आयोजन के माध्यम से उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का भी संचालन करता है।

सरकार द्वारा 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित पात्र नि:शक्त व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि उन्हें स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने में समर्थ बनाया जा सके। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक अवरुद्धता तथा बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास की स्थापना लक्ष्य समूहों के कल्याण के लिए 1999 के एक अधिनियम द्वारा की गई है। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है ताकि नि:शक्त व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना का सृजन किया जा सके। संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु एक केन्द्रीय योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए जिला केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सौ से भी अधिक जिलों की पहचान की गई है जिसका उद्देश्य मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित नि:शक्त व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है।

नवम्बर, 1998 के बाद, केन्द्रीय समन्वय समिति की दिनांक 24.10.2000 तथा 26.6.2000 को दो बार बैठक हो चुकी है।

कोरिया के साथ व्यापार समझौता

1130. श्री जी.जे. जावीया:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरिया और भारत के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते की शर्तें क्या हैं और इसकी समय-सीमा कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। भारत और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) के बीच व्यापार करार पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये प्रावधान किए गए थे- दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिकतम बढ़ाना, व्यापार संवर्धन के लिए दोनों देशों में से किसी भी पक्ष के सुझावों पर पूरा ध्यान देना, व्यापार से संबंधित मामलों में परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करना, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहयोग को बढ़ाना और यू.एस. डालर अथवा पाउंड स्टर्लिंग अथवा किसी ऐसी अन्य परविर्तनीय मुद्रा में भुगतान करना, जो दोनों देशों को स्वीकार्य हो। जहां तक करार की वैधता का संबंध है, यह वर्ष दर वर्ष आधार पर तब तक जारी रहेगी, जब तक दोनों में से कोई एक पक्ष दूसरे को करार को समाप्त करने की अपनी इच्छा के बारे में 90 दिनों का लिखित नोटिस नहीं देता है।

टायर उद्योग से राजस्व प्राप्ति

1131. श्री सुरेश कुरूप:
श्री सुनील खां:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टायर और ट्यूबों पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व राजकोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत है;

(ख) क्या सरकार ने 1997-2000 के दौरान टायरों तथा ट्यूबों पर उत्पाद शुल्क पर 2160 करोड़ रुपये की हानि उठाई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में राजस्व वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

कृषि निर्यात जोन

1132. श्री अम्बरीश: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए देश में कृषि निर्यात जोन स्थापित करने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार किन-किन स्थानों में इन जोनों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे जोन कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) ऐसे जोनों के स्थान के चयन और तत्संबंधी वित्तपोषण हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विभिन्न राज्यों में छ: कृषि-निर्यात क्षेत्रों की स्थापना हेतु सिद्धांतत: अनुमति प्रदान कर दी है। ये क्षेत्र लीची के लिए उत्तरांचल में रामनगर, आलू के लिए उत्तर प्रदेश में आगरा तथा आम के लिए लखनऊ, खीरे के लिए कर्नाटक में बंगलौर, अनानास के लिए पश्चिम बंगाल में सिलिगुड़ी तथा जलपाईगुड़ी और सब्जियों के लिए पंजाब के फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, लुधियाना और पटियाला क्षेत्रों में स्थित हैं।

(ग) यह राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा यह निर्धारित करने के विचार पर निर्भर करेगा कि ये इस संबंध में सरकार की नीति के अनुरूप हैं।

(घ) स्थान का निर्धारण ऐसे क्षेत्रों की स्थापना की व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है। इन क्षेत्रों के लिए सरकारी वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य सरकारों की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के आमेलन के जरिए होगा। इन योजनाओं के लिए प्रदत्त सहायता का उपयोग कृषि निर्यात क्षेत्रों के अंतर्गत क्रियाकलापों का वित्तपोषण करने के लिए किया जाएगा।

एन.सी.सी.एफ. को पुनरुज्जीवित करना

1133. श्री अरुण कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** एन.सी.सी.एफ. को पुनरुज्जीवित करने के बारे में 23 फरवरी, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) संदर्भाधीन प्रश्न पर चर्चा के समय निम्नलिखित दो आश्वासन दिए गए थे: (1) मंत्रालय इस आरोप की प्रारम्भिक जांच करेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ उन डीलरों से आपूर्ति प्राप्त कर रहा है जिनको विनिर्माताओं द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है। (2) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ कम्प्यूटरों की बिक्री पर अधिक मार्जिन ले रहा है। तदनुसार, उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक (सतर्कता) से जांच करने के लिए कहा गया था। जांच रिपोर्ट के आधार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से मामले में बरती गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने को कहा गया था। उक्त आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में दो कार्यान्वयन रिपोर्टें पहले ही संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दी गई हैं ताकि वे उन्हें सभा-पटल पर रख सके।

विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण

1134. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 3 वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और इसके अंतर्गत विभागों में वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित किये गये;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 तक की स्थिति के अनुसार वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने पद रिक्त पड़े रहे;

(ग) वर्षवार/पदवार/श्रेणीवार ऐसे पदों पर कितने नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) इस मंत्रालय के दो विभागों अर्थात् भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभाग के तहत् आने वाले सभी समूह 'क' पदों के संबंध में संवर्ग नियंत्रण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। विभिन्न वर्गों के 57 पदों जिनका संवर्ग नियंत्रण लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है, को छोड़कर सभी समूह 'ख' एवं 'ग' पदों का संवर्ग नियंत्रण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन 57 पदों में से दो पद नि:शक्त/विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। इन दो पदों में से एक पद भरा हुआ है। वरिष्ठ अन्वेषक (समूह 'ख' अराजपत्रित) का एक पद वर्ष 1999 से रिक्त है और इस पद को भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

भारी उद्योग विभाग केवल समूह 'घ' कर्मचारियों के संवर्ग का नियंत्रण करता है, जिसके 47 पदों में से एक पद नि:शक्त/विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है तथा जो पहले से भरा हुआ है।

शेयर कारोबार पर कर

1135. श्री भीम दाहाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए राजस्व जुटाने के लिए सभी शेयर कारोबार पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यय सुधार आयोग

1136. श्री अमर राय प्रधान: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और इसके अधीन विभागों में वर्तमान में अपव्यय को कम करने हेतु सिफारिश करने के लिए उनके मंत्रालय ने किसी व्यय सुधार आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उनके मंत्रालय अथवा इसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है और अब तक इन्हें कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ङ) व्यय सुधार आयोग की सातवीं रिपोर्ट जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित है, हाल ही में प्राप्त हुई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संबंधी अपनी रिपोर्ट में व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें विवरण में हैं। चूंकि इन सिफारिशों के क्रियान्वयन में प्रमुख मुद्दे अन्तर्ग्रस्त हैं इसलिए इस संबंध में कोई समय सीमा तय करना संभव नहीं है।

विवरण

व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	संक्षिप्त विषय
1	2
	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
1.	नोमैनकलेचर द्वारा लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसा होना चाहिए जो किसानों को उनके विपणन योग्य अधिशेष को खुले बाजार में आम तरीके से बेचने में प्रोत्साहित कर सके।
2.	राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र को नीति को लम्बी अवधि तक जारी रखने के साथ खाद्यान्नों की वसूली, व्यापार और निर्यात हेतु प्रोत्साहन देना चाहिए।
3.	उन राज्यों को जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम को अपनी ओर से क्रय करने के लिए अनुरोध किया है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त की जाने वाली/खरीदी जाने वाली मात्राएं खाद्य सुरक्षा बफर स्टाक की आपूर्ति के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राप्त होनी चाहिएं।
4.	अन्न सुरक्षा अभियान योजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
5.	भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान को बंद कर दिया जाना चाहिए।
6.	गुण नियंत्रण सैल और केन्द्रीय विश्लेषण प्रयोगशाला को मजबूत किया जाए।
7.	चालू वर्ष के दौरान चीनी का विनियंत्रण चलता रहना चाहिए।
8.	शर्करा निदेशालय को बंद कर दिया जाए।
9.	राष्ट्रीय शर्करा और शर्करा प्रौद्योगिकी संस्थान (मऊ) बंद कर दिया जाना चाहिए और उसकी सुविधाओं को पास ही के किसी कृषि विश्वविद्यालय अथवा प्रशिक्षण केन्द्र को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
10.	राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर की पुनर्संरचना की जानी चाहिए और इसे प्रौद्योगिकीय अविष्कार और इस क्षेत्र की परिवर्तित जनशक्ति आवश्यकताओं की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमुख केन्द्र बनाया जाना चाहिए।
11.	कम आकार के शर्करा प्रभाग को चीनी विकास निधि के प्रशासन (जो गन्ने के विविधीकृत उपयोग को बढ़ावा देने पर अपना जोर दे सकता है) और राष्ट्रीय शर्करा संस्था के पुनर्गठन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
12.	हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड को बंद करने का कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
13.	विभाग में संयुक्त सचिवों की संख्या कम करके 3 और सहायता स्तर पर कर्मचारियों की संख्या को उपयुक्त रूप से कम कर दिया जाना चाहिए।
	उपभोक्ता मामले विभाग
14.	मूल्यों की मानीटरिंग की व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है।
15.	वायदा बाजार आयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
16.	आवश्यक वस्तु अधिनियम की कालाबाजारी के अधीन की जा रही समीक्षा का उपयोग निरोध मामलों के निर्धारण के

1	2
	लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए किया जाना चाहिए।
17.	सरकार को सुपर बाजार और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ में अपने हिस्से का विनिवेश करना चाहिए। यदि यह व्यवहार्य नहीं पाया जाता है तो सरकार को दोनों समितियों को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
18.	उपभोक्ता कल्याण निधि का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि में इस निधि की उपयोगिता की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।
19.	उपभोक्ता न्यायालयों के दायरे को मजबूत करने की आवश्यकता है।
20.	भारतीय मानक ब्यूरो को व्यावसायिक निकाय बनाना चाहिए जिसका बोर्ड व्यापक हो और इसमें शैक्षिक संस्थानों से वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसे पूर्ण स्वायत्तता देने का मामला बनता है।
21.	एन.टी.एच. को विभाग के अधीन रखा जाना चाहिए। एन.टी.एच. और भारतीय मानक ब्यूरो का विलय दोनों संगठनों के कार्यकरण और गतिविधियों के विस्तृत अध्ययन के आधार पर तय किया जाना चाहिए।
22.	विभाग में सचिव और अपर सचिव रखने का मामला नहीं बनता है। अत: संयुक्त सचिव का पद ही रहना चाहिए और इसे अपर सचिव स्तर के अधिकारी से नहीं भरा जाना चाहिए।
23.	इस विभाग में डेस्क अधिकारी प्रणाली लागू की जानी चाहिए और इससे तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाएं लागू करने से इस विभाग में समर्थन कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त रूप से कम की जानी चाहिए।

आर्थिक सुधारों के बाद वित्तीय घाटे की स्थिति

1137. श्री राजनारायण पासी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों और केन्द्र सरकार का वित्तीय घाटा आर्थिक सुधारों के बाद कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1996-97 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और रख-रखाव पर गैर-योजना व्यय में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 से केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या में शत-प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के कारण गैर-योजना व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 1990-91 से 2001-02 के दौरान केन्द्र और राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा निम्नलिखित है:

	केन्द्र	राज्य	मिश्रित सकल राजकोषीय घाटा* (केन्द्र और राज्य)
1	2	3	4
1990-91	37606	18787	53580 (9.4)
1991-92	30844	18900	45850 (7.0)
1992-93	35909	20891	52404 (7.0)
1993-94	55257	20596	70952 (8.3)
1994-95	48030	27697	71639 (7.1)
1995-96	50253	31426	77671 (6.5)

1	2	3	4
1996-97	56242	37251	87244 (6.4)
1997-98	73204	44200	110743 (7.3)
1998-99	89560	74254	157053 (8.9)
1999-2000	104717	91480	184826 (9.4)
2000-2001 (स.अ.)	111972	95277	199569 (9.1)
2001-2002 (ब.अ.)	116314	96073	203684 (8.2)

*इसमें केन्द्र तथा राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा शामिल है जिसमें से केन्द्र द्वारा राज्यों को दी गई ऋण राशि घटा कर दी गई है।

स.अ.: संशोधित अनुमान; ब.अ.: बजटीय अनुमान

टिप्पणी:-1. केन्द्र के राजकोषीय घाटे में लघु बचत संकलन में राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशतांक हैं।

(ग) बजट दस्तावेजों (व्यय बजट, खण्ड-1) के अनुसार केन्द्र सरकार के वेतन और भत्तों से संबंधित योजना-भिन्न व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वेतन	भत्ते (यात्रा व्यय के अलावा)
1996-97	6599.75	12446.14
1997-98	17271.28	8658.75
1998-99	19440.49	9463.73
1999-2000	19306.85	12193.30
2000-01 (स.अ.)	17929.62	11150.15
2001-02 (ब.अ.)	18387.19	12347.03

(घ) और (ङ) आयोजना-भिन्न, गैर-विकासात्मक व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार सतत् प्रयास करती है। इसी संदर्भ में, अन्य उपायों के साथ-साथ, सरकारी व्यय में मितव्ययिता बरतने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। मितव्ययिता संबंधी उपायों में पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्वीकृत पदों की संख्या में कटौती, रिक्त पदों को भरने पर रोक, कार्यालय व्यय में कटौती, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा तथा मनोरंजन, आतिथ्य संबंधी व्यय पर प्रतिबंध शामिल हैं।

[हिन्दी]

स्वापकों की तस्करी

1138. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर बमबारी के बाद भारत-पाक सीमा पर स्वापकों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किस सीमा तक हुई और यदि कोई वृद्धि हुई तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्वापकों की तस्करी में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) मादक पदार्थों के कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत-पाक सीमा पर स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण से अमरिका द्वारा अफगानिस्तान पर बमबारी करने के बाद कुल मिलाकर मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि होने की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ग) नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें, समस्त नशीली दवाओं से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, उदार पुरस्कार योजना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक

नियंत्रण ब्यूरों द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पार बैठकों को तिमाही आधार पर आयोजित करना, म्यांमार के अधिकारियों के साथ प्रक्रियात्मक स्तर की बैठकें आयोजित करना तथा दो खोजी कुत्ते उपलब्ध कराना एवं म्यांमार के कुत्ता प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

हथकरघा विकास केन्द्रों के लिए आबंटन

1139. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हथकरघा विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस समय कितने हथकरघा विकास केन्द्र कार्य कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने हथकरघा विकास केन्द्र खोले गए और यह कहां-कहां खोले गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान हथकरघा के विकास के लिए आबंटित की गई राशि नीचे दशाई गई है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
1998-99	8335.00	5805.00	14140.00
1999-2000	8169.00	4691.00	12860.00
2000-2001	10264.37	4292.53	14556.90
कुल	26,768.37	14,788.53	41,556.90

(ख) वर्तमान में प्रत्येक राज्य में प्रचालित हथकरघा विकास केन्द्रों की संख्या नीचे दर्शाई गई है।

क्रम सं.	राज्य का नाम	हथकरघा विकास केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	397
2.	असम	103
3.	बिहार	53
4.	गुजरात	7
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	11
7.	जम्मू व कश्मीर	3
8.	कर्नाटक	30
9.	केरल	72
10.	मध्य प्रदेश	28
11.	महाराष्ट्र	20
12.	नागालैंड	142
13.	उड़ीसा	214
14.	पांडिचेरी	5
15.	राजस्थान	1
16.	तमिलनाडु	324
17.	त्रिपुरा	13
18.	उत्तर प्रदेश	89
19.	पश्चिम बंगाल	197
	कुल	1710

(ग) राज्यों में हथकरघा विकास केन्द्रों के प्रचालन के लिए वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं क्योंकि हथकरघा विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए 1.4.1998 से समाप्त कर दी गई थी।

विदेशी ऋण

1140. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री बीर सिंह महतो:
श्री राजो सिंह:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों से वित्तीय संस्था-वार कितना विदेशी ऋण प्राप्त किया गया है;

(ख) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार देश-वार ऋण की धनराशि कितनी है और उन्हें कितना ब्याज दिया गया है;

(ग) क्या विदेशी ऋण मार्च, 2000 में 98.25 बिलियन डालर के मुकाबले वर्ष 2001 में 100.35 बिलियन डालर के स्तर तक पहुंच गया है;

(घ) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के विदेशी ऋण को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 2000-01 के दौरान विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और द्विपक्षीय देशों से सरकारी खाते पर प्राप्त विदेशी ऋण की राशि नीचे सारणी में इंगित की गई है:-

सरकारी खाते पर विदेशी ऋण का संवितरण

	2000-01 (मिलियन अमरीकी डालर)
1. बहुपक्षीय	2017.06
(क) आई डी ए	1063.42
(ख) आई बी आर डी	643.94
(ग) ए डी बी	291.80
(घ) आई एफ ए डी	8.79
(ङ) अन्य	9.11
2. द्विपक्षीय	568.85
(क) जापान	518.42
(ख) जर्मनी	7.74
(ग) संयुक्त राज्य	0.00
(घ) फ्रांस	14.16
(ङ) नीदरलैंड	0.00
(च) रूसी परिसंघ	28.54
(छ) अन्य	0.00
3. जोड़	2585.91

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान सरकारी खाते पर विदेशी ऋण पर मूल और ब्याज भुगतान की राशि नीचे दर्शाई गई है:-

वर्ष 2000-01 के दौरान सरकारी खाते पर विदेशी ऋण की ऋण शोधन अदायगियां

(मिलियन अमरीकी डालर)

	मूल	ब्याज
1. बहपुक्षीय	1331.64	619.58
(क) आई डी ए	367.89	137.66
(ख) आई बी आर डी	829.79	319.86
(ग) ए डी बी	117.16	159.24
(घ) आई एफ ए डी	5.44	2.16
(ङ) अन्य	11.36	0.67
2. द्विपक्षीय	819.97	346.00
(क) जापान	319.14	227.51
(ख) जर्मनी	111.89	27.12
(ग) संयुक्त राज्य	139.11	38.29
(घ) फ्रांस	45.30	24.26
(ङ) नीदरलैंड	42.51	11.86
(च) रूसी परिसंघ	57.25	8.45
(छ) अन्य	104.78	8.51
3. जोड़	2151.61	965.58

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार, भारत सरकार द्वारा की गई ऋण प्राप्तियों और ऋण शोधन भुगतानों के संबंध में देशवार और संस्थावार जानकारी विवरण में संलग्न है।

(ग) देश का कुल विदेशी ऋण मार्च, 2000 के अंत में 98.3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर मार्च, 2001 के अंत में 100.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

(घ) देश के विदेशी ऋण भंडार में वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2000-01 में इंडिया मिलेनियम डिपोजिटों के जरिए 5.5 बिलियन अमरीकी डालर जारी करने के कारण हुई।

(ङ) वर्ष 2000-01 के दौरान ऋण भंडार में मामूली वृद्धि के बावजूद, भारत के सभी मुख्य विदेशी ऋण संकेतकों में सुधार जारी रहा। यह मुख्यत: सरकार की विवेकपूर्ण ऋण प्रबंध नीति के कारण हुआ जो परिपक्वता ढांचे तथा कुल वाणिज्यिक ऋण को प्रबंध योग्य सीमाओं के भीतर रखते हुए, अल्पावधिक ऋण को सीमित करके, अधिक महंगे ऋणों को समाप्त करके और गैर-ऋण सृजक वित्तीय प्रवाहों को प्रोत्साहित करके निर्यातों की उच्च वृद्धि दर पर केन्द्रित थी।

विवरण

31 मार्च, 2001 तक सरकारी खाते पर विदेशी ऋण

(मूल मुद्रा मिलियन में)

क्रम सं.	देश/संस्था	करेंसी	प्राप्तियां	ऋण संशोधन अदायगियां		बकाया ऋण
				मूल	ब्याज	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अबुधाबी निधि	यू.ए.ई. दिरहम	68.0	68.0	26.4	0.0
2.	एशियाई विकास बैंक	अमरीकी डालर	3188.1	508.0	997.8	2680.1
3.	आस्ट्रेलिया	अमरीकी डालर	12.9	3.3	1.1	9.6
4.	आस्ट्रिया	आस्ट्रियन शिलिंग	1672.8	1238.3	537.9	434.5
5.	बहरीन	ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग	5.9	5.9	0.0	0.0
6.	बेल्जियम	बेल्जियन फ्रैंक	4958.4	3297.5	636.4	1660.9
7.	कनाडा	कनाडियन डालर	924.3	455.5	70.5	468.8
8.	डेनमार्क	डेनिश क्रोनर	1148.9	494.8	10.8	654.1
9.	डेनमार्क	अमरीकी डालर	4.0	1.3	0.0	2.7
10.	ई.ई.सी. (एस.ए.सी.)	ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग	30.3	3.9	3.6	26.4
11.	फ्रांस	स्विस फ्रांक	5.8	5.8	0.8	0.0
12.	फ्रांस	डयूस मार्क	11.0	11.0	7.2	0.0
13.	फ्रांस	फ्रांसीसी फ्रांक	11658.4	6669.0	5031.4	4989.3
14.	जर्मनी	डयूश मार्क	11550.5	6928.0	3400.7	4622.6
15.	हंगरी	भारतीय रुपया	122.6	122.6	21.5	0.0
16.	आई.बी.आर.डी.	अमरीकी डालर	13674.7	8020.6	8537.5	5654.2
17.	आई.डी.ए.	अमरीकी डालर	8416.1	2396.2	1302.4	6019.9
18.	आई.डी.ए.	विशेष आहरण अधिकार	10606.4	457.8	694.9	10418.6
19.	आई.एफ.ए.डी.	विशष आहरण अधिकार	207.2	37.7	22.2	169.4

1	2	3	4	5	6	7
20.	आई.एम.एफ. ट्रस्ट	विशेष आहरण अधिकार	529.0	529.0	9.3	0.0
21.	ईरान	अमरीकी डालर	505.2	505.2	196.3	0.0
22.	ईरान	विशेष आहरण अधिकार	438.5	438.5	66.1	0.0
23.	इराक	अमरीकी डालर	182.7	182.7	6.3	0.0
24.	इटली	डयूश मार्क	144.2	43.3	24.7	100.9
25.	इटली	इटालियन लीरा	33125.00	33125.0	9675.8	0.0
26.	इटली	अमरीकी डालर	161.2	81.4	29.9	79.8
27.	जापान	जापानी येन	1387523.0	441052.0	439886.0	946472.0
28.	अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि	कुवैती दीनार	81.9	67.4	34.3	14.4
29.	नीदरलैंड	डच गिल्डर	2615.1	1513.5	922.3	1101.6
30.	ओपेक	अमरीकी डालर	198.0	180.2	15.7	17.8
31.	पोलैण्ड	भारतीय रुपया	366.4	366.4	65.7	0.0
32.	कतर	ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग	7.2	7.2	0.0	0.0
33.	चैक और स्लोवाक गणराज्य	भारतीय रुपया	1564.8	1393.7	287.1	171.1
34.	रोमानिया	भारतीय रुपया	53.3	53.3	0.0	0.0
35.	रूसी परिसंघ	भारतीय रुपया	31227.6	13667.7	4463.7	17559.9
36.	रूसी परिसंघ	अमरीकी डालर	38.2	0.0	0.4	38.2
37.	सऊदी अरब	सऊदी रियाल	626.2	589.9	166.4	36.3
38.	स्पेन	अमरीकी डालर	46.0	12.0	9.7	34.0
39.	स्वीडन	स्विस फ्रैंक	326.3	122.4	29.4	203.9
40.	स्वीडन	अमरीकी डालर	74.5	34.8	6.9	39.8
41.	स्विटजरलैंड	स्विस फ्रैंक	282.6	260.3	142.9	22.4
42.	संयुक्त अरब अमीरात	अमरीकी डालर	70.0	70.0	20.7	0.0
43.	युनाइटेड किंगडम	ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग	744.1	744.1	166.1	0.0
44.	संयुक्त राज्य अमेरिका	अमरीकी डालर	5079.1	3781.6	2110.0	1297.5
45.	युगोस्लाविया	भारतीय रुपया	267.0	267.0	40.3	0.0

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1141. श्री रामजी लाल सुमन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार, प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां - 10.38% और अनूसूचित जनजातियां - 3.21%) है और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां 11.73% और अनुसूचित जनजातियां - 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन (एक) प्रथम श्रेणी (समूह क) और दो द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्थान (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर (एक) सामान्य, (दो) अनुसूचित जातियों (तीन) अनुसूचित जनजातियों और (चार) अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार के अधीन 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व समूह क सेवाओं में 14.24 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां - 10.8% और अनुसूचित जनजातियां 3.44%) और समूह ख सेवाओं में 15.37 प्रतिशत (अनुसूचित जातियां 12.35% और अनुसूचित जनजातियां - 3.02%) था।

(ख) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 216 श्रेणी I (समूह क) और 420 श्रेणी II (समूह ख) तथा समकक्ष पद थे।

(ग) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

समूह/श्रेणी	क	ख
सामान्य	174 (80.56%)	328 (78.10%)
अनुसूचित जाति	31 (14.35%)	70 (16.67%)
अनुसूचित जनजाति	8 (3.70%)	18 (4.29%)
अन्य पिछड़े वर्ग	3 (1.39%)	4 (0.95%)
जोड़	216	420

ऋणों में राहत

1142. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा कार्यनिष्पादन उन्मुखी ऋण राहत की सिफारिश करने के कारण प्रत्येक राज्य को कितनी ऋण राहत राशि का लाभ मिला;

(ख) क्या ऐसी सिफारिश से ऋण के भारी बोझ से दबे राज्यों को कोई मदद मिली है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गहन अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 2000-2001 की समाप्ति पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य पर ऋण का कितना बोझ रहा है, प्रत्येक राज्य ने अपने राजस्व, कुल राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य-वार और वर्ष-वार (केन्द्र सरकार के ऋण और अन्य ऋण दोनों) कितनी पूंजी और ब्याज का भुगतान किया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए ऋण राहत के दिशानिर्देश, राज्य के महालेखाकारों और राज्य सरकारों को परिचालित कर दिए गए हैं। चूंकि यह स्कीम वास्तविक आंकड़ों पर आधारित समय अन्तराल से प्रचालित होती है अतएव ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अभी तक राज्यों को कोई ऋण राहत प्रदान नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) केन्द्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति का समग्र आकलन करने के पश्चात् ही क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा राज्यों को ऋण राहत की सिफारिश की गई है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के लिए राज्यों के लिए ऋण राहत की अपनी सिफारिशें की हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। ग्यारहवें वित्त आयोग की आगे की और सिफारिशों का लक्ष्य राज्यों का राजकोषीय सुधार है। अगर इन सुधारों को अपनाया गया तो इससे वर्ष 2004-05 तक ऋण संवहनीय स्तर पर पहुंच जाएंगे।

(च) विवरण I, II और III संलग्न हैं।

विवरण-I

*31 मार्च को राज्य सरकारों के यथाविद्यमान बकाया ऋण**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1999	2000	2001 (सं.अ.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	23685	29018	35980
2.	अरुणाचल प्रदेश	647	763	975
3.	असम	6620	7888	9414
4.	बिहार	25144	30142	35770
5.	गोवा	1712	257	389
6.	गुजरात	19189	23384	30134
7.	हरियाणा	9476	11446	13346
8.	हिमाचल प्रदेश	4996	6472	8046
9.	जम्मू एवं कश्मीर	5249	6117	7017
10.	कर्नाटक	15409	18690	22403
11.	केरल	15576	20130	23733
12.	मध्य प्रदेश	19075	22918	26539
13.	महाराष्ट्र	31176	38300	45675
14.	मणिपुर	838	1217	1329
15.	मेघालय	714	877	1069
16.	मिजोरम	777	1087	1266
17.	नागालैंड	1192	1484	1749
18.	उड़ीसा	14752	18102	21073

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	19871	48595	52984
20.	राजस्थान	20223	25753	30819
21.	सिक्किम	504	676	726
22.	तमिलनाडु	19582	19624	19676
23.	त्रिपुरा	1396	1808	2196
24.	उत्तर प्रदेश	48053	57744	68572
25.	पश्चिम बंगाल	28807	35872	45790

* अर्थोपाय अग्रिम और संरिक्षत निधियों/जमा को छोड़कर

स्रोत: वित्त लेखे और राज्यों के बजट

विवरण-II

राज्यों की पूंजीगत पुनर्अदायगी

		1998-99 (वास्तविक)				1999-2000 (वास्तविक)				2000-01 स.अ.			
क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय ऋण	आंतरिक ऋण	लघु बचत भविष्य निधि इत्यादि	कुल	केन्द्रीय ऋण	आंतरिक ऋण *	लघु बजत भविष्य निधि इत्यादि	कुल	केन्द्रीय ऋण	आंतरिक ऋण *	लघु बजत भविष्य निधि इत्यादि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1140	456	458	2054	574	216	477	1267	720	166	534	1420
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	9	50	73	16	2	28	46	18	3	48	68
3.	असम	310	40	50	400	579	46	68	693	368	47	75	490
4.	बिहार	496	15	507	1017	559	1080	एन.ए.$	एन.ए.$	552	59	496	1106
5.	गोवा	34	2	40	75	36	4	49	90	40	12	41	92
6.	गुजरात	447	97	287	831	503	125	383	1010	1095	141	382	1617
7.	हरियाणा	246	190	267	704	166	377	386	929	192	663	417	1272
8.	हिमाचल प्रदेश	148	9	246	403	250	28	332	610	84	102	82	268
9.	जम्मू एवं कश्मीर	257	24	132	414	197	54	189	440	272	71	251	594
10.	कर्नाटक	298	107	371	776	344	147	474	965	419	97	532	1049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	केरल	212	122	3720	4054	247	123	5859	6229	217	213	5702	6131
12.	मध्य प्रदेश	349	90	920	1360	393	135	1015	1544	391	115	1109	1615
13.	महाराष्ट्र	732	116	492	1340	818	199	692	1709	861	214	1037	2112
14.	मणिपुर	99	14	45	158	28	25	46	98	223	22	56	301
15.	मेघालय	13	8	17	38	16	18	17	51	18	15	18	52
16.	मिजोरम	81	10	18	109	57	8	27	91	12	10	28	50
17.	नागालैंड	185	23	39	246	67	30	46	143	20	31	91	142
18.	उड़ीसा	440	121	620	1181	245	141	629	1015	425	87	489	1001
19.	पंजाब	1282	414	302	1998	1132	717	474	2322	632	1226	513	2371
20.	राजस्थान	348	155	521	1025	808	178	549	1534	463	186	876	1525
21.	सिक्किम	28	5	10	43	11	3	17	31	26	6	43	75
22.	तमिलनाडु	409	110	1285	1804	471	132	1542	2145	521	164	1814	2499
23.	त्रिपुरा	22	13	100	135	25	17	124	166	29	20	148	196
24.	उत्तर प्रदेश	1000	714	800	2514	1122	706	978	2807	1803	1317	1223	4342
25.	पश्चिम बंगाल	499	119	219	837	587	175	267	1029	708	324	358	1390

*अर्थोपाय अग्रिम को जोड़ कर।

^इसे बजट दस्तावेज में दर्शाया नहीं गया है।

विवरण-III

राज्य	निजी राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान			कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान			जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान		
	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01 स.अ.	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01 स.अ.	1998-99 वास्तविक	1999-2000 वास्तविक	2000-01 स.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	26.95	27.08	29.76	18.54	18.45	19.86	2.34	2.55	2.87
अरुणाचल प्रदेश	93.97	8.65	119.18	7.72	7.91	10.91	4.89	4.60	6.42
असम	36.30	57.23	51.60	11.55	19.74	14.50	2.13	3.39	3.21
बिहार	63.02	53.02	63.47	25.95	22.75	20.85	3.64	3.97	2.99
गोवा	14.27	16.32	15.37	12.54	14.51	13.66	2.92	3.15	3.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	21.79	25.34	28.78	17.75	20.20	21.37	2.15	2.61	2.90
हरियाणा	21.50	28.42	26.06	18.20	23.54	21.76	2.32	2.88	2.89
हिमाचल प्रदेश	64.05	35.63	94.94	21.54	16.08	26.61	5.02	5.28	7.10
जम्मू एवं कश्मीर	92.34	85.92	86.58	14.74	15.32	13.57	5.29	6.18	5.72
कर्नाटक	19.22	21.51	22.92	14.39	15.59	16.21	1.90	2.12	2.27
केरल	27.77	34.09	30.37	20.09	24.58	22.58	2.56	3.01	2.90
मध्य प्रदेश	26.63	25.88	33.21	16.17	16.20	17.43	2.02	2.12	2.14
महाराष्ट्र	20.66	23.04	21.90	16.90	19.33	18.45	1.76	2.03	2.07
मणिपुर	146.59	159.76	165.27	10.18	12.33	12.37	3.61	4.82	5.25
मेघालय	49.66	51.22	57.41	8.34	10.14	10.58	2.41	3.00	3.61
मिजोरम	163.55	179.95	206.75	9.60	10.89	9.74	5.96	6.84	6.91
नागालैंड	180.47	194.31	193.73	13.63	13.46	13.67	5.65	5.82	6.67
उड़ीसा	72.62	51.14	77.29	32.60	21.03	30.86	4.29	3.26	5.53
पंजाब	48.57	41.79	29.69	40.25	35.31	23.76	4.26	4.21	3.48
राजस्थान	42.38	46.28	47.76	26.14	28.86	27.01	3.08	3.76	4.27
सिक्किम	5.00	6.32	18.38	3.64	4.49	7.44	6.74	7.46	8.18
तमिलनाडु	19.68	22.09	21.43	14.88	16.61	16.31	1.78	2.06	2.04
त्रिपुरा	109.01	104.09	112.33	11.08	12.88	12.30	3.69	4.46	4.83
उत्तर प्रदेश	58.78	57.42	67.78	31.74	30.49	30.42	3.23	3.49	4.03
पश्चिम बंगाल	57.18	73.28	71.08	31.43	40.83	35.78	2.55	3.13	3.57

1. सं.अ. - संशोधित अनुमान
2. जी.एस.डी.पी.- मौजूदा मूल्यों (1993-94 श्रेणी) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद - 1998-99 - शीघ्र अनुमान, 1999-2000 - (अग्रिम अनुदान) और 2001 (अनुमान)
3. जी.एस.डी.पी. स्रोत - गोवा और सिक्किम के मामले में 1998-99 के लिए सी.एस.ओ. और प्रेक्षपण, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मामले में वर्ष 1999-2000 के लिए और वर्ष 2000-01 के लिए मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य।
4. ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकारों के वित्त लेखों/बजट दस्तावेजों से संग्रहीत है।
5. निजी राजस्व प्राप्तियां - निजी कर राजस्व + गैर कर राजस्व।
6. कुल राजस्व प्राप्तियां - निजी राजस्व प्राप्तियां + केन्द्र से अन्तरण।

*1999-00 (संशोधित अनुमान)

**1999-00 (राज्य सरकार के आंकड़े)

[हिन्दी]

आयकर संबंधी छूट

1143. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अगस्त, 2001 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में ''आपात लोगों को छूट से करो की हानि'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कर संग्रहण के संबंध में किन-किन व्यक्तियों/कम्पनियों को कर संबंधी छूट दी गई है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकले; और

(च) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) उद्धृत समाचार मद कर विवाद समाधान योजना पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई प्रणाली मूल्यांकन रिपोर्ट के संदर्भ में है। कतिपय विशिष्ट मामलों में राजस्व हानि के बारे में रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों की संबंधित आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) कर विवाद समाधान योजना के फलस्वरूप 738.74 करोड़ रु. की कर वसूली हुई और प्रत्यक्ष कर अधिनियमन के अंतर्गत 33,918 विवादों का निपटान किया गया और इसी प्रकार 643.80 करोड़ रु. की कर वसूली और विभिन्न न्याय निर्णयन/अपीलीय प्राधिकरणों अथवा न्यायालयों के समक्ष लंबित अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों के अंतर्गत 11,159 विवादों का निपटारा किया गया। समग्र रूप से प्रत्यक्ष कर अधिनियमनों और अप्रत्यक्ष कर अधिनियमनों दोनों के अंतर्गत इस योजना के अधीन 45,000 से अधिक विवादों का निपटान किया गया।

(घ) चूंकि उक्त रिपोर्ट की अभी जांच की जा रही है, अत: इस संबंध में सरकार द्वारा किसी जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को राजस्व के संवितरण हेतु मानदंड

1144. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को राजस्व का संवितरण करते समय सभी राज्यों के साथ समानता को अपनाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और सबसे कम-जनसंख्या वाले राज्य समान करों का भुगतान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) केन्द्रीय करों और शुल्कों की राज्यों को सुपुर्दगी का फार्मूला ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जिसकी एक प्रतिलिपि 27 जुलाई, 2000 को सभा-पटल पर रख दी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक मंदी

1145. श्री खारबेल स्वाइं: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक मंदी का विनिर्माण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या विश्व स्तर पर व्याप्त मंदी का इस पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी के परिणामस्वरूप विनिर्माण क्षेत्र में भी मंदी आई हुई है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार यह मंदी सभी श्रेणियों अर्थात् बुनियादी, मध्यवर्ती वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुओं में व्याप्त है तथा पूंजीगत वस्तुओं में यह और भी अधिक देखी गई है जिसमें अप्रैल-सितम्बर, 2001 के दौरान

नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-सितम्बर, 2000 तथा अप्रैल-सितम्बर, 2001 के दौरान उपयोग पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार समग्र औद्योगिक वृद्धि में हुए परिवर्तनों को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(ख) विश्व-व्यापी मंदी का विनिर्माण क्षेत्र पर सीमित प्रभाव पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि 2000-2001 में भारतीय निर्यात सकल घरेलू उत्पाद के 9.3 प्रतिशत के तौर पर कम थे लेकिन 2000-2001 में कुल निर्यात के 77.9 प्रतिशत के रूप में विनिर्मित निर्यात ऊंचे थे।

(ग) औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक और निजी निवेश, जिसमें विदेशी निवेश भी शामिल है, को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 2001-2002 के बजट में विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय उपायों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इसके पश्चात्, अक्तूबर, 2001 में घोषित ऋण नीति की मध्यावधिक समीक्षा में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर में 0.5 प्रतिशतांक की कमी करके उसे 7 से 6.5 प्रतिशत कर दिया है। नकद प्रारक्षित अनुपात में चरणबद्ध रूप से 2 प्रतिशतांक की कमी करके 8 से 6 कर दिया है तथा निर्यात ऋणों के लिए भी ब्याज दरों को कम कर दिया है।

विवरण

सकल के लिए और प्रयोग पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार सूचकांक औद्योगिक उत्पादन पर आधारित अभिवृद्धि दरें

(पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन)

(आधार: 1993-94 = 100)

	अप्रैल-सितम्बर 2001	अप्रैल-सितम्बर 2000
सामान्य	2.3	5.7
मूलभूत माल	2.0	4.6
पूंजीगत माल	-8.6	4.2
मध्यवर्ती माल	3.1	5.2
उपभोक्ता माल	5.5	8.0
उपभोक्ता वस्तुएं	11.9	19.7
गैर-उपभोक्ता वस्तुएं	3.1	4.3

तम्बाकू उद्योग से राजस्व प्राप्ति

1146. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तम्बाकू उद्योग का कुल कारोबार कितना है;

(ख) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने से तम्बाकू उद्योग के कारोबार पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इसके कारण राजस्व की भारी हानि होगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस घाटे को किस प्रकार पूरा करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 1999-2000 में तम्बाकू का कुल उपभोग तथा तम्बाकू उत्पादों पर कुल उपभोक्ता व्यय क्रमश: 441 मिलियन किलोग्राम तथा 27,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) यह निर्धारित करना मुश्किल है कि तम्बाकू उद्योग पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तथापि, सामान्यतया तम्बाकू उपभोग में गिरावट आने तथा इसकी जगह गैर-धूम्रपान उत्पादों का उपयोग होने की उम्मीद है।

(ग) तम्बाकू उत्पादों के संबंध में राजस्व वसूली (जो मुख्य रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से है) ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में गत वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति दर्शायी है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में संशोधन

1147. श्री साहिब सिंह:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के घोटाले, जिसमें करोड़ों छोटे निवेशक शामिल हैं, के मद्देनजर अपने प्रबंधकीय, प्रचालनात्मक कार्यकलापों और निजीकरण का पुनर्गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संदर्भ में भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपने प्रबंधकीय और प्रचालनात्मक कार्यकलापों की पुनर्संरचना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

परन्तु जुलाई, 2000 में श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा गठित ''कारपोरेट पोजिशनिंग कमेटी'' ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 2001 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को प्रस्तुत की है। अन्य बातों के साथ-साथ, समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की संरचना सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तदनुसार, इसमें (1) एक प्रायोजक (2) एक न्यासी कंपनी, और (3) एक परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी होगी। इसके अतिरिक्त कंपनी की रिपोर्ट यह बताती है कि प्रायोजक एक ऐसी प्रायोजिक कंपनी होनी चाहिए जिसके पास प्रायोजिक संस्थाओं (अर्थात् वे संस्थाएं जिनके पास इस समय प्रारंभिक पूंजी हो) का 40% तक का स्वामित्व हो और 60% स्वामित्व किसी महत्वपूर्ण भागीदारी का हो। भारतीय यूनिट ट्रस्ट स्वयं को परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) में परिवर्तित करे जिसका 40% स्वामित्व किसी प्रायोजक कंपनी द्वारा और 60% स्वामित्व सरकार द्वारा रखा जाए।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड ने 30 अक्तूबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है ताकि सभी शेयर धारकों के विचार प्राप्त किये जा सकें।

(ग) और (घ) 'कारपोरेट पोजिशनिंग कमेटी' पर संबंधित यूटीआई न्यासी बोर्ड का एक बार जवाब मिल जाने पर सरकार द्वारा उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा।

विकास दर में गिरावट

1148. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकास दर में तीव्र गिरावट की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विकास दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकास में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम तिमाही आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001-02 की पहली तिमाही (तिमाही-1) (अप्रैल-जून) के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2000-01 की पहली तिमाही में यह दर 6.1 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट जो मूल रूप से उद्योग (जिसमें खनन और उत्खनन, विनिर्माण बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति और निर्माण कार्य शामिल है) के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मंदी से संबंधित है जो 2000-01 की पहली तिमाही के 6.9 प्रतिशत से कम होकर 2001-02 की पहली तिमाही में 2.2 प्रतिशत रह गई है। इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र (जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन और संचार, वित्तीय सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाएं शामिल थी, 2001-02 की पहली तिमाही में कम होकर 6.8 प्रतिशत रह गई। विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वर्ष 2001-02 के बजट में निहित नीति में कृषि क्षेत्र के सुधारों की गति तेज करने और खाद्य अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंध, संरचनात्मक निवेश में तेजी लाने, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार में सुधार जारी रखने, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालने वाले शेष नियंत्रणों को हटाकर संरचनात्मक सुधारों को और आगे बढ़ाने, बेहतर शैक्षिक सुविधाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से मानव विकास, गैर-उत्पादक व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, निजीकरण की प्रक्रिया और सार्वजनिक उद्यमों की पुनर्संरचना की गति को तेज करने तथा कर आधार को व्यापक बनाकर राजस्व में वृद्धि करने और निष्पक्ष तथा न्यायसंगत कर-व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2001-02 के बजट में भी अति महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही स्वदेशी मांग को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य के साथ-साथ, संविदात्मक बचतों पर ब्याज दरों में कटौती, निगमित और गैर-निगमित क्षेत्रों द्वारा अदा किए जाने वाले उपकर को समाप्त करके करों में कटौती, सर्वोच्च सीमाशुल्क दर में और कमी करना, उत्पाद कर प्रणाली को बहुत सरल बनाना शामिल है। आशा है कि बजट नीति की पृष्ठभूमि में मांग को बढ़ाने के लिए किए गए इन विशिष्ट उपायों द्वारा विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

स्पीड पोस्ट के माध्यम से काला धन

1149. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से डालरों के रूप में काला धन देश से बाहर भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं और इनमें कितनी राशि संलिप्त थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस रैकेट में कुछ वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी भी संलिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। स्पीड पोस्ट के जरिये अवैध रूप से देश के बाहर भेजी जा रही विदेशी मुद्रा के मामलों का पता लगाया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और मौजूदा वर्ष के (अक्तूबर, 2001 तक) में स्पीड पोस्ट/कुरियर के जरिये अवैध रूप से देश के बाहर भेजी जा रही 2.97 करोड़ रुपये की राशि की विदेशी मुद्रा के 17 मामलों का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा स्पीड पोस्ट सेन्टर गोल डाकखाना, नई दिल्ली में 8-9 जून, 2001 को हांग कांग जाने वाले दो पार्सलों, जिनमें से प्रत्येक में 25000 अमेरिकी डालर रखे गये थे, के अभिग्रहण के सिलसिले में तीन सीमाशुल्क अधिकारियों के कार्यालय/आवासीय परिसरों पर छापे मारे गये थे। तीन अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गयी है और उन्हें इस समय निलंबित कर दिया गया है।

आरक्षित पदों को अनारक्षित करना

1150. श्री राजैया मल्याला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012-6-68 स्था. (ए.सी.टी.) दिनांक 25.4.1989 के द्वारा 1.4.1989 से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित पदों को अनारक्षित किये जाने पर लगाये गये प्रतिबंध के बावजूद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पदों को अनारक्षित किया जा रहा है तथा उन्हें अन्य व्यक्तियों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सभी सरकारी उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक निकायों और क्षेत्राधिकार में आने वाले संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय समेत उनके मंत्रालय में 1.4.1989 से ऐसे कौन से उदाहरण सामने आये हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों/पदों के अनारक्षित किया गया और अन्य वर्गों के लोगों द्वारा भरा गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि और्थोपैडीकली हैण्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि और्थोपैडीकली हैण्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4259/2001]

(3) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वर्ष 1996-97 और 1997-98 का तीसरा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के वर्ष 1996-97 और 1997-98 के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4260/2001]

(ख)(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वर्ष 1998-99 और 1999-2000 का चौथा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के चौथे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4261/2001]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, जो 31 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 630 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 23 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 797(अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4262/2001]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4263/2001]

(ख)(एक) हिन्दुस्तान पेपर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4264/2001]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 853(अ) जो 1 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं को जूट पैकिंग सामग्री में पैकिंग करना अनिवार्य विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4265/2001]

(2) जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के खंड 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 982(अ) जो 1 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट और जूट-वस्त्रों के सभी विनिर्माताओं, आयातकों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और व्यापारियों को अधिसूचना में उल्लिखित जूट की वस्तुओं और जूट वस्त्रों पर मार्क/प्रिन्ट/ब्रान्ड लगाने का निर्देश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4266/2001]

(3)(एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4267/2001]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): महोदय, मैं भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1997-98 और 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4268/2001]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4269/2001]

(2) नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उपधारा 2(च) के अंतर्गत नमक उपकर (संशोधन) नियम, 2001 जो 4 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4270/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उपधारा (7) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 641(अ) जो 4 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम फेरोसाइनाइड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 647(अ) जो 6 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य तथा ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पैरासिटामोल पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 648(अ) जो 6 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्पेन तथा जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विशुद्ध टेरेपथालिक अम्ल पर लगाए गए अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क को संशोधित करते हुए 'सीगेट' के अंतिम आदेश को प्रभावी करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 649(अ) जो 7 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जर्मनी तथा कोरिया गणवादी राज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित एक्रीलोनीट्रायल बुटाडीन रबड़ पर प्रतिपाटन शुल्क, जैसा कि पुनरीक्षा में अंतिम निष्कर्षों में पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई हैं, लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 650(अ) जो 7 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय 22 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या 74/2000-सी.शु. को रद्द करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 656(अ) जो 12 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर नेपाल में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जिंक आक्साइड पर अनन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 657(अ) जो 12 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फास्फोरिक एसिड पर 10.5.2001 से अन्तिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 658(अ) जो 12 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 47/2000-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 691(अ) जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन गणवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित स्पोर्ट्स शूज, गैर चमड़ा स्पोर्ट्स फुटवीयर पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 692(अ) जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 फरवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 15/2001-सी.शु. को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 697(अ) जो 26 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

पोलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, साउदी अरब, रूस, ईरान, संयुक्तराज्य अमरीका तथा यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा उनसे निर्यातित ओक्सो-एल्कोहलों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क का संशोधन करने वाले अधिकरण के अंतिम आदेश को प्रभावी बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 763(अ) जो 8 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित प्राधिकारी द्वारा अनुसंशित दर पर चीन जनवादी गणराज्य तथा ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एनाल्जिन पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 764(अ) जो 8 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 38/2000-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 765 (अ) जो 8 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बम्बई-मनमाड-मंगलया (इंदौर) पाइपलाइन प्रोजेक्ट और दजेह में पेट्रोनेट एल.एन.जी. के एल.एन.जी. टर्मिनल को "प्रोजेक्ट इम्पोर्ट" दर्जे की सुविधा प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 766(अ) जो 9 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताईवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, ओमान, सिंगापुर और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बाइक्सली ओरिएंटेड पोलीप्रोपलीन फिल्म पर, पदनामित प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई दरों पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 769(अ) जो 10 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल में मूलत: उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित एक्रीलिक यार्न पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4271/2001]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 661(अ) जो 13 सितंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 5/2001-के.उ.शु. (एन.टी.) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 683(अ) और सा.का.नि. 684(अ) जो 21 सितंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्रमश: 28 जून, 2001 और 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 32/2001-के.उ.शु. और अधिसूचना संख्या 39/2001-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 685(अ) जो 21 सितंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 125 रुपए प्रति जोड़े से अनधिक की फुटकर विक्रय कीमत के जूते-चप्पल और रबड़ युक्त कयर गद्दों को उत्पादन शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 690(अ) जो 25 सितंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 693(अ) जो 25 सितंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण आभूषण के विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में प्रयुक्त स्वर्ण पोटेशियम सायनाइड को उत्पाद-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 752(अ) जो 1 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 8/2001-के.उ.शु. और अधिसूचना संख्या 9/2001-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 776(अ) जो 12 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 अगस्त, 1995 की अधिसूचना संख्या 108/95-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 777(अ) जो 12 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4272/2001]

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 636(अ) जो 3 सितंबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चलचित्र फिल्म, उदभाषित किन्तु विकसित नहीं और टी.वी. धारावाहिक बनाने में प्रयोग हेतु अभिलिखित चुंबकीय फिल्म को मूल और अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 778(अ) जो 12 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 11 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 84/95-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 813(अ) जो 31 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4273/2001]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 9 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 767(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4274/2001]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट फार सोशल एंड इकोनोमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार सोशल एंड इकोनोमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4275/2001]

(6) (एक) सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4276/2001]

(7) (एक) आचार्यकुल, वर्धा के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्यकुल, वर्धा के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4277/2001]

(8) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट इकोनामिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट इकोनामिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंटर फार डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4278/2001]

(9) (एक) इंडियन कौंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकोनामिक रिलेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन कौंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकोनामिक रिलेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4279/2001]

(10) (एक) नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4280/2001]

(11)(एक) इंस्टिट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4281/2001]

(12)(एक) प्रातिवी (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रातिवी (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4282/2001]

(13) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) अंबाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक अंबाला।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4283/2001]

(दो) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4284/2001]

(तीन) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4285/2001]

(चार) कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4286/2001]

(पांच) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4287/2001]

(छह) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4288/2001]

(सात) शिवालिक ग्रामीण बैंक, होशियारपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4289/2001]

(आठ) निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खरगीन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4290/2001]

(नौ) वैतरणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरीपाड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4291/2001]

(दस) इंदौर-उज्जैन ग्रामीण बैंक, उज्जैन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4292/2001]

(ग्यारह) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4293/2001]

(बारह) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4294/2001]

(तेरह) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4295/2001]

(चौदह) गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4296/2001]

(पन्द्रह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4297/2001]

(सोलह) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4298/2001]

(सत्रह) राजगढ़ सिहौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिहौर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4299/2001]

(अठारह) नाडिया ग्रामीण बैंक, कृष्णानगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4300/2001]

(उन्नीस) चंद्रपुर गडचिरोली ग्रामीण बैंक, चंद्रपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4301/2001]

(बीस) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4302/2001]

(इक्कीस) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4303/2001]

(बाइस) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4304/2001]

(तेईस) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4305/2001]

(चौबीस) ढेंकानाल ग्राम्य बैंक, ढेंकानाल।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4306/2001]

(पच्चीस) बीजापुर ग्रामीण बैंक बीजापुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4307/2001]

(छब्बीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4308/2001]

(सत्ताइस) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4309/2001]

(अठाइस) सुबनसीरी गावंलिया बैंक, नार्थ लखीमपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4310/2001]

(उन्नतीस) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4311/2001]

(तीस) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजमुंदरी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4312/2001]

(इक्कतीस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4313/2001]

(बत्तीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4314/2001]

(तेत्तीस) डूंगरपुर बनासवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4315/2001]

(चौंतीस) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4316/2001]

(पैंतीस) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4317/2001]

(छत्तीस) जामनगर-राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4318/2001]

(सैंतीस) पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4319/2001]

(अड़तीस) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मल्लपपुरम।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4320/2001]

(उनतालीस) दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4321/2001]

(चालीस) जूनागढ़-अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4322/2001]

(इकतालीस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4323/2001]

(बयालीस) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4324/2001]

(तेतालीस) रीवा-सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4325/2001]

(चवालीस) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4326/2001]

(पैंतालीस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4327/2001]

(छियालीस) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरू।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4328/2001]

(सैंतालीस) गुड़गांव ग्रामीण बैंक, गुड़गांव।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4329/2001]

(अड़तालीस) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4330/2001]

(उनचास) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4331/2001]

(पचास) छिंदवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4332/2001]

(इक्यावन) विदूर ग्रामीण बैंक, बिजनौर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4333/2001]

(बाबन) कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक, गुडावाडा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4334/2001]

(तिरपन) हिन्डन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4335/2001]

(चौवन) चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतिहारी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4336/2001]

(पचपन) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4337/2001]

(छप्पन) फरीदकोट भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिण्डा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4338/2001]

(सतावन) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4339/2001]

(अठावन) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लूर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4340/2001]

(उनसठ) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4341/2001]

(साठ) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4342/2001]

(इकसठ) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4343/2001]

(बासठ) एटा ग्रामीण बैंक, एटा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4344/2001]

(तिरसठ) श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4345/2001]

(चौसठ) ग्वालियर-दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4346/2001]

(पैंसठ) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड़प्पा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4347/2001]

(छियासठ) हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिरसा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4348/2001]

(सड़सठ) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4349/2001]

(अड़सठ) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पलामू।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4350/2001]

(उनहत्तर) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4351/2001]

(सत्तर) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4352/2001]

(इकहत्तर) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4353/2001]

(बहत्तर) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4354/2001]

(तिहत्तर) शेखावटी ग्रामीण बैंक, सीकर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4355/2001]

(चौहत्तर) भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4356/2001]

(पचहत्तर) फर्रूखाबाद ग्रामीण बैंक, फर्रूखाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4357/2001]

(छिहत्तर) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, पौड़ी गढ़वाल।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4358/2001]

(सतहत्तर) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4359/2001]

(अठहत्तर) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलाऱ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4360/2001]

(उनासी) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4361/2001]

(अस्सी) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिवान।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4362/2001]

(इक्यासी) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4363/2001]

(बयासी) मुर्शीदाबाद ग्रामीण बैंक, मुर्शीदाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4364/2001]

(तिरासी) पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4365/2001]

(चौरासी) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4366/2001]

(पच्चासी) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भवानी पटना।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4367/2001]

(छियासी) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4368/2001]

(सतासी) मल्लभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4369/2001]

(अठासी) कटक ग्राम्य बैंक, कटक।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4370/2001]

(नवासी) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4371/2001]

(नब्बे) बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4372/2001]

(इक्यानवे) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4373/2001]

(बानवे) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4374/2001]

(तिरानवे) शोलापुर ग्रामीण बैंक, शोलापुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4375/2001]

(चौरानवे) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासोर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4376/2001]

(पचानवे) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4377/2001]

(छियानवे) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4378/2001]

(सतानवे) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4379/2001]

(अठानवे) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4380/2001]

(निन्यावे) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4381/2001]

(सौ) नेत्रावती ग्रामीण बैंक, मंगलौर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4382/2001]

(एक सौ एक) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4383/2001]

(एक सौ दो) सूरत भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4384/2001]

(एक सौ तीन) सागर ग्रामीण बैंक, कोलकाता।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4385/2001]

(एक सौ चार) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, कोरापुट।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4386/2001]

(एक सौ पांच) मगध ग्रामीण बैंक, गया।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4387/2001]

(एक सौ छह) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4388/2001]

(एक सौ सात) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4389/2001]

(एक सौ आठ) सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4390/2001]

(एक सौ नौ) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4391/2001]

(एक सौ दस) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4392/2001]

(एक सौ ग्यारह) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4393/2001]

(एक सौ बारह) श्री रमण ग्रामीण बैंक, निजामाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4394/2001]

(एक सौ तेरह) लक्ष्मी गांवलिया बैंक, गोलाधार।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4395/2001]

(एक सौ चौदह) नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4396/2001]

(एक सौ पन्द्रह) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4397/2001]

(एक सौ सोलह) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4398/2001]

(एक सौ सत्रह) हडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4399/2001]

(एक सौ अठारह) कछार ग्रामीण बैंक, सिलचर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4400/2001]

(एक सौ उन्नीस) पंचमहल वड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4401/2001]

(एक सौ बीस) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4402/2001]

(एक सौ इक्कीस) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4403/2001]

(एक सौ बाइस) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4404/2001]

(एक सौ तेइस) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4405/2001]

(एक सौ चौबीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4406/2001]

(एक सौ पच्चीस) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4407/2001]

(एक सौ छब्बीस) गुरुदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गुरुदासपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4408/2001]

(एक सौ सताईस) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4409/2001]

(एक सौ अठाइस) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4410/2001]

(एक सौ उन्नतीस) रूसीकुल्या ग्राम्य बैंक, बेहरामपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4411/2001]

(एक सौ तीस) पांडियन ग्राम बैंक, विरूधूनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4412/2001]

(एक सौ इकतीस) नार्थ मालावार ग्रामीण बैंक, कन्नूर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4413/2001]

(एक सौ बत्तीस) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4414/2001]

(एक सौ तैंतीस) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोंडा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4415/2001]

(एक सौ चौतींस) बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4416/2001]

(एक सौ पैंतीस) श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4417/2001]

(एक सौ छत्तीस) नागार्जुना ग्रामीण बैंक, खम्मन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4418/2001]

(एक सौ सैंतीस) श्री अनंत ग्रामीण बैंक, अनंतपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4419/2001]

(एक सौ अड़तीस) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4420/2001]

(एक सौ उनतालीस) काकतिया ग्रामीण बैंक, हनामकोंडा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4421/2001]

(एक सौ चालीस) देवास शाहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4422/2001]

(एक सौ इक्तालीस) साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4423/2001]

(एक सौ बयालीस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4424/2001]

(एक सौ तैंतालीस) पुरी ग्राम्य बैंक, पुरी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4425/2001]

(एक सौ चवालीस) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4426/2001]

(एक सौ पैंतालीस) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4427/2001]

(एक सौ छियालीस) गोलकोंडा ग्रामीण बैंक, हैदराबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4428/2001]

(एक सौ सैंतालीस) सुरेन्द्र नगर भावनगर ग्रामीण बैंक, सुरेन्द्रनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4429/2001]

(एक सौ अड़तालीस) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4430/2001]

(एक सौ उनचास) अलगीढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4431/2001]

(एक सौ पचास) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4432/2001]

(एक सौ इक्यावन) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, तूमकुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4433/2001]

(एक सौ बावन) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4434/2001]

(एक सौ तिरपन) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4435/2001]

(एक सौ चौवन) बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बलिया।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4436/2001]

(एक सौ पचपन) लांपी देहंगी ग्रामीण बैंक, कर्बी अंगलोंग।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4437/2001]

(एक सौ छप्पन) बुलडाना ग्रामीण बैंक, बुलडाना।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4438/2001]

(एक सौ सतावन) भागीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4439/2001]

(एक सौ अठावन) संथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4440/2001]

(एक सौ उनसठ) जम्मू ग्रामीण बैंक, जम्मू।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4441/2001]

(एक सौ साठ) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चायवासा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4442/2001]

(एक सौ इकसठ) बल्लालर ग्राम्य बैंक, कुड्डलौर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4443/2001]

(एक सौ बासठ) चिकमगलूर कोइंडागू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4444/2001]

(एक सौ तिरसठ) बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगुसराय।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4445/2001]

(एक सौ चौंसठ) का बैंक नौंग्क्याडडोंग रि खासी जयंतिया, शिलांग।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4446/2001]

(एक सौ पैंसठ) मयूराक्षी ग्रामीण बैंक, वीरभूम।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4447/2001]

(एक सौ छियासठ) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4448/2001]

(एक सौ सड़सठ) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेलारी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4449/2001]

(एक सौ अड़सठ) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4450/2001]

(एक सौ उनहत्तर) बनासकांठा मेहसाणा ग्रामीण बैंक, पाटन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4451/2001]

(एक सौ सत्तर) वलसाड डांग ग्रामीण बैंक, वलसाड।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4452/2001]

(एक सौ इकहतर) वर्धा ग्रामीण बैंक, कुम्टा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4453/2001]

(एक सौ बहत्तर) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4454/2001]

(एक सौ तिहत्तर) रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4455/2001]

(एक सौ चौहत्तर) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4456/2001]

(एक सौ पिचहत्तर) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4457/2001]

(एक सौ छियत्तर) गौड ग्रामीण बैंक, मालदा।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4458/2001]

(एक सौ सतहत्तर) प्रागज्योतिस गांवलिया बैंक, नलवाड़ी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4459/2001]

(एक सौ अठहत्तर) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4460/2001]

(एक सौ उनासी) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4461/2001]

(एक सौ अस्सी) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4462/2001]

(एक सौ इक्कासी) बोलनगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलनगीर ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4463/2001]

(एक सौ बयासी) वर्धमान ग्रामीण बैंक, वर्धमान।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4464/2001]

(एक सौ तिरयासी) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4465/2001]

(एक सौ चौरासी) रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4466/2001]

(एक सौ पिचासी) भागलपुर बंका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4467/2001]

(एक सौ छयासी) मुंघेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंघेर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4468/2001]

(14)(एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4469/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उपधारा (3) और (5) के अधीन जारी चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2001 जो 31 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 629(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4470/2001]

(2)(एक) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, मुंबई, के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कंस्ट्रक्शन काउंसिल आफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4471/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवर): महोदय, मैं श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1)(एक) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल को-आपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4472/2001]

अपराह्न 12.02½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): मैं सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी समिति के तीसरे, चौथे तथा पांचवे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति का राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 और परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2001 संबंधी क्रमश: अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के रिकार्ड की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 26 नवम्बर, 2001 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:-

1. आज की कार्य सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्न विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (1) संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001,

   (2) संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001

   (3) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2001

   (4) आवश्यक सेवा (बनाए रखने) अध्यादेश निरसन विधेयक, 2001

   (5) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2001, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

3. पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक, 2001 को राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् इस पर विचार और इसे पारित करना।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उक्त अनुरोधों पर विचार किए जाने से पहले मुझे एक अनुरोध करना है।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास पहले से ही एक सूची है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात इस मद के बाद में सुनूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए-

(1) पावरलूम/हैंडलूम बुनकरों की समस्या के बारे में विशेष वाद-विवाद।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:-

"(1) देश में साम्प्रदायिक माहौल खराब होना जिसके फलस्वरूप देश के कई भागों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और अल्पसंख्यक-विरोधी हिंसा भी हुई। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दंगे हुए। इस पर सरकार के बयान और उस पर चर्चा की आवश्यकता है।

(2) अयोध्या में बाबरी मस्जिद परिसर को बचाने तथा शीर्ष न्यायालय द्वारा पूर्ववत् स्थिति बनाए रखने में सरकार की विफलता और जैसा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में हाल की घुसपैठ से भी स्पष्ट है।"

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं-

(1) प्राइवेट नर्सिंग होम्स में गरीब जनता से इलाज हेतु मनमानी धनराशि वसूली पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा।

(2) देश भर में कई वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:-

"(1) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी पश्चिम बंगाल का इस्पात का उत्पादन करने वाला प्रमुख उद्योग है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू न करने के कारण रुग्ण हुए आई.आई.एस.सी.ओ. का मामला बी.आई.एफ.आर. भेजा गया है। आई.आई.एस.सी.ओ. के पुनरुद्धार के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। क्योंकि एक लाख से भी अधिक लोगों की जीविका इस पर निर्भर है।

(2) एस.एस.पी.एल. और बंगाल इम्यूनिटी लि. केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं। भारत सरकार को इन

दो इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए जैसा कि इसने यू.पी.डी.पी.एल. और आई.डी.पी.एल. के संबंध में किया है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय जोड़े जाएं–

(1) केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के नियम में संशोधन करते हुए उन्हें मताधिकार मिलने तक अर्थात् 18 वर्ष वाले बच्चों तक को अनिवार्य शिक्षा दिए जाने हेतु कानून बनाकर स्कूल भवन, शिक्षा, प्रयोगशाला एवं उपयोगी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाए।

(2) लोक सभा एवं राज्य सभा के सदस्यों को दो करोड़ रुपए की राशि निर्माण एवं विकास कार्यों में अनुशंसा करने के अधिकार में संशोधन करते हुए तीन करोड़ रुपए की जाए जिसमें 25 लाख रुपए जनसंपर्क, 25 लाख रुपए जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक दवाईयां, खून उपलब्ध कराने तथा इलाज हेतु गरीबों की सहायता हेतु दिए जाने का प्रावधान हो।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्न विषय जोड़े जाएं–

(1) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अन्नपूर्णा योजना का लाभ अभी तक गरीबों को प्रदान न कराए जाने पर चर्चा।

(2) नर्मदा नदी पर बने रानी अवन्तीबाई (बरगी) बांध की दाई नहर का निर्माण तुरन्त प्रारंभ कराए जाने पर चर्चा।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): मैं थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस समय में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप अलग से मामला उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें–

(1) पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर बेसिनों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल एवं गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए कार्य की धीमी गति के बदले त्वरित खोज, अन्वेषण एवं खुदाई की आवश्यकता। क्योंकि इसी क्षेत्र से जुड़े हुए निकटवर्ती पाकिस्तान में वहां के कुल पेट्रोलियम उत्पादनों का 10 प्रतिशत पेट्रोल प्राप्त होता है।

(2) राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं। लिग्नाइट के भंडारों का पूरा दोहन एवं उपयोग करने तथा लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन करने हेतु केन्द्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा बीकानेर क्षेत्र में 250 मेगावाट लिग्नाइट आधारित बरसिंहसर विद्युत एवं खनन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, मैं संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय हज समिति विधेयक 2001 पर वर्तमान सत्र में ही चर्चा की जाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए:–

(1) महिला आरक्षण विधेयक।

(2) जिन राज्यों में औद्योगिक विकास कम हुआ है वहां औद्योगिकीकरण तथा रोजगार के नए अवसरों के सृजन की आवश्यकता।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:–

1. भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर स्थित इकाई के पुनरुद्धार अथवा कृभको द्वारा नया संयंत्र लगाने के संबंध में,

2. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के राप्ती नदी के ऊपर गोरखपुर (उ.प्र.) में एक और सेतु निर्माण की मांग अर्से से चली आ रही है। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर व्यापक जनहित में स्वीकृत किया जाए।

अपराह्न 12.11 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 22 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 22 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्यमंत्रणा समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में 'शून्यकाल' शुरू होता है। श्री विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पिछले चार दिनों से वह इसी विषय पर नोटिस दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सबको बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। आज हमारे पास 40 नोटिसेज हैं, सबको एडजेस्ट करेंगे।

अपराह्न 12.12 बजे

बंगलादेश में हिन्दुओं पर कथित अत्याचार के बारे में

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। बंगलादेश में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद चार दलों की गठबंधन वाली बेगम खालिदा जिया की सरकार बनने के बाद और उससे पहले वहां पर अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार हुए। उन्होंने बेगम शेख हसीना के समर्थकों को और विशेषकर हिन्दुओं को खास निशाना बनाया।

'स्टेट्समैन' अखबार में जो समाचार छपा था, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"चुनाव के बाद अब दक्षिणी जिले के संगठनात्मक दौरे पर गई शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि बेगम खालिदा जिया और उनके गठबंधन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आर्गेनाइजेशन जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्त्ताओं ने कम-से-कम 500 हिन्दु महिलाओं का बलात्कार किया तथा उनके घर और उनकी सम्पत्तियां लूट ली गई अथवा जला दी गई।"

महोदय, 'स्टार टुडे' नामक एक अग्रणी अंग्रेजी दैनिक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि चुनाव के पहले और बाद दक्षिणी भोला जिले के अनन्तप्रसाद गांव में हजारों हिन्दु महिलाओं को यातनाएं दी जा रही हैं। इसी दैनिक ने दावा किया कि बीएनपी के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं ने इसी गांव में कम-से-कम 200 महिलाओं का बलात्कार किया।

'पाइनियर' में छपी एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया:

"बंगलादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के हिन्दु अल्पसंख्यकों से कहा है कि वे सत्तारूढ़ दल और इसके सहयोगियों के समर्थकों के और किसी भी हमले का बदला लें।"

जन कंठ की रिपोर्ट के अनुसार:

"कुछ मामलों में हिन्दुओं का दमन 1971 के दमन को भी पार कर गया है। भारत द्वारा समर्थित 1971 के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 2,00,000 से भी अधिक महिलाओं को यातना दी गई थी और उनका बलात्कार किया गया था।"

अपराह्न 12.14 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, बंगलादेश के जितने स्टार अखबार हैं, मैं उन सबको आपके सामने पढ़ना नहीं चाहता, पर यहां 'जनसत्ता' के अन्दर छपा था कि वहां से आये हुए श्री विद्याभूषण दास का

कहना है कि बाहरी देशों को हकीकत का इल्म नहीं है, बंगलादेश के लोग मनमाने ढंग से हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अत्याचारियों का पहला निशाना जर और जोरू बनते हैं। हजारों हिन्दू महिलाओं पर बलात्कार किये गये हैं और उनमें से कई अस्पताल में भर्ती हैं।...*(व्यवधान)* आपको इसमें क्या एतराज है, पढ़ क्यों रहे हो?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप परेशान क्यों होते हैं। अध्यक्षपीठ की ओर देखिए और अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं क्षमा चाहता हूं। वहां पर नारी प्रगति संघ की प्रमुख रोकिया कबीर, जो मुस्लिम हैं, उन्होंने कहा कि नई सरकार के समर्थकों द्वारा अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर कई तरह से अत्याचार किये जा रहे हैं, जिनमें किशोर बालिकाओं के साथ दुष्कृत्य भी शामिल है। मैं बाकी सारी चीजें आपके सामने पढ़ना नहीं चाहता, मैं यह कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मल्होत्राजी, हमारे पास बहुत लंबी सूची है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): 'हरे कृष्ण हरे राम, हसीनाज फादर, हिन्दू अगर बचना चाहो, हिन्दू भारत भाग जाओ।'

> ''हसीना के पिताजी हरे राम हरे कृष्ण थे। यदि हिन्दु जिन्दा रहना चाहते हैं तो बंग्लादेश छोड़कर भारत जाएं।''

हिन्दुओं के प्रति उदार शेख हसीना की आलोचना करने वाले बीएनपी जमात-ए-इस्लामी के नारे पर विचार कीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि नेहरू-लियाकत पैक्ट के अन्दर यह बात रखी गई थी, उसमें आश्वासन दिया गया था कि वहां उनकी रक्षा की जायेगी। बंगलादेश में 1951 में 30 प्रतिशत हिन्दू थे, जबकि आज उनमें से केवल 7-8 प्रतिशत रह गये हैं। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल में बंगलादेश से शरणार्थी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान के अन्दर जो कुछ हुआ है, हम उन बातों की निन्दा करते हैं, खासकर जो निर्दोष व्यक्ति अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट में मारे गये हैं, सारी दुनिया ने उनके विरोध में अपनी आवाज उठाई हैं, हमने भी उसकी आवाज उठाई है, परन्तु उनसे 10 गुना ज्यादा लोग बंगलादेश में मारे गये हैं। उनसे कहीं ज्यादा, हजारों की संख्या में उन पर बलात्कार हुआ, छोटी-छोटी बच्चियां उनसे नहीं बंचीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे सदन को मिलकर हिन्दुस्तान का पूरा क्षोभ, हिन्दुस्तान का क्रोध, हिन्दुस्तान का गुस्सा, आउट्रेज को प्रकट करना चाहिए। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं चाहूंगा कि इसमें मतभेद प्रतीत न हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बी.जे.पी., जितना विरोध पक्ष है, उन्होंने बंगलादेश का वहां जो आफिस था, वहां जाकर इसके खिलाफ प्रोटैस्ट भी किया है।

आज आवश्यकता इस बात की है, मैं चाहूंगा कि सी.पी.एम. के सोमनाथ दादा यहां पर बैठे हुए हैं, वे बहुत सारी चीजों पर सवाल उठाते हैं, वहां पर जो कांड हुआ है, वे भी उसके बारे में आवाज उठायें। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों ने उसके बारे में अपनी आवाज उठाई है। जो शरणार्थी बंगलादेश से आये हैं, उनको शरणार्थी का दर्जा दिया जाये और यू.एन.ओ. में हम इस बात को ले जायें कि जैसे अफगानिस्तान के शरणार्थियों से व्यवहार हो रहा है, वैसा ही व्यवहार यहां भी होना चाहिए। इसलिए इस उत्पीड़न के खिलाफ सारे देश की आवाज बुलन्द हो, यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): मैं विजय कुमार मल्होत्रा से अपने को संबद्ध करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): मैं अपने आपको भी विजय कुमार मल्होत्रा से संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं अपनी भावनाओं से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं भाजपा के प्रमुख सचेतक को बताना चाहता हूं कि मैं केवल कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, मैंने इस त्रासदी को भी देखा है। मैं बंग्लादेश से आया हूं और मेरा जन्म बंग्लादेश में हुआ था।

धर्मनिरपेक्ष भारत का बंग्लादेश के लोगों और प्रभुत्व संपन्न बंग्लादेश गणतंत्र से अनूठा संबंध है। विभिन्न समाचार-पत्रों में विभिन्न रूपों में इन घटनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। मैं आपके जरिए सभा को बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक जिले में 9 सितम्बर को रात 9 बजे पाकिस्तानी राइफल्स ने

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

नहीं वरन भारतीय बीएसएफ ने सीमा से आने वाले एक हिन्दू परिवार जिसमें उनके एक बेटा और बेटी भी शामिल थे को गोली मारी। बेटी मर चुकी थी तथा बेटा लगभग मरने ही वाला है। आज प्रातः मुझे यह जानकारी भी मिली कि बीएसएफ कमांडेंट और कर्मचारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं श्री अजित पांजा का आभारी हूं क्योंकि वह भी वहां थे। सर्वप्रथम हम लोग इस स्थिति को सांप्रदायिक रंग देना नहीं चाहते। दूसरे यद्यपि मैं अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त करता हूं मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने वैयक्तिक प्रतिनिधि श्री ब्रजेश मिश्रा को वार्ता के जरिए सौहार्द उत्पन्न करने के लिए ढ़ाका भेजा है। यदि हां, तो इस समय विभिन्न प्रकार के विचार दिए बिना संसद को उसके परिणाम की जानकारी दी जाए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के राज्य सीमावर्ती राज्य हैं। हम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर अमाननीय बर्ताव किया जाए। इस मुद्दे पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जो हमारे सौहार्द्र को खतरे में डाल दें। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* डा. मल्होत्रा मैंने विघ्न नहीं उत्पन्न किया। महोदय, यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री सी.पी. राधाकृष्णन, मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री वैको, यह 'शून्यकाल' है। डा. मल्होत्रा ने एक गंभीर मामला उठाया है। इसलिए कृपया सभा का समय बर्बाद मत करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री सी.पी. राधाकृष्णन, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैं बोल रहा हूं। श्री वैको, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः डा. पाण्डेय, मैं बोल रहा हूं। आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्राः महोदय, क्या वे इसकी निन्दा कर रहे हैं अथवा नहीं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः डा. मल्होत्रा आपने एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा उठाया है। इस सभा से ऐसे बर्ताव की आशा की जाती है कि उनके साथ संबंध का हमारा ताना-बाना ही खतरे में न पड़ जाए। इसलिए हर किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उस ताने-बाने को हानि न पहुंचाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः डा. मल्होत्रा, आपने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। इस परिधि के अंदर प्रत्येक सदस्य को अपना दृष्टिकोण बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए कृपया इस तरह विघ्न मत उत्पन्न करें। मुझे यह कहते हुए खेद है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से हम इस घटना की अत्यधिक निन्दा करते हैं तथा इस संबंध में हम सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त की गई केवल सरकारी आशंकाओं का ही समर्थन करते हैं किसी पक्षपातपूर्ण रवैए का नहीं। उपाध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत करना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों विस्थापित हिन्दुओं और मुसलमानों पर बंग्लादेशी होने का आरोप लगाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और इस देश से चले जाने को कहा जाता है। यह भी बंद किया जाना चाहिए। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मैं जानता हूं कि डा. मल्होत्रा ने इस मुद्दे को क्यों उठाया है। हिन्दुस्तान में रहने वाले और प्रताड़ित किए जा रहे हिन्दु शरणार्थियों के प्रति आपका बर्ताव कैसा है? उन्हें नागरिकता का अधिकार भी नहीं दिया गया है।...*(व्यवधान)* महोदय, वे यहां चालीस वर्ष से हैं तथा यह सरकार उन्हें उनका अधिकार नहीं दे रही है। और आज तक यहां काम करने वाला कोई भी हिन्दु. जो बंग्लादेश से संबद्ध था, प्रताड़ित किया जाता है। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

ऐसे ही मामले मुम्बई और दिल्ली में भी हैं। महोदय, वे इस मामले पर शांत क्यों बैठे हैं? मैं इस बात को जानना चाहता हूं। इसलिए हमें इस मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बंगलादेश से 1991 से लेकर आज तक तथा उससे पहले भी तीस लाख से ज्यादा लोगों का पलायन हो चुका है। वहां पर पिछले कुछ समय से, जब से खालिदा जिया की सरकार आई है, बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं।

मान्यवर, वहां कई हत्याएं हो रही हैं, लूटमार हो रही है, हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत के वक्तव्य को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: जब बांग्लादेश की सरकार आती है, आप बंग्लादेश की सरकार की हिमायत कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गीते, आप अपने दल के नेता हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वरिष्ठ नेता इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: हजारों अल्पसंख्यक बांग्लादेश छोड़ने को विवश किये जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* वहां पिछले दिनों जब दुर्गा पूजा का उत्सव था। उस समय भी वहां कई पूजाओं के पंडाल जला दिये गये। पंडाल जलाने के बाद आक्रमण किये गये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, जब मैं बोल रहा हूं तब आप नहीं बोल सकते। यह एक सामान्य नियम है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: हमारे पड़ोसी देश में जब से नई सरकार चुनकर आई है, वहां पर कुछ धर्मांध और कट्टरवादी ताकतों के द्वारा, बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक हिन्दुओं के ऊपर आक्रमण किये जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* उनके घरों को जलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)* उनकी बहुओं और बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और उनकी हत्याएं की जा रही हैं।...*(व्यवधान)* हजारों लोग बांग्लादेश छोड़कर त्रिपुरा के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर शरण लेने को विवश किये जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* एक अखबार निकला है, वहां एक किताब 'सलेम आजाद' के द्वारा निकली है और सलेम आजाद बंग्लादेश के राइटर हैं।...*(व्यवधान)* उस किताब में है: 'हिन्दू सम्प्रदाय केनो बंग्लादेश याद कोरिछे' कि हिन्दू सम्प्रदाय के लोग बांग्लादेश छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं क्योंकि साम्प्रदायिक उत्पीड़न और सुनियोजित साम्प्रदायिक हिंसा, सम्पत्ति का दुरूपयोग और धार्मिक सम्पत्तियों का अधिग्रहण और सरकारी सेवाओं में हिन्दुओं के प्रति भेदभाव:...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि नेहरू-लियाकत जो समझौता हुआ था, उसकी शर्तों का पालन करते हुए वहां की अल्पसंख्यक हिन्दू जनता को बचाने के लिए भारत सरकार खालिदा जिया की सरकार से बात करे और बांग्लादेश के दूतावास के राजदूत को बुलाकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मल्होत्रा यह आशा करते हैं कि मुझे इस मामले में कुछ कहना चाहिए। मैं आपकी टिप्पणियों से सहमत हूं। यह एक संवेदनशील मामला है। पड़ौसी देशों के साथ हमारे संबंद्ध मैत्रीपूर्ण हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई गलतफहमी पैदा हो या वहां रहने वालों के लिए समस्या पैदा हो...*(व्यवधान)* मैंने आपके भाषण में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जो ये कहना चाहते हैं, वह उन्हें कहने दीजिए। कृपया इनकी बात सुनिए। नियमों का उल्लंघन न करें। श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी आप एक आदरणीय सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: लाखों लोग भारत आए हैं। हजारों महिलाओं से बलात्कार किया गया। वे इसे तर्कसंगत ठहरा रहे हैं ये क्या है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। वे इसे तर्कसंगत कैसे ठहरा सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं यहां मात्र उन्हें खुश करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं जो महसूस करता हूं, मैं वह कहना चाहता हूं। वे मुझे निर्देश न दें कि मुझे क्या कहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एक दूसरे की भावनाओं का आदर होना चाहिए। यहां कुछ भी असंसदीय नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़े। विचारों में कुछ मतभेद हो सकता है। हमें एक-दूसरे की बात को समझना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यदि इस मामले पर चिंता है तो इसे किसी एक पक्ष का मामला बनाने की बजाए, प्रधानमंत्री महोदय या विदेश मंत्री को यहां आकर वक्तव्य देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधिवत चुनी गई और लोकप्रिय सरकार है। उन्हें समस्याओं की पूरी जानकारी है क्योंकि वे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यदि कोई है तो।

मुख्यमंत्री ने वहां एक वक्तव्य दिया है...*(व्यवधान)* कई लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि हमें ऐसा कुछ कहना या करना नहीं चाहिए जिससे समस्याएं उत्पन्न हों। ये मानवीय मुद्दे हैं। कुछ समस्याएं तो हैं किन्तु हमें उचित प्रकार से हल करना चाहिए। हमें यहां ऐसा आक्रोश प्रकट नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूंगा, जैसा कि पहले ठीक ही कहा गया कि उन्हें खालिदा जिया सरकार से शिकायतें थी किन्तु जब वहां हसीना सरकार सत्ता में थी तब वे बंग्लादेश के हिन्दुओं की समस्याओं पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्हें दिल्ली और मुम्बई से हटाया गया था, उन्हें जानबूझकर हटाया गया था तब किसी ने एक शब्द नहीं कहा एक आंसू तक नहीं बहाया था...*(व्यवधान)* वह क्या कर रहे थे? डा. सेनगुप्ता, आज आप आंसू बहा रहे हैं। मुंबई में क्या हुआ था? दिल्ली में क्या हुआ था? दूसरी जगहों पर क्या हुआ था? वे जानबूझकर उन लोगों को वहां से हटा रहे थे। अब, आप सरकार में वापिस जाना चाहते हैं। वे यह मुद्दा उठा रहे हैं।

मैं मांग करता हूं कि हमें सही संतुलन बनाए रखना चाहिए। हम वहां हुई किसी भी अप्रिय घटना के प्रति चिंतित हैं। सरकार इस मुद्दे पर सम्य तरीके से और राजनयिक स्तर पर कार्रवाई करे...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की भावनाओं से हम स्वयं को सम्बद्ध करते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वह बहुत ही खेदजनक और गंभीर बात है क्योंकि यह चुनावों के तुरंत बाद हुआ। किंतु महोदय, इसके साथ-साथ मैं सचेत करना भी चाहूंगा। हमें इस तथ्य को भी ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश में सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से इन अत्याचारों के विरोध में आवाज उठ रही है। बांग्लादेश की प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि यह चुनाव धर्म के आधार पर नहीं लड़ा गया। धर्म कत्तई मुद्दा नहीं था। उन्होंने अपने दल के सभी सांसदों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर ऐसे अत्याचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करें। यह एक गंभीर मुद्दा है किंतु, मेरे विचार से हमें प्रधानमंत्री पर आश्रित रहना चाहिए। उन्होंने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है और उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से चर्चा के लिए श्री बृजेश मिश्र को वहां भेजा है। मुझे विश्वास है कि इससे इस मुद्दे का समाधान होगा। पहले ही, आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य होती जा रही है। बांग्लादेश की सरकार ने भी यह घोषणा की है कि वे विस्थापित होकर भारत में गए हर व्यक्ति को वापिस लेंगे। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें सही विचारों वाले लोगों के हाथ मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए, बांग्लादेश में उचित कारणों पर आवाज उठाने वालों का साथ देना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बी एन पी में भी अनेक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिसे सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्यवश, निर्वाचन राजनीति की आवश्यकताओं के कारण उन्हें कुछ सांप्रदायिक तत्वों का समर्थन लेना पड़ा। इससे वे चुनाव जीत पाए। किंतु हमें उन तत्वों को मजबूत करने का प्रयास भी करना चाहिए जो सही कारणों से अपनी आवाज उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें यह प्रयत्न करने चाहिए कि वे सफल भी हों।...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, मेरा मुद्दा अलग है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश...*(व्यवधान)* महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सदन में क्या हो रहा है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, यदि आप व्यवधान उत्पन्न करेंगे तो यह विषय पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको नहीं बुला सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री वैको को बुलाया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गीते, डा. नीतिश सेनगुप्ता इस संवेदनशील मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं। मैं इसी मुद्दे को दोबारा उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस मुद्दे पर हम पहले ही आधे घण्टे का समय ले चुके हैं। अभी उन्हें भी बोलना है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: माननीय उपाध्यक्ष जी, बंग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार आने के बाद वहां के अल्पसंख्यकों पर, महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार किए जा रहे हैं। वहां काफी संख्या में हत्याएं की जा रही हैं। इस संदर्भ में मल्होत्रा जी ने यहां शून्य-काल में यह बात उठाई, मैं उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। केवल इसलिए कि मल्होत्रा जी ने यह बात उठाई है, इसे कम्यूनल कहना योग्य नहीं होगा।

महोदय, जब बंग्लादेशियों की बात सदन में निकलती है- चाहे भारत, मुंबई या दिल्ली हो। वहां जो भी कार्यवाही की गई है वह विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ की गई है, किसी माइनोरिटी के खिलाफ नहीं है। बंग्लादेश में जो हो रहा है वह माइनोरिटीज और मानवता के खिलाफ हो रहा है। मुंबई या दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं वे बंग्लादेशी हों या पाकिस्तानी हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है, किसी माइनोरिटी के खिलाफ नहीं की गई है, जिसका जिक्र आप यहां कर रहे हैं। बंग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ भारत सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। इस सदन में सारे माननीय सदस्यों को एक होकर उसकी निन्दा करनी चाहिए, न कि यहां राजनीति करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वैको: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, किन्तु आपने उन्हें बोलने का अवसर दिया।

...(व्यवधान)

श्री वैको: मैं एक अलग मुद्दा उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं। अब आप बैठ जाइए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। हमारे पास आधा घण्टा बचा है।

...(व्यवधान)

श्री वैको: 'शून्यकाल' में मुद्दे उठाने के नोटिस देने के लिए माननीय सदस्यगण सुबह आते हैं। अनेक सदस्यों को बुरा भी लगता है क्योंकि सभा के कुछ सदस्यों की यह आदत बन गई है कि वे 'शून्य काल' के दौरान कुछ मुद्दे उठाते हैं। 'शून्य काल' के दौरान मुद्दे उठाना सभा के कुछ सदस्यों का एकाधिकार नहीं बनाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: बिना किसी अपवाद के सभी नेता, सभा में कुछ नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो गए थे, किन्तु यहां कुछ और ही हो रहा है। यदि ऐसा ही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अध्यक्षपीठ से सभी को सहयोग करना होगा। श्री वैको, मैं आपसे सहमत हूं किन्तु दुर्भाग्यवश यहां कुछ और ही हो रहा है।

श्री वैको: यह मुद्दा उठाने के लिए हमने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने आपको बुलाया किंतु आपने अपनी बारी पर उन्हें बोलने का अवसर दिया। इससे मुझे और अधिक कठिनाई हो गई है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक बहुत ही अहम इश्यू उठाया गया है। ऐसे इश्यू पर शायद दूसरी पद्धति से चर्चा होती तो और ठीक होता। यहां न्यूज पेपर और मेगजीन को कोट करके बताया गया है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अगर वह हो रहा है तो बुरा है, वह नहीं होना चाहिए। मगर ऐसे इश्यू पर यहां चर्चा हो। यहां फारेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब उसका जवाब देने के लिए नहीं हैं। अगर यह बात गलत है और हमारे समाज में फैल गई तो यहां दंगे हो सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि इस इश्यु का संबंध हमारे देश और पड़ौसी देश से है। जब भी हमारे देश और दूसरे पड़ौसी देश की बात आती है तो उसे बहुत डेलीकेटली हैंडल किया जाता है। हम यहां जो भी कहते हैं

[श्री शिवराज वि. पाटील]

उसका असर उस देश में भी होता है और इस देश में भी होता है।...*(व्यवधान)* इसलिए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, मगर उन्होंने किया है और कोट किया है तो हम सरकार से, फारेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब से मांग करते हैं। यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, हम उनसे विनती करते हैं कि अगर इतना अहम् इश्यु आपके साथ बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके बारे में सही क्या मामला है, आप यहां आकर उसके बारे में हमें स्टेटमेंट दीजिए। अगर वह गलत है तो हम कहेंगे कि हमारे इस माननीय सदस्य ने देश के हित में सवाल नहीं उठाया है।

अगर वह सही है तो सरकार ने उस पर क्या किया है, यह हम जानना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे विषय निकाले गये तो यहां के समाज में घृणा की भावना पैदा हो जाएगी और दूसरे देश के साथ भी हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें इस पर यहां चर्चा करनी चाहिए। उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि सरकार से इस विषय पर स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री जी यहां नहीं हैं।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय पूर्व स्पीकर का यहां कहना गैर-जरूरी है क्योंकि जीरो-आवर में कोई भी बात कोई भी सदस्य उठा सकते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जब इसी प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस के शासन काल में पैदा हुई थी तो उससे निपटने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम मांग करते हैं कि भारत-बांग्लादेश संबंधों की वर्तमान स्थिति पर प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए...*(व्यवधान)* वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सभा को जानकारी देना प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य है। हम मांग करते हैं कि इस मामले पर प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए। चूंकि उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अपने व्यक्तिगत दूत को ढाका भेजा है, हम यही चाहेंगे कि हमें बताया जाए कि इस बारे में क्या हुआ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* सभा में प्रतिदिन बोलना कुछ ही सदस्यों का एकाधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: कांग्रेस के शासन काल में बांग्लादेश से जब शरणार्थी भारत में आये थे तो हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी। कोई भी चीज जो बांग्लादेश में होती है

[अनुवाद]

उसका उपमहाद्वीप पर भी प्रभाव पड़ता है हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वहां भारतीय मूल के भी लोग हैं। बांग्लादेश भारत का भाग था इसलिए, उस देश की कोई भी घटना राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है।...*(व्यवधान)* मैं कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक और विपक्ष के अन्य सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि 1971 की ऐसी ही घटना के लिए अपने देश में इसी प्रकार शरणार्थियों के आने पर हमने युद्ध किया था। अत: यह साधारण मुद्दा नहीं है और इसे साम्प्रदायिक रंग देना भी ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, क्या मेरे माननीय साथी मुझे दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देंगे?...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया प्रकट करना चाहेगी कि नहीं। अन्यथा इस सभा में दिए गए सभी वक्तव्य दोनों राष्ट्रों की मैत्री को प्रभावित करेंगे...*(व्यवधान)* अत:, इस मुद्दे पर हम सरकार का रुख जानना चाहेंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर देने वाले हैं। जब वे उत्तर दे रहे हैं तो क्या आप उन्हें सुनना नहीं चाहेंगे? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इस मुद्दे पर वक्तव्य देगी या नहीं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष जी, शून्य काल में चाहे

सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इनकी ओर से जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसमें माननीय प्रियरंजन दास जी जैसे अपवाद को छोड़ दें तो संसदीय कार्य मंत्री को भी यहां आने तक इस बात का पता नहीं होता है कि कौन सा सदस्य कौन सा विषय उठा रहा है।

कुछ सदस्य पहले बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रियरंजन दासमुंशी जी बहुत बार बताते हैं। हम कोशिश करते हैं कि संबंधित मंत्री उस समय उपस्थित हों और उसका उत्तर दें।

अभी जो चर्चा सदन में हुई, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बंगलादेश हमारा पड़ोसी देश है। हम उससे मित्रता के संबंध रखना चाहते हैं। पड़ोसी देश से दोस्ती के संबंध, वहां कौन प्रधान मंत्री हो, उस पर निर्भर नहीं करते। वहां पहले जो प्रधान मंत्री थे, तब भी हम उनके साथ दोस्ती चाहते थे। अब वहां नई प्रधान मंत्री आई हैं। उसके बाद भी उनसे दोस्ती चाहते हैं। जैसा सम्माननीय सदस्य ने कहा कि जब नई सरकार बनी तो उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रधान मंत्री जी ने विशेष दूत के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री बृजेश मिश्र कों वहां भेजा था। वहां उनके साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई।

कुछ समस्याएं निरन्तर बंगलादेश के साथ उठती रहती हैं। वर्तमान में भारत सरकार बंगलादेश सरकार से भी इस संबंध में सम्पर्क बनाए हुए है, पश्चिम बंगाल सरकार से भी सम्पर्क बनाए हुए है। हाल में जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहां आए थे तो इस विषय पर उनकी प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से बात हुई थी। जैसा सब ने कहा कि मामला बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील होने के कारण कुछ यहां मेरी ओर से इस क्षण अधिक जानकारी देना या कुछ कहना, इसका असर यहां और पड़ोसी देश के ऊपर पड़ सकता है। आप सब ने जो भावनाएं व्यक्त की, वे मैं प्रधान मंत्री तक पहुंचा दूंगा। आज प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री यूरोपियन यूनियन के साथ चर्चा करने में लगे हैं। मैं आपकी भावनाएं उन तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद अगर आवश्यक लगे तो वह वक्तव्य दे सकते हैं या हम चर्चा कर सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ऐसे नहीं जानी चाहिए। यहां आंकड़े कोट किए गए हैं और रेप के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम जानना चाहते हैं कि यह बात सही है या नहीं?

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: बिल्कुल सही है। प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात को कहा है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह हम सरकार की ओर से जानना चाहते हैं। यदि सही नहीं है तो कह दीजिए कि गलत है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह सही है या गलत? हम जानना चाह रहे हैं कि यह बात सही है या नहीं?...*(व्यवधान)* हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब को इसके बारे में मालूमात नहीं हो सकती लेकिन सरकार को इसके बारे में क्या मालूमात है? या तो यह कहा जाए कि ऐसे मुद्दे यहां नहीं उठाए जाएं? यदि उठाए गए हैं तो तथ्य हमारे सामने रखे जाएं और सही ढंग से कहा जाए। मैं पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब को नहीं कह रहा हूं कि आप बोलें, मैं कह रहा हूं कि आप विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री जी से बात करिए और तथ्य हमारे सामने रखिए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: महिलाओं के ऊपर रेप हो जाए, उस पर यह कहें कि आंकड़े गलत हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, सभी पुरुष 'बलात्कार' की बातें कर रहे हैं क्या हमें भी बोलने की अनुमति मिलेगी?...*(व्यवधान)* क्या हमें भी सभा में बोलने की अनुमति मिलेगी?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब आप कुछ कहना चाहती हैं?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मैं शुरूआत से ही आपसे कह रही हूं कि मुझे बोलने का मौका दीजिए। औरतें ही इसका शिकार होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: शायद आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पाईं या मैं आपका ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाया।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, महिलाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कभी महिलाओं के साथ भेद-भाव नहीं करता।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: धन्यवाद, हम अपनी आवाज पुरुषों जैसी बुलंद नहीं कर सकते, यही हमारी समस्या है।

मैं केवल यही कह रही हूं कि हमारे लिए यह बहुत चिंता की बात है कि ऐसी घटनाएं हमारे पड़ोसी देश में घटी हैं। मेरे विचार से इसको साम्प्रदायिक रंग देना गलत होगा। यह अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, चाहे यह पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या भारत में हो। हम उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं। मेरे विचार से देशों, विशेषकर बांग्लादेश के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं। मैं इसके

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

महत्व को कम नहीं आंक रही हूं। परंतु प्रश्न यह है कि हमें यह दृष्टिकोण अपनाना होगा कि बांग्लादेश समेत सभी देशों में अल्पसंख्यकों को भी अधिकार मिलें।

मेरे विचार से सरकार को, जैसा कि निवेदन किया गया है कि हमें सारे हालात से अवगत कराना चाहिए। संसद में आकर मामलों पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं और उनमें से कई महिलाओं पर हमला भी किया गया है। हमें समस्या पता है। दुर्गा-पूजा के त्यौहार के समय उस देश में पंडाल जलाएं गये हैं। इन सब बातों से दोस्ताना संबंध नहीं बनते। इस सभा में चिंता व्यक्त की गयी है, सरकार को बताना चाहिए कि इसमें से कितना सच है और यदि ऐसा है तो सरकार दोनों देशों के मध्य सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए क्या कर रही है। हम नहीं चाहते कि शरणार्थी यहां आएं और बाहर जाएं। हम नहीं चाहते कि महिलाओं को सीमा पर तंग किया जाए। हम उपमहाद्वीप में शांति चाहते हैं। इसलिए हमें सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराया जाए।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैंने भी इस संबंध में सूचना दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चार्च समाप्त हो चुकी है अब कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं भी इस सभा का सदस्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं और इसलिए आप यहां बैठे हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, फिर मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस एक मामले में ही करीब 50 मिनट का समय ले लिया है।

श्री चौधरी आप की सूचना है भारत में आने वाले बंग्लादेशियों के संबंध में है। इस विषय से उसका कुछ लेना-देना नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौधरी, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक आप अध्यक्षपीठ का सहयोग कीजिए। अन्य मामलों पर भी चर्चा होती है? यह अलग मामला है, मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: वह डिफरैन्ट मैटर है, इससे सम्बद्ध नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन: अभी मैं माननीय शिवराज जी का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मार्ग्रेट जी ने भी कुछ मुद्दे रखे हैं, मैं उनसे इस बात में तो बिल्कुल सहमत हूं कि अल्पसंख्यक चाहे हिन्दुस्तान में हों, पाकिस्तान में हों, बंग्लादेश में हों या दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, अल्पसंख्यक पर अगर कहीं अत्याचार होता है तो स्वाभाविक रूप से यह चिन्ता का विषय होता है और वह किसी एक देश से जुड़ा नहीं है। बहुत बार ऐसी घटनाएं बहुत सारे देशों में होती हैं। इसलिए अगर हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो तो हर किसी को उनकी चिन्ता लगती है और उसकी चिन्ता होना स्वाभाविक है। कहीं अगर पाकिस्तान और बंग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ यह हो तो चिन्ता होना स्वाभाविक है। अब जैसा सम्माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने कुछ आंकड़ों और घटनाओं का उल्लेख किया है। अभी-अभी मार्ग्रेट जी ने कोई पूजा पंडाल जलाने की बात का उल्लेख किया था। इस तरह से दोनों तरफ से इन घटनाओं का उल्लेख हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो माननीय सदस्य उल्लेख करते हैं, जैसे अभी विजय जी ने कुछ आंकड़े दिये, स्वाभाविक है कि उन्होंने वे अपनी जानकारी के आधार पर रखे, अभी जैसे मार्ग्रेट जी ने कहा कि पूजा पंडाल जलाये गये, वह उन्होंने अपनी जानकारी के आधार पर कहा। अब मैं सरकार की ओर से इसकी पुष्टि या अपुष्टि नहीं कर सकता। शिवराज जी ने जो कहा है, उस पर मैं कहूंगा कि यदि सदन में कभी इस पर बहस करना चाहें तो आपकी अनुमति से बी.ए.सी. में इस पर विचार हो सकता है और यहां बहस हो सकती है। अभी शिवराज जी ने जो बात कही है वह मैं माननीय प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): मैंने भी सूचना दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री वैको को बोलने के लिए बुलाया है कृपया सभा का समय नष्ट मत करें।

श्री वैको: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचना दिए बगैर सदस्यों ने बोलने के लिए एक घंटे का समय लिया, हम चार दिनों से इंतजार कर रहे हैं और आप हमसे संक्षेप में बोलने के लिए कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, कृपया संक्षेप में बोलिए।

अपराह्न 12.54 बजे

तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बारे में

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों मुछाआरे की जीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की 11 जुलाई, 2001 की राजपत्र अधिसूचना से देश के विशेषकर, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्यों तथा देश के अन्य भागों के मछुआरों को आघात पहुंचा है।

इस अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत लगभग 60 विभिन्न समुद्री प्राणियों को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें शार्क पकड़ने, प्रसंस्करण करने, भंडारण करने तथा बेचने और अन्य 60 मदों पर पूर्णत: प्रतिबंध शामिल है। यह कार्य मनमाना और अन्यायपूर्ण है क्योंकि मंत्रालय ने मछुआरों या राज्य मत्स्य पालन विभाग या केन्द्रीय वैज्ञानिक मत्स्य पालन संस्थानों से इस मामले में कोई परामर्श नहीं किया।

यह प्रतिबंध अवैज्ञानिक है...*(व्यवधान)* यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें पक्षपात किया जाए। आप समस्या को समझे बिना हस्तक्षेप कर रहे हैं...*(व्यवधान)* सरकार प्रतिबंध को वापस लेगी इसलिए हम यह मामला सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। क्या आप मुछाआरों की भलाई के इच्छुक नहीं हैं? क्या आप अपना तर्क रख सकते हैं और यह बता सकते हैं कि किस कारण से इस अधिसूचना को वापस लिया जाए? कृपया मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसे पहले सुनिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, आप किसी अन्य सदस्य से मत उलझिए।

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, शार्क और अन्य एलास्मो ब्रांचेस जो मुख्य रूप से शिकार करते हैं और उनके पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने से खाद्य श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाएगा। जिसका प्रभाव कुल मछली पकड़ने पर होगा, चूंकि छोटी मछलियां कम हो जाएंगी...*(व्यवधान)*

मछुआरे हजारों वर्षों से शार्क, सीहार्स कोरल समेत इन समुद्री प्राणियों को समुद्र से पकड़ रहे हैं। यही उनकी जीविका का मुख्य साधन है।...*(व्यवधान)* जब वे तूफानी समुद्र में जाते हैं तो इस बात का कोई भरोसा नहीं होता कि वे वापस आएंगे या नहीं। वे अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। हजारों वर्षों से वे यही कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह उनके प्रति अन्याय है।

इसके अतिरिक्त, क्या यह संभव है कि जाल में किसी एक ही प्रकार की मछली फंसेगी? यह हास्यास्पद है। क्या जाल में मछुआरे यह पता लगा सकेंगे कि केवल एक विशेष किस्म की मछली ही जाल में आएगी? क्या यह संभव है? इसलिए मेरे राज्य में कन्याकुमारी और केरल के सुदूर भागों से मछुआरे दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ताकि प्रतिबंध को शीघ्र हटा लिया जाए और सरकार इस अधिसूचना को शीघ्र वापस ले ले जिससे कि मछुआरों, जिनकी जीविका पूर्णत: इसी कार्य पर आश्रित है, के जीवन की रक्षा की जा सके। यह मामला अत्यंत गंभीर है जिसके लिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार को यह अधिसूचना तुरंत वापस लेनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा। अभी दो और माननीय सदस्य इसी विषय पर बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रामजी लाल जी, जिस मैटर पर आपने नोटिस दिया हुआ है, उसी पर मैंने उनको बुलाया है। इसके बाद आपका नाम आएगा।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, बोलने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझसे ठीक पहले बोलने वाले माननीय सदस्य श्री वैको की मांग पर मैं जोर देता हूं जिन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए दो निदेशों से बुरी तरह से प्रभावित मछुआरों की दुर्दशा की ओर इस सम्मानीय सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। देश के लंबे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय मछुआरों द्वारा लगभग 60 प्रकार की मछलियों के पकड़े जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसके द्वारा विशेषकर तटवर्ती कई राज्यों के तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरे प्रभावित हुए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई इन दो अधिसूचनाओं से मछली पकड़ने के धंधे पर निर्भर करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने इस वर्ष 1 अप्रैल को एक दूसरी अधिसूचना

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

जारी की जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशों के मछली पकड़ने वाली नौकाओं को हमारी जलीय सीमा में निर्बाध अनुमति दी गई है। मछुआरों का समुदाय इस कदम के प्रति बहुत शंकालु है। जब भारतीय मछुआरों पर प्रतिबंध है, तो वही केन्द्र सरकार विदेशियों को हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति देती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विचित्र और असंगत पहल से जो स्पष्टत: परस्पर विरोधात्मक है, केन्द्र सरकार की सदशयता पर शंका होती है। जब विदेशियों के हितों का ख्याल रखा जाता है और अपने देशवासियों के हितों की उपेक्षा की जाती है। शार्क मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। जब कभी शार्क मछलियां हमला करती हैं और नहीं पकड़ी जाती हैं तो इससे मछली की अन्य प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मंदापम और कोचीन दोनों जगहों पर मरीन रिसर्च सेन्टर द्वारा मछलियों की विलुप्त हो रही सभी प्रजातियों की पहचान की जानी चाहिए। अनुसंधानकर्त्ताओं से परामर्श किए बिना एक पक्षीय पहल की गई है। इसे निरस्त किया जाना चाहिए। यह प्रतिबंध 12 नौटिकल मील तक प्रभावी है जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। परंतु केन्द्र सरकार ने समुद्र पर क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले सभी राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना यह कार्रवाई की है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने केन्द्र के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशों की मत्स्य नौकाओं पर प्रतिबंध लगाए। इसी प्रकार 54 प्रकार की मछलियों को पकड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध भी वापस लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन, अब अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं श्री पी.एच. पांडियन को पुकार रहा हूं।

श्री पी. मोहन: महोदय, मात्र एक मिनट। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई अनुमति वापस ली जाए। विशिष्ट मछलियों पर प्रतिबंध भी वापस लिया जाए तथा इसे तर्कसंगत बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन, श्री पांडियन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): धन्यवाद, महोदय।

तमिलनाडु में 50,000 मछुआरे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, इसके बाद मैं उस मुद्दे पर आऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: तमिलनाडु में 50,000 मछुआरो3 के परिवार रहते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी जी, उन्होंने भी नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

श्री पी.एच. पांडियन: पर्यावरण मंत्रालय ने दिनांक 11.7.2001 के एक आदेश के जरिए मछलियों की 53 प्रजातियों तथा समुद्री-प्राणियों की दूसरी प्रजातियों के पकड़ने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत तुच्छ कारण बताते हुए प्रतिबंध लगा दिया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे? उन्होंने नोटिस दिया है। श्री मोहन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.एच. पांडियन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, इस मछुआरे विरोधी आदेश ने पूरे भारत में तथा तमिलनाडु में लाखों मछुआरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के अलावा मेरे नेता और अन्नाद्रमुक की महासचिव पुरातची थालिवी ने यह प्रतिबंध हटाने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। प्रतिबंध नहीं हटाया गया है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन जी, आप मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपका नाम लेना पड़े।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: 50,000 मछुआरों के परिवार की आजीविका खतरे में है। यदि भारतीय मछुआरों को समुद्र की क्षेत्रीय सीमा में प्रतबंधित कर दिया जाता है तो ये मछलियां दूसरे देशों में चली जाएंगी। उन्हें मछली पकड़ने का अधिकार है। यदि

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भारतीय जल में उन्हें नहीं पकड़ा जाता है तो वे जल में स्थिर नहीं रहेंगी। वे दूसरे देश की समुद्रीय सीमा में चली जाएंगी तथा वे हमारी समुद्रीय सीमा को पार करेंगी। उदाहरणार्थ यदि अंडमान द्वीपसमूह की समुद्रीय सीमा से मछलियां थाइलैंड की समुद्रीय सीमा में चली जाती हैं तो उस क्षेत्र में उस देश का उन्हें पकड़ने का अधिकार होगा।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): भारतीय मछलियों को अन्य क्षेत्र में न जाने दें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री जी मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, लगभग 50,000 परिवार दिल्ली में इकट्ठे हो गए हैं। वे दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार को विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्हें प्रतिबंध उठा लेना चाहिए। यदि यह आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो 50,000 परिवारों की आजीविका नष्ट हो जाएगी।

महोदय, लक्षद्वीप, आपके निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे भारत के मछुआरों...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपना मामला खराब कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, मैं आपके माध्यम से अन्नाद्रमुक की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस आदेश को वापस ले लें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? श्री जोस, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको चेतावनी देता हूं। कृपया ऐसा मत करें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? श्री रामजी लाल सुमन क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? यदि आप इस तरह से विघ्न उत्पन्न करेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया एक सेकेण्ड के लिए धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनें। श्री वैको ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। उसे उठाने की आप इजाजत नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह भी बहुत इम्पौर्टेंट इश्यू है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हम इतनी देर से बैठे हैं। हमें अपने इश्यू को क्यों नहीं उठाने दे रहे हैं। पहले स्पीकर साहब बैठे थे उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर में आपको समय मिलेगा, लेकिन वे चले गए और अब आप आ गए हैं। साल भर हो गया, बिहार को एक पैसा भी नहीं दिया गया है। बिहार के साथ घोर अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: आप लोग क्या कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय बोलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह जो आर्डर/नोटिफिकेशन निकाला है, हर किसी को प्रभावित कर रहा है तथा मैं भी प्रभावित हूं। वे 'शार्क' नहीं पकड़ सकते। क्या आप यह इंगित करते हुए गेट लगा सकते हैं 'शार्क के लिए नहीं'? मान लीजिए कि 'शार्क' कांटे में फंस जाती है तो आप क्या करेंगे? यह कैसी अधिसूचना है? मैं चाहता हूं कि सरकार इस आदेश पर विचार करे। इस आदेश से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी को विषय से सम्बद्ध होने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब कोई एक भी सदस्य महत्वपूर्ण बात कहता है तो स्वाभाविक रूप से उस पर प्रतिक्रिया करना मेरा कर्त्तव्य है। श्री वैको जैसे सदस्य, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन करते हैं, वे अगर कोई विषय उठाएं तो ज्यादा महत्व देना पड़ता है। जब चेयर की ओर से आदेश होता है तो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं आपके आदेश का पालन करके फारैस्ट एंड ऐनवायरनमैंट मिनिस्टर, जो इस विषय को देखते हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: कामर्स मिनिस्टर को कहिए।

श्री प्रमोद महाजन: दोनों तमिलनाडु के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों मंत्रियों से बातचीत करके आपकी भावनाएं पहुंचा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): पर्यावरण और वन मंत्री तमिलनाडु से हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जोस, आप सुन क्यों नहीं रहे? आपको सुनने की आदत भी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: साधारणतया तो आपको सदस्यों के बोलने की रक्षा करनी पड़ती है लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपके बोलने की रक्षा करने के लिए मंत्री को खड़ा होना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको भी खड़ा करना पड़ेगा।

श्री प्रमोद महाजन: मैं आपका आदेश संबंधित मंत्रालय तक जरूर पहुंचा दूंगा। आपने जो शार्क के बारे में कहा है,...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कैसे पकड़ेंगे? क्या आप लिखेंगे कि 'शार्क के लिए नहीं'।

श्री प्रमोद महाजन: मेरी इतनी प्रार्थना है कि किसी के भी नैट में शार्क न आए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रार्थना नहीं, नोटीफिकेशन चाहिए।

बेगम नूर बानो (रामपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बारे में हैं। पूरे राज्य में सूची से लाखों मुश्लिम मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।

अपराह्न 1.08 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं]*

उदाहरण के लिए, ठाकुरवाड़ा नामक चुनाव क्षेत्र में 15,800 मुसलमान मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और 21,000 फर्जी नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। दिसम्बर, 2000 में यही हुआ। 23 दिसम्बर, 2000 को मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की और आयोग ने सरकार को इसकी जांच करने का निर्देश दिया। एस डी एम सहित ग्यारह पी सी एस अधिकारियों को मामले की जांच करने को कहा गया। राज्य में भाजपा सकार के दबाव में उन्होंने कहा कि सभी कुछ ठीक-ठाक था और मतदाता सूची में भी कोई गलती नहीं थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत आरोप है।

सभापति महोदय: वे बोल सकते हैं। सरकार उत्तर देगी। आप बैठिए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़िए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप इसे समाप्त करना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय ने इन्हें अनुमति दे दी है और वे एक वक्तव्य दे रही हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): इलैक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश की सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। डी.एम. को, एस.डी.एम. को, और अधिकारियों को मुअत्तल किया है। यह सरकार उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्टों से नाम काट रही है और नये नाम जोड़ने की कोशिश हो रही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उनको बोलने दीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: इलैक्शन कमीशन ने आरोप लगा दिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए। क्या वे बोल नहीं सकती हैं?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: इनको इलैक्शन कमीशन में शिकायत करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: ये महिलाओं को बोलने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, उन्होंने नोटिस दिया है। आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदया, वह सभा की सदस्या हैं। इन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

बेगम नूर बानो: महोदया, 5 सितम्बर को हमने निर्वाचन आयोग में एक और शिकायत दर्ज कराई और इसके परिणामस्वरूप उन्होंने दिल्ली से अपने अधिकारियों का एक दल जांच के लिए ठाकुरवाड़ा भेजा। उन्होंने पाया कि सभी शिकायतें शत प्रतिशत सही थी; 15,800 मुस्लिम मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे और 21,000 फर्जी मतदाताओं के नामों को सूची में शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार यह 36,800 मतदाता बनते हैं। यह केवल एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। इस पर उन्होंने कार्यवाही करते हुए चार अधिकारियों - जिलाधीश, उपजिलाधीश, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्हें घर-घर की जांच करने को कहा गया। अब अध्यापक मतदाता सूची बना रहे हैं।

अब फिर से अध्यापकों पर नामों को हटाने का दबाव है। यह पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सवार नामक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी हो रहा है। समस्या यह है कि यदि ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि लाखों लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से यह रिपोर्ट आ रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, इलैक्शन कमीशन इसकी जांच कर रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: चुनाव आयोग ने जांच में इसको सही पाया है और उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है...*(व्यवधान)* यह सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हो जाने के बाद जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूचियों में इस तरह की हेरा-फेरी करा रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उनको बोलने दीजिए, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: स्पीकर ने उनको बोलने की परमीशन दी है, आप बैठिए। आप जो कुछ बोलना चाहें, बाद में बोलिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जाएगा, आप बैठिए।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप एक महिला सदस्या के बोलने में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? कृपया इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इन्हें अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: बेगम नूर बानो के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

बेगम नूर बानो: अगर ऐसा हो रहा है तो इसका यह मतलब है कि एक सिटीजंस का जो फण्डामेंटल राइट है, वह उनसे लिया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वह इस चीज को देखे कि सिटीजंस के फण्डामेंटल राइट्स नहीं लिये जायें, यह मैं आपसे रिक्वैस्ट करती हूं। आप गवर्नमेंट से यह कहें कि वे इस मामले में हमको यह बतायें कि इस तरह से सिटीजंस के जो फण्डामेंटल राइट्स हैं, जो नाम का डिलीशन है, वह नहीं किया जाये। जो सही बात है, जो जैन्युइन वोटर्स हैं, उनके नाम नहीं काटे जायें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें बताया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड के बगैर हम वोट नहीं दे सकते। इलैक्शन आई.डी. कार्ड अभी सब को बांटे नहीं गये हैं, लेकिन जिनके 1995 में बांटे गये थे, वे कहते हैं कि उनके रजिस्टर में उन्होंने करैक्ट कर दिये हैं। जैसे मैं आपको अपनी बात बता रही हूं।

मेरा नाम उसी वोटर लिस्ट में था, मेरा पास आई.डी. कार्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं वोट नहीं दे सकूंगी और न ही मेरे परिवार के सदस्य दे सकेंगे। इस तरह के हजारों लोग हैं, जिनके पास आई.डी. कार्ड नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वे वोट नहीं दे पाएंगे। आई.डी. कार्ड की इतनी अहमियत हो गई है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस बारे में आपको निर्वाचन आयोग को लिखना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मतदाता सूची से नाम हटाकर ये जनता के अधिकार छीन रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

बेगम नूर बानो: सरकार अंडर प्रैशर है।

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): यह बहुत गम्भीर मामला है। समाजवादी पार्टी ने इस सवाल पर सबसे पहले चिंता व्यक्त की थी और चुनाव आयोग को भी कहा था। उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं चाहती कि विरोधी दलों के वोट पड़ें इसलिए उनके नाम कटवा कर यह घपला किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी वहां स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, अब आप बैठ जाएं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है इसलिए अंतिम हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है।

सभापति महोदय: यू.पी. का हो गया, अब उत्तरांचल की बात हो रही है। उनको भी कहने दें।

कुंवर अखिलेश सिंह: भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यक मतदाताओं के वोट काट रही है।

सभापति महोदय: आप मेरी बात सुनें। यह चुनाव आयोग का मामला है, आपने उठाया है,

[अनुवाद]

आपको इसे निर्वाचन आयोग को भेजना होगा ताकि एक उचित प्रक्रिया विकसित हो और कार्यान्वित हो।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश जारी किए हैं।

बेगम नूर बानो: सरकार इसको देखे कि जो नागरिकों का मौलिक अधिकार है वोट देने का, वह कायम रहे।

श्री रामजी लाल सुमन: इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिए हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है जजमेंट आया है, उसके इम्प्लीमेंट करने की बात है।

कुंवर अखिलेश सिंह: अयोध्या विधान सभा क्षेत्र में 82,000 नए मतदाता बढ़ाए गए हैं, जो कि फर्जी हैं।

सभापति महोदय: अखिलेश जी आप बैठ जाएं, यह ठीक नहीं है। नारायण दत्त तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको भी बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने किसी ने भी इस पर नोटिस नहीं दिया है।

बेगम नूर बानो: अगर किसी विधान सभा क्षेत्र में 36,000 वोट बढ़ता है या घटता है तो उससे वहां के विधायक के जीतने के चांस ही नहीं रहते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप पहले ही अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। अब श्री तिवारी जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: फर्जी मतदाताओं के आधार पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। यह बहुत गम्भीर सवाल है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इससे पहले ही सम्बद्ध हो चुके हैं। आपने जो कहना था आप सब कह चुके हैं।

[हिन्दी]

आप सब नहीं बोल सकते। एक को बोलने दें।

कुवंर अखिलेश सिंह: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) मैंने भी नोटिस दिया है लेकिन मुझे अभी तक अवसर नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। अन्यथा मैं सभा स्थगित कर दूंगी और आप में से किसी को भी नहीं बुलाया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: उत्तर प्रदेश में ठाकुरों द्वारा विधान सभा क्षेत्र के अंदर जिन अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटे गये, इस सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिये लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन यू.पी. सरकार ने नहीं किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका नाम नहीं है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, बैठ जाइए। मुझे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, मैं आपसे बैठने के लिए कह रही हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, मैं आपसे बैठने के लिए कह रही हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अखिलेश जी, आपने दूसरे विषय के ऊपर नोटिस दिया है। आपका नाम यहां है। इसके ऊपर आपको बुला सकते हैं और रघुवंश जी, आपका भी नाम यहां है लेकिन आपका नोटिस कालिंग अटेंशन नोटिस में एडमिट हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): मैंने भी नोटिस दिया है लेकिन मेरा नाम भी नहीं बुलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: जो तरीका हाउस में बन गया है, यह बहुत गंभीर बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, कृपया मुझे एक अवसर दीजिए। मुझे भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्री एन.डी. तिवारी जी हाउस में बहुत कम बोलते हैं। उनको दो मिनट बोलने दीजिए। मैंने इन्हें पहले बुलाया था लेकिन इन्हें अभी तक चांस नहीं मिला है।

...(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल): महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में और अब नवगठित उत्तरांचल राज्य में लाखों बांग्लादेश से आये हुए विस्थापित हैं, उन्हें नागरिकता के अधिकार अभी तक नहीं दिये गये हैं। यू.पी. और उत्तरांचल में लाखों बंगाली भाई जो भारत में आ चुके हैं, उन्होंने रूद्रपुर में एक रैली हाल ही में की और इस बात पर रोष व्यक्त किया कि उन्हें नागरिकता के अधिकार अभी तक क्यों नहीं दिये गये हैं और साथ ही साथ अभी तक बंग्लादेश व पूर्वी बंगाल में मंडल या नामशूद्र वर्ग के लाखों लोग जो हैं, उन्हें अभी तक शैड्यूल्ड कास्ट भी घोषित नहीं किया गया जिसकी वजह से आज यू.पी. और उत्तरांचल में कम से कम दस लाख लोग बहराइच, गोंडा, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, बिजनौर, गौंडा, लखीमपुर खीरी के जिलों में और बस्ती की सीमाओं में और ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में लाखों बंगाली भाई हैं।

दिनेशपुर शक्तिगढ़, रूद्रपुर में भी लाखों बंगाली भाई हैं। उनको नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनमें जो शैड्यूल्ड कास्ट भाई हैं, उनको शैड्यूल्ड कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए। यह प्रश्न संसद की समिति के सम्मुख एक अरसे से लटका हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। मैं इस प्रकार से प्रश्न उठाया नहीं करता हूं, लेकिन यह प्रश्न बड़ा गम्भीर प्रश्न है, क्योंकि ये लाखों लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित हैं। मैं शासन से मांग करूंगा कि इस संबंध में वक्तव्य दें।*...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: महोदया, मैं एनडी तिवारी जी के विचारों से पूर्णत: सहमत हूं।*...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: महोदया, शून्य काल के लिए नोटिस दिया गया है, आप उनको प्रायोरिटी से ले रही हैं या किस प्रकार कर रही हैं, ऐसी स्थिति में नोटिस देने की कोई उपयोगिता नहीं है।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सदन का समय खराब कर रहे हैं, आधे घण्टे का समय इसी में चला गया है। दो-दो मिनट मैं सभी को बुला सकती हूं, यदि आप शांति से बैठें*....(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान: महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। पिछले दिनों कई प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम लूट के अड्डे बन गए हैं। सरकारी अस्पतालों में भीड़ और अव्यवस्था के कारण आमतौर पर गरीब जनता अपने गम्भीर मरीज को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम या अस्पतालों में ले जाती है, जहां उनको बुरी तरह लूटा जाता है। कई बार लूट अमानवीयता की हद भी पार कर जाती है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं, आपरेशन की जरूरत नहीं होती है और फिर भी आपरेशन करके ज्यादा पैसा वसूल कर लिया जाता है और घाव को वैसे ही सी दिया जाता है।

भोपाल में एक नर्सिंग होम जहां नवोदित बच्चे पैदा होते हैं, वहां उन बच्चों को बेचने की घटना प्रकाश में आई है और इसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हुई है। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, नोएडा के एक नर्सिंग होम में छोटेलाल नाम का एक ड्राइवर पैर टूट जाने के कारण एडमिट हुआ। उससे सवा लाख रुपए ले लिए गए, जब और 38 लाख रुपए नहीं दिए, तो उसको छुट्टी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं पर तो लाशें भी रख ली जाती हैं, जब तक पैसा नहीं दिया जाता है।

यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नर्सिंग होम के लिए कोई कोड-आफ-कन्डक्ट तैयार किया जाए, ताकि उसके आधार पर नर्सिंग होम का संचालन किया जाए और रेट्स भी तय किए जायें। गरीबों के नाम पर अपोलो जैसे अस्पताल ने कौड़ियों के भाव में अरबों रुपए की जमीन ले ली और शर्त यह थी कि वहां गरीबों का इलाज मुफ्त किया जाएगा और कुछ पलंग निर्धारित किए जायेंगे। लेकिन वहां गरीबों के लिए पलंग निर्धारित नहीं किए गए। इन अस्पतालों में पलंगों की संख्या निश्चित की जाए, जहां गरीबों का इलाज हो सके। धन्यवाद।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में पिछले चार महीने से अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर केसेज का अत्यधिक वजन है, न्याय सस्ता और सुलभ हो, इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्डपीठ कहां स्थापित हो। इस आधार पर जसवंत सिंह कमीशन 1981 में बना और तीन साल तक कमीशन ने बड़ी मेहनत की। कमीशन ने मेहनत करने के बाद 1984 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, वह रिपोर्ट मेरे पास है। उस रिपोर्ट में पाया गया है कि आगरा सबसे उचित स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अधिवक्ता चार महीने से हड़ताल पर हैं और दुनिया में

ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, जिसका समाधान बातचीत से हल नहीं हो सकता। चाहे मेरठ के अधिवक्ता हों या आगरा के अधिवक्ता हों, सभी ने प्रार्थना की है कि हमारी समस्या को हल किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैंच आगरा में ही हो सकती है, मेरठ में भी सर्किट बेंच हो सकती है, जहां लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, वह व्यवस्था होनी चाहिए। सदन की जानकारी के लिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 8.5 लाख मामले पैंडिंग हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैंच आगरा में होनी चाहिए और यदि सर्किट बैंच मेरठ में बनती है, तो कई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रधान मंत्री जी की सभा में 25 सितम्बर को वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। हिन्दुस्तान में कोई सरकार है या नहीं, क्योंकि सरकार अधिवक्ताओं की समस्या को हल नहीं कर रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अविलम्ब वकीलों की समस्याओं को हल करे।

सभापति महोदय: अल्वी जी, आपने इनके साथ एसोसिएट कर दिया है।

श्री राशिद अलवी: इतना शोर मचाने के बाद सिर्फ एसोसिएट नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी।

सभापति महोदय: नहीं-नहीं, सिर्फ एसोसिएट करिए। वही सब्जैक्ट है।

श्री राशिद अलवी: मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर का गरीब आदमी इलाहाबाद में अपना मुकदमा लड़ने के लिए जाता है। हमें सस्ते से सस्ता इंसाफ करना चाहिए।...*(व्यवधान)* वेस्टर्न यूपी में पिछले चार महीनों में 24 सूबों के वकील हड़ताल पर हैं और वे वकील भी कोई मालदार नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे वकील हैं, जिन्हें आर्थिक प्रोबल्म है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वेस्टर्न यूपी में हाईकोर्ट की बैंच बननी चाहिए। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सब-बैंच मेरे क्षेत्र अमरोहा में भी बना दी जाएगी तो मैं सरकार को फ्री ऑफ कास्ट जमीन देने का प्रबंध करूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): केरल में भूस्खलन एक आम बात है। त्रिवेन्द्रम में हाल ही में भूस्खलन से 40 लोग मारे गए जिसमें से 13 लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के थे। इस बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्षतिपूर्ति या केन्द्र द्वारा राज्य को दी गई राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपदा राहत कोष से केरल को केन्द्र से कुंछ नहीं मिला है। यदि प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारा जाना चाहिए ताकि केरल के लोग प्रभावित न हो सकें।

इसलिए, आपके माध्यम से मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इस बारे में केरल को दी जाने वाली राशि तुरंत जारी कि जाए, केरल के लोगों को बचाया जाए और इस बारे में एक अध्ययन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मैडम, मुझे संक्षिप्त में निवेदन करना है। राजस्थान का क्षेत्रफल हिन्दुस्तान के सब राज्यों से अधिक है। यहां पर्वतीय रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, नदियां नहीं हैं। हिन्दुस्तान की नदियों का केवल एक प्रतिशत पानी राजस्थान को प्राप्त होता है। इन सब बातों को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार जो अनुदान देती है वह इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बढ़ाना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी यहां विराजमान हैं मेरी उनसे प्रार्थना है कि गाडगिल फार्मूले के आधार पर राजस्थान को और अनुदान दिया जाए...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदया, मेरा नाम भी सूची में है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: विषय एक ही है। आप अपने को उनके विचारों से सम्बद्ध कर लें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): मैडम, क्रिकेट का मैच हो रहा है।...*(व्यवधान)* आईसीसी ने उसे अनआफिशियल घोषित किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी आप बैठ जाइए।

श्री मोहन रावले: आप मुझे बाद में इस पर बोलने का चांस दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी आप बैठ जाइए। कल इस पर बात हो गई है। कल इस पर हाउस में पूरा डिसकशन हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: अगर बीसीसीआई चाहे तो मीटिंग हो सकती है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्रिकेट के बारे में चर्चा हो गई है और गेम चल रहा है।

श्री मोहन रावले: मैडम, आप मुझे सिर्फ दो मिनट बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदया, केरल राज्य में रबड़ उत्पादक और नारियल की खेती करने वाले लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री यहां सभा में हैं। केरल सरकार और केरल से सभी संसद सदस्यों ने वित्त मंत्री से बार-बार अनुरोध किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उनकी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। वे कोई महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संसद सदस्यों ने वित्त मंत्री से पामोलीन पर आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया था। हमने सरकार से आयात शुल्क में 300 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने को कहा था लेकिन दुर्भाग्य से इसे दस प्रतिशत कम कर दिया गया है। मलेशिया से निम्न कोटि का पामोलीन आयात किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे किसानों को हानि उठानी पड़ रही है। मुझे पता नहीं इस मामले पर वित्त मंत्रालय आंख मूंद कर क्यों बैठा हुआ है। मंत्रालय द्वारा आयात शुल्क में लगातार कमी की जा रही है। अत: मैं वित्त मंत्री से केरल के नारियल उत्पादों को बचाने का अनुरोध करता हूं। इसी प्रकार रबड़ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है।

टायर उत्पादक रबड़ नहीं खरीद रहे हैं। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि टायर निर्माता, रबड़ उत्पादकों से रबड़ की खरीद करें। राज्य व्यापार निगम को भी बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि रबड़ की खरीद हो सके। महोदय, वित्त मंत्री भी यहीं पर हैं। उन्हें समस्या का समाधान करना चाहिए और राज्यों के रबड़ उत्पादकों की रक्षा करनी चाहिए।

सभापति महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.35 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सर, आज दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच अनआफीशियल मैच हो रहा है, जिसका डर था, वही हुआ। हमने कहा था कि सरकार की तरफ से दबाव आना चाहिए और इसके लिए बोर्ड की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जानी चाहिए थी, ताकि इसे आफीशियल मैच घोषित किया जा सके।

सभापति महोदय: रावले जी, आप बैठिये, यह जीरो आवर नहीं है, जीरो आवर खत्म हो गया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री मोहन रावले: सर, पोलाक, मैकग्राथ आदि खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारे बेचारे नौजवान खिलाड़ी सहवाग और हरभजन सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप बैठिये, अब आप क्यों हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हाउस का समय बेकार में नष्ट कर रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.36 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.37 बजे

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं:

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त, 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के अधीन तीन वर्ष के लिए किया गया था। प्रारम्भ में यह अधिनियम 31 मार्च, 1997 तक के लिए था, जिसका विस्तार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग संशोधन अधिनियम, 1997 द्वारा 31 मार्च 2002 तक किया गया। वर्तमान आयोग फरवरी, 2001 में पुनर्गठित किया गया और उसकी अवधि अधिनियम की धारा - एक की उपधारा (4) के अनुसार 31 मार्च, 2002 तक है। वर्तमान आयोग की अवधि दो वर्ष से कम समय के लिए होगी। यह आयोग के उद्देश्य की प्राप्ति और समुचित कार्य की अवधि दो वर्ष से कम समय के लिए होगी। यह आयोग के उद्देश्य की प्राप्ति और समुचित कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अत: अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 का संशोधन करके आयोग का कार्यकाल 29 फरवरी, 2002 तक बढ़ाकर तीन वर्ष करने का प्रस्ताव है।

सभापति महोदय, मैं यह सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 में और अधिक संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, यह विधेयक असली अंत्योदय है। जो लोग गंदा काम करते हैं, वे बड़े लोग कहलाते हैं और जो सफाई करते हैं उन्हें सबसे छोटा कहा जाता है, नीचा माना जाता है। देश भर में उनकी आबादी करीब आठ करोड़ है। जिसमें लगभग सवा छ: लाख कर्मचारी हैं, जो म्युनिसिपैलिटी एरिया आदि में झाड़ने, बुहारने और सफाई का काम करते हैं। लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब है। अब उस दिन नियम 72 के अधीन भी 20 तारीख को हमने प्रोटैस्ट किया था। लेकिन हमारे सुझाव और कोई बात ये मानने वाले नहीं हैं। ये लोग दलितों के दुश्मनों वाली बात करते हैं, ये लोग दलितों के खिलाफ काम करते हैं। 21 तारीख को माननीय श्री बूटा सिंह जी ने रामलीला मैदान में सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था, यह बीती 21 तारीख की ही बात है।

बड़ा संयोग है कि 20 तारीख को यह प्रोटैस्ट हुआ, 21 तारीख को इनका सम्मेलन हुआ और आज 23 तारीख को यह विधेयक आ गया। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों पीसमील में इसे बढ़ाते हैं? एक बार 1994 में इसकी अवधि 1997 तक बढ़ायी, फिर 1997 से 2001 तक के लिए बढ़ायी, फिर 2002 तक के लिए बढ़ायी और अब कहते हैं कि 2004 तक बढ़ाएंगे। क्या आप मानते हैं कि तीन-चार वर्षों में आयोग की वजह से इनकी हालत में सुधार आ जाएगा? इसलिए हम मांग करते हैं कि जैसे सब आयोग हैं, उसी तरह का एक स्थायी आयोग इनके लिए बनना चाहिए क्योंकि यह समाज के पिछड़े आदमी का सवाल है जिसको महात्मा गांधी जी ने अंतिम आदमी का नाम दिया था। वह समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो सफाई करने का काम करता है। आप देखिये कि उसकी हालत क्या है, उनका कितना शोषण हो रहा है। यह सवाल छ: लाख के करीब छह लाख लोगों का रिकार्ड में है लेकिन अभी भी गरीब आदमी से झाड़ू वगैरह लगाने का काम लिया जाता है और उनको कहीं 250 रुपये दिये जाते हैं तो कहीं 500 रुपये दिये जाते हैं। उन पर अत्याचार हो रहा है।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 23.11.2001 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

जबर्दस्ती उनसे काम कराया जाता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस आयोग को अन्य आयोगों की भांति स्थायी बनाया जाए जिससे जो सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते हैं उनके साथ न्याय हो सके। उनकी सबसे खराब हालत हिन्दुस्तान में है और दलितों में भी जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको कई दलित लोग भी अछूत मानते हैं। इसलिए अगर समाज का यह वर्ग शोषण से मुक्त होगा और तरक्की करेगा, तब हिन्दुस्तान दुनिया के अन्य मुल्कों के साथ खड़ा होकर दावा कर सकता है कि हम भी सभ्य और विकसित मुल्क हैं जहां शोषण नहीं है, जहां दलितों का जो उत्पीड़न हजारों वर्षों से हुआ है, अन्याय हुआ है, वह नहीं है और इसी का नाम सामाजिक न्याय है। लेकिन इनको सामाजिक न्याय का पता नहीं चलता है। इनको आग लगाने वाले काम आते हैं, उपद्रव फैलाने वाले काम आते हैं और कभी-कभी ये प्रतिबंधित स्थलों में भी चले जाते हैं। उल्टे-सीधे काम करेंगे लेकिन हिन्दुस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे, मेहनतकश आदमी जो पसीना बहाता है, वह आगे बढ़े, उसके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है।

इन्होंने कानून बना रखे हैं, लेकिन इतनी कंजूसी से ये आयोग का समय बढ़ाते हैं कि पता नहीं चलता है। क्या यह काम महत्वपूर्ण समुदाय है? इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी स्थायी आयोग बनाना चाहिए। पहले के भी कई कानून हैं। सभापति जी हमेशा मजदूरों के लिए लड़ते रहे हैं, आप जानते होंगे कि कानट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि इनको कॉनट्रैक्ट पर नहीं रखा जाएगा और ये लोग विधान बना रहे हैं कि कॉनट्रैक्ट एक्ट में रखा जाए और ठेकादारों के द्वारा उनका शोषण हो और सफाई कर्मचारी लेबर सप्लाई में जाए। हम इसके खिलाफ हैं और सरकार को सावधान करना चाहते हैं कि ये बिल लाए हैं और पास कराना चाहते हैं, लेकिन ये एश्योर करें कि इसे अन्य आयोगों की तरह स्थायी आयोग बनाएंगे। जो कर्मचारी बंधुआ मजदूरों की तरह खट रहे हैं, उनको शोषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। उनके बाल-बच्चों की, उनकी पढ़ाई-लिखाई की, रहन-सहन की, दवा-दारू की उचित व्यवस्था हो, समाज में उनकी इज्जत हो और महत्वपूर्ण समुदाय उनको माना जाए, यही आग्रह हम सरकार से करना चाहते हैं। अगर सरकार यह करती है तो ठीक है अन्यथा हम इस बिल के खिलाफ हैं। मंत्री जी भले आदमी हैं लेकिन भाजपा ने पहले इनको लेबर मिनिस्टर बनाया, फिर वहां से धक्का देकर यहां ले आए। अब इसमें जो दलित और शोषित समुदाय है, उसके लिए बहादुरी से काम करिये, नहीं तो भाजपा वाले यहां भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ऐसी हमें आशंका है। भाजपा में किनकी चलती है यह भी हमें मालूम है। इसलिए दलित समुदाय के लिए आप निडर होकर काम करें, हालांकि आपको कठिनाई होगी, उसमें बड़े लोग आपके खिलाफ भी होंगे।

सभापति महोदय, ये दकियानूसी लोग हैं, जो अभी तक छुआछूत को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग ही उस पार्टी में हावी हैं। इसलिए मंत्री जी आपको बहुत कठिनाई हो रही है। इस बात को हम समझते हैं। अत: यह आवश्यक है कि हमको मुस्तैद रहना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. (श्रीमती) अनीता आर्य (करोल बाग): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने समाज के सबसे निम्न वर्ग, यानी सफाई कर्मचारियों के हित के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग बनाया और आज उसमें संशोधन करने हेतु विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है।

सभापति महोदय, आज भी देश के कई प्रान्तों में इतनी प्रगति होने के बावजूद मल तथा कूड़ा हाथ से उठाने की प्रथा मौजूद है। केन्द्र और राज्य सरकारें इस बात से अत्यन्त चिन्तित हैं और सफाई कर्मचारियों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए केन्द्र सरकार ने दो प्रमुख योजनाएं चलाई हैं। प्रथम योजना राष्ट्रीय सफाई एवं उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना और दूसरी योजना केन्द्र सरकार ने अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व तक पढ़ाने की योजना और छात्रवृत्ति की योजना प्रारंभ की है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र बहुत चिन्तित है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारियों की संख्या के जो आंकड़े हैं वे लगभग 5,77,228 हैं। उनमें से 3,50,059 सफाई कर्मचारियों को पुनर्वासित किया गया है और 1,36,681 सफाई कर्मचारियों को सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। सफाई कर्मचारियों की संख्या आज भी विवादास्पद है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 6 लाख के लगभग है। वर्तमान आयोग दिनांक 16.02.2001 को बना। आयोग ने केन्द्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वर्तमान आंकड़े सही हैं, यदि हां, तो वैसा बताया जाए और यदि सही नहीं हैं, तो आयोग को सहीं आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन केन्द्र सरकार अभी तक आयोग को सफाई कर्मचारियों की संख्या के बारे में सही स्थिति से अवगत नहीं करा सकी है।

महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहती हूं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को सिविल न्यायालय की तरह शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सफाई कर्मचारी समाज का सबसे संवदेनशील वर्ग है जिसका उत्थान और कल्याण बहुत आवश्यक है। इसलिए इसका

कार्यकाल बढ़ाया जाना जरूरी है। यह आयोग, प्रदेश सरकारों द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनकी मानिटरिंग करता है। इसके साथ-साथ पूरे देश का दौरा कर के निरीक्षण करता है तथा उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है।

सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों के हित एवं अधिकारों की चिन्ता की और इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में 15 अगस्त, 2001 को वर्तमान प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मलिन बस्ती बाल्मीकि आवास योजना के तहत उन्हें आवासीय सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की थी।

मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, साथ ही माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इस आयोग के कार्यकाल को स्थाई रूप से बढ़ाया जाए क्योंकि अभी सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए बहुत काम करना बाकी है। उनके कल्याण और उन्हें इस हीन भावना से मुक्ति दिलाने के लिए कि वे समाज के सबसे निम्न वर्ग हैं, राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग का कार्यकाल स्थाई किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरदार बूटा सिंह (जालौर): सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम अपने माननीय सहयोगी, बहुत पुराने साथी, दलितों में उच्च कोटि के महान विद्वान, हमारे वर्तमान मंत्री डा. सत्यनारायण जटिया जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि यह विभाग उनकी इच्छा के मुताबिक उनके हाथ में आया है। मैं उनकी भावनाओं को जानता हूं। वे समर्पित हैं और अब उम्मीद हुई है कि जितने भी दलित, खासकर सफाई वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनको सरकार की ओर से कुछ न्याय की तवक्को हो सकती है। अफसोस इस बात का रहा कि सफाई कर्मचारी आयोग, जिसकी नवनियुक्त अध्यक्षा चेयरमैन डा. अनिता आर्य अभी-अभी बोल कर हटी हैं, मैं उम्मीद करता था कि वे कुछ अथारिटी के साथ सदन को बताएंगी कि इस वक्त आयोग की अंदरूनी हालत क्या है। मगर जिस ढंग से उन्होंने आयोग के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, ऐसा लग रहा था कि डा. अनिता आर्य अभी तक आयोग को पूरी तरह समझ भी नहीं पाई हैं। आज हालत यह है कि डा. आर्य अध्यक्षा तो बन गई हैं मगर उनका स्टाफ पूरी तरह से नहीं लगा, जो स्टाफ नियुक्त हो चुका है। डा. जटिया जी, उनके कर्मचारियों को पिछले आठ महीने से तनख्वाह नहीं मिली। क्या यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि चेयरपर्सन महोदया हमको अवगत करवातीं कि मेरे आयोग की यह हालत है? पहले दफ्तर नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं मिली, बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली।...*(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) अनीता आर्य: गाड़ी सबको मिली है, स्टाफ नहीं रखा गया है तो तनख्वाह कैसे देंगे।

सरदार बूटा सिंह: सदस्यों के साथ जो उनके असिस्टैंट, उनके पी.ए. काम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. (श्रीमती) अनीता आर्य: वे प्राइवेट लगे हुए हैं। अभी उनको लगाया नहीं है।

सरदार बूटा सिंह: यहीं से देख लीजिए, क्या मजाक है, आठ महीने से स्टाफ नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदया के दफ्तर में आठ महीने से स्टाफ काम कर रहे हैं और श्रीमती जी कह रही हैं कि स्टाफ रखा नहीं है। वे आठ महीने से कैसे काम कर रही हैं? वे सफाई कर्मचारी हैं जो आपका दफ्तर साफ करके चले जाते हैं। डा. जटिया जी, इससे पता चलता है कि सरकार की तरफ से आयोग के साथ किस किस्म का व्यवहार हो रहा है। मैं सफाई कर्मचारियों की बात बाद में करूंगा। मुझे खेद है कि हमारी आदरणीय चेयरपर्सन, जिन्होंने इतना परिचय दिया है कि उनको आयोग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इस बात को सिद्ध करता है कि नैशनल कमीशन फार सफाई कर्मचारी बिल, 1993 यह मांग करता है कि इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वे होने चाहिए जिनका सफाई कर्मचारी धंधे के साथ कुछ परिचय हो, जिन्होंने उनके लिए और उनके साथ कभी काम किया हो। आज साबित हो गया है कि डा. आर्य को सफाई कर्मचारी के धंधे और उनकी कार्य पद्धति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए कानूनी तौर पर 1993 के एक्ट के मुताबिक वे अनक्वालीफाइड हैं, उनको अख्तियार नहीं है कि वे कमीसन की चेयरपर्सन बनी रहें। अच्छा हो यदि वे ईमानदारी से इस पद को छोड़ दें और डा. जटिया किसी ऐसे व्यक्ति को यह पद दें जिसे यह अनुभव हो। जो जानता हो कि सफाई कर्मचारियों का धन्धा, उनका पेशा कैसा है, जो जानता हो कि उनकी जीवन-पद्धति कैसी है। यह मैं नहीं कहता हूं, यह कानून कहता है। कानून की धारा चार में लिखा हुआ है: ''सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबद्ध उच्च व्यक्तियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए।'' यह एक्ट में लिखा हुआ है। उनको कोई नोलिज़ भी नहीं है, उन्होंने तो कभी सफाई कर्मचारियों के साथ काम भी नहीं किया, किसी संगठन में काम नहीं किया। आज मैं समझ सकता हूं कि जिस ढंग का उन्होंने परिचय दिया है, वे यह पोस्ट होल्ड करने के योग्य नहीं हैं और डा. जटिया साहब, आप कृपया किसी ऐसे व्यक्ति को लगाइये, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारियों के बारे में जानता हो। आगे चलते हुए मैं कहूंगा कि यह सफाई कर्मचारी आयोग 12 अगस्त, 1993 को इसी पार्लियामेंट के अन्दर बना और एक साल तक यह कानून धूल चाटता रहा,

[सरदार बूटा सिंह]

इसके मैम्बरों की नियुक्ति नहीं हुई। कानून पास हो गया और उस बात को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उस वक्त कांग्रेस का राज था। तीन फरवरी, 1996 को कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश के मंत्रियों के सामने बोले थे, मैं उनके शब्द दोहराना चाहूंगा। श्री पी.वी. नरसिंहराव ने यह कहा, जहां तक सफाई कर्मचारियों का प्रश्न है, यद्यपि उनके लिए एक आयोग की स्थापना की गई है, लेकिन कभी-कभी यह सोचकर मैं परेशान हो जाता हूं कि इस आयोग को स्थापित करने के लिए मुझे एक डेढ़ साल तक काफी संघर्ष करना पड़ा। देश की नौकरशाही की यह मनोवृत्ति है कि डेढ़ साल तक प्रधानमंत्री जूझता रहा, लड़ता रहा और आयोग की नियुक्ति नहीं हुई और जब नियुक्ति हो भी गई तो मुझे ज्ञात हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण एक लम्बे अर्से तक कार्यालय भवन और निवास जैसी सुविधा से वंचित हैं। एक साल तक तो उनको भी नहीं मिला था, आपके कर्मचारियों को तो अभी आठ महीने की तनख्वाह नहीं मिली। इसलिए मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। यह उपेक्षा, यह उदासीनता सफाई कर्मचारी आयोग की शुरू से हुई, जब से इस आयोग का जन्म हुआ था, तब से हो रही है। इस दरम्यान एक ऐसा समय भी आया, इस आयोग की अवधि 2002 तक थी और उस वक्त की मंत्री महोदया मेनका गांधी जी ने दो साल पहले ही इसका गला घोंट दिया और अखबार वालों को कह दिया कि हमें यह आयोग चाहिए ही नहीं। सफाई कर्मचारियों के आयोग की कोई जरूरत ही नहीं है और फिर इस सदन के सभी दलितों के सदस्यों ने स्पीकर साहब सहित प्रधानमंत्री जी को लिखा, मिलकर कहा तो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के लिए परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कानून के मुताबिक अवधि बाकी हो तो यह समाप्त कैसे हो सकता है। जब हमने लिखकर दिया तो उन्होंने कृपापूर्वक जो वर्तमान आयोग है, इसकी नियुक्ति की। इस आयोग के बारे में बोलते हुए नरसिंह राव जी फिर कहते हैं कि मैं आपको अपनी वेदना में सहयोगी बनना चाहता हूं, क्योंकि इस आयोग को स्थापित करने में मुझे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उतनी कठिनाइयां किसी आयोग को स्थापित करने में नहीं आईं।

अपराह्न 2.59 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

जटिया जी, इस पृष्ठभूमि में हम आपसे उम्मीद करेंगे, मेनकाजी ने इस आयोग को इसकी अवधि से दो साल पहले खत्म कर दिया, इसका दफ्तर बन्द कर दिया, स्टाफ सारा भेज दिया, जबकि दो साल के लिए उनके पास स्वीकृति थी। गाड़ियां वापस कर दीं, स्टाफ वापस कर दिया, दफ्तर बन्द कर दिया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस आयोग की नियुक्ति की, जो आज चल रहा है। उस आयोग के सदस्य अकेले-अकेले केवल चेयर पर्सन ही नहीं, सभी सदस्य मुझे कहकर गये कि आपकी हिम्मत से, आपके संघर्ष से, सभी मान्यवर सदस्यों के संघर्ष से इस आयोग को दोबारा जान मिल गई, यह फिर से एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन इस आयोग का न तो कोई कार्यालय है, न इसके पास स्टाफ है।

अपराह्न 3.00 बजे

न जाने कैसे-कैसे यत्न करके स्टाफ जुटाया गया, आज वह स्टाफ बिना वेतन के काम कर रहा है। मैं सैद्धांतिक रूप में आज पेश हुए विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें एक उम्मीद दिखाई दे रही है। जटिया साहब आपके व्यक्तित्व से हमें लगता है कि इसके जरिए कम से कम 2004 तक आप इस ढांचे में फिर से जान डालेंगे और यह सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ काम कर सकेगा।

आपको मालूम हो कि जब देश ने आजादी जीत ली, केन्द्र में सरकार बन गई। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति महोदय विराजमान हो गए। साउथ ब्लाक में प्रधान मंत्री जी बैठ गए तो देश के महान व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्थान कहां हुआ। वे पचकुइंया स्थित वाल्मीकि मंदिर में चले गए। जब प्रैस वालों ने पूछा कि बापू यह आप कहां बैठ गए। आपके द्वारा तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक नियुक्त होते हैं, आप सफाई कर्मचारियों की बस्ती में यहां आकर क्यों बैठ गए हैं। इस पर उन्होंने जो जवाब दिया, वह ऐतिहासिक जवाब था। उन्होंने कहा कि देश ने आजादी हासिल कर ली, मुझे इसकी खुशी है। लेकिन अभी भी जो देश के पराधीन वर्ग हैं, उनमें भी सबसे पराधीन मेरे भाई-बहन सफाई का काम करते हैं, गंदगी उठाते हैं। जब पूरा देश सोया रहता है, तो मेरे ये बच्चे सड़कों पर नालियां साफ करने के लिए निकल जाते हैं, ये अभी भी पराधीन हैं। उनकी मुक्ति के लिए मैं यहां से दूसरा अभियान शुरू करूंगा, वाल्मीकि के चरणों से शुरू करूंगा। महात्मा गांधी की विल के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने उसमें लिखा था मुझे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, मगर यदि ईश्वर की इच्छा हुई और मुझे फिर यहां भेजा तो मैं कहूंगा कि मुझे अतिशूद्र के घर में जन्म देना, ताकि मैं उनके परिवार में रहकर इस बात का अनुभव कर सकूं कि किस प्रकार का अमानवीय जीवन, जानवरों की तरह जीते हुए, गंदी नालियों के किनारे पर बिना पानी, स्वास्थ्य सुविधा और बिजली के कैसे ये लोग अपनी जीवन व्यतीत करते है और अपने उस स्वप्न को पूरा कर सकूं, जो आज नहीं कर पाया।

हम आज उस समाज की भलाई के लिए, उस आयोग की अवधि बढ़ाने जा रहे हैं और यह काम जटिया जी आपके हाथों होने जा रहा है। हमें खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने दलितों की दुश्मन और सफाई कर्मचारियों की घोर विरोधी मेनका गांधी से हमें छुटकारा दिलाया और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इसकी बागडोर थमाई जो इन लोगों की समस्या को जानता है।

1993 के एक्ट में सेक्शन 10 में जो लिखा गया है, वह सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

> "केन्द्र सरकार सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी।"

इसका मतलब यह हुआ कि जब भी सफाई कर्मचारियों की, मजदूर नीति का परिवर्तन करना होगा, उस वक्त आप इस कमीशन के सदस्यों को बुलाकर उनकी राय से करेंगे। मगर खेद है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणा कर रखी है लेबर एक्ट के अंदर संशोधन की, उसमें इस बात का उल्लेख तक नहीं है। आपकी सरकार ने या आपके प्रधान मंत्री ने कभी एक पत्र लिख कर उस आयोग से या इन लोगों की राष्ट्रीय यूनियन से यह नहीं पूछा कि आपकी क्या राय है। सुना है प्रधान मंत्री जी ने एक नेशनल कौंसिल कायम किया था। उसमें बड़े-बड़े लोग थे, जिन्होंने प्रधान मंत्री जी को यह परामर्श दिया है कि देश के लेबर ला में संशोधन किया जाए। इन लोगों में श्री रतन टाटा, श्री नुस्ली वाडिया, श्री पी.के. मित्तल और श्री कुमारमंगलम् बिड़ला थे। इनकी कौंसिल बनाई गई और यह पूछा गया कि मजदूर कानून में कैसे संशोधन किया जाए।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को मजदूरों के बारे में क्या मालूम हो सकता है? यदि प्रधान मंत्री जी किसी एक ट्रेड यूनिटन के नेता, किसी मजदूरों के, एससी कमीशन के बैकवर्ड क्लासेज के या ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन को जोड़ देते या सफाई कर्मचारी कमीशन के चेयरमैन को जोड़ देते तो हम समझते क्योंकि ये सारे जितने कमीशन्स हैं, ये बैकवर्ड क्लासेज के, माइनॉरिटीज के, एससी और सफाई कर्मचारियों के हैं तो हम समझते कि सही मायनों में सरकार की इच्छा है कि पूरी ईमानदारी के साथ देश के लिए ऐसे संशोधन का काम किया जाये जिससे समूचे देश का भला हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक प्रगति भी हो लेकिन मुझे अफसोस है कि इस कमेटी के कहने पर कांट्रैक्ट लेबर एक्ट की धारा 10 का संशोधन भारत सरकार ने कर दिया। इसके अंतर्गत जहां कहीं भी स्थायी तौर पर काम चल रहे हैं जिनको प्रीमियर वर्क्स कहा जाता है, वर्तमान कांट्रैक्ट लेबर एक्ट के मुताबिक जो काम पैरीनियल होते हैं, उसमें कांट्रैक्ट नहीं आ सकता। जो सीजनल होते हैं, टैम्परेरी होते हैं, कैजुअल होते हैं, आप तो हमारे देश के बहुत बड़े मजदूर नेता हैं, आपको पता है लेकिन इस एक्ट के तहत जो सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ है, वह सफाई कर्मचारियों के ऊपर हुआ है। सफाई का काम पैरीनियल है, सफाई का काम 24 घंटे, तीस दिन और बारह मास चलता है, इसलिए वर्तमान कांट्रैक्ट के अंतर्गत इसमें कांट्रैक्ट का काम नहीं हो सकता। एक प्रावधान है कि कांट्रैक्ट एक्ट में यदि किसी को पैरीनियल काम को कांट्रैक्टर को देना हो, स्टेट गवर्नमेंट कुछ समय के लिए उस सेवा के एमर्जेंसी सर्विस डिक्लेअर करके मैक्सिमम 5 साल के लिए उस काम को दिया जा सकता है लेकिन अफसोस है कि तमिलनाडु में चेन्नई कारपोरेशन, आपकी कारपोरेशन ने, डीएमके सरकार ने सफाई का काम जो परमानेंट काम था, उसके ऊपर एमर्जेंसी लगा दी और वह काम सिंगापुर की एक कंपनी सीजीईए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, वे सभा को गलत सूचना दे रहे हैं। हम सफाई कार्य से जुड़े लोगों को कुछ अवसर दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: पहले मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए। उन्हें उत्तर देने का अधिकार है।...*(व्यवधान)* महोदय, आपको जानना है कि उस फर्म का मालिक कौन है और भारत के किस केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री से उसके क्या सम्बन्ध हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पांच साल के लिए चेन्नई कारपोरेशन जो कैटेगरी, ए सिटीजन इंडिया के हैं, सिंगापुर की एक फर्म को बुलाकर सफाई का काम दे दिया क्योंकि हमारे मद्रासी भाइयों की गंदगी में खुशबू होती है, वह सिंगापुर से आकर उठाएंगे, उसमें बदबू नहीं होती मगर अफसोस...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, वे सभा को गलत सूचना दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: मैं गलत नहीं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात पूरा करने दीजिए। जब आपको अवसर मिले तो आप उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जब आपको अवसर दिया जाये तो आप बोल सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह: महोदय, मैं जो कह रहा हूं, वह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में है।

[हिन्दी]

उस फर्म ने कह दिया कि हम तो नहीं कर सकते। अभी उसकी जगह फ्रांस से सुंदर-सुंदर लोग चेन्नई की गलियों में सफाई करने के लिए आएंगे। नहीं वहां से नहीं आएंगे, वही सफाई कर्मचारी जो आज इत्तफाक से 5000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, जिस वक्त फ्रांस की कांट्रैक्टर यहां आ गई तो वही सफाई कर्मचारी, वही हाथ में झाड़ू और बाल्टी लिये जो आज 5000 रुपये लेते हैं कल से 1200 रुपया लेंगे और जिसको छुट्टी भत्ता, मैडिकल एलाउंसेज, हाउसिंग एलाउंसेज, क्लीनिंग एलाउंसेज मिलता है, उसी को बंधुआ बनाकर विदेश की कंपनी जब जी चाहे, उसकी पीठ पर डंडा मारकर निकाल सकती है।

सभापति महोदय, चेन्नई कार्पोरेशन ने एक पत्रिका में एक एफिडेविड दिया है कि सफाई कर्मचारी बड़े ही बददिमाग है, इसलिए उनको सूची से बाहर निकाल दिया जाए। उनको प्रिवैंशन आफ एट्रासिटीज, 1988 में छुटकारा दिया जा रहा है, ताकि कल कान्ट्रैक्टर उनको मारना चाहे, पीटना चाहे, धक्का देकर निकालना चाहे, तो ये गरीब लोग थाने में जाकर अनटचेबिलिटी का मुकदमा भी न कर सकें। कान्ट्रैक्ट एक्ट की सुविधा मुम्बई में, मैंग्लौर में, चेन्नई में है और दिल्ली में जैसा रघुवंश प्रसाद जी ने बताया, रामलीला मैदान में जो रैली हुई है, वह केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं थी, उसमें इन्डस्ट्रियल डिसप्युट एक्ट के खिलाफ और कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के खिलाफ आह्वान किया गया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। हमें इसे अपराह्न 3.30 बजे तक पारित करना है। इस विधेयक पर कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

सरदार बूटा सिंह: मुझे यह मालूम है। मैं अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त करूंगा। मेरी बात विषय से संबद्ध है और यह करोड़ों लोगों के हित में है। इस सरकार द्वारा पेश किये गए इस संशोधन से भारत का 35 करोड़ श्रमिक तबका एक तरह से दण्डित हो जायेगा। इसलिए यह मामला अत्यन्त गंभीर है। यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है। वास्तव में इसमें सफाई कर्मचारियों को ही लक्ष्य बनाया गया है।

महोदय, मैं डा. सत्यनारायण जटिया से अत्यन्त विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको विस्तृत रिपोर्ट भेजूंगा। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट भेज दी है। मैं इसकी एक प्रति आपको भेजूंगा। आप श्रमिक वर्ग के मसीहा बने और संसद में पुर:स्थापित किये जाने वाले ड्रैगन जैसे संशोधन से सफाई कर्मचारियों को बचायें।

[हिन्दी]

एक नया रूप निकाल लिया है। जो काम संसद का था, जो कानून संसद में पास होना चाहिए था, उसके पहले ही एक एनजीओ ने पीआईएल के तहत सुप्रीम कोर्ट से आर्डर ले लिया और सरकार कहती है कि हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। हमारे रिजर्वेशन का गला घोंटा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से अमेंडमेंट इस सदन में इन्ट्रोड्युस नहीं की गई है। हम इस बात से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आभारी हैं कि उन्होंने संविधान में अमेंडमेंट करने का प्रयास किया और यह भी प्रयास किया कि जो रिजर्वेशन छीनी गई थी, उसको दोबारा वापिस किया जाए। लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। मजदूरों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस आयोग को स्थायी किया जाए। यह बात पहली बार नहीं हुई है, 1997 में, 2000 में एक्सटैंशन हुई थी। उस समय के मंत्री श्री रामूवालिया जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि हम इस आयोग को स्थायी बनायेंगे। हम कहते हैं, मेनका गांधी जी ने जो काम किया, उसको तो हमने झेल लिया, लेकिन जो काम रामूवालिया जी नहीं कर पाए, उसके लिए हम डा. सत्यनारायण जटिया जी से आशा करते हैं कि वे पूरा करें। आयोग से हमारा लेना-देना कुछ नहीं है, लेकिन डा. अनिता आर्य जी पहले काम करें और 24 घन्टे सफाई कर्मचारियों के लिए काम करें। तब हम कहेंगे कि इस आयोग को पूरी शक्ति दी जाए और इनके सदस्यों को पूरा आदर दिया जाए। इस आयोग को दूसरे आयोगों के बराबर रखा जाए। जो कोर्ट की पावर्स हैं, जो सबसे मिली हुई है, जो ह्यूमन राइट्स आयोग को मिली हुई है, वह इस आयोग को भी मिलनी चाहिए, ताकि वे काम कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि डा. सत्यनारायण जटिया जी यहां उठाए गए मुद्दों पर उचित कार्रवाई करेंगे।

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम):* माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 अगस्त, 1994 को राष्ट्रीय स्तर पर एक

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

निकाय के रूप में की गई थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सफाई कर्मचारियों समाज में अत्यधिक घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, वे सबसे गरीब हैं और ये दबे कुचले लोग हैं। लोग उनसे घृणा करते हैं। अत: उनके लिए आयोग का गठन वास्तव में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। महोदय, मैं महसूस करता हूं कि वे लोग बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी एवं उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के दौरान किये गये आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। आयोग की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि दिल्ली के वोट क्लब पर 43 दिन तक धरना दिया गया। पूरे भारत से लाखों सफाई कर्मचारी धरने में आये। यह धरना सफल रहा। धरने का अन्तिम परिणाम आयोग की स्थापना के रूप में सामने आया। लेकिन इस आयोग की स्थापना हुए लगभग सात वर्ष बीत गये हैं। वास्तव में आयोग ने अपना पहला, दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन अब तक इन लोगों के लाभ के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। सरकार कुछ भी करने में असफल रही है, उनके दुखमय जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी है। सफाई कर्मचारियों की परिभाषा पर भी विवाद है। परंतु मैं समझता हूं कि आयोग के गठन का प्रयोजन मल तथा कूड़ा ढोने जैसे गंदे कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना था। इसका अभिप्राय सफाई कर्मचारियों के कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के अन्वेषण के लिए आयोग को अधिकार प्रदान करना था। आयोग के गठन का उद्देश्य तथाकथित सभ्य समाज में मानव मल ढोने जैसे अमानवीय कार्य से इन लोगों और उनके परिवारों को मुक्त कराना था। बंगला में इन लोगों को जमादार और माथेर कहा जाता है तथा समाज में इन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि वे समाज के लिए अच्छा कार्य करते है।

वे इलाके की, शौचालय की, कूड़ेदान की सफाई करते हैं और कुछ मैला अपने सिर पर ढोते हैं और इस प्रकार जगह साफ रखते हैं। परंतु उन्हें अपने इन अच्छे कामों के बदले क्या मिलता है? उन्हें केवल नफरत, शोषण मिलता है और उन्हें अछूत की संज्ञा दी जाती है। उन्हें आदिवासियों अनुसूचित जातियों से भी घृणा मिलती है जिनका स्वयं ऊंची जातियों द्वारा शोषण किया जाता है। परंतु उनके पास भी उनके अपने कार्यों के लिए सफाई कर्मचारी होते हैं।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन लोगों की हालात पर गंभीरता से विचार करें और उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ कल्याणकारी उपाय करें। जिस स्थान पर वे रहते हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल और स्वच्छता की कमी होता है। यह विरोधाभास है कि जो शहर की सफाई करते है वे स्वयं इन परिस्थितियों में रहते हैं। यदि लोग उनके इलाकों का दौरा करें तो महसूस करेंगे कि वे नरक में आ गये हैं। उनके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। क्या वे इंसान नहीं है? स्वतंत्रता के 54 वर्षों के बाद भी, उन्हें इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कितने समय तक उन्हें इसी अवस्था में रहना पड़ेगा? मैं यह सवाल सभा के समक्ष रख रहा हूं। मैं इस सम्मानीय सभा से पूछता हूं कि कब तक इन्हें अपने सिरों पर ऐसे ही मैला ढोते रहना पड़ेगा। हमें इन सब बातों पर अवश्य सोचना चाहिए। यह उन्नत प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान ने अत्यधिक तरक्की की है। क्या हम और किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं कर सकते ताकि इन लोगों को गंदा काम हाथों से न करना पड़े? उन्हें मानव मल को क्यों छूना और ढोना पड़ता है? यदि यह कार्य किसी साधारण यंत्र से किया जा सकता है तो हम उनसे यह काम क्यों करवाते हैं। हम उन्हें अन्य कोई जीविका का साधन उपलब्ध क्यों नहीं कराते हैं? उन्हें और कोई काम दिया जाना चाहिए ताकि वे सम्मान और इज्जत से जी सके। मुझे नहीं पता कि सारे देश के सफाई कर्मचारियों की संख्या जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है या नहीं। मैं महसूस करता हूं कि इस कार्य में लगे लोगों की सही संख्या जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए ताकि हम उनके जीवन में उनके कार्य में कुछ बदलाव ला सके।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह उनके कार्य में विद्यमान ठेका प्रथा पर भी ध्यान दे। सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारों द्वारा काम पर रखा जाता है और ठेकेदार अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं और स्वयं उससे लाभ कमाते हैं। इन लोगों को अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक भी नहीं मिलता। कुछ उच्च जाति के लोग भी इन लोगों को कम पैसे देकर और स्वयं बड़ी रकम लेकर इनका शोषण करते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे उचित कदम उठाए ताकि इस प्रकार की हेराफेरी को रोका जा सके। हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है ताकि इन लोगों को जो लंबे समय से हो रहे अन्याय के कारण दु:ख झेल रहे हैं, कुछ राहत मिल सके। मुझे शिकागों में आयोजित सर्व-धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का विख्यात भाषण याद है। उन्होंने कहा था, "अनपढ़ भारतीय, गरीब भारतीय और चंडाल भारतीय मेरे ही शरीर का हिस्सा है और मेरे ही भाई-बंधु है।"

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष और बढ़े, इसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही यह भी चाहता हूं कि इस कमीशन को स्थाई किया जाए, जैसा कि अभी माननीय बूटा सिंह जी ने कहा है कि यह सभी सम्माननीय सदस्यों की भी इच्छा है। माननीय जटिया साहब से मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि कमीशन का कार्यकाल कितना है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि कमीशन के पास शक्तियां क्या हैं? कमीशन जिन वर्गों के लिए बना है उनके साथ इंसाफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, कमीशन समर्थ है या नहीं है, कमीशन की सफाई कर्मचारियों के लिए उपयोगिता है या नहीं है। कमीशन चाहे एक दिन का हो या एक महीने का हो या दस साल का हो, जिस मकसद के लिए कमीशन बना है वह उसमें कामयाब होता है या नहीं होता है, यह महत्वपूर्ण है, नहीं तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। यही विनम्र निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेहरबानी करके कमीसन को अधिकार दीजिए और इसको सार्थक बनाइये।

सभापति जी, मुझे माफ करें। एक समय था जब राज्य सभा और विधान परिषद् में ऐसे लोग भेजे जाते थे जिनकी किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता होती थी। जिनको कला, संस्कृति आदि विशेष क्षेत्रों का ज्ञान होता था, ऐसे लोगों को राज्य सभा और विधान परिषदों में भेजने का काम होता था। लेकिन आज हमारी पूरी राजनीति का जो ताना-बाना है उसमें ऐसा लगता है कि जो लोग चुनाव में रह जाते हैं और किसी पार्टी को उन्हें समायोजित करना होता है तो उन्हें राज्य सभा या विधान परिषदों में भेजने की बात आती है। इसी तरह से कमीशनों में हो रहा है। व्यक्ति योग्य है या नहीं है वह कम महत्वपूर्ण हो गया है। महत्वपूर्ण यह हो गया है कि हमारी पार्टी का वफादार आदमी है चाहे वह कमीशन के तौर-तरीकों को जाने या नहीं, योग्य हो या न हो। इसलिए अगर कमीशन में उस वर्ग के योग्य व्यक्ति नहीं होंगे तो कमीसन सशक्त रूप से नहीं काम कर सकता। डा. अनीता आर्य को माफी है। वह आगरा की रहने वाली हैं तथा उनके पिता कुंदनलाल जी से मेरे पुराने संबंध थे। इनको चेयरमैन बनने की क्या जरूरत थी, बनती तो किसी और जगह बन जाती। इसलिए जब तक कमीशन को आप अधिकार नहीं देंगे तब तक कोई बड़ा काम होने वाला नहीं है। लगता यही है कि कमीशन भी राजनीति की बलिबेदी का शिकार हो रहे हैं।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जो कानून आपने बना दिया कि मैला ढोना अपराध है तो माननीय जटिया साहब घोषणाएं कुछ भी हों, आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अभी माननीय मांगे लाल आर्य जी, जो पहले सफाई कर्मचारी कमीशन के अध्यक्ष थे। उनका बयान छपा है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बातें कही जा रही हैं उनमें कोई दम नहीं है और सफाई कर्मचारी कमीशन का काम प्रभावी ढंग से नहीं हुआ है। जहां तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा का सवाल है तो कुछ शुष्क शौचालय होते हैं और उनमें लोगों को मैला सिर पर भी उठाना होता है।

स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना की बात यहां कही गई है। उसमें 20 हजार रुपए से काम धंधा देने की बात कही है, लेकिन यह बिल्कुल अर्थहीन है। सही मायने में अगर उनको पैरों पर खड़ा करना है उनको आत्मनिर्भर बनाना है तो इन्हें एसटीडी के बूथ, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, स्टाल्स, ठेले, कार पार्किंग के कान्ट्रैक्ट्स देने होंगे। जब तक उनको इसमें प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सफाई कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। वे ग्रामीण अंचल में किस परिस्थिति में काम करते हैं उनकी इस वेदना को आप समझ नहीं पाएंगे। खास तौर पर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। इनको तनख्वाह निकाय देता है लेकिन उन्हें 40-42 महीने तक तनख्वाह ही नहीं मिलती है। इससे उनका बुरा हाल हो जाता है। स्थानीय निकायों के आय का जरिया वहां के लोकल टैक्स हैं लेकिन इससे उनका काम नहीं बनता है। जब तक राज्य सरकारों की भूमिका सुनिश्चित नहीं होगी और वे वेतन का भुगतान नहीं करेंगे तब तक उनकी दूर्दशा ऐसे ही बनी रहेगी। मेहरबानी करके आप इस आयोग को प्रभावी बनाइए। जटिया साहब, इसमें आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है। राम का भक्त होने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है इसलिए वहां पहुंच गए लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो बाल्मिकी जी ने किया था। यदि वह रामायण नहीं लिखते तो भगवान राम कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हो सकते थे। आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आप इन सफाई कर्मचारियों के कल्याण का सतत प्रयास करिए।

डा. सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग संशोधन विधेयक के माध्यम से माननीय सदस्यों

ने दलित वर्गों के प्रति और विशेषत: सफाई कर्मचारियों के प्रति अपनी चिंता को व्यक्त किया है। इस चर्चा में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, डाक्टर अनिता आर्य, श्री बूटा सिंह, श्री रूपचन्द मुर्मू और डा. रामजीलाल सुमन ने अपने विचार प्रकट किए। समय-समय पर सदन के अन्दर दलितों के प्रति विशेषत: सफाई कर्मचारियों के प्रति विचार प्रकट किए जाते रहे हैं। सरकार का दायित्व है कि वह इस दिशा में काम करे। चूंकि सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि लोगों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। मानव-मानव में भेद नहीं, कर्म धर्म महान है और सामाजिक समता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए जो विचार यहां प्रकट किए गए, उसमें एक बात यह थी कि किस तरह इस आयोग को प्रभावशाली बनाना चाहिए, किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको साधन सम्पन्न बनाना चाहिए। इन सारी बातों की ताईद करते हुए हम कोशिश करेंगे कि सरकार ऐसे उपाय करे जिससे समाज में इनको प्रतिष्ठा मिल सके। वास्तव में किसी भी काम को अप्रतिष्ठित नहीं समझा जाना चाहिए।

आजादी के बाद हमने अनुच्छेद 17 में कहा था कि अस्पृश्यता को किसी भी रूप में मान्य न किया जाए। इन सफाई कर्मचारियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव स्थापित हो सके, इसके लिए सरकार ने जो योजना बनाई, उसके माध्यम से उन्हें पूरा लाभ देने का प्रयत्न करेगी। जिन माननीय सदस्यों ने यहां महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वे जब भी चाहें, समय-समय पर उनके साथ इस संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए मैं उनका स्वागत करूंगा। हम किस तरह समाज के इस वर्ग को सम्मान, प्रतिष्ठा दे सकें जिस उपाय से भी होगा, हम करेंगे। इसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव पारित किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य आरम्भ करेगी।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 22 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 22 नवम्बर, 2001 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*

[अनुवाद]

(एक) प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन, डाकघर और तारघर की सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

" कि देश के सभी गांवों में टेलीफोन, डाकघर और तारघर की सुविधाओं का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(दो) गन्दी बस्तियां और झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र (बुनियादी सुख-सुविधाएं और अपसारण) विधेयक*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि गन्दी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में जल, विद्युत, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं जैसी न्यूनतम बुनियादी सुख-सुविधाओं तथा व्यापक जन हित में ऐसे क्षेत्रों के अपसारण तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गन्दी बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में जल, विद्युत, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं जैसी न्यूनतम बुनियादी सुख-सुविधाओं तथा व्यापक जन हित में ऐसे क्षेत्रों के अपसारण तथा तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(तीन) एक समान शिक्षा विधेयक*

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि समस्त देश में नि:शुल्क और एक समान शिक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि समस्त देश में नि:शुल्क और एक समान शिक्षा का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(चार) रोजगार का उपबंध विधेयक*

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करने की स्कीम का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 23.11.2001 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करने की स्कीम का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(पांच) फसल बीमा योजना विधेयक*

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फसलों का बीमा तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि फसलों का बीमा तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 21क का अन्त:स्थापन)

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एस. बसवराज: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(सात) बालिका (नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा) विधेयक*

श्री जी.एस. बसवराज (तुमकुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता की प्रत्येक बालिका को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता की प्रत्येक बालिका को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एस. बसवराज: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(आठ) स्वैच्छिक संगठन (विनियमन) विधेयक*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्वैच्छिक संगठनों के विनियमन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2, दिनांक 23.11.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्वैच्छिक संगठनों के विनियमन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.39$^{1}/_{2}$ बजे

(नौ) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक*
(धारा 375 का संशोधन)

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(दस) चलचित्र (संशोधन) विधेयक*
(धारा 5ख का संशोधन)

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.40$^{1}/_{2}$ बजे

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 22क और 22ख का अन्त:स्थापन)

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वी. सरोजा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(बारह) अभिरक्षा में अपराध (निवारण, संरक्षण और प्रतिकर) विधेयक

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अभिरक्षा में अपराधों के निवारण और उनके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा अभिरक्षा में अपराधों के मामलों में प्रतिकर अभिरक्षा में अपराधों के लिए सतर्कता आयुक्त और जिला सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अभिरक्षा में अपराधों के निवारण और उनके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने तथा अभिरक्षा में अपराधों के मामलों में प्रतिकर, अभिरक्षा में अपराधों के लिए सतर्कता आयुक्त और जिला सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति तथा उससे संसक्त और

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 23.11.2001 में प्रकाशित।

उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(तेरह) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक - *अस्वीकृत*

सभापति महोदय: अब सभा कार्य-सूची की मद सं. 42: श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा 27 जुलाई को प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी। प्रो. रासासिंह रावत जो पिछली बार बोल रहे थे, अपना भाषण जारी रखेंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): आदरणीय सभापति जी, पिछले सत्र में जब इस बिल पर चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा था कि माननीय श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी द्वारा प्रस्तुत बिल के पीछे जो भावना है, वह बहुत अच्छी है कि हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको सामाजिक समानता के स्तर पर लाया जाना चाहिए। हमारे संविधान की भी प्रतिबद्धता है कि सामाजिक समानता और न्याय के प्रति हम प्रतिबद्ध है और संविधान के आमुख में भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है।

हम मानते हैं कि अस्पृश्यता समाज के लिए कलंक है। लेकिन आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जहां यह कहा गया है कि एस.सी. के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण होगा, और एस.टी. के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण होगा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी मामला आया और मंडल आयोग की अभिशंसाओं के बाद लगभग 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय नौकरियों में उनके लिए भी आरक्षित रखा गया जिसके परिणामस्वरूप करीब 50 प्रतिशत आरक्षण हो जाता है। फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, विकलांग लोगों के लिए आरक्षण है और अब महिलाओं के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण की मांग उठती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी समाज का कमजोर वर्ग है, जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी दलित वर्ग है, उसे आगे लाने के लिए उनके समानता के स्तर पर लाने के लिए उनको बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए और हमारे संविधान में जो समानता का अधिकार है, उसकी अनुपालना होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए, सब प्रकार की नौकरियों में, चाहे केन्द्र की सेवाएं हों अथवा राज्य की सेवाएं हों, उनमें आरक्षण निश्चित रहता है और उन स्थानों पर समाज के उन्हीं वर्गों के जो अभ्यर्थी हैं, उनका चयन किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे निर्णय दिए गए, उन निर्णयों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सभी माननीय सदस्य उससे परिचित होंगे। एक इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ का केस है जिसमें कहा गया है कि इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सैन्य आदि सेवाओं में विशेषता वाले पदों में आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर अजित सिंह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरक्षण कोटे के पदों पर पदोन्नत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के पूर्व वरिष्ठ अभ्यर्थियों के पदोन्नत होने तक, अपनी पदोन्नत होने की तारीख से वरिष्ठता के पात्र नहीं होंगे। इस आधार पर राष्ट्रपाल जी ने निष्कर्ष निकाला कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कर्मचारियों को प्रोन्नति का मौलिक अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि मौलिक अधिकार तो सबका है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक समानता या हमारे कायदे-कानून या आरक्षण के नियम कुछ इस प्रकार के होना चाहिए ताकि उनके साथ न्याय हो सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने बहुत प्रयास करके समाज के कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया और जैसा मैंने पहले कहा, अभी सुमन जी चले गए वे श्री बाल्मीकि की चर्चा कर रहे थे जिन्होंने रामायण जैसा ग्रंथ लिखा और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में सारे विश्व में अधिष्ठित और प्रतिष्ठित किया।

सभापति महोदय, उन बाल्मीकि जी को महर्षि कह कर, उन्हें बड़ा सम्मान दिया गया। इसी प्रकार वेद व्यास जी, जो एक प्रकार से मछुआरे के पुत्र थे, लेकिन वे महाभारत के रचयिता बने इसलिए उन्हें ऋषि कह कर पुकारा। इस प्रकार से हमारे देश की यह परम्परा रही है और वेदों के अंदर कहा गया है कि ''अज्येष्ठा अकनिष्ठास:'' न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ''चातुर्वर्ण्य मयासृष्टं गुणकर्म विभागाश:'' कि मैंने चारो वर्णों की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है ''जन्मना जायेतशूद्र: कर्मणद्विजोच्यते'' जिसके अनुसार हम सब जन्म से शूद्र हैं अर्थात् हम कुछ जानते नहीं, लेकिन जैसे-जैसे सामाजिक संस्कार, शिक्षा का संस्कार, पारिवारिक संस्कार, देश के संस्कार, प्रकृति के संस्कार आते हैं, तो मनुष्य की पशुता का मानवीकरण होता है और उसके आधार पर मानव में जैसी क्षमता और योग्यता होती है उसके अनुसार कोई इंजीनियर बनता है, कोई डाक्टर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई सेना में जाकर जनरल और कोई कर्नल बनता है।

सभापति महोदय, हमारे यहां तो सदैव बराबरी का दर्जा था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मध्यकाल के अंदर समाज के कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के

[प्रो. रासा सिंह रावत]

लिए जो समाज का ढांचा था, उसको तहस-नहस कर दिया और कुछ वर्गों को जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उन्हें दमित कर रखा, उन्हें दबा कर रखा, उनको पिछड़ा बनाकर रखा और उनके अधिकारों को छीन लिया। वर्तमान सरकार ने उनको वापस प्रगतिशील रास्ते पर लाने के लिए और हजारो वर्षों से उनके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे थे, उनके जुल्म और अत्याचारों को समाप्त करने के लिए यह निश्चय किया है कि संविधान के अंदर आरक्षण की व्यवस्था रखनी चाहिए।

हमसे पहले वाली जो सरकारें रहीं, चाहे वह गुजराल साहब की सरकार हो या देवेगौड़ा साहब की सरकार हो, जिनको हमारे कांग्रेसी मित्र बाहर से समर्थन कर रहे थे, उन सरकारों के समय में कुछ निर्णय किए गए जिनके कारण प्रोन्नति या बैकलाग भरने के आरक्षण में गतिरोध पैदा हो गया, लेकिन हमारी वसुंधरा राजे, कार्मिक मंत्री के रूप में यहां विराजमान हैं, उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में उन संशोधनों के कारण कुछ गतिरोध पैदा हुआ उस गतिरोध को दूर करने और वापस ऐसे नियम बनाकर ऐसा कर दिया जिससे सर्वोच्च न्यायालय के कारण आरक्षण को जो हानि पहुंची, शिथिलीकरण किया, उसे संविधान संशोधन करके और इसी सदन में लाकर पास कराया, ताकि आरक्षण में किसी प्रकार की भी हानि न हो। जब कि ये कांग्रेसी लोग, जो अपने को पिछड़े वर्गों का संरक्षक और हितसाधक कहते हैं, उन्होंने आरक्षण को हानि पहुंचाने में कोई-कसर नहीं छोड़ी।

महोदय, इसलिए मैं जनतांत्रिक गठंबधन सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आरक्षण के मामले में जो-जो कठिनाई और बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उनको संविधान संशोधन के द्वारा दूर करने का प्रयास किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 'हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े-लिखे को फारसी क्या और जाने वाले को आगरा या इटारसी क्या'।

मान्यवर, आने वाले मंगलवार को एक और संविधान संशोधन विधेयक सदन में आने वाला है जिसके माध्यम से राष्ट्रपाल जी ने इस विधेयक के माध्यम से जिन समस्याओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, उनका भी निराकरण हो जाएगा और हम सब लोग मंगलवार को प्रस्तुत होने वाले संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित कर देंगे ताकि हमारे एस.सी. और एस.टी. के बंधु अपने अधिकारों से वंचित न रह जाएं और जितना भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उनका लाभ आरक्षित वर्गों को प्रोन्नति और उनके बैकलाग को पूरा करने में सरलता और निरन्तरता बनी रहे और उन्हें कोई बाधा और हानि न पहुंचे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने इस निजी विधेयक को शब्दों का आडम्बर रचकर बहुत पेचीदगी से बनाया है और ऐसा मायाजाल रचा है जिससे इन वर्गों के लोगों को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि सामाजिक ढांचे में बगावत की भावना पैदा होगी और समाज में दरारें पड़ जाएंगी। मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने समाज के इन वर्गों को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास करे। मैं समझता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर और स्वामी दयानन्द सरस्वती की भावनाओं के अनुसार हमें इस समाज के अंदर ममता और समरसता की भावनाएं पैदा करनी होंगी, ऐसी राष्ट्रीय भावनाएं पैदा करनी होंगी, जिनसे देश को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कुछ लोगों को गुमराह करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर अपनी कुत्सित राजनीति चलाने का प्रयास करते हैं।

वे लोग कदम-कदम पर ऐसा कानून बना कर पेचीदगियां पैदा करना चाहते हैं जिसके कारण वास्तव में होने वाले काम में भी बाधा उपस्थित हो जाए। इसमें एक स्थान पर लिखा है कि अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन का जमाना, भूमंडलीकरण का जमाना, सरकारी उपनिवेशों में भी निजी निवेश होने लग गए हैं। इसमें लिखा है कि प्राइवेट सर्विसेज में, ऑटोनामस बॉडी होती है, वहां सरकार का हस्तक्षेप कैसे होगा, क्या होगा। इन्होंने लिखा है कि वहां भी सबको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार और भी कई ऐसी बातें लिखी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन बातों से सहमत नहीं हूं लेकिन जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रश्न है, अब तक की परम्पराओं के अनुरूप हम जहां तक पहुंच गए हैं, वहां तक हमारे बंधुओं को जो अधिकार मिले हैं, जो आरक्षण प्राप्त हुआ है, उसमें किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए, वह आरक्षण बराबर मिलता रहना चाहिए और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं मिलते तो जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है, उसमें उन्हीं के लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। मैं एस.सी. और एस.टी. के बंधुओं से यह अवश्य कहना चाहूंगा। मेरी सरकार से भी प्रार्थना है कि इस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें। लेकिन यदि हम केवल एक ही वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और समाज के अन्य वर्गों को नाराज कर देंगे या इस प्रकार की खाई को चौड़ा करने की कोशिश करेंगे तो समाज का फैबरिक टूट जाने का खतरा है। इसलिए आने वाले समय में जब सारा विश्व एक हो रहा है, समाज और देश में काफी चेतना पैदा हो रही है, ऐसे समय में हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए, सामाजिक न्याय पैदा करने के लिए, ममता, समता

और सामाजिक समरसता पैदा करने के लिए, सोशल हारमनी पैदा करने के लिए कोई ऐसा प्रयास करें जिससे समाज के सब तबके एक होकर भारत की उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, यदि पूरे देश को एक करना है तो जातिवाद सिस्टम को खत्म करना होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: जब आपको मौका मिलेगा तब आप बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय खड़े होकर बोलना शुरू कर दें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, जन्म से किसी आदमी की जाति नहीं होती, कर्म से आदमी की जाति बनती है। वैसे चार वर्ण हैं,- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे मार्गदर्शकों ने चारों वर्णों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं, अलग-अलग त्योहार भी बनाए हैं। ब्राह्मणों के लिए रक्षा बंधन का त्योहार, दीपावली का त्योहार वैश्य के लिए, दशहरा का त्योहार क्षत्रिय जाति के लिए और होली, दुलहंदी शूद्र जाति के लिए बनाया गया है। ब्राह्मण जाति पर जब कोई आक्रमण हो तो तीनों जातियां मिल कर ब्राह्मण जाति का अस्तित्व रखने का प्रयास करे। इस बिल में कोई विशेष बात नहीं है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक है लेकिन हम जो आरक्षण चाह रहे हैं, यदि वह आरक्षण हमने ले लिया तो आज ब्राह्मण जाति, चाहे वह कायस्थ हो या श्रीवास्तव, हर जाति आरक्षण चाह रही है कि हमें भी आरक्षण मिल जाए तो विधान सभा की सीट पर कब्जा कर लेंगे, लोक सभा की सीट पर भी कब्जा कर लेंगे और नौकरी में भी अच्छा स्थान मिल जाएगा। इस समय आरक्षण का भूत हिन्दुस्तान की हर जाति पर सवार है, चाहे वह सवर्ण जाति हो चाहे नीची जाति हो, कि हमें किसी प्रकार आरक्षण मिल जाना चाहिए।

मेरा यहां पर निवेदन करना यह है कि आरक्षण मिले, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र में भी लोगों को आरक्षण मिले, सरकारी क्षेत्र में तो आरक्षण मिलना ही चाहिए, यह इस बिल में प्रावधान किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में या अन्य जो मोटी-मोटी सेवाएं हैं, उनके क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। माननीय सदस्य जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, उनको तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वसुन्धरा जी का मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय रासा सिंह जी ने सब प्रकार की बातें यहां पर बता दी हैं। मैं भी इसमें इतनी बात कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में आरक्षण आवश्यक नहीं है। सरकारी नौकरी में आरक्षण मिले, यह बात संविधान में भी कही गई है और इसके लिए दस साल का एक प्रावधान किया गया था, पर इतने वर्ष बीत गये, लेकिन इतने वर्ष के बाद भी आज...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले जी उन्हें बोलने दीजिए। कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: रामदास जी, आप विराजो, मैं तो आपका ही भक्त हूं। मैं तो राम का पक्का भक्त हूं, आप तो केवल राम नाम के भक्त हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): लोक सभा और विधान सभा के लिए पोलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 10 साल का पीरियड है-यह संविधान में व्यवस्था है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मेरी अनुमति के बिना आप कैसे बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: संविधान में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह आरक्षण तो आपको मिल चुका। एक बार आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पदोन्नति के आधार पर भी आरक्षण मिले, आई.ए.एस. अधिकारी में, तीनों चारों सुविधाओं में आरक्षण

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

का लाभ मिलेगा और पदोन्नति में भी मिलेगा तो अन्य जाति के लोग क्या काम करेंगे, इसलिए हमारी यह मांग है कि एक बार आर्थिक आधार पर लोगों को आरक्षण मिले। अगर बार-बार पदोन्नति के आधार पर आरक्षण मिलने लगा तो सवर्ण जाति के लोग निराश हो जाएंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, जिस किसी ने बिल पेश किया है, इस बिल का न तो मैं समर्थन करने के पक्ष में हूं, न विरोध करने के पक्ष में हूं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आरक्षण मिले, पर जो गरीब लोग हैं, उनको आरक्षण मिले और एक बार ही आरक्षण मिलना चाहिए। बार-बार आरक्षण मिलने की दूसरी जाति के लोगों को कठिनाई होगी और जातियों में वैमनस्यता पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा यही निवेदन करना है कि जो सदस्य बिल लाये हैं, इस संशोधन के साथ बिल लाएंगे तो बिल पास करने में सहायता मिलेगी और इस तरह का बिल नहीं लाएंगे तो बिल पास करने में कठिनाई होगी।

आपने मुझे बोलना का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

यह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विधेयक, 2000 माननीय सदस्य श्री प्रवीन राष्ट्रपाल जी लाये हैं, इस चर्चा में भाग लेने का मौका मुझे मिला है। संविधान के अनुच्छेद के आलोक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। वह व्यवस्था चालू है, हम आजादी का स्वर्ण जयन्ती वर्ष मना चुके हैं, लेकिन आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, वे भरी नहीं गई हैं, उनमें बैकलॉग है। यह समस्या इस सदन में हमेशा से उठती रही है और उस पर चर्चा होती रही है, परन्तु उसका कोई निदान नहीं हुआ है। उसी के क्रम में श्री राष्ट्रपाल जी यह विधेयक लाये हैं, इस विधेयक के माध्यम से आरक्षण को और मजबूत करके विशेष अवसर के सिद्धान्त को जमीन पर उतारने की व्यवस्था का इशारा उन्होंने इस विधेयक में किया है।

अपराह्न 4.00 बजे

हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पचास वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था रही, जो विशेष अवसर देकर समानता लाने की बात थी, उसका समय इसलिए बढ़ता गया, क्योंकि विशेष अवसर के सिद्धान्त के तहत समानता नहीं आई। अभी भी नौकरियों में बैकलॉग है। उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है, जिससे उस विशेष अवसर के सिद्धान्त को लागू करने में अगर कोई कोताही बरते तो उस पर कार्रवाई हो सके। हम एन.डी.ए. की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अनुसूचित जाति और जनजाति में नौकरियों की पदोन्नति के आरक्षण के सवाल पर फैसला आया तो इस सरकार ने संविधान संशोधन लाकर उसको सही करने का काम किया और इन लोगों के हितों की सुरक्षा करने का काम किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब तो स्वर्ण जयंती वर्ष भी बीत गया, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का जो बैकलांग नहीं भरा गया, वह इसलिए नहीं भरा गया कि ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है कि जो ऐसा नहीं करता है उसको मजबूर किया जा सके। इसलिए हमारा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था को संविधान को नौवीं अनुसूची में डाला जाए। इस सरकार ने नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था को पूरा करके अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा करने का काम किया है इसलिए उसको यह काम भी करना चाहिए। यदि बैकलॉग के बारे में कोई कानून बन जाएगा तो निश्चितरूप से उनके हितों की सुरक्षा होगी।

सन् 2001 में देश की जनगणना का काम पूरा हो गया है। आबादी के आलोक में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आज काफी आबादी हो गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, वह शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष अवसर के सिद्धान्त पर संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आबादी भी एक आधार था। इसलिए बढ़ी हुई आबादी के आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। इस विधेयक के ज्ञापन में बहुत अच्छा उद्देश्य दिया गया है। एक तरफ हम आरक्षण देते हैं, विशेष अवसर के सिद्धांत को मानते हैं, बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान समिति बनाई गई थी, उसने जो संविधान बनाया, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के जो गरीब तबके के लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: विधेयक के लिए 45 मिनट समय बढ़ाया गया था और अब यह समय समाप्त हो गया है। क्या इस विधेयक के लिए 45 मिनट समय और बढ़ाया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: इसलिए 45 मिनट समय और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: लेकिन आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हुआ। एक तरफ आरक्षण देने का काम हम करते हैं, दूसरी तरफ, राष्ट्रपाल जी इस विधेयक को लाए हैं इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी के जमाने में 1991 में देश में नई आर्थिक नीति लाई गई। उसने आरक्षण की कमर को बुरी तरह तोड़ दिया, जिसके कारण नौकरियां ही समाप्त होती जा रही हैं। आज यह सरकार नई आर्थिक नीति को बढ़ाते हुए दूसरे दौर की शुरूआत कर रही है। उससे नौकरियां समाप्त हो गई हैं। लोगों को काम नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में उस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए, जिसमें विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पुन: एक संविधान संशोधन का विधेयक लाने पर विचार किया जाए। जिसमें निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनीज में भी उतने ही प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस विधेयक में इसकी चर्चा की गई है, उसका हम समर्थन करते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसा रासा सिंह रावत जी ने कहा कि निजी क्षेत्र पर कैसे लागू होगा, मैं आपके सामने उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में लेबर एक्ट लागू हो रहा है। निजी क्षेत्र में यह पैटर्न लागू हो रहा है जो इसी संसद से पारित होता है और जो कि निजी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है तो क्या आरक्षण के सिद्धांत को कानून बनाकर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराकर हम लागू नहीं करा सकते हैं? यह कहना मुनासिब नहीं है। यह यदि ईमानदारी से एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर देकर, उन्हें एक समान बनाने के लिए यदि आरक्षण देना है तो जो एक कदम आपने बढ़ाया है, आप एक कदम और आगे बढ़ें और निजी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आरक्षण की व्यवस्था करने का काम करें।

न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे बढ़ रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि न्यायिक सेवाओं में अब तक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसको बदलने का काम करें। यह एक ऐसा बिन्दु है और हम आपके सामने डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा करना चाहते हैं और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि कुछ जातियां कुछ राज्यों में एससी की श्रेणी में आती हैं, कुछ राज्यों में एसटी की श्रेणी में हैं लेकिन कुछ राज्यों में उनकी संख्या इतनी कम है कि वे अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलता है और कई राज्यों में ये एससी में हैं और कई छोटे या बड़े राज्यों में एससी में शामिल नहीं है, कहीं एसटी में शामिल नहीं हैं।

मैं बिहार से आता हूं। वहां एक धानुक जाति है जिसकी संख्या बहुत कम है लेकिन यू.पी. में यह जाति एससी में आती है। हरियाणा में भी एससी में आती है। हमारे साथी सुशील कुमार इंदौरा जी उसी वर्ग से आते हैं लेकिन बिहार में धानुक जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया है। इसी प्रकार से तत्मा, अमात, नोन्या, बेलदार और कहार जाति है, ये सब जातियां एससी के स्तर से भी कई जगहों पर नीचे है लेकिन उनको अन्य पिछड़े वर्गों में रखा गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एससी में है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब मंत्री जी जवाब देंगे तो इस बात को ध्यान में रखकर बताने की कृपा करेंगे कि समानता होगी कि नहीं होगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जिन जातियों को एससी की श्रेणी में रखा गया है, बिहार में उन जातियों को एससी की श्रेणी में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी। धानुक, तत्मा, बेलदार, अमात, नोन्या, कहार ये एससी की श्रेणी में आती हैं, उनको एससी की श्रेणी में रखने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से लुहार और बढ़ई जो कई राज्यों में एसटी की श्रेणी में आती हैं, उनकी आवाज इतनी कमजोर है कि वे अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं, लेकिन कई राज्यों में उन्हें एसटी में नहीं रखा गया है, हमारा आपसे अनुरोध है कि उन्हें एसटी की श्रेणी में रखने का फैसला लेकर एक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम करें। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण सुनिश्चित कराया जाये और संविधान की नौवीं अनुसूची में आरक्षण को डालकर आरक्षण की व्यवस्था मुकम्मल करने का काम किया जाये। जो जातियां छूटी हुई हैं, खासकर बिहार और झारखंड राज्य में जो हैं और दूसरे राज्यों में एससी और एसटी में आती हैं, उन्हीं में इन जातियों को भी शामिल करने की मांग मैं सरकार से करता हूं।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गरीब चाहे किसी भी वर्ग का हो, उनके विशेष प्रावधान की घोषणा होती रही है। मेरा निवेदन है कि इनके लिए एक अलग से विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 पर बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, इस देश को आजाद हुए 53 वर्ष हो गए हैं। संविधान बनाते समय डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने तय किया था

[श्री शीशराम सिंह रवि]

कि जो हजारों सालों से दबे-कुचले लोग हैं, गरीब हैं, उन लोगों को बराबर में लाकर खड़ा करने के लिए नौकरियों तथा अन्य प्रकार से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। इस दिशा में 1950 से लेकर 1980-82 तक लगातार आरक्षण से संबंधित नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलते रहे, लेकिन उस समय अधिकारी लोग मनमानी करने के लिए लिखकर दे देते थे कि योग्यता के अनुसार पदों को भरने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में बैकलाग लगातार बढ़ता चला जा रहा था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी दलितों के लिए विशेष अभियान चलाने की कोशिश की। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी बैकलाग को भरने का प्रयास किया। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैन लगा दिया गया और अनुसूचित जातियों के पदों का जो बैकलाग था, उसको रोक दिया गया। संविधान में मूल अधिकार के रूप में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन उसका लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही पदोन्नति के संबंध में जो प्रावधान है, उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इनसे संबंधित दो बिल मंगलवार को प्रस्तुत करने वाली है, ताकि इन दलितों को लाभ पहुंचाया जाए। इस समय आवश्यकता है कि इस बैकलाग को पूरा किया जाए। अब सरकार की मजबूरी है, देश की परिस्थितियां इस तरह की हैं कि सारे के सारे उद्योग प्राइवेट सैक्टर में दिए जा रहे हैं। इनको प्राइवेट सैक्टर में देने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का नुकसान होगा और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में यदि सर्वे कराया जाएगा, तो पायेंगे कि प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक रिक्त पदों को अभी तक भरा नहीं गया है।

अपराह्न 4.14 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

कई बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस बिल के जरिए, इसमें कुछ और परिवर्तन करते हुए, प्राईवेट सैक्टर के लोगों को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि हम उन्हें जब तक लाइसेंस नहीं देंगे, उद्योग की जो भी पाबंदियां हैं वे लगाते हुए यह तय किया जाना चाहिए कि जो आरक्षण भारत सरकार द्वारा दो प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 21 प्रतिशत है उसे प्राईवेट सैक्टर में लागू किया जाना चाहिए तभी इसका लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पहुंचेगा। अनुसूचित जाति के लोगों में ऐसे लोग हैं जो नौकरियों से वंचित रहे हैं। हाई स्कूल, इंटर और बीए करने के बाद वे बेरोजगार हैं। रोटी और घरबार से परेशान हैं। उनके लिए कोई न कोई ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए- उनके लिए बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। निश्चित रूप से यह भी तय कर देना चाहिए कि जिनके परिवारों में भूमिहीन और खेतीहर मजदूर हैं उन्हें 60 साल के बाद अनिवार्य के रूप से वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। भारत का जो भी नागरिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 60 साल का है उसे कम से कम 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलनी चाहिए तभी हम जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनके साथ न्याय कर पाएंगे। ऐसे लोग जो प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में हैं, जहां टाट-पट्टी नहीं है, बैठने के लिए ठीक से स्थान नहीं है वे बच्चे भी उन्हीं बच्चों के साथ परीक्षा में बैठते हैं जहां कांवेंट और अन्य स्कूलों के बच्चे बैठते हैं। इन दोनों की शिक्षा में बहुत अंतर होता है।

महोदय, इनके बैकलॉग को पूरा करने के लिए इनकी परीक्षाएं अलग से ली जानी चाहिए। उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र भी इंटर कालेज, प्राइमरी, जूनियर सैक्शन या ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय खुले हैं उनके अध्यापकों से बनवाए जाने चाहिए। होता यह है कि यूनिवर्सिटी के लोग, जो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और बड़े-बड़े महानगर के हैं, वही लोग ज्यादातर प्रश्न-पत्र बनाते हैं। भारत में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, गांवों की जिन्दगी में विचरण करते हैं। उनके बारे में शहर के लोगों को बहुत कम मालूम होता है कि गांव के लोगों की जिन्दगी किस प्रकार की है। जब मैं अपने गांव से पांच किलोमीटर दूर कक्षा दो-तीन और चार में पढ़ने जाता था तो वह गांव भी बहुत छोटा सा था, एक नाला भी पार करके जाना पड़ता था। आज भी गांव के अनुसूचित एवं जनजाति के करोड़ों छात्र पैदल तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी भी उनके लिए ठीक से सुविधाएं नहीं हैं। यहां सब लोगों को हिन्दी का ज्यादा अनुभव है परन्तु जब प्रश्न-पत्र बनाए जाते हैं तो दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी और कांवेंट स्कूल के अध्यापकों से बनवाए जाते हैं। वे उन पेपरों को बनाते हैं। जब कांवेंट स्कूल के बच्चे इन गरीब बच्चों के साथ बैठते हैं तो निश्चित रूप से वे उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये वेकेंसी पूरी करने में अक्षम पाए जाते हैं, परन्तु वे अक्षम नहीं हैं। हम रोज यह बात कहते हैं, रोज अखबारों में आता है कि कभी हिन्दी दिवस मनाया जाता है, हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है। उसका कारण क्या है कि अंग्रेजी के जरिए सारे के सारे गिने-चुने दो करोड़ लोग इस देश पर कब्जा किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के जो लोग गांव और छोटी बस्तियों में रहते हैं उनके लिए शिक्षा और परीक्षा में उसी तरह के प्रश्न-पत्र होने चाहिए। उनके लिए परीक्षाएं अलग से होनी चाहिए और जो बैकलॉग है उसके लिए लोक सभा से एक भर्ती अभियान की दिशा में काम शुरू होना चाहिए। यहां से

यह बात जानी चाहिए कि केन्द्र के विभाग और राज्य सरकारों के विभाग मिलकर एससी, एसटी के लोगों के लिए भर्ती अभियान शुरू कराएं।

ऐसा भी होता है कि कोई आई.ए.एस. आफिसर पदोन्नति की तरफ जा रहा है तो उसकी सी.आर. खराब करके उसे पदोन्नति से वंचित रखने की कोशिश की जाती है। यही नहीं मैंने पिछले दस वर्षों से पुलिस में और विकास खंडों में देखा है कि एससी, एसटी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मजे की बात यह है कि एससी, एसटी के लोगों के लिए इंदिरा आवास, आईआरडी, जेआरवाई जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें ऐसी मानसिकता वाले लोगों को मौका दिया जाता है जो इस वर्ग से संबंधित नहीं हैं। इसलिए इन योजनाओं में एससी, एसटी के लोगों को मौका दिया जाना चाहिए जो मन से उन्हें प्यार करते हों, उनका भला चाहते हों, समाज में इन वर्गों को बराबरी का मौका देना चाहते हों। जब मैं अपने एरिया में जाता हूं तो वहां चर्चा होती है कि अगर 20 हजार रुपया इंदिरा आवास के लिए है तो पांच हजार रुपया कर्मचारी खा जाते हैं। इस तरह से एससी, एसटी के नाम पर शोषण हो रहा है। उसको रोकने के लिए हम सांसदों की यहां जिम्मेदारी बनती है। हमें उसके लिए कोई विशेष अभियान चलाना होगा।

कोई भी समाज या व्यक्ति स्वस्थ समाज या व्यक्ति नहीं कहला सकता जब तक कि उसके पूरे अंग स्वस्थ न हों। उसके हाथ, पांव, उंगलियां आदि पूर्ण रूप से स्वस्थ न हों। इसलिए यदि भारत को स्वस्थ बनाना है तो समाज के सभी वर्गों को हमें स्वस्थ बनाना होगा। तभी भारत पूरी तरह से स्वस्थ देश माना जाएगा। इसलिए भारत के छोटे-छोटे कस्बों और बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को हमें समाज में पूरा मौका देना होगा और उन्हें बराबरी पर लाने का काम करना होगा।

पिछली बार जो दो विधेयक आये हैं वे वास्तव में ठीक हैं उन पर काम होना चाहिए। इस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गहरी रुचि ले रहे हैं। सन् 1980 में जब आरक्षण का विधेयक पास हुआ तो वे सरकार में थे और जब 1990 में विधेयक पास हुआ तब भी वे सरकार में शामिल थे और जब 2000 में पास हुआ तो वे प्रधान मंत्री थे। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में पूरे देश के गरीब और दलित बराबरी पर आकर खड़े होगे क्योंकि वे गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। लोग बताते हैं कि जब हम छोटे थे तब माननीय जगजीवन राम जी ने माननीय अटल जी से चर्चा की थी तो माननीय अटल जी ने कहा था कि मेरा रसोइया अनुसूचित जाति से है। इस विचार से हमारे माननीय अटल जी हैं। इसलिए कोई न कोई विधेयक एससी, एसटी के फैवर में दमदार ढंग से पास करें जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आश्वस्त हो सकें। जो अधिकारी कानून पालन में लापरवाही बरतें, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जब तक हम इस प्रकार का कोई सख्त से सख्त कानून पास नहीं करेंगे तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति को बराबर के स्तर पर लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता है।

हम भारत को 21वीं सदी में ले जाने की और विश्व गुरु बनाने की बात सोच रहे हैं। हमें उसमें दलितों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को साथ लेकर चलना होगा। उनकी जो पदोन्नतियां रूकी हैं, उसे फिर से बहाल करने के लिए अलग से बिल बना कर पास किया जाए। इसके साथ ही सदन को यह भी तय करना होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में कोई स्टे न दे सके। उनकी नौकरियों में स्टे देने का काम करना गलत है।

सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण की कई योजनाएं चला रही हैं। उन्हें कड़ाई से लागू करना चाहिए। माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है, उसमें और भी अच्छे प्रावधान करके एक सरकारी बिल यहां पास किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ऐसे बिल का इंतजार कर रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार बनी है, उनमें इसके प्रति आशा जगी है। इससे उनका भला होगा। कई वर्षों से उनकी पदोन्नति में रूकावटें खड़ी की जा रही थीं। हमारी सरकार के बनने से उन्होंने राहत की सांस ली है। इसके लिए एक सरकारी बिल लाकर उसे जल्दी से जल्दी पास किया जाए और उनका बैकलॉग पूरा करने के लिए एक अभियान चलाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसे पारित किया जाना चाहिए।

इस विधेयक को पारित करना एकदम उचित है क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें और अधिक आरक्षण मांगने का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें तो यही अपेक्षा की गई है कि केन्द्र सरकार एक अधिनियम पारित करे जिसमें मौजूदा आरक्षण की रक्षा की सके। समाज के विभिन्न वर्गों की यह प्रवृत्ति है कि वे किसी न किसी बहाने आरक्षण को चुनौती देते हैं। यही नहीं, कई न्यायालयों ने इस मामले में आदेश भी दिए हैं। इसके परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने बहुत कठिनाईयां झेली हैं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

मैं आपका ध्यान विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय की ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश की जनसंख्या का साढ़े सात प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति समुदाय है। देश के दूसरे भागों में रहने वाले इस समुदाय की मुझे जानकारी नहीं है। किंतु गुजरात में 20-25 वर्षों तक काम करने की वजह से मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा पूरे गुजरात राज्य में लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। पूरे देश में जनजाति समुदाय पर लगभग हर दिशा से दबाव पड़ रहा है। उन्हें विकास से वंचित रखा गया है उदाहरण के लिए वन कानूनों को ही लीजिए। चाहे यह वन संरक्षण अधिनियम हो, वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम हो, पशु अतिचार अधिनियम हो या वनों से संबंधित कोई अन्य अधिनियम हो। मुख्य वन अधिनियम के तहत इस देश के आदिवासी क्षेत्रों में किसी विकास कार्य की अनुमति नहीं है। वन अधिनियम के तहत वन उत्पाद के रूप में परिभाषित कच्चे माल के आधार पर वे कोई रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते।

यदि हम पूरे देश में बांधों के निर्माण कार्य पर गौर करें तो पाएंगे कि ये बांध आदिवासी क्षेत्रों में बने हैं। केवल गुजरात में 1947 के बाद से विभिन्न बांधों के निर्माण के फलस्वरूप 6 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को बड़े पैमाने पर जनजातिय क्षेत्रों से शहरों की ओर जाना पड़ा। देश के विभिन्न भागों में शिक्षा सुविधाएं बहुत कम हैं। मात्र मेरे ही राज्य में पहली से सातवीं कक्षा जाने वाली छात्राओं के मामले देखिए। यहां करीब 74 प्रतिशत छात्राओं ने पढ़ाई छोड़ दी है। लड़कों में यह 64 प्रतिशत है।

उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक सुविधाओं का बहुत अभाव है। राज्य सरकारों की प्रवृत्ति इन क्षेत्रों को विकास के बजाए तौर-तरीके सुझाने की है जिसके परिणामस्वरूप यदि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को देखें तो आप पाएंगे कि जनजातिय समुदाय में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या बहुत अधिक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की यह एक दूसरी नीति है। इसकी सुरक्षा पर एक नीति यह है कि इन जातियों, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं, का उत्थान किया जाए और इन समुदायों के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इन परिवारों के समक्ष रोजगार के कम अवसरों के कारण वे निराश हो जाते हैं। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिलाना चाहूंगा कि जहां तक इस देश के वित्तीय व्यय और वित्तीय आबंटन का संबंध है, इन समुदाओं के लिए बहुत कम कार्य किए गए हैं।

मैंने केन्द्र सरकार और गुजरात सरकार के बजट का विश्लेषण किया है। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राथमिक शिक्षा के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलकर भारत सरकार से अधिक खर्च करती हैं। 5000 करोड़ रुपये का आधा, करीब 1,500 करोड़ पहली से सातवीं कक्षा के छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने पर खर्च किया गया है। यदि आप बजट शीर्ष 2202 या सामान्य शिक्षा पर खर्च राशि को देखें तो यह एक बहुत ही अच्छी लेखा व्यवस्था अपनाई है। हम जान सकते हैं कि सामान्य शिक्षा पर राज्य सरकार ने कितनी राशि व्यय की है और इसे इस शीर्ष में लेखांकित किया जाना चाहिए। यह आगे फिर उप-मुख्य शीर्षों, गौण शीर्षों में जाता है। आप यह जान सकते हैं कि किस सरकार ने और किस शीर्ष के अंतर्गत कितना खर्च किया है।

बजट का विश्लेषण करने के पश्चात् हमने पाया कि गुजरात सरकार सामान्य शिक्षा के कुल बजट में से जनजातिय क्षेत्रों में मात्र 2.3 प्रतिशत ही व्यय कर रही थी और तकनीकी शिक्षा पर मात्र 3 प्रतिशत ही, इससे अधिक नहीं, खर्च कर रही है। मैंने योजना एवं गैर योजना व्यय पर एक साथ गौर किया है।

आप मेरा ही मामला देखिए, चाहे यह लघु सिंचाई हो, वृहद सिंचाई हो या इस क्षेत्र में कृषि विकास हो या फिर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी गतिविधियां हों जो अन्य कई मुख्य शीर्षों में की जा रही है। यदि आबंटित राशि ही कम होती है और यदि अधिकांश राशि का उपयोग नहीं किया जाता है या कम उपयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव इस समुदाय पर पड़ता है।

नीति के रूप में, इस विधेयक में यह प्रावधान है कि विकास की ऐसी सुविधाओं से वंचित लोगों को कम से कम सरकारी या अर्द्ध सरकारी रोजगार तो प्राप्त हो। मेरे विचार से, अगर हम सभी निजी संस्थाओं को निर्देश दें कि वे अपने संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करें तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरा विश्वास है कि सरकार देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की रक्षा करने की पहल करेगी। मैं इस विधेयक का पुन: समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा. (श्रीमती) अनिता आर्य (करोल बाग): सभापति महोदय, संविधान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता सुनिश्चित करना है। केन्द्र सरकार की यह नीति रही है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रतिष्ठा और उनको समानता दिलाना।

सभापति महोदय, जो प्राइवेट बिल संसद में आया है, इसके संबंध में मैं सरकार से मांग करूंगी कि सरकार इस विधेयक में अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण की कुछ बातें जोड़कर एक नया विधेयक संसद में लाये। एस.सी. और एस.टी. का बैकलॉग बहुत ज्यादा है, उसे पूरा किया जाए। नौकरियों में इन लोगों को प्रोमोशन दिया जाए। एस.सी., एस.टी. के लोगों की बहुत ज्यादा संख्या है, इसलिए उनके लिए सरकार द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाए, जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का कल्याण हो सके। मैं सरकार से मांग करती हूं कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स और अन्य संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। यदि सरकार का कोई भी पदाधिकारी आरक्षण के तहत होने वाली भर्ती में कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो नया रोस्टर आया है, उसकी कमियों को पूरा किया जाए। मैं सरकार से मांग करूंगी कि वह एस.सी., एस.टी. कमेटी की रिकमेंडेशन्स पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद में पेश करे। इसके साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर्स में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगी कि वह एस.सी., एस.टी. के हितों को ध्यान में रखकर एक नया विधेयक संसद में लाये। आज एस.सी., एस.टी. के लोगों के साथ हर क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक कारगर कानून बनाया जाए, ताकि उनके साथ कहीं कोई भेदभाव न हो सके।

मैं सरकार से पुन: कहना चाहती हूं कि इस प्राइवेट बिल में एस.सी., एस.टी. के कल्याण की बातें जोड़कर एक नया बिल वह संसद में पेश करे। इससे पहले भी सरकार संसद में विधेयक पेश कर चुकी है और आने वाले मंगलवार को भी एस.सी., एस.टी. से सम्बद्ध एक विधेयक संसद में आने वाला है। मैं इस बिल का न समर्थन करती हूं और न विरोध करती हूं, बल्कि एक नये विधेयक की डिमांड करती हूं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

डा. संजय पासवान (नवादा): आदरणीय सभापति महोदय, जो बिल संसद में लाया गया है, निश्चित तौर से वह एक चर्चा का विषय बना है। बिल के मूवर भाई प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने एक सार्थक प्रयास किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो काम पिछले कई दशकों में होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। जो काम पिछले पचास सालों में नहीं हुआ, वह आने वाले दो-चार या पांच सालों में हो जाए, यह संभव नहीं लगता है। इस सरकार ने एक ईमानदार और सार्थक प्रयास किया है। मैं सबसे पहले सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि सरकार ने कल्याण विभाग का नाम बदलकर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैन्ट विभाग किया है। कल्याण शब्द से एक दया का भाव झलकता था। इसलिए उसने इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नाम दिया है, जो सही मायने में सरकार की इच्छाशक्ति को दिखाता है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रख दिया। यह सरकार की निष्ठा दिखाता है कि सरकार कितनी सार्थक पहल करने वाली है। इसके बाद एस.सी., एस.टी. के विकास के लिए जो वित्त निगम बना था, उस वित्त निगम को अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अलग-अलग बांट दिया गया। लगातार सुधारों की श्रृंखला चल रही है। आरक्षण को दस साल के लिए बढ़ा दिया गया। इन क्रिया-कलापों से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की मंशा एस.सी. और एस.टी. के हित की है, केवल बहस या चर्चा की नहीं। हम चाहते हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ सरकार को बेपर्दा करने के लिए नहीं और जो प्रयास चल रहे हैं उनको रोकने के लिए नहीं, बल्कि नौकरियों में जो अवसर खत्म हो रहे हैं, उनके लिए चर्चा होनी चाहिए।

हमारे एस.सी., एस.टी. और ओबीसी के लिए नौकरियां खत्म हो रही हैं। जो निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण हो रहा है, उससे नौकरियां खत्म हो रही हैं। यह सिर्फ एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. की बात नहीं है, जनरल कैटेगरी की भी वह हालत है। नौकरियां ही नहीं हैं तो आरक्षण की बात क्या करें। कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रियेट की जाएं उस पर सोचें। जब जॉब्स क्रियेट होंगी तो सभी लोगों को लाभ होगा। हम चाहेंगे कि सरकार निश्चित रूप से इसकी तरफ ध्यान दे कि कैसे जॉब्स क्रियेट की जाएं और जो जॉब्स खत्म हो रही हैं कैसे उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जा सकता है। जो समाज के अन्य लोग हैं, जो अनइंप्लॉड हैं, उनको कैसे नौकरियों के अवसर मिलें, काम के अवसर मिलें, बेरोजगार, पढ़े-लिखे और शिक्षित लोगों को काम के अवसर दिलाने की आवश्यकता है। इस सरकार ने इस दिशा में हमेशा

[डा. संजय पासवान]

ईमानदार प्रयास किया है, चाहे श्रम मंत्रालय हो या सामाजिक न्याय मंत्रालय हो या कार्मिक मंत्रालय हो। हमें देखना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में जहां नौकरी के अवसर हैं, वहां कैसे कमजोर वर्गों को भागीदारी मिल सकती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के जो विकसित देश हैं, उन तमाम देशों में एफर्मेटिव ऐक्शन के अंतर्गत, सकारात्मक कार्यवाही के नाम पर कुछ कार्यवाही हो रही है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल है। अमेरिका में सुरक्षा के कई उपाय किये गये हैं। हमारी सरकार ने भी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर प्रयास किया है। निजी क्षेत्रों में कंपनीज एक्ट के माध्यम से कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। उन कंपनियों का सामाजिक दायित्व क्या होना चाहिए, उसमें तमाम कंपनियों के लिए कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। बेल्जियम और डेनमार्क में यह किया गया है। हम चाहते हैं कि इस पर विचार करना चाहिए। नौकरियां नहीं हैं और नौकरियों में आरक्षण खत्म हो रहा है इसलिए आरक्षण दो - केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कहना सही नहीं लगता है। यह विषय निश्चित रूप से महत्व का विषय है लेकिन यह संदर्भ उचित नहीं है। हम चाहेंगे कि जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं, जो मीडिया के लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सबको विचार करना चाहिए कि कैसे इन कमजोर वर्गों का हित हो सकता है।

हम सरकार को पुन: धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने अल्पावधि में समाज के इन कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए प्रयास किये हैं। उससे सरकार का इरादा झलकता है। हमें आशा और विश्वास है कि इस बिल से आगे बढ़कर दलित और कमजोर वर्गों के लिए सरकार एक बिल लाएगी कि कैसे बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरियों के अवसरों का सृजन किया जाए। इसके लिए हम सब आगे आएं और यह चर्चा का विषय बनेगा तभी हम सब लोग दलितों के साथ-साथ समाज के अन्य वर्गों के लिए भी रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे।

सभापति महोदय, इस बदलते परिवेश में कैसे इन वर्गों का सामाजिक हित हो सकता है, कैसे इन वर्गों की रक्षा की जा सकती है, यह सबके लिए चिन्ता की बात है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र की कंपनियों, न्यायपालिका और मीडिया आदि में इन क्षेत्रों की भागीदारी बिलकुल नहीं है। इन क्षेत्रों में इन वर्गों का पार्टीसिपेशन कैसे बढ़े, भागीदारी कैसे दी जाए और कैसे इनका कल्याण हो, इसके ऊपर भी हमें विचार करना होगा।

महोदय, जो वर्तमान बिल है, उसमें कुछ संदर्भ ऐसे हैं, जो उचित नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को प्रस्तुत करने का समय और संदर्भ दोनों ही उचित नहीं हैं। हालांकि उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन पूरा बिल पढ़ने और सरकार से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसको वापस ले लिया जाए और इसमें कुछ संशोधन करके सम्यक अर्थात् काम्प्रीहेंसिव बिल सरकार की ओर से सदन में लाया जाना चाहिए। यदि ऐसा बिल सदन में आएगा, तो मैं उसे पारित कराने में पूरा योगदान दूंगा। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय: चूंकि इस विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है इसलिए क्या सदन की सहमति है कि इस विधेयक पर बहस के लिए आधे घंटे का समय बढ़ाया जाए?

सदन की अनुमति से इस विधेयक पर बहस के लिए आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्रीमती आभा महतो (जमशेदपुर): सभापति जी, आज हम सदन में प्राइवेट मैम्बर बिल पर चर्चा कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण को लागू किया जाए। मैं इस बिल का समर्थन या विरोध तो नहीं कर रही हूं, लेकिन अपनी सरकार से इतना अवश्य कहना चाहती हूं कि इस तरह के बिल को खूब सोच विचार और संशोधन के साथ सदन में सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह बात सत्य है कि आरक्षण के जरिये देश के पिछड़े एवं पीड़ित वर्गों के कुछ लोगों को सही मायने में सहायता मिली और जो पिछड़े और दबे थे, उन्हे ऊपर उठने का मौका मिला है। मुझे विश्वास है कि आरक्षण के जरिए उन्हें और सुविधाएं तथा जीवन में आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय, एस.सी. और एस.टी. के आरक्षण के साथ-साथ जो ओ.बी.सी. हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस पर भी मैं बल देना चाहता हूं क्योंकि जिस प्रतिशत के अनुसार पूरे भारत में एस.सी. और एस.टी. की आबादी है, उसी प्रतिशत में ओ.बी.सी. की भी आबादी है। इनके अतिरिक्त और पिछड़े तथा दबे वर्ग के जो लोग रहते हैं, उन्हें भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब हम आरक्षण दे ही रहे हैं, तो ऐसे दबे-कुचले सभी वर्गों को सहायता देनी चाहिए ताकि उन्हें भी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल जाए और एस.सी. तथा एस.टी. के साथ ओ.बी.सी. को भी जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, मैं झारखंड से आती हूं। वहां मैक्सीमम प्राइवेट सैक्टर में उद्योग लगे हैं, लेकिन उनमें वहां की बहन और

भाईयों को रोजगार नहीं मिलता है। वे मजदूरी करते हैं। पढ़े-लिखे भी बेकार घूम रहे हैं। आज वे आरक्षण की सुविधाओं से वंचित हैं। झारखंड में नई सरकार गठित हुई है। वहां आरक्षण की आग लगी हुई थी। सरकार ने वहां 70 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है, लेकिन उस आरक्षण का फायदा हमें पूरी तरह से नहीं मिलेगा जब तक कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू नहीं करते हैं। वहां उद्योग हैं लेकिन उनमें आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारे बहन और भाई मजदूरी करते हैं। जो पढ़े-लिखे हैं, उन्हें भी अच्छी पोस्टों पर रोजगार नहीं मिलता है। क्वालीफाइड लकड़े भी बेकार घूम रहे हैं। वे इधर-उधर भागते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए।

मैं चाहूंगी कि इस बिल में संशोधन करके सरकार अपनी ओर से एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाए जिसमें सभी बातों का समावेश हो और सभी के विकास की बात हो। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि झारखंड में महतो जाति को आरक्षित श्रेणी, आदिवासी में 1932 की स्थिति के अनुसार माना जाता था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार ने महतो जाति गैर-आदिवासी घोषित कर दिया। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि जब संशोधित बिल आए, तो उसमें महतो जाति को आदिवासी जाति के रूप में माना जाए और उसे पूरे देश में लागू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने के लिए समय देने हेतु मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं माननीय संसद सदस्य, श्री राष्ट्रपाल का इस सम्माननीय सभा के विचारार्थ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2000 पेश करने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूं। इस विधेयक पर विचार के दौरान विचारोत्तेजक वाद-विवाद हुआ और कई माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। मैं इस वाद-विवाद में सोलह भाग लेने के लिए उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूं।

सरकार वंचित वर्ग के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता और जो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ाने के प्रति जागरूक है।

प्रधानमंत्री ने 18 मार्च, 1999 को लोक सभा में एक वक्तव्य दिया था और उस समय उन्होंने सभा को आश्वासन दिया था कि सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जनवरी और अगस्त, 1997 के बीच जारी कार्यालय ज्ञापनों की समीक्षा के लिए कृत संकल्प है। इस सभा और दूसरी सभा के समर्थन से प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने के संविधान में दो बार संशोधन किया गया और संविधान (इक्यासीवां) संशोधन अधिनियम, 2000 और संविधान (बयासीवां) संशोधन अधिनियम, 2000 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 16(4)(ख) और अनुच्छेद 335 का परन्तुक सम्मिलित किया गया। इन संशोधनों पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में बाद में 20 जुलाई, 2000 और 3 अक्तूबर, 2000 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 29 अगस्त, 1997 और 22 जुलाई, 1997 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों के प्रतिकूल प्रभावों को दूर किया गया। बकाया रिक्तियों को पहले लागू 50 प्रतिशत की अधिकतम आरक्षण सीमा से अलग रखा गया है और अर्हक अंकों और मूल्यांकन मानदंडों में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति और तैनाती में रियायत दी गई है। बकाया रिक्तियों को भरने के लिए वर्ष 1997 में जिस विशेष भर्ती अभियान को बन्द कर दिया था उसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने पुन: शुरू करने की मांग की है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शीघ्र ही इस आशय के निर्देश जारी करने वाला है। सभा के सदस्य 30 जनवरी, 1997 के कार्यालय ज्ञापन पर उत्तेजित थे जिसमें समानता (कैच-अप) सिद्धान्त निर्धारित किया गया था जिसके आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को त्वरित प्रोन्नति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अपनी वरिष्ठता प्राप्त बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। यह कार्यालय ज्ञापन अजित सिंह-I और वीरपाल सिंह चौहान के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरांत जारी किया गया था। इस सरकार ने विधिक राज्य मंत्री और विभिन्न वर्गों के सदस्यों से व्यापक परामर्श किया परन्तु इस तथ्य के बावजूद, कि उच्चतम न्यायालय ने अजित-II के मामले में भी उपरोक्त सिद्धान्त को बनाये रखा, सरकार ने त्वरित पदोन्नति मिलने की स्थिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की वरिष्ठता को यथावत बनाये रखने के लिए संविधान में संशोधन किया।

अब मैं सदस्यों से इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत संविधान (बयानवेवां) संशोधन विधेयक को यथाशीघ्र पारित करने का अनुरोध करता हूं ताकि अ.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारियों का वरिष्ठता संबंधी अधिकार को बनाये रखा जा सके। इस विधेयक के पारित होने के साथ-साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

यूनाइटेड-फ्रंट सरकार के शासन काल के दौरान 1997 में जारी पांच कार्यालय ज्ञापनों में से तीन ज्ञापनों, जिनसे वंचित वर्गों के लोगों में अत्यधिक रोष था, को बदल दिया गया है।

13 अगस्त, 1997 को जारी कार्यालय ज्ञापन में मात्र पदोन्नति में आरक्षण संबंधी व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 16(4)(क) के अनुपालन में 15 नवम्बर, 1997 से आगे बढ़ाना है। परन्तु इस कार्यालय ज्ञापन के कारण अनु.जा. और अ.ज.जा. हेतु आरक्षण 15 नवम्बर, 1997 से समाप्त हो गया होता। 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन, जो रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर लाने से संबंधित था, पर 16 सितंबर, 1999 के अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने विस्तारपूर्वक विचार किया है। अब समुचित कार्यवाही करने के लिए सरकार के विधि अधिकारियों के परामर्श से निर्णय के संपूर्ण प्रस्तावों के बारे में विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों को मालूम है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नीति 1947 से लागू है। केन्द्रीय सरकार सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 1 जनवरी, 1999 को क्रमश: 17.99 प्रतिशत और 6.15 प्रतिशत था। अनेक रियायतें जैसे अनु.जा. और अनु.ज.जा. के मामले में आयु में पांच वर्ष की छूट सीधे भर्ती के मामले में अनारक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध, तीन भर्ती वर्षों तक रिक्तियां बनाये रखने संबंधी प्रावधान, अर्हक अंकों में मूल्यांकन के समय मानक रियायत छूट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पहले से यही प्राप्त हैं। सभी मंत्रालयों और विभागों में आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। विशेषज्ञता प्राप्त चयन बोर्ड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग से कम से कम एक सदस्य नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। जैसाकि मैंने भी उल्लेख किया है कि अनु.जा. और अनु.ज.जा. संबंधी समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नीति को इस सरकार के शासन काल के दौरान नवीन उत्साह के साथ आगे बढ़ाया गया है।

वर्तमान विधेयक में अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनका आशय वर्तमान नीति और सरकारी सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना है। हाल ही में सांविधानिक प्रावधानों की व्यवस्था के मामले में कुछ प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के विरुद्ध जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार ये निर्णय बाध्यकारी हैं और इसीलिए संविधान संशोधन किए बिना, ऐसे उपबंधों को शामिल करने से ये विधिक रूप से अस्वीकार्य हो सकते हैं। इस विधेयक का आशय किसी भी न्यायालय के कार्यक्षेत्र के विरुद्ध सामान्य उन्मुक्ति व्यवस्था करके उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के इन प्रावधानों पर टकराव को दूर करना है। पहले भी उच्चतम न्यायालय के आदेशों से संबंधित मामलों में सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों को निष्प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था क्योंकि मात्र कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। अत:, संसद के समक्ष ऐसे कानून लाने के बजाय कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से यह अधिक वाजिब होगा कि आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए जाये।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल करने संबंधी छिहत्तरवें संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सक्रिय सुनवाई शुरू हो गई है और किसी आरक्षण विधेयक में, जैसा कि अभी विचाराधीन है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करना अपरिपक्वता होगी।

इस विधेयक के बहुत से उपबंध कार्यान्वित किए जा चुके हैं। वर्तमान रिक्तियों को शामिल किए बिना बकाया रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान, अर्हक अंकों और पदोन्नति में मूल्यांकन के मानकों में रियायत संबंधी प्रावधान और सीधे भर्ती के मामले में अनारक्षण की अनुमति न देने संबंधी प्रावधान को विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से लागू किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरक्षण संबंधी जो कार्यकारी निर्देश जारी किए गए हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकार के अनुरूप किए गए हैं, तथा ये विधि अनुकूल भी हैं। इंदिरा साहनी मामले में विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय ने इन निर्देशों को वैध ठहराया है और इसके अतिरिक्त नीति के कार्यान्वयन अथवा उसे लागू करने में आगे और किसी प्रकार की कानूनी न्यासी की आशंका व्यक्त नहीं की गई है।

इस नीति का अनुपालन न करना कदाचार के अंतर्गत आता है और आचरण नियम के अंतर्गत ऐसे चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। इन कार्यकारी निर्देशों का फायदा यह भी है कि ये भावी आवश्यकताओं के अनुरूप लचीले है और इस प्रकार का लचीलापन किसी विधायी कानून के द्वारा हमेशा प्रदान नहीं की जा सकती।

यह सुझाव दिया गया है कि व्यापक अधिनियम उचित नहीं रहेगा क्योंकि प्रथमत: यह जटिल और अड़चन उत्पन्न करने वाला है और दूसरे, यदि किसी अधिनियम का कोई उपबंध समाप्त भी

कर दिया जाता है, तो इसके शेष भागों के प्रभाव के बारे में प्रश्न उठता रहेगा।

महोदय, इनके अलावा अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ और मुद्दे भी उठाये हैं और मैं उन पर जल्दी से ध्यान देना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, सरकार बूटा सिंह, श्री रामदास आठवले और श्री नवल किशोर राय ने यह मामला उठाया है कि अद्यतन जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। इस समय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) के अंतर्गत प्राप्त अधिकार का निष्पक्ष और उचित सीमाओं के अंतर्गत रहकर उपयोग किया जाना चाहिए और यह ध्यान रहे कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 49.5 प्रतिशत है और सीधे भर्ती के मामले में 50 प्रतिशत है।

अपराह्न 5.00 बजे

इन परिस्थितियों के अंतर्गत न तो संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत उनकी जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण बढ़ाने पर विचार किया गया है और न ही ऐसा करना सम्भव है क्योंकि इससे अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जायेगा।

महोदय, श्री बूटा सिंह और श्री राष्ट्रपाल ने भी यह मामला उठाया था कि वर्ष 1997 में जब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अनु.जा. और अनु.ज.जा. के आरक्षण संबंधी पांच परिपत्र जारी किए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श नहीं किया गया था। यहां, आरंभ में ही मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि ये कार्यालय ज्ञापन उस समय जारी किए गए थे जब केन्द्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और इसलिए इस संबंध में जो गल्तियां हुई हैं, उन्हें वास्तव में वर्तमान सरकार पर नहीं थोपा जा सकता। हालांकि, 2.7.1997 और 13.8.1997 को जारी कार्यालय ज्ञापन से पूर्व राष्ट्रीय अ.जा. और अनु.ज.जा. आयोग से परामर्श किया गया था।

महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री रामदास, श्री सुकदेव पासवान और श्री नवल किशोर राय ने कहा है कि न्यायपालिका में भी आरक्षण होना चाहिए और एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सच तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और 235 के अनुसार, जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति, और स्थानांतरण से संबंधित सभी मामले संबंधित राज्य सरकारों और उनके उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान में किसी भी वर्ग, श्रेणी या व्यक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन विधि मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के तहत आता है।

महोदय, श्री रामदास आठवले और श्री सुकदेव पासवान ने यह मुद्दा उठाया है कि राज्य सरकारों को दो कार्यालय ज्ञापन वापस लेने के बावत सूचना नहीं दी गई है और दो अन्य कार्यालय ज्ञापनों को भी वापस लिया जाना चाहिए। ये कार्यालय ज्ञापन केन्द्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है और जब भी किसी राज्य सरकार ने इसका स्पष्टीकरण मांगा है, हमने स्पष्टीकरण देने में कभी संकोच नहीं किया है।

महोदय, श्री सुकदेव पासवान ने कहा है कि राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का आरक्षण होना चाहिए जैसे लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। संविधान में राज्य सभा और विधान परिषदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

महोदय, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरक्षण नीति के उल्लंघन पर आरक्षण कानून में विद्यमान दंडात्मक प्रावधान के संबंध में कहा है और इसे राज्य सरकारों की तरह संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैंने अपने पूर्व भाषण में इन मुद्दों का उल्लेख किया है।

महोदय, श्री वरकला राधाकृष्णन ने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सम्पन्न वर्ग 'क्रीमी लेयर' के व्यक्तियों की पहचान करने का कार्य किया जा रहा है ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा केवल ओबीसी श्रेणी के व्यक्तियों तक ही सीमित है और इस वक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महोदय, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाना चाहिए। जी हां, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का विचार बकाया पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने के लिए नवीन निर्देश जारी करने का है।

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

महोदय, यहां दो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं। एक मुद्दा श्री रामजी लाल सुमन ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण विधेयक का प्रारूप था जो 1996 में बनाया था के बारे में कुछ पता नहीं चला है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहती हूं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसे पहले कल्याण मंत्रालय कहा जाता था, आरक्षण पर विधेयक लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस बाबत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इसकी जांच की गई थी। हमने अपने विचार रखे और उसके तत्पश्चात् उस प्रस्तावित विधेयक को वापस लिया गया।

महोदय, श्री राष्ट्रपाल ने कहा है कि उन्हें अक्टूबर, 2000 में इसकी सूचना दी थी कि एक परिपत्र वापस ले लिया जाएगा और मई के महीने में मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच की जा रही है। मैंने तथ्यों की जांच की और हमने माननीय सदस्य को यह जानकारी 23.10.2000 को एक पत्र के माध्यम से दी कि, 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा विचार के निर्णायक स्तर पर है उन्हें यह सब बता दिया गया था।

मैं उन सभी सदस्यों जिनमें श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, श्री थावरचंद गेहलोत, प्रो. रासा सिंह रावत, श्रीमती जसकौर मीणा, श्री भार्गव, श्री नवल किशोर राय, श्री शीश राम सिंह रवि, डा. अनिता आर्य, डा. संजय पासवान, श्री मधुसूदन मिस्त्री और श्रीमती आभा महतो का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस रोचक चर्चा में, जो काफी समय से चल रही है भाग लिया है।

महोदय वर्तमान सरकार ने राजद के एजेण्डे को, जो मूलत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, और पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा समुचित कानूनी, कार्यकारी और सामाजिक प्रयासों के माध्यम से करने के लिए है पूरा करने के अपने दृढ़ निश्चय को काफी हद तक दिखा दिया है।

मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हालांकि उच्चतम न्यायालय ने अपने अधिकतम निर्णय 1992 और 1998 में दिए हैं, तत्पश्चात् इस सरकार के सत्ता में आने के बाद ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए गये हैं।

हमने केवल कागजी कार्यवाही, संकल्प और खोखले वादे नहीं किए हैं। परंतु हम कार्य करने में विश्वास करते हैं और भविष्य में भी हम पिछड़े वर्गों के न्यायपूर्ण और उचित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध रहेंगे।

इस संकल्प के परिप्रेक्ष्य में, हमारे पूर्व कार्यनिष्पादन को देखते हुए और यह बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रस्तावित विधेयक के अधिकांश प्रावधानों को या तो कार्यान्वित किया जा चुका है या सरकार के सभी स्तरों पर उन पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: प्राइवेट सैक्टर में रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): माननीय, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री के उत्तर से पूर्णत: असंतुष्ट हूं। माननीय मंत्री को यह बात मालूम होनी चाहिए कि सरकार एक नियमित संस्था है। परंतु वे वर्ष 1996-97 में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उस समय हालांकि संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में थी परन्तु इसके लिए नौकरशाही ही जिम्मेदार है जिसने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श नहीं किया। यहां माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि "उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में थी। यह सरकार सब कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है।"

महोदय, मुझे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माननीय मंत्री से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं थी। चाहे जो भी मंत्री रहा हो, चाहें जिसकी भी सरकार रही हो, यह गलती कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई है क्योंकि सरकार तो एक नियमित संस्था है।

अनुच्छेद 339 (क) के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित गंभीर मामलों के बारे में सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना चाहिए क्योंकि यह आयोग भी भारतीय संविधान के अंतर्गत नियुक्त होता है।

सरकार ने एक चूक की है। यह सभा यह जानना चाहती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों के विपरीत निर्णय लेने से पूर्व जिन अधिकारियों ने फाइल

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पास नहीं भेजी उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

महोदय, माननीय मंत्री महोदय को यह बात समझनी चाहिए कि मेरा विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों से संबंधित है जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत है मैं चाहता हूं कि उनके लिए आरक्षण अधिनियम बनाया जाए। इसका कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र से कोई लेना-देना नहीं है।

कई संसद सदस्यों का संपूर्ण सम्मान करते हुए मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वे भी नहीं जानते हैं कि इस विधेयक में क्या है। कई माननीय सदस्यों ने राजनैतिक संस्थाओं में आरक्षण की बात कही है। इस विधेयक का राजनैतिक आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है। फिर भी चूंकि इसका उल्लेख आया था इसलिए मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए। इसका प्रकाशन योजना आयोग करता है। यह भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के क्षेत्र संबंधी निर्देशक के बारे में है।

इस पुस्तिका के अनुसार—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों को भूल जाइए जहां आरक्षण का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है—इस लोक सभा में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में आरक्षण क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यदि लोक सभा में 543 सीटें हैं तो अनुसूचित जातियों को 81 सीटें मिलनी चाहिए, जो कुल 543 सीटों का 15 प्रतिशत है। यदि मेरा गणित ठीक है तो 543 का 15 प्रतिशत 81 होता है।

वर्तमान लोक सभा में केवल 79 सदस्य ही आरक्षित श्रेणी के है। बाकी अन्य तीन सीटें कहां गयी? संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में नहीं है। इस समय जो सरकार है उसका नेतृत्व अत्यधिक सम्माननीय व्यक्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे हैं। 81 सीटें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों को क्यों नहीं दी जा रही है?

यह विधेयक राजनैतिक आरक्षण देने के लिए नहीं है। यह विधेयक, केवल सरकारी सेवाओं में भर्ती के समय पदोन्नति इत्यादि के समय आरक्षण से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। मैं चाहता हूं कि इन सभी प्रावधानों को एकत्र करके एक अधिनियम में समाहित किया जाए ताकि उन्हें न्यायपालिका के हस्तक्षेप से और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति विरोधी भावना रखने वाले सराकरी अधिकारियों से बचाया जा सके। जब कोई पुलिस अधिकारी अपना कर्त्तव्य निर्वहन नहीं करता है तो उसे सजा मिलती है। जब कोई पुलिस अधिकारी अच्छा कार्य करता है तो उसे तुरंत नकद पुरस्कार मिलता है। राज्य सरकार और कभी-कभी केन्द्र सरकार में ऐसे कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जाता है।

इसी प्रकार केन्द्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या अन्य कार्यालय जैसे आयकर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि में अधिकारी कार्य कर रहे हैं। मैं केवल केन्द्र सरकार के कार्यालय के बारे में बात करूंगा। यदि ये अधिकारी अनुच्छेद 335 या 333 के साथ पठित अनुच्छेद 16 (4) (क) या अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत आरक्षण के प्रावधान को क्रियान्वित नहीं करते तो आप उन्हें कौन सी सजा देंगे?

यदि यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है तो इससे केन्द्र सरकार को उन नौकरशाहों के विरुद्ध कार्यवाही करने में मदद मिलेगी, जो भारत का संविधान लागू नहीं कर रहे हैं। यह सिर्फ इसी संबंध में है। मेरे विचार से आप कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्रों पर कार्यवाही करके इसे उसके साथ अनावश्यक रूप से मिला रहे हैं। यहां तक कि उस मामले में भी कितने वर्षों का विलंब हुआ है? हम यहां दो वर्षों से हैं। यह सरकार अक्तूबर, 1999 से सत्ता में आई। अब दिसम्बर, 2001 चल रहा है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के पांच परिपत्रों में से आपने केवल दो वापस लिए हैं, और वरिष्ठता से संबंधित एक और परिपत्र वापस लिए जाने की संभावना है। परन्तु आपने रोस्टर से संबंधित परिपत्र को वापस लेने से मना कर दिया है।

आपने एक संसद सदस्य को जो पत्र लिखा है जो हिन्दी में है, मैं आज उसे पढ़ रहा हूं। आज आपने बताया है कि मामला विचाराधीन है। मेरे पास अगस्त माह में राज्य सभा सदस्य श्री राजू परमार द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में आपके द्वारा उन्हें लिखित पत्र की प्रति है। आपका कहना यह है कि यदि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का रोस्टर संबंधी परिपत्र रिक्ति-आधारित रोस्टर से पद-आधारित रोस्टर में बदल दिया जाता है, तो संभवत: न्यायालय इसकी अनुमति न दें। अब मैं और यह सम्माननीय सभा भी यह जानना चाहती है कि इस मामले में सर्वोपरि कौन है? जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, सर्वोपरि कौन है? इसका निर्धारण कौन करेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाये। यह निर्णय कौन करेगा कि यह आरक्षण किस प्रकार दिया जाये? क्या मैं यह जान सकता हूं कि इसका निर्णय न्यायालय करेगा अथवा भारतीय संसद? आज आप

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

यह आशंका व्यक्त कर रहे है कि यदि यह विधेयक अधिनियमित कर दिया जाएगा तो न्यायालय उस पर अपनी सम्मति नहीं देगा। ऐसा क्यों हैं? पहले के अनुभव यह बताते हैं कि संसद ने यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों को पलटा है। मैं पुन: आपसे जानना चाहता हूं, शायद आप मुझे पुन: यह बतायेंगे कि जहां तक संविधान की व्याख्या, विधानमंडल की मंशा संविधान के जनक और स्वतंत्रता प्राप्ति के समक्ष गठित संविधान सभा की मंशा का सम्बन्ध है, सर्वोपरि कौन है। संविधान सभा और उसके बाद गठित पहली संसद चाहती थी कि केवल भर्ती में ही नहीं अपितु पदोन्नति में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होना चाहिए।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश के उच्चतम न्यायालय समेत कोई भी न्यायालय किस प्रकार इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं। परंतु हम तो न्यायालयों से वैसे ही भयभीत हैं। अब इन मामलों में संसद या कार्यपालिका द्वारा निर्णय लिए जाने के स्थान पर न्यायालय निर्णय करते हैं, और आप मात्र उनके निर्देशों का पालन करते है, चाहे यह मामला सी.एन.जी. से संबंधित हो अथवा धूम्रपान इत्यादि से। ऐसे में चुनाव क्यों करवाये जाते हैं और हम यहां किसलिए बैठे हैं? ऐसे मामले में सरकार और न्यायालय को कार्य करना चाहिए।

जैसाकि मैंने पहले कहा है, मंत्री महोदय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या बताकर संसद को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जी ने संसद को बताया है कि केन्द्र सरकार में अ.जा. और अ.ज.जा. के कुल कर्मचारी 17 प्रतिशत है। सरकारी सेवा में आरक्षण विभिन्न श्रेणियों अर्थात् श्रेणी क, ख और ग तथा घ के अनुसार दिया गया है परंतु मंत्री जी ने सफाईकर्त्ताओं, चपरासियों को निदेशकों और अधिकारियों के साथ मिलाकर कुल संख्या बता दी है। उन्होंने श्रेणीवार आंकड़े नहीं दिए। इस देश में अखिल भारतीय प्रशासनिक अथवा भारतीय पुलिस सेवा का प्रतिशत कितना है? यदि उनके पास आंकड़े नहीं है तो योजना आयोग की मदद से प्राप्त आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं उन्हें तत्संबंधी अद्यतन आंकड़े दे सकता हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि तीन संसद सदस्य कम है। सारे देश में विधायकों की कुल संख्या लगभग 4072 है। अद्यतन जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 15% है। वर्तमान जनगणना के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। यह 20 प्रतिशत से अधिक ही होना चाहिए। अ.जा. के विधायक केवल 13.8% है। शेष 1.2% का क्या हुआ। यह जनसंख्या का ठीक 15 प्रतिशत क्यों नहीं है। सारे देश में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या 5159 है परन्तु अ.जा. से संबंधित अधिकारी केवल 548 अर्थात् 10.6% हैं। देश में भारतीय पुलिस सेवा के कुल अधिकारियों की संख्या 3301 है और उनमें अ.जा. के अधिकारियों की संख्या केवल 408 ही है। यह लगभग 12.4% है।

अ.ज.जा. के मामले में सांसदों की संख्या 41 है और विधायकों का प्रतिशत 5.39% है। आई.ए.एस. अधिकारियों की कुल संख्या 258 है जो लगभग 4.9% है। आज अ.ज.जा. की कुल जनसंख्या 8 प्रतिशत से कम नहीं है। अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि यह 7.5% है। यदि अद्यतन जनसंख्या पर गौर किया जाये तो यह 8% से अधिक होगी क्योंकि गुजरात की भाजपा सरकार ने जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत बढ़ा दिया है। यह केवल 258 अर्थात् 4.9% है। अ.ज.जा. के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या 239 अर्थात् 7.2 प्रतिशत है। अत: इस दृष्टि से आई.पी.एस. अधिकारियों की स्थिति बेहतर है। ये आंकड़े योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 2000 में दिए गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ये आंकड़े माननीय मंत्री को क्यों नहीं दे रहा है? यह विभाग संसद को यह सूचित क्यों नहीं करता कि केन्द्र सरकार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 17 प्रतिशत है? मैं यह मानता हूं कि शत-प्रतिशत सफाईकर्त्ता अनुसूचित जाति समाज के है परंतु उसे अन्य श्रेणियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। मुझे इस बात का अत्यधिक खेद है कि कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री संसद को गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहे हैं। उन्हें विभाग का इस प्रकार बचाव नही3 करना चाहिए।

लगभग सभी सदस्यों ने मेरे विचार का समर्थन किया है। आज भी दो-तीन सदस्यों ने कहा है कि वे न तो विधेयक के समर्थन में है और न विरोध में। यह भी अच्छा है। अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि सरकार थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ यह विधयेक लाये। एक सदस्य ने इस प्रकार भाषण दिया मानो इसका उद्देश्य निजी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करना है। ऐसा नहीं है। यदि आप 'संस्थान' की परिभाषा देखें तो यह अत्यधिक रूचिकर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को सामान्य लोगों ने तैयार नहीं किया है। इस विधेयक को मेरे समेत अ.जा. और अ.ज.जा. के सर्वोच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त नौकरशाह और विद्वान राजनीतिज्ञ शामिल हैं, द्वारा तैयार किया गया है जो सभी अ.जा. और अ.ज.जा. के कल्याण के प्रति चिंतित हैं। सबसे अधिक रुचिकर बात 'संस्थान' की परिभाषा है।

एक सदस्य ने पूछा है कि इस विधेयक को लागू करने का क्या फायदा है। मेरे विद्वान मित्र श्री खारबेल स्वाईं का कथन है

कि अनु. जातियों को सक्षम होना चाहिए। उन्हें योग्य बनना चाहिए योग्यता के आधार पर आगे आना चाहिए। हमें आज यह सलाह दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि अनु.जा. के लोग अ.ज.जा. सेवा के अधिकारी होने पर अन्य समुदायों के लोगों से विवाह करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनकी परेशानी क्या है। महात्मा गांधी ने अपने अंतिम दिनों में कहा था कि वह उस किसी विवाह में नहीं जायेंगे, जो अंतरजातीय नहीं हैं।

क्या हम अंतरजातीय विवाह के समर्थन में नहीं है? यह एक प्रगतिशील कदम है। मेरे मित्र श्री रामदास ने भी एक और अनुसूचित जाति की लड़की से विवाह किया है? क्या आप किसी पर रोक लगा सकते हैं? वास्तव में इसमें मेरी जाति का नुकसान है। परंतु यदि कोई गैर-अनुसूचित जातीय लड़की अनुसूचित जाति के किसी अधिकारी का चयन करती है तो मेरे विचार से इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार से इस विषय पर आज चर्चा नहीं की जानी चाहिए। परन्तु 'संस्थान' की परिभाषा रुचिकर है। इसमें कहा गया है:

> ''संस्थान का तात्पर्य है समुचित ढंग से समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन किसी कार्यालय से है। भारत के भूभाग में भारतीय संसद, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सभी स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण तथा समुचित सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के बैंक, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक प्राधिकरण, स्वायत्तशासी निकाय और संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित प्राधिकरण।''

न्यायालय किस प्रकार अस्तित्व में आये? क्या स्वर्ग से उनका आगमन हुआ है। ये न्यायालय भारत सरकार की वजह से बने हैं। उन्हें सुविधायें कौन प्रदान कर रहा है? इस देश में न्यायालयों के लिए धनराशि कौन खर्च कर रहा है? इसी प्रकार से स्वायत्तशासी निकाय सभी निगम, पंजीकृत फर्में और उद्योग चलाने वाले औद्योगिक घराने सरकार ने बनाये हैं। हम उन्हें, भूमि, जल, बिजली और अन्य सभी सुविधायें मुहैया कराते हैं। इस सरकार का दायित्व बढ़ गया है क्योंकि इसी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण था। अब आप विनिवेश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: आपको तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार आपकी दिक्कतें दूर कर रही है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मंत्री महोदय ने जो हमारे बिल के बारे में गलत-फहमियां फैलाई हैं, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

कृपया मेरी बात में व्यवधान न डाले। यदि मेरे विधेयक पर आधारित विधेयक पुर:स्थापित होता है तो मैं माननीय मंत्री भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद दूंगा। वे उपयुक्त संशोधन कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इस रूप में विधेयक स्वीकार्य नहीं होगा। इसमें उपयुक्त संशोधन करके सरकार इसे पेश कर सकती है। मैं सरकार से यही आश्वासन चाहता हूं। अन्यथा मैं नहीं बैठूंगा।

मैं माननीय मंत्री से एक बात प्रमाणित करवाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: 15 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है क्योंकि इस बिल का समय समाप्त हो गया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमें सूचित किया गया है कि 1966 में जो विधेयक पुर:स्थापित किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे संसद में पेश किया गया था। जिन मंत्री ने यह विधेयक तैयार किया है वह मेरे विधेयक के पक्ष में बोले हैं, उनका कथन है कि यह विधेयक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श करके तैयार किया गया था। इसे सरकार के सभी विभागों ने अनुमोदित किया था। यह इस संसद के समक्ष नहीं रखा गया है। उस विधेयक का क्या हुआ, इसकी आप सही जानकारी दीजिए।

एक अन्य बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वह यह है कि जब यह संसद शुरू हुई थी तो माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में संबंधित संसद सदस्यों का एक तीन दिन का सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें माननीय प्रधान मंत्री और तत्कालीन विधि मंत्री, श्री राम जेठमलानी ने संबोधित किया था। सामाजिक न्याय मंत्री वहां तीन दिन रहे। हम सभी ने भाग लिया। आठ सदस्यों की एक समिति बनाई गई और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी तीस मुद्दों पर विचार किया गया। तत्पश्चात् सामाजिक न्याय मंत्रालय ने मुझे तथा अन्य सदस्यों को सूचित किया कि यह आरक्षण विधेयक पारित किया जाना चाहिए और यह मामला कार्मिक विभाग के पास लंबित है।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

अब, आप इस बात का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आपके विभाग को जो टिप्पण भेजा गया था उस पर आपने क्या कार्यवाही की।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): सरकार ने जो किया, उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप बातों को मिलाएं नहीं। यह बात मैंने अपने भाषण में कही थी। मैं रिकार्ड को देखकर माननीय मंत्री को बता सकता हूं कि यह कहां है। मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से यह उत्तर मिला कि यह विशेष कार्यसूची कार्मिक मंत्रालय को भेजी गयी थी। आपने संसद के सभी दलों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मांगों के संबंध में क्या कार्यवही की है? यह मांग केवल कांग्रेस संसद सदस्यों की ही नहीं थी।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: इतने वर्षों तक हुकूमत में आप क्या कर रहे थे? पचास सालों में आपने क्या किया?...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: हमने जो किया, उसे आप सौ सालों में नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रासा सिंह रावत जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आप यह भी नहीं जानते कि यह विधेयक क्या है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जो आरक्षण को लाई है। 1950 में कौन सत्ता में था?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप टोका-टाकी में क्यों उलझ रहे हैं? टोका-टाकी मत करिए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: माननीय, सभापति महोदय, आपको उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहली लोक सभा में कौन सत्ता में था। संविधान सभा में जब संविधान तैयार किया जा रहा था उस समय देश पर किसा शासन था? उस समय किसका बहुमत था?

प्रो. रासा सिंह रावत: और देश का विभाजन किसने कराया?...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मुझे बहुत खेद है कि आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। आप आरक्षण-विरोधी है, आप दरिद्र-विरोधी है, आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरोधी हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप टोका-टाकी में न पड़े। अब कनक्लूड करिए। आपके पास केवल तीन मिनट हैं। अब आप कनक्लूड करिए। आप टोका-टाकी में मत पड़े।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: जब वे बोल रहे थे तब मैं बीच में नहीं बोला था।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप विषय से इतर क्यों जा रहे हैं?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: संक्षेप में कहूं तो जो कुछ भी होता है उसके लिए मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा आरक्षण अधिनियम की मांग कर रही है या नहीं। यदि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में पार्टी के लिए आरक्षण की मांग की थी तो वह केन्द्र सरकार के लिए आरक्षण विधेयक की मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं? आठ राज्य सरकारों ने आरक्षण विधेयक पारित कर दिए हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। आपको जो पसंद नहीं है उसे आप हटा सकते हैं। आप जो चाहते हैं उसे जोड़ सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वे लोग सरकारी सेवा में है या जिन्हें सेवा में लिया जाना है कि हितों की रक्षा के लिए आरक्षण विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा पारित किया जाए। ताकि इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी अधिकारियों और

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी न्यायपालिका के हाथों में उनके हित संकट में न पड़ जाएं...*(व्यवधान)*

मैं माननीय मंत्री से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि यदि इस विशेष विधेयक को नहीं तो इस प्रकार के विधेयक को उचित संशोधनों के साथ सरकार द्वारा पुर:स्थापित किया जाए। उसके बाद ही मैं इस विधेयक को वापस लूंगा, अन्यथा इस पर मतदान कराया जाए।

सभापति महोदय: क्या आप अपना विधेयक वापस ले रहे हैं अथवा नहीं?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं अपना विधेयक वापस नहीं ले रहा हूं। तथापि यदि मुझे सरकार से आश्वासन मिल जाए, तो मैं इसे वापस ले लूंगा अन्यथा नहीं।

सभापति महोदय: सरकार की ओर से कोई बोलना चाहता है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: मैं दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं। मैंने इस विषय पर जो कुछ भी कहा उस पर कायम हूं। मैंने इसे उसी भावना से उठाया था जब श्री प्रवीण राष्ट्रपाल ने मुझे अक्टूबर, 2000 में बताया था कि कुछ परिपत्रों को वापस लिया जा सकता है।

उन्होंने उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया था और मैंने कहा था कि मामले की जांच की जा रही है। मैं यहां यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि उस समय इस पर काफी विचार-विमर्श हो चुका था। मैं यह कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामले पूर्व की और वर्तमान सरकारों के लिए गहरी चिंता का विषय रहे है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपस में वाद-विवाद करने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कुछ भला होगा। हम इन लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हम इन लोगों के लिए जितना भी अच्छा कर सकते हैं, करेंगे। हमने पिछले दो सालों में यह साबित कर दिया है क्योंकि हमने पहले ही दो संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किए है और हम तीसरे विधेयक को पारित करने की तैयारी में है। हमारी चिंताओं को अन्यथा नहीं लिया जा सकता और जो कुछ मैंने अभी कहा उस पर मैं अडिग हूं।

आपने श्री रामजी लाल सुमन के विधेयक के बारे में एक और प्रश्न पूछा था। मैं कहना चाहूंगी कि इसे संसद में पुर:स्थापित नहीं किया गया था। परंतु मुझे खेद है कि यह बात 1996 की है और इसकी जिम्मदारी मैं नहीं ले सकती। परंतु चाहे यह पूर्ववर्ती या बाद की सरकार हो, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दुर्दशा से चिंतित है। इसलिए मैं इस बात की सराहना करूंगी यदि हम सभी मिलकर इनके उत्थान का कार्य करते हैं। प्रश्न नहीं है कि यह कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार सत्ता में हैं। हम एक संविधान (संशोधन) विधेयक ला रहे हैं और हम पुरजोर यह प्रयत्न करेंगे कि इन वर्गों के उत्थान का कार्य जारी रखा जाए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: जिस संविधान संशोधन विधेयक का आप उल्लेख कर रहे हैं केवल वरियता के साथ पदोन्नति के लिए है। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक समुचित संशोधनों के साथ पुर:स्थापित किया जाएगा या नहीं। यदि ऐसा है तो मैं अपना विधेयक वापस लेता हूं अन्यथा इस पर मतदान कराया जाए।

सभापति महोदय: 'इस पर मतदान कराया जाए' का अर्थ है आप इसे वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.33 बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक*—*विचाराधीन*
(सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री वैको (शिवकाशी): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 23.11.2001 में प्रकाशित।

[श्री वैको]

सभापति महोदय, मैं आज संसद की इस माननीय सभा में मिले सुनहरे अवसर के लिए आभार प्रकट करता हूं। महोदय, मैं आज के दिन अर्थात् शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2001 को हमेशा याद रखूंगा और मैं इस दिन को अपने सार्वजनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद करूंगा क्योंकि इस दिन मुझे द्रविड़ आंदोलन से जुड़ने का गौरव प्राप्त हुआ है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): क्या द्रविड़ आंदोलन का उल्लेख करना जरूरी है?

श्री वैको: यह आवश्यक है। आपको मार्कस् के विचारों को सुनना होगा। इसका कारण यह है कि हम आपकी तरह अपने विचार नहीं बदलते।

महोदय, यह मूलभूत सिद्धांत है जिससे हम आजीवन जुड़े हुए हैं। श्री वरकला राधाकृष्णन, आप कृपा मैं जो कुछ यहां कहने जा रहा हूं उसे सुनिए और समझिए।

सभापति महोदय: श्री वैको, कृपा अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: परंतु आप द्रविड़ आंदोलन को यहां क्यों ला रहे हैं?

श्री वैको: क्या आपके लिए महज द्रविड़ नाम का उच्चारण ही अभिशाप है? आप भी द्रविड़ है इसे मत भूलिए। आप एक भारतीय है और उसी के साथ एक द्रविड़ भी है।

अत: महोदय, मुझे उस आंदोलन से जुड़ने का सम्मान प्राप्त हुआ है। जिसकी शुरूआत हमारे महान दिवंगत अरीगनार अन्ना ने की थी तथा जिन्होंने डीएमके पार्टी की बुनियाद रखी थी।

महोदय, यह विधेयक भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दिए गये प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालेगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। मेरे दल मारूमलारची डीएमके का मूलभूत सिद्धांत राज्यों को अधिक अधिकार देना सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है और देश में सच्चे रूपों संघीय प्रणाली की स्थापना करना है। इसलिए हम सच्चे संघ के पक्षधर हैं। वे भी दिन थे जब दिवंगत अरीगनार अन्ना नें अलग देश की मांग की थी। इसे द्रविडिस्तान या द्रविड़नाडु कहा गया था, जिससे मेरे मित्र श्री वरकला राधाकृष्णन को परहेज हो सकता है। परंतु यह इतिहास का एक भाग है।

चीन के आक्रमण तक—जब चीन के गोले हिमाचल की चोटियों तक पहुंचे थे तो मेरे मार्क्सवादी मित्रों ने खुशी मनाई थी- अन्ना ने एक अलग राज्य की मांग त्याग दी थी। उसी समय जब वे तमिलनाडु के मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन कारणों से उन्होंने अलग राज्य की मांग की थी वे कारण अभी भी विद्यमान हैं, महोदय भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा है:

> "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उनके समस्त नागरिकों को, न्याय स्वतंत्रता समता प्राप्त करने के लिए तथा बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसर्पित करते हैं।"

यह विचार स्वयं ही सच के विरुद्ध है। इसका कारण है कि संविधान सभा में देश की जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। श्री के.सी. वेहरे ने अपने आधुनिक संविधान में इसका उल्लेख किया है। मैं इसे उद्धृत करना चाहता हूं:

> "भारत में लोगों ने संविधान को हमारी संविधान सभा में अधिनियमित किया। परंतु उस सभा के प्रतिनिधियों का चयन भारत के थोड़े से लोगों ने किया था और संविधान को सभी लोगों के सीधे सुपुर्द नहीं किया गया।"

1733 तक ब्रिटिश राज में केन्द्र सरकार जैसी कोई चीज नहीं थी। लोग मजबूत केन्द्र की वकालत कर रहे हैं। अनेक राजनैतिक दल मजबूत केन्द्र और एक मजबूत भारत की मांग कर रहे हैं। हम एक सुदृढ़ भारत का समर्थन करते हैं और मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हम स्पष्टरूप से भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रश्न पर हमारी नेकनीयती बिल्कुल साफ है, चाहे एमडीएमके हो या डीएमके हो या एडीएमके हो या तेलगु देशम हो या नेशनल कांफ्रेंस हो या अकाली दल हो या कोई और क्षेत्रीय दल के हो, हम किसी से कम नहीं है।

हम देश की एकता और अखंडता चाहते हैं। परंतु क्या अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत वास्तव में एकजुट था? मैं इस मामले में विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बद्ध अपने माननीय सहयोगियों से, चाहे वे विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के, किसी के भी प्रति बिना दुर्भावना, कड़वाहट, द्वेष और भेदभाव के सहयोग चाहता हूं, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैं अपने विचार सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। वे मेरी बात सुने और जो कुछ मैं यहां कहना चाहता हूं अपने मन में उसे तौले क्योंकि मैं उस दल से हूं जिसने अलग देश की मांग की थी। हमने अलग देश की मांग की थी। हमने इस मांग का शत प्रतिशत त्याग कर दिया है। आज हम अलग देश के समर्थक नहीं है। हम अखंड भारत की कामना करते हैं। परंतु उसी के साथ, हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में अनेक धार्मिक दल, भाषाएं और सभ्यताएं है मेरे कई

मित्र मुझसे निश्चित ही असहमत होंगे परंतु मेरे मार्क्सवादी मित्र निश्चित ही मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत एक बहु-राष्ट्रीय देश है। देश में अनेक राष्ट्रीयताएं हैं आज कोई भी भारतीय गर्व से अपना सर उठा कर दुनिया के किसी भी देश की राजधानी की सड़कों पर चल सकता है क्योंकि उसका संबंध एक ऐसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से है जो अमरीका से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। 'एकता और अनेकता' शब्दों का प्रचलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन विविधताओं, अनेकताओं, जातीय, भाषायी, धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद 5 दशक गुजर गये हैं, सरकारें आईं और गईं परंतु हमारा देश आज भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

मेरा मुद्दा यह है कि क्या अंग्रेज आने से पहले भारत एक था? लोग कहते हैं कि भारत में एक सशक्त केन्द्र होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य में भी मजबूत केन्द्र था परंतु क्या वह साम्राज्य सदा के लिए रहा? उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया। कुछ इतिहासकारों ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा है। उनका भी केन्द्र मजबूत था क्या वे भी पतन से बच सके? उसके बाद, चंगेज खान आया, मुगल साम्राज्य भी यहां रहा है।

मुझे श्री संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति थे, के शब्द याद हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि न ही अशोक के और न ही औरंगजेब के राज में यह देश एक था। अंग्रेजों की लाठी और गोलियों ने इस देश को एक किया। यहां तीन प्रेसीडेन्सी, कलकत्ता, बाम्बे और मद्रास थी। केन्द्रीकरण, जहां सारी शक्तियां केन्द्र के पास थी, लार्ड कर्जन के समय में अपने शीर्ष पर था। उसके बाद लार्ड मिंटो जब यहां के वाइसराय थे तब लार्ड मोरले, ब्रिटिश राज के समय लंदन में भारत के सचिव थे। लार्ड मोरले ने रायल कमीशन का गठन किया था। यह विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहला कदम था। वर्ष 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों ने भारत में संघीय ढांचे की शुरूआत की थी।

यहां ये शब्द ग्रानविले आस्टिन के हैं। उन्होंने भारत के संविधान पर गहन शोध किया। संविधान सभा में हुई एक चर्चा में श्री के. संथानम ने कहा था:

> ''मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीय राजनैतिक प्रणाली में प्रांतीय स्वायत्तता की जो थोड़ी सी शुरूआत की थी उसने देश में प्रांतीय स्वशासन के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार की विशाल संभावना पैदा की। हम समझते हैं कि 10-15 वर्षों में संपूर्ण समवर्ती सूची स्वत: ही केन्द्रीय सूची बन जाएगी।''

महोदय, वर्ष 1999 में अरीगनार अन्ना के जन्मस्थान कांचीपुरम में राज्यों की स्वायत्तता पर जब सम्मेलन हुआ था तो वर्तमान गृह मंत्री भी उस सम्मेलन में उपस्थित थे और अपने भाषण में उन्होंने इस मुद्दे को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि विकेन्द्रीकरण आज के समय की मांग है। इसलिए वे भी मजबूत केन्द्र के पक्षधर हैं, परंतु उसी के साथ ही वे महसूस करते हैं कि देश में विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। मेरे विचार से माननीय सदस्य भी इस विधेयक पर प्रकाश डालेंगे कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं और वे विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता विशेषकर, सातवीं अनुसूची के बारे में उनका क्या विचार है।

महोदय, इससे पहले इस विषय पर एक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा हुई थी परंतु मेरी याददाश्त के मुताबिक मैंने ग्रन्थालय में पुस्तकों को पढ़ा है- आज पहली बार संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के पुन: आवंटन के बारे में किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर चर्चा की जा रही है।

महोदय संक्षेप में इन सब विषयों को अपने विधेयक में शामिल करने के लिए मैंने चार विषयों की सूची दी है जिन्हें संघ सूची से हटा कर राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पहला विषय भारत में विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क के संबंध में है प्रविष्टि संख्या 84 इसके अंतर्गत

(क) माननीय उपभोग के लिए अल्कोहल लिकर,

(ख) अफीम, भारतीय भांग या अन्य स्वाक औषधियां तथा स्वाक पदार्थ शामिल नहीं है किंतु ऐसी अल्कोहल अथवा अन्य स्वापक पदार्थ युक्त औषधीय और प्रसाधन वस्तुओं की इस प्रविष्टि के उप पैरा (ख) में शामिल किया गया है। दूसरा विषय कृषि भूमि के अलावा संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क के बारे में प्रविष्टि संख्या 87 है। तीसरा विषय कृषि भूमि के अलावा संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क के बारे में 'प्रविष्टि संख्या 85' है और चौथा सबसे महत्वपूर्ण विषय है किसी अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में शामिल नहीं है जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर भी शामिल है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है, के बारे में प्रविष्टि संख्या 97 है। इन्हें अवशेष शक्तियां कहते हैं।

महोदय, जब हम संघीय संविधान की बात करते है तो हमेशा संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा या कुछ हद तक आयरलैंड का हवाला देते हैं। जहां तक अमरीका के संविधान का प्रश्न है, अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। आस्ट्रेलिया में भी, अवशेष अधिकार राज्य के पास हैं परंतु कनाडा के ही मामले में अवशेष अधिकार केन्द्र के पास हैं।

भारत में अवशेष अधिकारों के आवंटन की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि यहां दो लांबियां थी। एक शक्तिशाली लॉबी की मांग थी की अवशेष अधिकार राज्य के पास ही रहना चाहिए। एक अन्य शक्तिशाली लॉबी भी है जिसे मैं साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहता, जो इसके बारे में जानने की इच्छुक थी वे इतिहास के पन्नों में देख सकते है, कि राज्य के लिए कौन मांग कर रहा था और संघ के लिए कौन मांग कर रहा था।

[श्री वैको]

कुछ शक्तिशाली लोग मांग कर रहे थे कि ये शक्तियां केन्द्र की सूची में ही रहनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? संविधान निर्माताओं ने बड़ी चालाकी से नया तरीका अर्थात् समवर्ती सूची बनाई इस प्रकार उन्होंने अपनी जानकारी की मदों का विभाजन केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया। वे किसी भी समस्या को पैदा नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने सावधानीपूर्वक लिखा:

> "किसी अन्य मामले को जो सूची II या सूची III में शामिल नहीं है, इनमें वे भी कर आते हैं, जिनका उल्लेख इन दोनों ही सूचियों में नहीं है, इसमें शामिल किया जा सकता है।"

वर्तमान संविधान के अनुसार, यह केन्द्र की सूची में दर्ज प्रविष्टि संख्या 97 है।

मैंने यह संशोधन पेश किया है। इनका समाविष्ट राज्य सूची में किया जाना चाहिए। वे शायद सहमत न हो परंतु यह मंच, चर्चा, विचार-विमर्श और विभिन्न विचारों को सामने रखने के लिए है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि इन दस विषयों को समवर्ती सूची से हटाकर राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए:

1. कृषि भूमि के अलावा संपत्ति का अंतरण; विलेख पत्र और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण (प्रविष्टि संख्या 6)।
2. कार्यवाही योग्य गलत कार्य (प्रविष्टि संख्या 8)।
3. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय, जो सूची-I की प्रविष्टि संख्या 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अधीन है, श्रमिकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण सहित शिक्षा।

शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस पर भी अपने विचार व्यक्त करूंगा क्योंकि यह एक विवादास्पद विषय बन गया है। इसे राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पहले भी यह राज्य सूची में था। आपातकाल के दौरान, 42वें संशोधन के अनुसार, इसे राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यह लोकतंत्र के उपर जबरदस्त कुठाराघात था जब विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया था। लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। कई संसद सदस्यों को भी जेल में डाला गया था। 42वें संशोधन ने शिक्षा के मद को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में डाल दिया है।

मैं इससे व्यथित हूं। सब कुछ एक ही व्यवस्था के अधीन लाने के नाम पर यदि आप संस्कृत को प्रधानता देना चाहते हैं, यदि आप वेदों की या अन्य कोई अवधारणा लाना चाहते हैं और यदि आप इस प्रकार की शिक्षा को आप पूरे भारत में लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं तो मैं इसके पूर्णत: विरुद्ध हूं। 'ज्योतिष' पर भी बहस हो रही है। यह स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रम का अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। एक बुद्धिवादी के रूप में, मैं इसके पूर्णत: विरुद्ध हूं। इसलिए, शिक्षा महत्वपूर्ण है...*(व्यवधान)*

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): लेकिन आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री वैको: वह एक अलग मामला है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ निश्चित मामलों पर हमारे बीच मतभेद हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): एक बुद्धिवादी के रूप में, आप 'भगवाकरण' का समर्थन कर रहे हैं।

श्री वैको: जी नहीं। मेरी अपनी पहचान है। ज्योतिष एवं अंधविश्वास को मानने वाले मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सलाह दी कि, "प्रिय वैको, आप अपनी विचारधारा में परिवर्तन करकर किसी अन्य विचारधारा को अपना लीजिए। आप सत्ता में आ जायेंगे।" मैंने उन्हें बता दिया: जी नहीं। नहीं, मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलूंगा। कुछ सिद्धान्तों और मुद्दों पर मेरा विचार अटल है। अत:, अब मैं दूसरे विषय पर बात करूंगा।

'पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं' मद इस समय समवर्ती सूची में है। इसे राज्य-सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

'संख्या-5, जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।- प्रविष्टि संख्या-30, संख्या-6, संसद द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तनों को लघु पत्तन कहा जाए। 'संख्या-7, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष-प्रविष्टि संख्या-40 इसे भी राज्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

'संख्या-8, ऐसी संपत्ति को (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए- प्रविष्टि संख्या 41

संख्या-9, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण- प्रविष्टि संख्या-42

संख्या-10, न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप शुल्क, किन्तु इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरे नहीं हैं।

महोदय, राज्यों के लिए कौन सी मदें हैं? यह सूची हास्यास्पद है। राज्यों को क्या शक्तियां दी गई है? देश में उनकी स्थिति कमोवेश याचक की हो गई है। अधिकांश समय उन्हें यहां हाथ

फैलाना पड़ता है जैसे उन्हें केन्द्र द्वारा कुछ दान किया जा रहा हो। यह बात श्री हनुमन्थीया ने कही थी। यह बात कर्नाटक के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री विरेन्द्र पाटिल ने कही थी। हमें नगरपालिकाओं की तरह भी अधिकार नहीं दिये जाते हैं। ये बातें मुख्यमंत्रियों द्वारा कही गई हैं।

राज्यों को कौन सी मदें दी गई हैं? कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण, ग्रामीण जीव जन्तुओं और पक्षियों का संरक्षण, बाजार और मेले

निखात निधि

बाट और माप जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है।

दांब और द्यूत

तीर्थ यात्रायें

शब गाड़ना और कब्रिस्तान.....।

यह बात उल्लेखनीय है। ये मदें राज्य-सूची में रखी गई हैं।

पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय

नि:शक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता

पूर्त कार्य और पूर्त संस्थायें

जन्म-मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।

लघु पत्तन

यंत्र नोदित यान

महोदय, राज्यों को दी गई अधिकांश मदें बहुत अधिक जिम्मेदारी वाली हैं। शक्तियां नहीं है बल्कि इन वर्षों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है।

मेरे राज्य के प्रथम आम चुनाव में भी संयुक्त मद्रास आस्तित्व में था और जब पंडित नेहरू का बहुत बोलबाला था उस समय भी कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यपाल की सहायता से सत्ता पर कब्जा किया। अत:, इन सालों में हम ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य की उस परम्परा को विरासत में ढो रहे हैं जिसमें कि वायसराय के नियन्त्रण में राज्यपाल होते थे। हम इसके विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं।

इन राज्यपालों ने केन्द्र में सत्तासीन दल की आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया है। अत: पहला गलत कार्य मद्रास प्रेजीडेन्सी में हुआ। कांग्रेस सत्ता में लाई गयी। उस तारीख के बाद से कितनी राज्य सरकारों को बरखास्त किया गया है? क्या हमारे प्रजातन्त्र में यह एक स्वास्थ परम्परा है? हमें आगे शताब्दियों तक अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इसलिए एक मजबूत संघीय व्यवस्था समय की आवश्यकता है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, हमारे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा तभी की जा सकेगी। मेरे राज्य में भी क्या हुआ है? जब डीएमके सत्ता में थी तो एआईएडीएमके के मित्रों ने डीएमके सरकार की बरखास्तगी की मांग की। मैंने इसका जोरदार विरोध किया। वास्तव में मुझे अपने राजनीतिक बदले डीएमके से चुकाने हैं लेकिन सिद्धान्त: मैंने डीएमके सरकार की बर्खास्तगी की मांग का विरोध किया। इसी प्रकार मैं एआईएडीएमके का राजनीतिक रूप से विरोध कर रहा हूं। यह अलग बात है। लेकिन यदि एआईएडीएमके सरकार की बरखास्तगी की मांग की जायेगी, तो इस सभा में मैं इसका सबसे पहले विरोध करूंगा...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: द्रविण दलों की एकता के बारे में आपका क्या विचार है?...*(व्यवधान)*

श्री वैको: आप कम्युनिस्टों को बहुत अधिक समय तक एक नहीं रख सके। विशेषकर केरल में भी आपका मार्क्सवादी दल भी अस्थिरता की स्थिति में है। सर्वप्रथम आपको अपने दल को अपने ही राज्य में एक करना है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिये।

श्री वैको: महोदय, इसलिए इन वर्षों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के भाग्य के साथ खिलवाड़ किया है।

सभापति महोदय: श्री वैको, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

श्री वैको: ठीक है, महोदय। मैंने अपने विधेयक के पक्ष में उद्देश्किा का उल्लेख किया है।

सभापति महोदय: अब सभा सोमवार, 26 नवम्बर, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 26 नवम्बर, 2001/ 5 अग्रहायण 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.20.5/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।